राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 13वां दिवस [संख्या. 9.

बुधवार,

दिनांक 28 फरवरी, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य, खाद्य, श्रम, स्वायत्त शासन, उद्योग, शिक्षा, अकाल सहायता, श्रम, नियोजन, गृह एवं योजना विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री यशवन्तसिंह नाहर।

भारत सरकार द्वारा समाज-कल्याण कार्यक्रम हेतु दी गई राशि

178. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 5 वर्षों में भारत सरकार से समाज कल्याण कार्य-क्रम के लिए कितनी रकम मिली ? प्रत्येक वर्ष का कार्य-क्रम के अनुसार ब्यौरा दीजिये।

(2) इसमें से कितनी रकम खर्च हुई, कितनी वापिस लौटाई गई तथा लौटाये जाने के कारण क्या थे ?

(3) क्या उक्त राशि का उपयोग न होने के लिए कोई अधिकारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) गत 5 वर्षों में भारत सरकार से केन्द्रीय अर्थ: प्रवन्धित योजनाओं के अन्तर्गत समाज कल्याण कार्य-क्रम के लिए जितनी रकम मिली उसके ब्यौरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष व कार्य-क्रम के अनुसार वास्तविक व्यय की सूचना सूचियों के कॉलम नम्बर 4 में अंकित है। वर्ष 1967-68, 1970-71 तथा 1971-72 में कोई राशि शेष नहीं रही। वर्ष 1968-69 एवं 69-70 में राशि शेष रहने का कारण सूचियों में अंकित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप जब समय निकल जाता है तब दी जाती है, क्या यह सही है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात तो नहीं है कि जब

Page No.2

(श्री ओंकारलाल चौहान)

समय निकल जाता है तब दी जाती है। कोशिश यही की जाती है कि वह समय पर दी जाय। कभी किसी फार्म में कोई खामी रह जाती है तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए वापिस भेजा जाता है उसमें देरी हो सकती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कोई साल ऐसा बतला दें जिसमें मार्च से पहले दी गई हो।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं ऑफ हैण्ड नहीं कह सकता हूँ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : 68-69 और 69-70 में जो राशि खर्च नहीं की गई है इसके बारे में मंत्री महोदय बतायें कि यह राशि कब तक खर्च करवा दी जायगी।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : शिक्षा का सत्र जब जुलाई में प्रारम्भ होता है तो सितम्बर तक वह दे दी जानी चाहिए।

श्री ओंकारलाल चौहान : अगस्त में तो सेंक्शन होती है और उसके बाद एप्लीकेशन्स आती हैं उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है तो उसमें समय निकल जाता है, और जो फार्म स्वीकृत होते हैं उसके आधार पर वह दी जाती है।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि छात्रवृत्तियां और छात्रावासों को समाज कल्याण विभाग से राशि समय पर नहीं मिलती है और वह समय से पूर्व मिल जाय तो उनको दिक्कत न हो।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आयन्दा उनको समय पर मिले।

प्रश्न संख्या 179

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

बीकानेर में ड्रेनेज की व्यवस्था

180. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था नहीं होने से शहर में सूरसागर एवं अन्य स्थानों पर गंदा पानी भरा रहता है जिससे जन-स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ? अगर हां तो इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ड्रेनेज आदि के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : जी हां। राज्य सरकार ने गिनानी सूरसागर योजना, बीकानेर में बरसात के पानी के निकास के लिए स्वीकृत की थी। पम्पों की फिटिंग के अलावा अन्य कार्य पूर्ण हैं। बीकानेर नगर के ड्रेनेज के लिए एक विस्तृत योजना 1.18 करोड़ की तैयार की गई थी। परन्तु धनाभाव के कारण इस पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

श्री भीमसेन : यह धन की व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है तो यह कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

श्री चन्दनमल बैद : हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ड्रेनेज के लिए धन मिल जाय तो बीकानेर का काम हाथ में ले सकें। यह योजना 1 करोड़ 18 लाख की बनी थी वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 3 करोड़ की हो गई है। अगर धन मिल जाय तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को हाथ में ले लिया जायगा, अन्यथा सम्भव नहीं है।

श्री भीमसेन : सूरसागर में गन्दा पानी इकट्ठा होता है और 24 घन्टे वहां पर लोगों का आना जाना होता है तो इससे जन-स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है। सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : तभी तो एक बड़ी योजना बनाई गई है। पहले एक छोटी योजना बनाई गई थी जैसा कि माननीय सदस्य को खुद को मालूम है कि उसमें 26,18,694 रुपया खर्च हो गया है और उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे रूप से यह तभी हो सकता है जब कि बड़ी योजना बनाई जाय, और बड़ी योजना जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया है कि 1,18,00,000 रु. की पहले बनी थी और खर्चा बढ़ जाने के कारण वह अब करीब 3 करोड़ की हो गई है और यह तीन करोड़ बीकानेर के लिए ही नहीं हैं और दूसरे शहरों के लिए भी योजना है। जब तक पांचवी पंचवर्षीय योजना में ड्रेनेज के लिए काफी धनराशि न मिल जाय तब तक यह कहना बड़ा मुश्किल है कि इस योजना को हाथ में ले सकेंगे या नहीं ?

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, बड़ी योजना तो कभी आप पूरी नहीं कर सकते हैं। सूरसागर के लिए यह कहा गया कि बड़ी योजना को लेकर इसे पूरी करेंगे, वहां की समस्या तो बड़ी भयंकर है और सूरसागर मल-मूत्र की एक झील बन गई है और वह बदबू का एक भयानक दृश्य उपस्थित करता है। एक नारकीय कुण्ड बन गया है उसके एक तरफ कलेक्टोरेट है, दूसरी तरफ डाइरेक्टोरेट ऑफ एज्यूकेशन का दफ्तर है और एक तरफ नगर परिषद् का ऑफिस है। इन सब के होते हुए और रात-दिन हजारों आदमी उस ओर से आते जाते हैं उसके लिए आप कहते हैं कि बड़ी योजना होगी तब करेंगे तो आपकी बड़ी योजना तो कभी पूरी हो नहीं सकती अतः इसको छोटी और मीडियम योजना से ठीक किया जाय। यह आप भी मानते हैं कि वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी नहीं होने के कारण यहां पर सूरसागर में मल-मूत्र एक झील के रूप में इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण जन-स्वास्थ्य खतरे में पड़ा हुआ है। इसके लिए क्या आप तुरन्त कोई योजना चालू करने को तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने जब अर्ज किया तब शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। इस पर करीब 26,18,694 रुपया खर्च किया जा चुका है और वहां पर बड़े पम्प लगाये गये हैं ताकि जो पानी वहां पर इकट्ठा होता है उसको बाहर निकाल दिया जाय। उसमें थोड़ा सा काम बाकी रहा है। उसके लिए कुछ पाइप्स तो आ गये हैं और कुछ आ रहे हैं और उसका काम पूरा होते ही आंशिक रूप से यह समस्या हल हो जायेगी। लेकिन सारे

(श्री चन्दनमल वैद)
बीकानेर शहर की ड्रेनेज की समस्या को हल करने के लिए जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं एक बड़ी योजना की जरूरत है जिसको हम बना चुके हैं लेकिन धनाभाव के कारण उसको हाथ में नहीं लिया गया है। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना में धन मिल गया तो निश्चित रूप से एक अच्छी बड़ी योजना को हाथ में लिया जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका नाम सूरसागर के बजाय असुर सागर रख दिया जाय।

श्री चन्दनमल वैद : उसको आप चाहे गुलाब सागर कहें या चमेली सागर कहें, सूरसागर कहें या असुर सागर कहें बात एक ही है।

श्री गोपाल जोशी : यह कब तक पूरा हो जावेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार के उत्तर को ध्यान से सुना। सूरसागर की गन्दगी का प्रश्न यह कोई 10 वर्ष पुराना प्रश्न है। सूरसागर एक बहुत प्रमुख स्थान बीकानेर नगर में स्थित है। मंत्री महोदय ने उनकी योजना बनाई उसका स्वागत् है। ज्यों-ज्यों दिन प्रति दिन कीमतें बढ़ती जायेंगी योजनाओं का खर्च बढ़ता जायगा, लेकिन इस सूरसागर की गन्दगी की समस्या को लेकर क्या सरकार उसकी योजना को दो पार्ट्स में विभक्त करके सूरसागर की गन्दगी की समस्या को दूर करेगी? उसकी योजना को दो पार्ट्स में विभाजित करने के पश्चात् इसको प्राथमिकता देकर इस समस्या को हल नहीं कर सकती है क्या? यह बिल्कुल मेन रोड पर सूरसागर एक रमणीय स्थान है। वहां पर उसके पीछे पब्लिक पार्क है और पब्लिक पार्क से ही सटा हुआ सूरसागर है तो उसमें इस तरह से दुर्गन्ध आती है तो मेरे खयाल में पहले के शासन से आज वह एक तरह की रिट्रेग्रेट पोजीशन हो गई है। क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस गन्दगी का निवारण करने के लिए कदम उठाने पर विचार करेगी?

श्री चन्दनमल वैद : मेरा आपसे मतभेद नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस समस्या का हल करने में अभी तक 26 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं केवल हमारी दिक्कत पम्प के मिलने में हैं, और जो कम्पनी इन पम्पों को बनाती है वह उन पम्पों की सप्लाई करने में देरी कर रही है। अब उसने यह कहा है कि वह पम्प मार्च, 73 तक सप्लाई कर देगी। अगर वह पम्प मिल जाते हैं तो सूरसागर में जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उस गन्दे पानी को बाहर निकाल देंगे और पम्प मिलने के बाद में 6 महीने के अन्दर अन्दर हम उसको निकाल कर दूर भेज देंगे। मैं अर्ज करता हूं कि इस समस्या का आंशिक हल तो जल्दी ही हो जायगा, लेकिन सारे बीकानेर शहर की ड्रेनेज की जो समस्या है उसके लिए 3 करोड़ रुपये की जरूरत होगी और तीन करोड़ रुपया पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वह पैसा मिल सकेगा या नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप का जो लक्ष्य है........

श्री भीमसेन : ये 26 लाख रुपया लगाकर समस्या बढ़ी है, घटी नहीं है। 26 लाख रुपया कहां लगाये गये हैं?

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मन्त्री महोदय, मेरा लक्ष्य और आपका लक्ष्य एक ही है। मैं तो समझता हूं कि राजस्थान सरकार का जो तरीका है वह कमियों से भरपूर है। आपको ड्रेनेज की समस्या और नल की समस्या को एक ही मानकर चलना है। आपने नल को समस्या को अलग माना है। ड्रेनेज को अलग माना है। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि ड्रेनेज की समस्या को और नल की समस्या को दोनों को समान रूप से हल करने का प्रयत्न करें तो अति उत्तम होगा। मन्त्री महोदय से मैं एक यह भी निवेदन करूंगा कि यह प्रशासनिक समस्या के बाहर नहीं है। कायदे के बाहर नहीं है, आप करें तो कर सकते हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार कुछ नहीं करेगी? यह व्यवस्था तो उचित नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरा मतलब कोई वाटर सप्लाई पम्प से नही है। गन्दे पानी को निकालने वाले पम्प से है।

श्री लक्ष्मणसिंह : हां मैं समझ गया हूं।

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने हमको लिखा है, मार्च 73 में वह हम को सप्लाई करेंगे। अगर वह मार्च, 73 में गन्दा पानी निकालने का पम्प-पीने के पानी की सप्लाई वाला पम्प नहीं आ गया तो मैं समझता हूं कि पम्प मिलने के 6 महीने के अन्दर अन्दर गन्दे पानी को हम निकाल देगें। तो स्थायी रूप से समस्या हल हो जायेगी।

प्रश्न संख्या 181

श्री अध्यक्ष : श्री झाबरमल सूण्डा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह उस गन्दे पानी की समस्या....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आ गया है।

श्री भीमसेन : पम्प मिलने के बाद 6 महीने किस बात के लगायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इस प्रकार कहते हैं। इसमें क्या सेंस की बात है।

प्रश्न संख्या 182

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन।

कोटा जिले के अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता

182. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति के लोगों पर कोटा जिले में कितने मुकद्दमें दीवानी व फौजदारी एवं राजस्व के विचाराधीन हैं? और अब तक इनमें से कितने व्यक्तियों को कानूनी सहायता दिलाई गई है?

(2) कोटा जिले में सवर्ण जातियों द्वारा अनुसूचित जाति के कितने लोगों की खाते की जमीनों पर कब्जा कर रखा है? अगर हां, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें अपनी जमीन वापिस दिलाये जाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हां, तो क्या? और नहीं, तो क्यों नहीं?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बाद में दे दिया जायेगा।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कब तक आ जायेगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री ओंकारलाल : अगले टर्न पर दे दिया जायेगा।

(प्रश्न, 182 स्थगित किया गया)

प्रश्न संख्या 183

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 184

एक माननीय सदस्य : आपका है ?

नगर परिषद जयपुर द्वारा जीप भेंट करने के लिए कूपन का बेचान

184. श्री श्रीराम गोटेवाला : (किशनपोल, जयपुर) : (श्री मोहनलाल छगाणी फलौदी) की अनुपस्थिति में उन्होंने हमको कह रखा है। क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगर परिषद्, जयपुर ने गत भारत-पाक संघर्ष के समय सुरक्षा-कोष में जीप भेंट किये जाने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रयोजनार्थ नगर परिषद, जयपुर द्वारा कूपन भी छपवाये गये थे ? यदि हां, तो इन कूपन के बेचान से कितनी आय हुई व उक्त राशि का क्या हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कूपन बिक्री के सम्बन्ध में कोई अनियमितताओं की शिकायत सम्बन्धित मन्त्री महोदय को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नगर परिषद् द्वारा प्रस्तावित भेंट की जाने वाली जीप को लेने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) नगर परिषद, जयपुर ने दिनांक 30-12-71 की बैठक में नागरिक सुरक्षा कोष में एक जीप भेंट किये जाने पर केवल विचार विमर्श किया था।

(2) जी हां। कूपन के बेचान से रु. 8,247/- की आय हुई, जिसमें से रु. 150/- छपाई कार्य में व्यय हुये एवं शेष राशि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में जमा है।

(3) साप्ताहिक पत्र 'चिन्मय किरण' के अंक दिनांक 28-2-72 में नगर परिषद् जयपुर द्वारा नागरिक सुरक्षा के नाम से बेचे जाने वाले कूपनों के सम्बन्ध में छपी खबर दिनांक 3-3-72 को निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को प्राप्त हुई। विभाग द्वारा उसी रोज आयुक्त, नगर परिषद् से जानकारी चाही गई तथा आयुक्त ने दिनांक 10-3-72 को टिकटों की बिक्री का पूर्ण विवरण भेजते हुये सूचना प्रेषित की कि उनका विक्रय बन्द कर दिया गया था।

(श्री परसराम मदेरणा)

इस सम्बन्ध में सचिव, राजस्थान सतर्कता आयोग द्वारा आवश्यक जानकारी करने के पश्चात व मामले को समाप्त करने की सूचना प्राप्त होने पर मामले को समाप्त कर दिया गया।

(4) यह सही नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे को यह जानकारी प्राप्त करनी है कि 8,247 रु. की राशि मन्त्री महोदय ने बताई है, उसका क्या उपयोग हुआ है ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई है कि ठेकेदारों को कूपन बेचने को दिये गये हैं। तीसरी बात यह कि चुंगी चौकियों पर यह कूपन बेचने के लिए रखे गये। कूपन बेच कर जीप देने वाले हैं, इस बारे में जांच की गई है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राशि के उपयोग की बात है, वह स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में जमा है। उसका अभी कोई उपयोग नहीं किया गया है। ठेकेदारों से वसूली की गई है, इसकी जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं है। सतर्कता आयोग ने भी जहां तक मैं जानता हूं, अखबारों में छपी खबर को ही मांगा था। उसने इस मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या माननीय मन्त्री महोदय, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेंगे ? 30-2 71 को कौंसिल के निर्णय के बिना 8,247 रु. की राशि ली गई है। कूपनों पर कहीं भी नम्बर नहीं लिखे गये हैं। बहुत बड़ा षड्यन्त्र करके हजारों रुपयों की राशि सुरक्षा कोष के नाम पर ली गई है। अब उसका किस मद में उपयोग करेंगे।

एक माननीय सदस्य : सदस्यों में आप भी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो क्या हुआ। मेरा नाम भी आ जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : नगर परिषद् की 30-12-71 की बैठक में निर्णय लिया गया है। इसलिए यह कहना कि कोई निर्णय परिषद् में नहीं लिया गया है, यह सही नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मन्त्री महोदय यह आपकी गलती नहीं है। आपके पास जो जानकारी भेजी गई है, वह है। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि नगर परिषद ने कोई निर्णय अपनी बैठक में नहीं लिया है। 30-12-71 को जो निर्णय लिया गया है, वह एक्जीक्यूटिव कमेटी में लिया गया है। इस बात को तय किया गया था कि हम कैन्टीन चलाकर या किस तरह से एक जीप जयपुर नगर परिषद की ओर से सुरक्षा कोष में भेंट करेंगे। एक रुपये की कूपन लगाने की बात हुई है। मैं खुद वहां मौजूद नहीं था। लेकिन मुझे इसका पता है। सतर्कता आयोग ने इसे ऊपरी स्तर से देखा है। ठेकेदारों से, चुंगी चौकी वालों और कैण्टीन वाले तथ्यों की जांच कराई जाये। अध्यक्ष महोदय, यह सुरक्षा कोष का मामला है। बंगाल में एक मन्त्री को इस बारे में सजा भी हो चुकी है। सुरक्षा कोष के नाम से रुपया इकट्ठा करके रुपया बैंक में जमा करा दिया....

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन पूछें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : और रुपया खा गये, मैं क्वेश्चन के रूप में ही पूछ रहा हूं, इसके बारे में गत वर्ष भी ध्यान दिलाया था, इस सदन के अन्दर इस बात के बारे में चर्चा की थी लेकिन उस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। मैं जानना चाहूंगा, एक तो 8,247 रुपये की राशि के उपयोग के लिए क्या आदेश दे रहे हैं, किस प्रकार उपयोग में लायी जायगी, क्या किया जायगा ? दूसरे जिन जिन चीजों के लिए कहा, उसकी जांच के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस प्रश्न का उत्तर पिछले सत्र में दे चुका हूं, उस वक्त कोई जांच करने का आदेश नहीं दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसीलिए दुबारा प्रश्न किया है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न नहीं, इस प्रश्न को दुबारा पूछने की इजाजत देनी नहीं चाहिए थी क्योंकि इस सदन में मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। 25,000 टिकिट कुल छपवाये गये, उनमें 16,753 टिकिट अभी परिषद् के पास हैं, एक एक रुपये का एक टिकिट, बाकी रहे 8247....

श्री रामनारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री अध्यक्ष : कोनसा पॉइन्ट ?

श्री परसराम मदेरणा : क्वेश्चन ऑवर में पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : I want to raise a point of order.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order in question Hour.

श्री केदारनाथ : क्वेश्चन ऑवर में नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर भी होता है।

श्री परसराम मदेरणा : आप डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आप देखते नहीं हैं, रूल्स में प्रॉसीजर क्या होता है।

मैं निवेदन कर रहा था कि 25,000 टिकिट कुल छपवाये गये, उनमें से 16,753 टिकिट परिषद् के पास हैं और 8,247 टिकिट बिके, उनके 8,247 रुपये बैंक में जमा हैं। आप कह रहे हैं कि टिकिट के अलावा वसूली हो चुकी है, तो यह बात जरूर है कि सीरिअल नम्बर टिकिट पर जरूर नहीं थे, लेकिन परिषद् की छाप लगा कर वह दिये गये थे कुछ टिकिट ठेकेदारों को, और बाकी के परिषद् के दफ्तर में हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सीरिअल नम्बर था नहीं, सीरिअल नम्बर नहीं दिया तो किस प्रकार अधिकृत रूप से कहा जा सकता है कि वह टिकिट 25 हजार ही छापे गये ?

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : इस लिए कह रहा हूं कि जो कमिश्नर हैं, म्युनीसिपल परिषद् में उन्होंने ऑर्डर 25 हजार का

(श्री परसराम मदेरणा)
दिया है, जिस प्रेस में छपे हैं, वह 25 हजार थे, इस आधार पर कह रहा हूं, यह रिकार्ड का मामला है। एक दूसरे, ठेकेदारों से रुपये ले लिये, चुंगी चौकियों पर ज्यादा टिकिट का पैसा रेज किया गया—इस प्रकार के कमिश्नर ने तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि कोई ऐसा मामला या फेक्ट्स सामने नहीं आये। आप कहते हैं और आपके पास इस प्रकार के फेक्ट्स हैं तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य राज्य सरकार को वह फेक्ट्स दें, तो मैं फरदर जांच करा सकता हूं। आज की स्थिति में कोई जांच का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द !

श्री मीठालाल : माननीय मन्त्री ने बताया कि 8,247 रुपये बैंक में जमा हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह धनराशि कब से जमा है और अब उस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो धनराशि के टिकिट बिके, वह 8,247 के बिके और 8,247 रुपये बैंक में जमा हैं। इस सम्बन्ध में कि धनराशि का परिषद् क्या उपयोग करना चाहती है, परिषद् एक ऑटोनोमस बॉडी है वह इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द !

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरा प्रश्न रह गया है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : आपका बीच में है क्या ?

श्री राजेन्द्रसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : सोरी ! श्री राजेन्द्र सिंह !

राज्य में खोली गई नई स्कूलें

185. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 में कुल कितनी नई स्कूलें कब खोली गई ? कृपया प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कूलें किन किन जिलों में खोली गई हैं और कितने स्कूल कहां खोले जाने का क्या आधार रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि 26 माध्यमिक स्कूलें बाद में खोली गई थीं ? यदि हां, तो कब, और क्या 26 ही खोली गई या उससे अधिक ? इनको बाद में खोले जाने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि जहां-जहां माध्यमिक स्कूलें खुली हैं वहां सब स्कूलों में कक्षा पांच में छात्रों की संख्या पर्याप्त है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी संख्या है ? सूची मय आंकड़े दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 1972-73 में प्रत्येक जिले में प्राथमिक शालायें खोलने की संख्या निर्धारित करने का आधार सम्बंधित जिले में 6-11 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की

(श्री जुझारसिंह)

वह संख्या रहा है जो शालाओं में नहीं आते। प्रत्येक जिले में प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की संख्या निश्चित करने का आधार उस जिले में उपलब्ध प्राथमिक शालाओं की संख्या रहा है।

(3) राज्य सरकार ने 26 स्थानों पर प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के लिए राज्य स्तर पर निर्णय लेने हेतु सुरक्षित रखे थे। विभिन्न जिला स्तरीय समितियों द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त जिन जिन स्थानों से शालायें क्रमोन्नत करने की मांग राज्य सरकार को प्राप्त हुई उन पर गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार ने 37 स्थानों पर प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के आदेश प्रसारित करना उपयुक्त समझा।

(4) जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने हेतु निर्णय लेने के लिये छात्र संख्या, क्षेत्र का पिछड़ापन व भवन की सुविधा आदि का ध्यान रखने हेतु निर्देश दिये गये थे। जो शालाएं उच्च प्राथमिक शालाओं के रूप में क्रमोन्नत हुई हैं उनमें सामान्यतया छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न नम्बर चार है उसकी सूची नहीं दी गई है। मैंने पूछा था कि पांचवी कक्षा के अन्दर कितने कितने छात्र हैं उसकी सूची दी जाय। प्रश्न का जवाब अपर्याप्त है। यदि मंत्री महोदय के पास प्रश्न का जवाब नहीं आया है तो उसे डेफर कर दिया जाय, और सूची आ गई है तो मुझे नहीं दी गई है ताकि सूची देख कर मैं प्रश्न पूछ सकूं।

श्री जुझारसिंह : जो स्कूल प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी स्कूल में अपग्रेन्ड किये गये हैं उनमें सामान्यतया 70 स्टूडेंट होना आवश्यक माना गया था और उसमें कम से कम बारह स्टूडेंट पांचवी कक्षा के अन्दर होने चाहिए। इस क्राइटेरिया में जो आते थे उन्हें अपग्रेड किया गया।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मैने प्रश्न किया है "क्या यह सही है कि जहां जहां माध्यमिक स्कूलें खुली हैं वहां सब स्कूलों में कक्षा पांच में छात्रों की संख्या पर्याप्त है ? यदि हां, तो कितनी कितनी संख्या है ? सूची मय आंकड़े दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।"

श्री जुझारसिंह : इसका जवाब दिया, छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह : आपने जवाब फर्मा दिया, क्या आपके जवाब फर्माने से बात मान ली जाय। आपने बेसिस तय किया है, इस बेसिस पर पांच, या छः या आठ, बारह छात्र जाने चाहिए, तो जो स्कूल चल रहे हैं क्या इन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है और है तो किस रीजन से खोले गये, क्या पॉलिटिकल रीजन से खोले गये ? क्या रीजन और बेसिस बना दिया ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक हजार प्राइमरी स्कूल और एक हजार अपर प्राइमरी स्कूल सेंक्शन हुए थे, इनमें से 26 स्कूल राज्य सरकार ने अपने अधीन रखे थे अपग्रेड करने के लिए, कोई ऐसा····

श्री मूलचन्द सामरिया : ओवलाइज करना हो।

श्री जुझारसिंह : रह गया हो तो क्राइटेरिया के मुताबिक उसे किया जा सके।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सूची के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। मैं क्या प्रश्न करूं। सूची के बिना मैं प्रश्न कर नहीं सकता।

श्री जुझारसिंह : मेरा जवाब सुन लें। मैं फिर माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ।

श्री राजेन्द्रसिंह मैं सूची चाह रहा हूं।

श्री जुझारसिंह : वह बहुत बड़ी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इसे डेफर कर दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्रसिंह : जवाब आपका क्या सुनें, सूची नहीं है। आपने तो फरमा दिया, लेकिन आप सूची देंगे तब ही तो प्रश्न करूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इनका प्रश्न दूसरा है। सही मायने में माननीय सदस्य की मन्शा यह है कि माननीय मंत्री बतायें, जो स्कूल खुले हैं, तो जैसी मन्शा थी, उसके मुताबिक स्टूडेंट उनमें थे नहीं, फिर कैसे स्कूल खोल दिये। सूची नहीं आयेगी तब तक प्रश्न कैसे करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : हमने खोले हैं क्या ?

श्री जुझारसिंह : जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया गया है या खोले हैं उनमें 26 को छोड़ कर बाकी का निर्णय, एम. एल. एज. जिनमें माननीय सदस्य भी शामिल हैं, जिला प्रमुख हैं, की जो लोकल बॉडी बनी थी, उसने क्राइटेरिया के आधार पर तय किया। इसमें पक्षपात का प्रश्न नहीं है। 26 स्कूलों के बारे में मैं निवेदन कर सकता हूं, बाकी रेस्ट ऑफ स्कूल के लिए नहीं।

श्री अध्यक्ष : इनका स्कूल कहां का है ?

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरे स्कूल का सवाल नहीं है। मैंने राजस्थान के स्कूलों की सूची मांगी है।

श्री अध्यक्ष : आपने खोले हैं उनमें है या समिति ने खोले हैं उनमें है।

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरे स्कूल का प्रश्न नहीं है, मैंने राजस्थान भर के स्कूलों के बारे में पूछा है।

श्री जुझारसिंह : टोंक में से 26 स्कूलों में से तीन स्कूल की मांग हुई थी, एक माननीय सदस्य के क्षेत्र उनियारा का था, जिस प्राइमरी स्कूल में पांचवी

(श्री जुझारसिंह)

कक्षा में 13 स्टूडेंट थे, वह अप-ग्रेड कर दिया गया। सिरोही में था, जिसमें टोटल स्टूडेन्ट 65 थे, जबकि नियम के माफिक 70 होने चाहिए और पांचवी कक्षा में 12 होने चाहिए उसके मुकाबले सिरोही में छः थे। 12 के मुकाबले 6 और 70 के मुकाबले 65। उसको अपग्रेड नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : यह सूचना गलत दी गई है।

श्री राजेन्द्रसिंह : आपने खाली टोंक, उनियारा और सिरोही का बताया यह इनका सवाल नहीं है और जो स्कूल खोले हैं, उनमें छात्र संख्या क्या रही है।

श्री जुझारसिंह : राजस्थान के स्कूलों का फैसला राज्य सरकार द्वारा नहीं हुआ है।

(दो तीन माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता महोदय।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची के आने पर ही प्रश्न किया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह : सूची का प्रश्न ही नहीं उठता। सूची तो एम. एल. एज और जनता के प्रतिनिधि तय करते हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह : राजस्थान के अन्दर जो स्कूल खोले गये हैं उनकी सूची आपके पास होनी चाहिए।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी में एम. एल. ए. भी होते हैं लेकिन हमको सूचना ही नहीं मिलती कभी मीटिंग्स की। कलेक्टर के ही बीच फैसला तय कर दिया जाता है। मेरे चुनाव क्षेत्र देसूरी में केवल एक ही स्कूल खोला गया जबकि पड़ौस में 5 स्कूल खोले गये।

एक माननीय सदस्य : हमारे यहां भी स्कूल नहीं खुला है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : फिर स्कूल खोलने की मौसम आ रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र।

सिकराय क्षेत्र में बाढ़ से क्षति

186. श्री रामचन्द्र (सिकराय) व श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिकराय क्षेत्र में बाढ़ से कितने जन धन की क्षति हुई? अलग अलग ब्यौरा देने की कृपा करें।

(2) इससे कितनी भूमि अनुपजाऊ हो गई, कितनी फसल नष्ट हुई, कितने कुए दब गये, कितने परिवार प्रभावित हुए तथा कितने व्यक्ति उन परिवारों में थे?

(3) राज्य सरकार इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण जनता को क्या क्या राहत (सहायता) दे चुकी व भविष्य में क्या राहत देना चाहती है?

(4) राज्य सरकार प्रति व्यक्ति व प्रति परिवार क्या क्या 2 सहायता दे चुकी

(श्रीरामचन्द्र व श्री मूलचन्द सामरिया) है ? क्या वह काफी थी ? यदि नहीं, तो भविष्य में सरकार क्या सहायता देने का विचार रखती है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सिकराय क्षेत्र में बाढ़ से कोई जन हानि नहीं हुई। बाढ़ से 53 गांव प्रभावित हुए थे जिनमें कुल क्षति 11,67,931 रुपये आंकी गई थी।

(2) कुल कितनी भूमि अनुपजाऊ बाढ़ से हुई इसका पूरा विवरण इस समय देना सम्भव नहीं है । 1554 एकड़ भूमि में फसल का नुकसान हुआ, 95 कुए दब गये अथवा नष्ट हो गये, 3,541 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए, इन परिवारों में 17,705 व्यक्ति थे।

(3) तत्कालिक सहायता स्वरूप 110 बोरी आटा तथा 2 बोरी दाल वितरित की गई। 182 कम्बल वितरित किये गये, अनुदान के रूप में 85,836 तथा तकावी के रूप में 59,950 रुपये बांटे गये हैं। अनुदान उन लोगों को दिया गया जिनके मकान पूर्ण या अंशतः क्षतिग्रस्त हुए। वांछित सहायता दी जा चुकी है।

(4) पीड़ितों को प्रति परिवार तत्कालिक सहायता स्वरूप एक सप्ताह का मुफ्त राशन दिया गया । जिनके मकान पूर्णतः बाढ़ से बह गये थे उन्हें 150 रु. व एक कम्बल दिया गया, अंशतः क्षतिग्रस्त को 40 रु. दिये गये, अतिवृष्टि से नुकसान हुआ उन्हें 10 रुपये से 40 रुपये तक दिया गया।

श्री सहदेव शर्मा : क्या इसके पूर्व भी गांव क्षति ग्रस्त रह चुके हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं।

श्री सहदेव शर्मा : इससे दो तीन साल पूर्व भी गांव क्षति ग्रस्त रह चुके हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती थी कि यह जो जमीन अनउपजाऊ हो रही है और सभी प्रयत्न असफल हो रहे हैं, इस जमीन के लिये सरकार ने क्या सोचा है ? इस जमीन के मालिक किसानों को किस प्रकार से सरकार सहायता देना चाहती है।

श्री परसराम मदेरणा : जो जमीन सिल्ट जमा हो जाने के कारण खराब हुई है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार को रिक्लेमेशन के लिए प्रतिवेदन दिया गया था लेकिन भारत सरकार इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सहायता नहीं दे रही है।

श्री सहदेव शर्मा : क्या मन्त्री महोदय, को जानकारी है कि जो गांव क्षति ग्रस्त हुए है उसका कारण यह है कि एक नाला गांवों के बीच बहता है ?

श्री परसराम मदेरणा : फ्लड कन्ट्रोल का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है, आप उनको प्रश्न करें।

श्री रामचन्द्र : मैं निवेदन करूंगा कि जो 53 गांव बाढ़ ग्रस्त हुए हैं उसके लिये मन्त्री महोदय ने बताया कि 3,541 परिवारों को नुकसान हुआ। तो कितने आदमियों को कितनी कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई और उसका क्या मापदंड था ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार इन्डीवीजुअल्स के लिये कोई निर्णय नहीं लेती। जो कुछ धनराशि भारत सरकार से उपलब्ध होती है उसका अलॉटमैंट जिलों को आंवटित किया जाता है, और जो कुछ भी राशि दी गई वह मैं प्रश्न के बाद बता दूंगा।

श्री रामचन्द्र : क्या यह 85 हजार रुपये उन लोगों को वितरित किये जा चुके हैं?

श्री परसराम मदेरणा : जी हाँ, यह वितरित किये जा चुके हैं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : इसका कोई स्थाई हल आपने सोचा है?

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये आप सिंचाई विभाग से पूछें मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिए सिंचाई विभाग योजना बनाता है और इस साल उन्होंने 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। यह योजना बनाते है और सर्वे भी कराते है। कहां कभी फ्लड आता है; यह सारे आंकड़े उनके पास है। मेरा डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह सही है कि तकाबी के लिये जितने रुपये उस क्षेत्र में लोगों को दिये गये थे, वह रुपये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बंट नहीं सके और वह रुपये वापिस करने पड़े?

श्री परसराम मदेरणा : कुछ रकम कलेक्टर्स ने सरेन्डर जरूर की है। अब जयपुर के कलेक्टर ने कितनी रकम सरेंडर की और किस तहसील के लिये की यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : वहां के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को इमीजियेट रिलीफ नहीं मिल सका। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप जांच करके कार्यवाही करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : जो आदमी बाढ़ से सताए हुये हैं उनके लिये ही यह पैसा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : उनको ही तो नहीं मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में पिछले तीन चार सालों में बाढ़ आ चुकी है। इसलिए अगर कहीं ज्यादा बरसात की वजह से भी अगर कोई मकान गिर जाता है तो वह लोग भी रिलीफ के लिए ऐप्लीकेशन दे देते हैं जब कि वह लोग इस के लिये एनटाइटिल्ड नहीं हैं। उसके उपरान्त भी अगर माननीय सदस्य कोई केस बताएं कि किसी को बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा हो तो मैं सोच सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पाली तहसील में सरकारी सहायता से चल रहे उद्योग

187. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली और नगर तहसील में ऐसे कितने और कौन कौन से उद्योग है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऋण, अनुदान अथवा

Page No.15

(श्री शंकरलाल)
अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाई गई है ? सूची मय व्यौरा के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार जोधपुर जिले की भांति पाली जिले को भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय पाली जिले में कुल मिलाकर 30-6-72 तक कुल मिला कर 570 इकाइयां स्थापित की हुई हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही विस्तृत है और इस अवधि में उसका जवाब नहीं आ सकता है अतः मैंने 15 दिन की मोहलत मांगी है।

श्री शंकरलाल : फस्ट पार्ट का जवाब बाद में दे दें। लेकिन सैकण्ड पार्ट के बारे में तो जवाब दे सकती हैं। पाली जिला, अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। जहां आपने दूसरे जिलों को जो कि इससे ज्यादा अच्छी हालत में हैं उन्हें आपने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। आपने जोधपुर को किया है। इसके लिये क्या आपत्ति है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : औद्योगिक क्षेत्र के लिये पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने के लिये राज्य सरकार समय समय पर घोषणायें करती है। और अब जब भी औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिये राज्य सरकार विचार करेगी उस वक्त इस पर भी विचार किया जा सकता है। वैसे राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर घोषित करती है और अगर पाली जिला इस प्राथमिकता में आता है तो इस पर विचार किया जा सकता हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप यह बतायेंगे कि इसके आधार क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह प्रश्न अलग से नहीं है अध्यक्ष महोदय इसीसे सम्बन्धित है।

श्री मोहनराज(पाली) : अध्यक्ष महोदय मेरे समझ में यह नहीं आता कि आखिर पाली जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए आयी थी उसके सर्वे के अनुसार पाली क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना चाहिये था। वहां पर औद्योगिक प्रगति की काफी गुन्जाइश है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय कम है अतः संक्षिप्त में कहें।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय पिछले 6 महीने के अन्दर काफी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं ? तो माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करके इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि राज्य सरकार पाली जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पोस्टपोन कर दिया गया है।

Page No.16

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय सैकेन्ड पार्ट का जवाब तो दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Question has been postponed.

श्री दिनेशचन्द्र डांगी : अध्यक्ष महोदय पाली जिले को....

श्री अध्यक्ष :सवाल मुलतवी कर दिया गया है। अगर आप मुलतवी नहीं कराना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर लीजिये। या फिर इसे पोस्टपोन्ड मान लें।

श्री फूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने तो, अध्यक्ष महोदय, 15 दिन की मोहलत मांगी है।

प्रश्न संख्या 188

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

अनुपस्थित

(कृपया, आगे देखिये)

श्री नाथूराम।

बांसवाड़ा जिले के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

189. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नियोजन कार्यालय बांसवाड़ा के चालू रजिस्टर पर कितने आशार्थी उपलब्ध हैं ? उनमें से मैट्रिक से ऊपर की शिक्षा प्राप्त कितने आशार्थी है ? शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इनमें कितने आदिवासी हैं ?

(2) वर्ष 1972-73 में जिला नियोजन कार्यालय बांसवाड़ा की किस किस पंचायत में कितने कितने अध्यापकों के स्थान अधिसूचित किए ? कितनों को रोजगार दिया गया, उनमें कितने आदिवासी थे तथा कितने स्थान रिक्त रहे ?

(3) बांसवाड़ा जिले के शिक्षित बेरोजगार आशार्थीयों को रोजगार दिलाने के बारे में सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान): दिनांक 31-12-72 को जिला नियोजन कार्यालय बांसवाड़ा की जीवित पंजिका पर 2,039 आशार्थी उपलब्ध हैं। उनमें से मैट्रिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त 957 थे। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सूची (अ) संलग्न है। इनमें 163 आदिवासी थे।

(4) सूची (ब) संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(कृपया, परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जो बेरोजगारों की संख्या बताई है वह श्रम विभाग के आंकड़ों से बतायी गई है या और कोई प्रकार से राज्य सरकार ने जानकारी प्राप्त की है। इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कोई सर्वे कराया है।

श्री ओंकारलाल चौहान : ये सर्वे के आधार पर बताया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस व 96 में से 38 Tribe को लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल जाट।

चित्तौड़गढ़ जिले के अभावग्रस्त ग्राम

190. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ जिला भी भयंकर अकाल की चपेट में है ? यदि हां, तो किस किस तहसील में कितने कितने गांव अकालग्रस्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है उनमें कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन गांवों में क्या क्या कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं और नहीं कराये गये, तो क्यों ? तथा उन गांवों में अब कब तक राहत कार्य प्रारम्भ करा दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि चित्तौड़गढ़ जिले की निम्न पंचायत समितियों कपासन, राशमी, भोपाल सागर, भदेसर, प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, डूंगला के गांवों में घास और सस्ते अनाजों की दुकानों की व्यवस्था अब तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? और हुई है, तो कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) इस वर्ष राज्य में 26 में से 24 जिलों में अभाव की स्थिति व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ जिला भी उनमें से एक है जिसकी 11 तहसीलों में से 3 तहसीलों के 396 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है:—

नाम तहसील	कुल गांवों की संख्या	घोषित गांवों की संख्या
कपासन	188	69
राशमी	84	57
प्रतापगढ़	531	270
	803	396

(2) जिन ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है उनके लिए 25 सहायता कार्य चालू कर दिए गए हैं जिनकी सूची संलग्न है इन कार्यों पर समस्त अकालग्रस्त ग्रामों के निवासी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सहायता कार्य अलग अलग ग्रामों के लिए अलग अलग चालू नहीं किए जाते।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ में सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी गई हैं उनकी

Page No.18

(श्री परसराम मदेरणा)

सूची संलग्न है अभी चित्तौड़गढ़ जिले में घास की कमी नहीं है। इस कारण वहां पर अनुदानित दर पर चारा बेचने के लिए डिपो कायम नहीं किए गए हैं। परन्तु वन विभाग का लगभग 2,000 क्विन्टल घास चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्व अभिकरण से बेचने के लिए दिनांक 17-2-73 को आवंटित किए गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखें)

श्री शंकरलाल : जो गांव रह गए हैं उनको लेने का भी प्रयत्न करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : रबी का असेसमेंट बाद में होता है और खरीफ का अलग से होता है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर की रिपोर्ट आने पर ही कार्यवाही हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

साधू श्री धूनीराम द्वारा कोटा में सरकारी भूमि का बेचान

191. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में दशहरा मेला ग्राउन्ड में स्थित रामद्वारे के साधू श्री धूनीराम के द्वारा सरकारी भूमि का बेचान किया गया है ?,

(2) क्या उक्त साधू श्री धूनीराम के विरुद्ध सरकार द्वारा जांच प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो जांच के कारण क्या परिणाम आये और इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह राज्य मन्त्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) साधू धूनीराम द्वारा मेला ग्राउन्ड, किशोरपुरा, कोटा में स्थित रामद्वारे के पास स्थित भूमि का बेचान किया गया है।

(2) उक्त साधू धूनीराम द्वारा किए गए बेचान के सम्बन्ध में परिवाद प्राप्त होने पर जिलाधीश, कोटा द्वारा जांच की गई। मामला प्राधिकृत न्यायालय के विचाराधीन है, जहां से परिणाम प्राप्त होते ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि यह न्यायालय में कब से है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : अलग से प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आजकल जवाब विरोधी बेन्चेज से दिया जाता है क्या ? या पुरानी याददाश्त आ जाती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : तारीख आपके पास नहीं होने का सवाल इसलिए नहीं उठता है कि 16 तारीख को जब विधान सभा चालू हुई उस तारीख तक वह किसी कोर्ट में नहीं गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय को दस माह पहले पूरी लिस्ट के साथ सूचना दी थी कि इस इस आदमी को यह जमीन बेची गई है और उसकी जानकारी कर लीजिये। अध्यक्ष

(श्रीमती नगेन्द्रबाला),

महोदय, जगह जगह स्वयं मैंने शिकायत की और बड़ी मुश्किल से यू. आई. टी. के तहसीलदार जांच करने को तैयार हुए। तहसीलदार ने लिख दिया कि यह जमीन धूनीराम की है, लेकिन फिर जांच रोकी गई और जिलाधीश के पास गई। 30 आदमियों को यह प्लॉट्स दिए गए हैं और वह सभी राज्य अधिकारी हैं। देवी देवताओं की मूर्ति लगाकर जमीन ले लेते हैं उसको कलेक्टर नहीं रोक सकता। मुख्य मन्त्री जी ने बड़ा वायदा किया था कि सरकारी अधिकारियों में जो ईमानदार नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जो काम करने वाले हैं, उनको तो छोड़िये लेकिन जो इस प्रकार का काम करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यह किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है और आपको गलत सूचना दी गई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास जो विवरण उपलब्ध है और मैं समझती हूं कि वह अच्छी तरह तफतीश करने के बाद ही भेजा गया, होगा उसके अनुसार तो यह है कि जैसे ही धूनीराम ने अपनी जमीन पर हद बनाना शुरू किया वैसे ही नगर विकास न्यास के भवन निरीक्षक श्री गोपाललाल और न्यास के तहसीलदार को सूचना दी गई कि इस प्रकार जमीन की हद बनाई जा रही है और उस पर कार्यवाही की जाये। तहसीलदार ने धारा 91 के तहत कार्यवाही की और यह निर्णय दिया कि यह जमीन धूनीराम की होती है। इस पर नगर विकास न्यास द्वारा तहसीलदार के फैसले के खिलाफ जिलाधीश के यहां अपील की और जिलाधीश ने उस निर्णय को निरस्त करते हुए केस को वापिस रिमान्ड किया। उसके उपरान्त नगर विकास न्यास ने फिर यह कहा कि हम तत्कालीन तहसीलदार से फैसला नहीं कराना चाहते, और इसको दूसरे तहसीलदार को ट्रान्सफर कर दिया जाए, उसके पश्चात् यह तहसीलदार लाडपुरा के यहां ट्रान्सफर किया गया और वहां पर इस पर कार्यवाही चल रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि दो महीने में फैसला हो जायेगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपके दो महीने दस महीने हो चुके हैं। ए. डी. एम., कोटा ने इसकी जांच की और फैसला किया कि सरकारी जमीन है और गैर-वाजिब तरीके से बेची जा रही है। वह फाईल फिर रोकी गयी किस व्यक्ति के द्वारा रोकी गई यह मुझे नहीं मालूम है। आज भी वह यू. आई. टी. में मौजूद है। मैं मुख्य मंत्री जी के पास यह बात पहुंचाना चाहूंगी कि यहां गलत इन्फॉर्मेशन दी गयी है। कई बार माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर कहा गया है कि सरकारी मशीनरी ने समय टालने के लिये गलत सूचना दे दी है और आपकी ओर से क्या हिदायतें देंगे कि जिससे गलत सूचना न आये और स्पष्ट रूप से एक्शन लेने की कार्यवाही हो ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्या द्वारा आपत्ति उठायी गयी कि गलत सूचना दी गई है और अदालत में कोई केस पेंडिंग नहीं है। मैं समझती हूं कि यह सूचना सही होनी चाहिये। उनके

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
कहने पर अब मैं दुबारा जांच कराऊंगी और जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं इतना निवेदन करूंगी कि जांच जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें और यदि निर्माण कार्य शुरू हो गये तो जिस प्रकार जहां जहां निर्माण कार्य शुरू हो गये हैं और सरकार न तो उनको तुड़वा सकी है और न वे तोड़े जा सकेंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक हफ्ते में यह कार्यवाही कर ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में जयपुर नगर को छोड़ कर इस समय कहां कहां सरकार द्वारा कब कब से सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हुई हैं? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन दुकानों पर सन् 72-73 में कितना कब कब व किस किस प्रकार का अनाज कब कब दिया गया है? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक राशन कार्ड नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो अनाज का वितरण किस व्यवस्था के आधार पर होता है?

(4) राजस्थान के किस किस जिले को कितना कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है? क्या यह सही है कि अन्य जिलों की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में जयपुर जिले को कम अनाज आवंटित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड दिये गये हैं एवं खाद्यान्न का वितरण राशन कार्डों पर ही किया जाता है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण जिन जिलों में अकाल एवं अभाव की भयंकर स्थिति है वहां पर जयपुर जिले की जनसंख्या के अनुपात से अधिक खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकर्त्ता को बोलने दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्नकर्त्ता पूछेंगे मैं बैठ जाऊंगा ।

भाग 3 के अन्तर्गत मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने राशन कार्ड वितरित किये गये ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले से ही बने हुए हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कुल कितने वितरित हुए हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : एक एक गांव की नहीं कह सकता ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर जिले की बात है ।

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलों में गांवों में राशन कार्ड दिये हुए हैं पुराने राशन कार्ड पर ही आवन्टन किया जाता है ।

श्री सहदेव शर्मा : तहसील हैडक्वार्टर में कब तक नये बन जावेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : कितना अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : अनाज की उपलब्धि को देखते हुए ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आबादी के लिहाज से जयपुर जिले को गेहूं, बाजरा, मक्का जो कुछ मिलना चाहिये वह अन्य जिलों के हिसाब से बिलकुल नगण्य है । क्या मैं उम्मीद करूं कि जयपुर जिले में राशन का अनाज जिन लोगों के पास अनाज खाने को नहीं है उनको देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर जिले के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया है । वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जहां पर दो तीन साल और चार साल से अकाल है जहां पर एन्टायर पापूलेशन अफेक्टेड है वहां पर ज्यादा कोटा देने की हुई है जहां कि इन्टेन्सिटी ज्यादा है । यदि पापूलेशन के हिसाब से कोटा देंगे तो दूरगामी अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को अनाज नहीं दे सकेंगे और वे लोग भूखों हो मर जावेंगे । राज्य सरकार की नीति यह है कि कितने गांव इफेक्टेड हैं और कितनी पापूलेशन इफेक्टेड है और जिन्स गिरदावरी में कितना खराबा है । 90 प्रतिशत खराबा है तो वहां पर कुछ हुआ हो नहीं और वहां बिलकुल स्टाक नहीं है उनको देना लाजमी हो जाता है । जयपुर जिले के बारे में माननीय सदस्य का रिप्रेजेन्टेशन आया था और वे स्वयम् भी मिले थे । मैंने यह सलाह दी थी कि जनवरी के महीने में चार हजार टन से अधिक का कोटा अलॉट हुआ है जयपुर में । लोकल एलीमेन्ट्स इसको ले जाते हैं और गांव वाले वंचित रह जाते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लोकल एलीमेन्ट से क्या मतलब है ? अंग्रेजी शब्द समझता नहीं हूं इसलिए पूछ रहा हूँ ।

श्री परसराम मदेरणा : राशन का वितरण नहीं है जिनको होना चाहिये । कई प्रकार के ऐसे एलीमेन्ट्स बन कर के वे लोग ले जाते हैं और लोकल एलीमेन्ट्स

(श्री परसराम मदेरणा)
से मतलब यह है कि असेम्बली के बाहर आये हुए थे इसके लिये यह भी प्रिविलेज आपको है क्योंकि जयपुर शहर में रहते हैं। जिलाधीश से कहा है कि शहर की आवश्यकता को भी देखना चाहिये। शहर में अनाज पैदा नहीं होता। भाव बढ़ गये हैं उसको भी ध्यान में रखें। ग्रामीण जनता जो अकाल की चपेट में आयी है उनको भी अनाज का वितरण किया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जिसको आप प्रिविलेज मानते हैं हम नुक्सान मानते हैं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है कि वेस्टर्न पार्ट जो अकाल से ग्रस्त है उनको ज्यादा कोटा दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात न करें।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय कि जयपुर जिला..............

श्री अध्यक्ष : नो टाक्स प्लीज।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इतना बड़ा जिला है कि उसके साथ जयपुर शहर भी है जो राजस्थान की राजधानी है। जो अनाज दिया जाता है गेहूं शहर वाले ले जाते हैं और कोर्स अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का वह भी पूरी मात्रा में देहाती क्षेत्र में न मिले तो क्या यह उनके साथ न्याय है? तालिका देखने से स्पष्ट पता चलता है कि आमेर तहसील इतनी बड़ी तहसील है जहां से अध्यक्ष महोदय पधारते हैं वहां पर 300 क्विन्टल अनाज दिया गया है। आप अन्दाज लगा लीजिये कि वहां की क्या स्थिति हो सकती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में इतना अनाज नहीं है कि काश्तकार अनाज को अपने खाने के लिये स्टाक रख सके। वैसे काश्तकार अनाज तब ही बेचता है जब वह अपने पास स्टॉक रख लेता है लेकिन खरीफ की फसल खराब होने से स्टॉक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोलिये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : जिनके पास जमीन नहीं है और जो खाद्यान्न की परेशानी से परेशान है उनको तो अनाज ही नहीं मिल रहा है। जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं। जयपुर शहर में बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं उनको तो उपलब्ध हो जाता है। देहाती क्षेत्रों में अनाज नहीं मिलता है उसके लिये क्या कहना है आपको?

श्री दिनेशराय डांगी : पाली जिले में अकाल की स्थिति है। अनाज वहां समय पर नहीं पहुंच रहा है। वहां जो अकाल राहत के कामों पर लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या मजदूरी के बदले अनाज नहीं दिया जा सकता? अगर अनाज दिया जा सके तो इससे बड़ी सहूलियत उनको होगी।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : 90 टन मक्का दौसा में भेजी हुई है। पर एस. डी. एम., दौसा को यह आॅर्डर नहीं दिया गया है कि उसे वहां लोगों में वितरित कर दिया जाय। अब वह मक्का वहां से दूसरी जगह भेजी जा रही है। क्या सरकार उसको वहां रोके जाने के आदेश देगी और वहां के अभावग्रस्त लोगों में उसे बांटने का भी आदेश देगी?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो किलो अनाज जयपुर के लोगों को देने की बात कही गई थी और दो किलो और प्रति व्यक्ति देने की बात कही गई थी कि 27 तारीख से वह भी मिलेगा। सरकार की इस तरह चार किलो की घोषणा के बाद भी लोगों को वह नहीं मिल रहा है? क्या सरकार इसके लिये व्यवस्था करेगी?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं और निवेदन करना चाहती हूं कि यह पूरे राजस्थान का सवाल है। शहर का और गांवों का अलग अलग से नहीं है। यह जो शहर और गांव में असमानता की बात है क्या इसका समाधान करेंगे ?

अब राहत कामों पर लगे हुए लोगों को ही राशन दिया जावे तो और भी बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं और घरों से निकलते नहीं हैं, बनिया ब्राह्मण लोगों के घर भी हैं जिनके पास अनाज नहीं है। तो क्या काम करने वालों के साथ इनका भी ध्यान रखा जावेगा ?

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : शक्कर, अनाज आदि जो भी राशन मिले वह गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को बराबर मिलेगा क्या सरकार यह नहीं मानती? गांव और शहर में सरकार क्या फर्क डालना चाहती है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर स्टेचूटरी राशन में नहीं आता है इसलिये यहां राशन देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र : कोटपूतली में न शहर में न आसपास के किसी गांव में एक भी राशन की दुकान सरकार की तरफ से नहीं खोली गई है। न राहत के कामों में लगे मजदूरों को ही एक भी किलो अनाज दिया गया है। क्या यह सही है?

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान में जितनी स्टेट कैपिटल्स हैं उनको फूड कार्पोरेशन से अलग से कोटा मिलता है? सिवाय राजस्थान के ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो अनाज का वितरण हो रहा है उनमें आपकी ओर से अथवा कलेक्टर की ओर से आदेश दिये गये हैं कि चूंकि अनाज का अभाव है इसलिये शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को ही देने में प्राथमिकता बरती जाय और दूसरों को अभी रहने दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : खाद्य मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी, दो किलो और चार किलो में जो वितरण किया जाता है उसके लिये निवेदन करदूं कि अन्न का आवंटन जयपुर जिले से ज्यादा कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में किया जाता है। अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की आवश्यकता को देखते हुए कोटा कलक्टर बांटता है।

मजदूरों को काइण्ड में मजदूरी दी जावे, इसके लिये भारत सरकार ने भी हमसे सुझाव मांगे हैं। हमने उनको भेज दिये हैं। तो इस प्रकार की भारत सरकार की भी योजना है जो हमने उनको बनाकर भेज दी है।

(श्री परसराम मदेरणा)

शहरों का कोटा अलग से नहीं निर्धारित किया गया है। कैपिटल सिटी के लिये भी कोटा जो जिलों को मिलता है वही है।

दौसा के सम्बन्ध में एक बात कही गई। इसके लिये आदेश परसों भेज दिये हैं। 80 टन चूंकि बस्सी क्षेत्र के लिये था इसलिये उनको बांटना था। इससे दौसा के लोगों को भी ऐतराज हुआ पर ऐसा लगता है देखा देखी उन्होंने भी मांग लिया है चूंकि बाजार में अनाज महंगा हो गया है। बस्सी क्षेत्र में 16 गांव अभावग्रस्त हैं उनको देना है।

सरकार शहर और गांव में फर्क करके नहीं चलती है। पर अनाज की कमी की वजह से लोकल स्थिति जैसी होती है उस हिसाब से कलेक्टर्स उसका आवंटन करते हैं। इसमें भी ऐसा देखा गया है कि एक तहसील ठीक है तो पास की दूसरी तहसील ज्यादा अफेक्टेड है। पर देखादेखी और अनाज के महंगे हो जाने से सभी लोग मांगने लगे हैं। यह सभी जानते हैं कि सभी राजस्थान के गांव अफेक्टेड नहीं हैं, पर चूंकि भाव ऊंचे हो गये हैं इसलिये सभी इसकी मांग करते हैं। इस हिसाब से अगर सबों को दिया जाय तो 8 किलो बड़े आदमी के हिसाब से और चार किलो छोटे बच्चों के हिसाब से 1।। लाख टन अनाज की जरूरत होगी, पर हमें इसके अगेन्स्ट में सैंतालीस हजार टन ही अनाज मिलता है। इसलिये सभी को देना सम्भव नहीं है।

कोटपूतली की सूचना मेरे पास नहीं है। मालूम कर लूंगा। माननीय सदस्य का कथन सही हो सकता है।

शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के सम्बन्ध में माननीय सदस्य मावली से आने वालों ने कहा। इस प्रकार का राजस्थान सरकार ने तो कोई आदेश नहीं दिया है। हो सकता है कि जिलाधीश ने ऐसा करना उचित समझा हो कि जब राशन का कोटा उनको कम मिल रहा हो तो कम से कम उदयपुर डिविजन के शिड्यूलकास्ट और ट्राइब्स के लोगों को तो कुछ राशन मिल सके। तो शायद इस प्रकार के लोकल आदेश दिये हों। राजस्थान सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, राजस्थान सरकार के ऐसे आदेश नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा टी. ए. एवं डी. ए. के रूप में ली गई धन राशि

179. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री हरिशचन्द्र पाण्डे, जिलाधीश सवाई माधोपुर ने जिले का चार्ज कब लिया ?

(2) इन्होंने कब कब कहां कहां नाइट हाल्ट किये ? पूरी विगत 31 जनवरी, 1973 तक की बताई जावे।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

(3) प्रत्येक माह में टी. ए. एवं डी. ए. के कितने कितने रुपये लिये ?

उत्तर

(1) दिनांक 28 जून, 1972 को लिया।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया, परिशिष्ट 4 देखिये)

सीकर जिले में चीनी का वितरण

181. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले को चीनी का वितरण माह अगस्त, 72 से अब तक कितना कितना किया गया ? तहसील-वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सीकर शहर व फतेहपुर कस्बे में प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा एकसा ही रहा है ? अगर हां, तो कृपया दोनों कस्बों का माह नवम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या फतेहपुर तहसील में ग्रामीण क्षेत्र की सभी खुदरा दुकानों को हर माह में चीनी का कोटा मिलता रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) ग्राम पंचायत, बलोद छोटी को पिछले पांच महिनों से चीनी क्यों नहीं मिल रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। किन्तु यदि किसी पंचायत का डीलर दोषी डिफाल्टर (defaulter) पाया जाता है तो उसे चीनी नहीं दी जाती। दूसरी व्यवस्था करने में समय लगता है और उस अर्से के लिये वितरण पिछड़ता है।

(4) ग्राम पंचायत बालोत के डीलर को दोषी पाये जाने के कारण उसे निलम्बित करके कार्यवाही की जा रही है, अतः उसे सितम्बर, 72 से दिसम्बर, 72 तक चीनी नहीं दी गई। 25-1-73 से दूसरा डीलर नियुक्त किया जाकर वितरण चालू कर दिया गया है।

(कृपया, परिशिष्ट 5 देखिये)

सहायक निदेशक नियोजन कार्यालय का मामला

183. श्री रामसिंह (सादुलपुर): क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री आर. एन. भण्डारी वर्तमान सहायक निदेशक नियोजन सेवा निदेशालय द्वारा वरिष्ठता के मामले में राज्य सरकार के विरुद्ध

(श्री रामसिंह)
राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी ?

(2) क्या सही है कि उस पर राज्य सरकार की ओर से याचिका के जवाब में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त यह भी लिखा गया था कि श्री भंडारी ने अपने प्रार्थना-पत्र में गलत वेतनमान बताकर तथा राज्य सरकार को धोखा देकर गैर कानूनी ढंग से अपनी नियुक्ति जिला नियोजन अधिकारी के पद पर करा ली ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रिट याचिका में यह पाइन्ट इन इश्यू (Point in issue) न होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा न तो इस पर विचार किया गया और न ही इस पाइन्ट पर कोई निर्णय दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को कम्पलसरी रिटायरमेंट क्यों नहीं दिया जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त श्री आर. एन. भंडारी जो कि सन् 1950 में केवल एक सौ पचास रुपये माहवार वेतन पा रहे थे, वे सन् 1956 में गलत ढंग से 240 रुपये प्रतिमाह पर पहुंच गये तथा सन् 1956 में ही जिला नियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने पर दो सौ रुपये प्रतिमाह के स्थान पर महालेखापाल की आपत्ति के बावजूद राज्य सरकार ने अपने विशेष अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए रुपये 230/- प्रतिमाह पर इनको फिक्स करवा दिया ? यदि हां, तो आज तक इस प्रकार गलत फिक्सेशन के कारण राज्य सरकार को कितने रुपयों का घाटा हुआ तथा इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही ? तथा श्री भंडारी का यूनिफाइड पे स्केल्स नियम, 1950 के अन्तर्गत हुये फिक्सेशन स्टेटमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उपरोक्त श्री आर. एन. भंडारी की सही जन्म तिथि क्या है तथा इस जन्म तिथि के अनुसार उन्हें कौनसी तारीख को सेवा निवृत्त होना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त याचिका के उत्तर में यह लिया गया था कि भंडारी ने वास्तव में जिला नियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए यह गलत तथ्य रखा कि वह 200-10-300 टाइम स्केल में वेतन प्राप्त कर रहे हैं जबकि वास्तव में वह 150-10-300 के वेतनमान में थे।

(3) उच्च न्यायालय द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। जहां तक कम्पलसरी रिटायरमेन्ट का प्रश्न है इसके लिये अलग से प्रक्रिया निर्धारित है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) श्री आर. एन. भंडारी 1950 में 150/- रुपये वेतन पा रहे थे और 1956 में इनका वेतन निर्धारण म्यूनिसिपल काऊन्सल सीकर से, जहां वह 240/- रुपये प्रतिमाह वेतन पा रहे थे, उसके स्थान पर 230/- वेतन निर्धारण हुवा चूंकि राज्य सरकार के आदेश से वेतन निर्धारण हुआ है इसलिए हर्जे का कोई प्रश्न नहीं है। यूनिफाइड पे स्केल्स नियम, 1950 के अन्तर्गत हुये फिक्सेशन स्टेटमेंट की प्रति स्थानीय निकाय विभाग से मांगी गई है किन्तु अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(5) श्री आर. एन. भंडारी की जन्म तिथि 13 अक्टूबर, 1919 है और उसके अनुसार 13 अक्टूबर, 1974 को वे सेवा निवृत्त होंगे।

डेजर्ट एरिया का मास्टर प्लान

188. श्री रावतराम (छापर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अकाल का स्थायी हल करने के लिए सरकार डेजर्ट एरिया का मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है? यदि हां, तो इसकी क्या रूप-रेखा सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि मास्टर प्लान बनाने के लिए सरकार ने कोई कमेटी का गठन किया है? यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं और उन्होंने अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की है?

उत्तर

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों की संख्या

84. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पुलिस कर्मचारियों की श्रेणीवार कितनी कितनी संख्या है?

(2) इनमें कितने अनुसूचित जाति के व कितने अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी हैं? प्रतिशत भी बतलायें।

(3) क्या इससे सरकार संन्तुष्ट है?

उत्तर

(स्थगित)

राज्य में पुलिस विभाग के विभिन्न पदों की संख्या

85. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में निम्नलिखित पुलिस विभाग के विभिन्न पदों की 1952 में क्या संख्या थी:—

(1) आरक्षी
(2) मुख्य आरक्षी
(3) सब इन्सपेक्टर सहायक सब-इन्सपेक्टर
(4) इन्सपेक्टर
(5) डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट
(6) अतिरिक्त एवं सुपरिन्टेन्डेन्ट
(7) सहायक या डिप्टी आई.जी.पी.
(8) आई. जी. पी.

(2) उक्त पदों की आज कितनी संख्या है? और इस बढ़ोतरी का क्या कारण है? क्या यह राज्य के हित में है?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना संलग्न तालिका 'अ' में दी गयी है।

(गृह मंत्री)

(2) चाही गई सूचना संलग्न तालिका 'व' में दी गयी है। बढ़ती हुई जनसंख्या औद्योगिकरण, बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम और राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये समय समय पर नफरी में वृद्धि की गई है।

(कृपया, परिशिष्ट 7 देखिये)

लघु-उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धि

86. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल लघु उद्योग कितने हैं ?

(2) इन लघु उद्योगों को क्या कच्चा माल बराबर उपलब्ध हो रहा है ?

(3) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) 10.075 लघु उद्योग पंजीकृत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) आयातित माल भारत सरकार की निर्धारित आयात नीति के अनुसार उपलब्ध होता है तथा अन्य नियन्त्रित व दुर्लभ कच्चे माल का कोटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह आयातित, नियन्त्रित तथा दुर्लभ कच्चा माल राज्य की आवश्यकता की तुलना में कम रहता है।

चूरू में आचार्य तुलसी को लेकर उत्पन्न विवाद तथा सरकार द्वारा उठाये गये प्रभावी कदम

87. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू में आचार्य तुलसी को लेकर उत्पन्न विवाद में राज्य सरकार ने क्या क्या प्रभावी कदम उठाये और सरकार को उसमें कुल कितना व्यय करना पड़ा ?

(2) क्या चूरू में राजस्थान सशस्त्र पुलिस की बटालियन तैनात की गई थी ? यदि हां, तो कितने समय के लिए और कितनी बटालियन नियुक्त की गई थी ?

(3) चूरू में आचार्य तुलसी के निवास में किस किस मन्त्री ने कब कब व कितनी कितनी अवधि के लिए निवास किया ? तालिका सदन में प्रस्तुत करें।

उत्तर

(स्थगित)

नमक उत्पादन के लिए लीज पर दी गई भूमि

88. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री शिवदान मल को कुचामन क्षेत्र में नमक उत्पादन के लिए 10 वर्ष के लीज पर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
भूमि दी हुई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी और किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि इस लीज की अवधि समाप्त होने पर यह भूमि 5 हिस्सेदारों के नाम से आवन्टित की गई ? यदि हां, तो कब और क्यों ? कृपया हिस्सेदारों के पूरे नाम व अन्य विवरण देने की कृपा करें ।

(3) उपरोक्त आवन्टन से पूर्व इस क्षेत्र के लिए नियमानुसार आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब और किन किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 7-6-61 से 100 एकड़ भूमि पार्टी द्वारा डीडवाना में भूमि समपर्ण के बदले में दी गई थी । ये आवन्टन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सेलाइन एरिया अलॉटमेंट) रूल्स, 1962 बनने के पहले का है परन्तु नियम बनने पर पार्टी से लीज डीड नियमों में दिए गए प्रारूप पर दस वर्ष के लिए लिखवा दिया गया ।

(2) जी हां । दिनांक 6-6-71 से दस वर्ष के लिए श्री शिवदासमल की मृत्यु के कारण उनके निम्न उत्तराधिकारियों ने प्रत्येक को 20 एकड़ भूमि विभक्त की गई ।

1. श्रीमती जानकी देवी धर्म पत्नी श्री शिवदानमल ।

2. श्री जोगेन्द्रनाथ पुत्र श्री शिवदानमल ।

3. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र शिवदानमल ।

4. श्री सत्यपाल पुत्र शिवदानमल ।

5. श्री हरिशकुमार पुत्र श्री शिवदानमल ।

(3) जी नहीं । क्योंकि यह भूमि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सेलाइन एरिया अलॉटमेंट) रूल्स, 1962 बनने के पहले पार्टी द्वारा डीडवाना में भूमि समपर्ण के बदले में दी गई थी ।

राजस्थान खनिज निगम द्वारा हाथ में ली गई योजनाओं पर व्यय

89. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य खनिज निगम ने अब तक क्या क्या योजनायें हाथ में ली हैं और उनमें क्या क्या कार्य किए गए हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) निगम ने विभिन्न प्रवृत्तियों में कितना कितना धन लगाया है और वह कहां कहां से प्राप्त किया गया ?

(3) निगम की हिस्सा पूंजी कितनी है और किस किस से प्राप्त की गई है तथा कार्यशील पूंजी कितनी है ।

Page No.30

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(4) शुरू से लेकर अब तक निगम को नफा या नुकसान क्या रहा है ? वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत करें ।

उत्तर

राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम लि., जयपुर ने निम्न योजनाएं हाथ में ली हैं एवं कार्य सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) औद्योगिक क्षेत्र:—

निगम अब तक 3,519 एकड़ भूमि अवाप्त कर चुका है । जयपुर, कोटा, सादुलपुर, उदयपुर अजमेर, चिड़ावा, सोजत, पाली, अलवर तथा जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है। डूंगरपुर, भरतपुर, जालौर, बालोतरा, सीकर, बूंदी, टोंक, निवाई, भीलवाड़ा, आबूरोड़ और राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ऐरिया औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य विचाराधीन है ।

भूमि विकास सम्बन्धी ताजा स्थिति निम्नांकित विवरण-पत्र के अनुसार है:—

स्थान	क्षेत्रफल	विकसित भूखण्डों की संख्या	31-12-72 तक आवंटित भूखण्डों की संख्या
जयपुर	967 एकड़	456	455
कोटा	980 एकड़	182	152
सादुलपुर	41 एकड़	34	29
पाली	103 एकड़	40	34
अजमेर	3 एकड़	6	2
सोजत	12 एकड़	—	11
अलवर	600 एकड़	20	41
चिड़ावा	63 एकड़	25	5
जोधपुर	103 एकड़	10	26
उदयपुर	400 एकड़	—	38
डूंगरपुर	22 एकड़	—	1
बालोतरा	169 एकड़	—	—
बूंदी	23 एकड़	—	—
जालोर	33 एकड़	—	—

Page No.31

(उद्योग मन्त्री)

(2) हायर पर्चेज पर शेड्स का निर्माणः—

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 17 शेड्स व केन्द्रीय सहायता योजना के अधीन अभियन्ताओं के लिये सन् 1971-72 में 62 शेड्स का निर्माण किया गया है व 1972-73 में 55 शेड्स का निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।

(3) वाणिज्यिक संपदाः—

40 दुकानें एवं आवासीय वासकक्षों का विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र तथा झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में सहथ्यित किराये पर देने हेतु केन्द्रीय सहायता के अधीन शिक्षित बेरोजगारों को आवंटन करने हेतु निर्माण किये जा रहे हैं।

(4) भारत सरकार की साधारण (आई. एफ. टी. स्कीम) पूंजी में हिस्सा लेने संबन्धी योजनाः—

इस योजना के अधीन 1,13,20,700) रुपये के नियोजन को 28 स्कीम्स स्वीकार की गई है जिससे 36 टेक्नोकेट्स लाभान्वित होंगे। निगम के हिस्से में इन योजनाओं के लिये साधारण अंश पूंजी का 15% अर्थात 17,02,635) रु. देय होता है। अब तक 17 योजनायें जिनसे 22 टेक्नोक्रेट्स लाभान्वित हुये क्रियान्वित की जा चुकी है।

(5) उद्योग लगाने हेतु आशय पत्रः—

निगम को निम्न आशय पत्र भारत सरकार से अब तक प्राप्त हुए हैं :—

क्रम सं.	प्रोजेक्ट का नाम	वार्षिक क्षमता	आशय पत्र का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
(1)	स्कूटर प्रोजेक्ट	24,000 नम्बर	(26) 70 ए. ई. आई. एन. डी.-1, दिनांक 7-10-70
(2)	सिनथेटिक क्रियोलाइट व एल्यूमिनियम फ्लोराइड	3,000 मे. टन 2,000 मे. टन	एल. सी. एच. 11, 15 (5) 70, दिनांक 17-3-1971
(3)	ग्लास बोटल्स व कन्टेनर्स	18,000 टन	9 (9) 71/एल आई. (11), दिनांक 25-6-1971
(4)	केलशियम कारबाइड	14,859 टन	3 (2) 71-एल. आई. (11), दिनांक 1-11-1971
(5)	सोड़ा ऐश अमोनियम क्लोराइड	66,000 टन 66,000 टन	6 (5)/71-सी. एच. 11, दिनांक 23-11-1971

(उद्योग मंत्री)

1	2	3	4
(6)	थ्री व्हीलर स्कूटर्स	6,000 नम्बर	7 (21) 71 ए. ई. आई. एल. डी. (11), दिनांक 30-12-71
(7)	ग्लास शेल्स-लीड व 7 अन्य टाइप के स्पेशल लेम्प्स (ग्लास ट्यूबिंग, स्टोव ट्यूबिंग एवं एक्जोहस्ट ट्यूबिंग)	30 मिलियन नं. 6 मिलियन नं.	9/4/71 एल. आई. (11) दिनांक 23-2-1972
(8)	माइल्ड स्टील हाईटेनसाइल कार्बन बिलटस और स्प्रिंग स्टील बिलटस (मिनी स्टील)	50,000 टन	1 (18)/71-एल. सी., दिनांक 21-3-1972
(9)	स्पोन्ज आइरन	3,00,000 टन	4 (28)/71-आई. सी., दिनांक 8-6-72
(10)	टेलिविजन सैट्स	5,000	सैट्स 27 (3)/70/डी. ई., दिनांक 14-4-1972

(6) निगम की सीखो और अपना उद्योग लगाओ योजनाः—

उपरोक्त योजना के अधीन निगम ने 4 लघु उद्योग लगाये हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

(1) सीडर टायर व ट्यूब मेन्यूफेक्चरिंग कं. प्राईवेट लि., जयपुर।

(2) जे. टी. प्रोसिजन कास्टिंग्स प्राईवेट लि., जयपुर।

(3) राजस्थान सिविल इन्जिनियर कन्सलटेन्ट्स मेन्यूफैक्चरिंग एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लि., जयपुर।

(4) फिल्टर एण्ड केमिकल्स इण्डिया प्राइवेट लि., जयपुर।

पहला यूनिट साईकिल के रबर ट्यूब बनाने का कार्य कर रही है। दूसरे यूनिट में डाई-कास्टेड पार्ट का कार्य किया जा रहा है। तीसरा यूनिट ठेके पर भवन निर्माण का कार्य कर रहा है। चौथे यूनिट में अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। टेक्नोक्रेट्स पार्टनर्स के आपसी झगड़ों के कारण।

(7) इक्विटी केपिटल पारटिसिपेशन योजनाः—

निगम बड़े उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अंशों का अभियोजन तथा अंश पूंजी में भाग लेता है। अब तक इस सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्तावों पर

(उद्योग मन्त्री)

विचार किया जा चुका है। प्रस्तावों पर विचार करते समय तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय तथा आर्थिक स्वरूप का ध्यान रखा गया है।

(क) **मैसर्स अनिल स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर**:—यह कम्पनी 2,400 टन हार्डेन्ड एण्ड टेम्पर्ड हाईकार्बन एण्ड लो एलॉय स्ट्रिप्स प्रति वर्ष उत्पादन का प्रस्ताव रखती है संचालक मंडल ने कम्पनी के 8 लाख को अंकित अर्हा (face value) की साधारण अंश पूंजी का अभिगोपन करने की स्वीकृति दी है।

(ख) **मैसर्स इण्डियन डेयरी एन्टरप्रिन्योर्स एग्रीकल्चरल लि., जयपुर**:—यह मिल्क परियोजना, रानीवाड़ा के समीप दूध से whole Milk Powder, Sweetened Condensed Milk, Processed Cheese and Table butter के उत्पादन हेतु लगाई जा रही है प्लान्ट की क्षमता 7,300 टन प्रतिवर्ष होगी। कम्पनी ने 5 लाख के साधारण अंश पूंजी का अभिगोपन चाहा है। आवेदन-पत्र संचालक मण्डल के विचाराधीन है।

(8) **सर्वेक्षण**

निगम ने जिलेवार तथा विषयानुसार औद्योगिक सर्वेक्षण का कार्य भी हाथ में ले रखा है। अब तक 8 जिले जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर व डूंगरपुर से सम्बधित सर्वे रिपोर्टस प्रकाशित की जा चुकी हैं।

(9) **निगम की परियोजनायें**:—

(क) **स्कूटर प्रोजेक्ट**.—इस परियोजना हेतु एक नई कम्पनी "अरावली स्वचालित वाहन लि." के नाम से स्थापित की गई है। परियोजना की कार्य क्षमता 24,000 स्कूटर प्रतिवर्ष उत्पादन की है। परियोजना प्रवद्ध अवस्था पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने इस परियोजना हेतु किसी प्रकार के विदेशी सहयोग अथवा विदेशी परामर्शी व्यवस्था अथवा विदेशी प्रविधिगों के नियोजन को इजाजत नहीं दी है। अतः परियोजना का क्रियान्वयन स्वदेशी जानकारी तथा परामर्शी सेवाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। दो आधरूप (Prototype) बनाये जा चुके हैं जिनमें से एक का परीक्षण हमारे परामर्शी अभियन्ताओं ने किया है, वह अभी तक 10,000 किलो मीटर चल चुका है। द्वितीय आधरूप (Protoype) व्हीकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट एस्टेबलिशमेन्ट सुरक्षा मंत्रालय, अहमदनगर को विस्तृत परीक्षण हेतु भेजा था जो अब तक किये गये सभी परीक्षण में सफल रहा है। यह भी अब तक 6,150 किलोमीटर चल चुका है। व्हीकल रिसर्च डवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हमारे आधरूप के निष्पादन से पूर्णतः सन्तुष्ट है। स्कूटर का नाम "चेतक" रखा गया है। यह संयत्र अलवर में लगाया जा रहा है। अलवर में इसके लिए 50 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है। फैक्ट्री भवन निर्माण का कार्य अक्टूबर, 1972 में प्रारम्भ हो गया है। प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु क्रय आदेश दिये जा चुके हैं। वाणिज्यिक उत्पादन सन् 1974 के प्रथम तिमाही में शुरू करने की योजना है।

(ख) **थ्री व्हीलर**:—यह स्कूटर यंत्र की स्वाभाविक विभिन्नता है, अतः इसका प्रबन्ध भी स्कूटर प्रोजेक्ट के लिये बनाई

Page No.34

(उद्योग मन्त्री)

गई कम्पनी ही अर्थात् अरावली स्वचालित वाहन लि. ही जहां तक सम्भव हो समान सुविधाओं का आर्थिक लाभ उठाने के दृष्टिकोण से करेगी। यह सयंत्र भी अलवर में ही स्थापित होगा। श्री व्हीलर के डिजायन का कार्य प्रगति पर है। 1975 के मध्य तक वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की संभावना है।

(ग) **ग्लास बोटल्स तथा कन्टेनर्स प्रोजेक्ट**:—इस परियोजना हेतु एक नई कम्पनी "जयपुर ग्लास बोटल्स एन्ड कन्टेनर्स" के नाम से पंजीकृत कराई गई है। परियोजना श्री आर. के. पोद्दार, एम. पी. मैसर्स ओरिएन्ट बिवरेजेज लि., कलकत्ता के साथ संयुक्त क्षेत्र में लगाई जा रही है। संयुक्त क्षेत्र संविद के अनुसार अंश पूंजी निम्न प्रकार लगाई जायेगी:—

निगम	26% से कम नहीं।
श्री आर. के. पोद्दार तथा/अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति तथा सहायक	25% से अधिक नहीं।
सार्वजनिक वित्तीय संस्थान	49 %

इस परियोजना का उत्पादन 1974 के मध्य में होने की संभावना है। सयंत्र सवाई माधोपुर में लगाया जायगा।

(10) **खनिज**:—

निगम के पास फेल्सपार व जिप्सम की खानों के पट्टे हैं:—

फेल्स्पार:—

वर्तमान में निगम के पास माण्डों की पाल तथा काहिला जिला डूंगरपुर व धौकड़ी छापोली जिला सीकर में फेल्स्पार की खानों के पट्टे हैं। माण्डों की पाल से 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में 31,08,963) रुपये फेल्स्पार एवं धौकड़ी छापोली से 13,57,424) रुपये का फेल्स्पार विक्रय किया जा चुका है। जो कि क्रमशः 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष की विक्रय राशि से 3,28,663) रुपये व 10,34,424) रुपये अधिक है।

जिप्सम:—

निगम की जिप्सम माइन्स नागौर में स्थित हैं एवम् इससे 1970-71 में 2,56,155) रुपये व 1971-72 में 7,10,240) रुपये का जिप्सम विक्रय किया चुका है। रेल्वे वैगन्स के उपलब्ध होने की सहूलियत मिल जाये तो उत्पादन क्षमता एवम् विक्रय की स्थिति में अधिक सुधार हो सकता है।

ग्रेफाइट:—

निगम को बांसवाड़ा में बन्ध क्षेत्र के बाहर ग्रेफाइट की खानों पर कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अनुसंधान कार्य शुरू किया जा चुका है। नेशनल मैटलर्जीकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर में बैंच स्केल के कोशियेशन अध्ययन हेतु सेम्पल्स भेजे गये थे जिसके परिणाम उत्साहजनक है। निगम इस परियोजना में शीघ्र ही खनन कार्य प्रारम्भ करने जा रहा है।

(उद्योग मन्त्री)

निगम ने उपरोक्त खानों के अतिरिक्त ग्रेफाइट व चूने के पत्थर की खानों के पट्टों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं।

निगम ने विभिन्न प्रवृत्तियों में दिनांक 31-3-1972 तथा 30-11-1972 तक क्रमशः 1,19,23,622) रुपये तथा 1,72,53,061) रुपये लगाया है। यह धन राज्य सरकार ने निगम की हिस्सा पूंजी के रूप में दिये गये धन में से लगाया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को टेकनोक्रेट्स के लिये बनाई गई योजना को कार्यान्वित करने हेतु 21,33,000) रुपये का ऋण तथा 10,67,000) रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं। इण्डस्ट्रीयल ऐरिया के लिये भी राज्य सरकार ने 10,00,000) रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं। नवम्बर सन् 1972 में निगम ने 1,00,03,000) रुपये जनऋण 6% वार्षिक ब्याज पर प्राप्त किया है। लगाये गये धन का विवरण निम्न है:—

(अ) केन्द्र सरकार से प्राप्त लेटर ऑफ इन्टेन्ट के अन्तर्गत नये उद्योग स्थापित करने पर

क्र. सं.	उद्योग का नाम	31-3-1972 तक	30-11-1972 तक
(1)	स्कूटर प्रोजेक्ट	4,92,938	17,14,664
(2)	ग्लास बोटल	1,087	23,281
(3)	ग्रीह्वीलर	2,711	13,802
(4)	सिन्थेटिक क्रायोलाइट	2,350	3,592
(5)	केलशियम कारबाइड	1,285	37,477
(6)	सोड़ाऐश	1,369	22,898
(7)	टेलिवीजन	—	133
		5,01,740	18,15,947

स्कूटर प्रोजेक्ट तथा ग्लास बोटल्स योजना के लिये नई कम्पनियों की स्थापना की जा चुकी है।

(उद्योग मन्त्री)

(ब) लर्न एण्ड ओन योअर इण्डस्ट्रीज

इस योजना के अन्तर्गत निम्न चार कम्पनी बनाई गई हैं। इनमें नियोजित धनराशि (मय अस्थायी अग्रिम राशि) इनके सामने दिखाई गई है।

क्र.सं.	इण्डस्ट्री का नाम	31-3-1972 तक	30-11-1972 तक
1	2	3	4
(1)	स्पीडर टायर एण्ड ट्यूब मेन्यूफेक्चरिंग क. प्रा. लि.	2,48,904	2,48,992
(2)	जे. टी. प्रिसिजन कास्टिंग प्रा. लि.	1,32,233	1,56,202
(3)	राजस्थान सिविल इन्जीनियर्स कन्सलटेन्ट्स मेन्यूफेक्चरर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.	3,54,343	4,19,302
(4)	फिल्टर एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि.	2,44,863	2,89,863
		9,80,343	1,11,4359

(क) डवलपमेंट ऑफ इण्डस्ट्रीयल एरिया:—

(1)	रेवन्यू खर्च (कैश बेसिस)	33,31,674	42,36,560
(2)	राजस्थान बिजली बोर्ड तथा वाटर-वर्क्स डिपार्टमेंट को बिजली व पानी हेतु एडवान्स	21,87,386	29,96,586
(3)	वाटर सप्लाई तथा स्ट्रीट लाइटिंग	12,46,245	17,85,562
		67,65,305	90,18,708

(उद्योग मन्त्री)

1	2	3	4
	(ख) हायर परचेज पद्धति पर बेचने हेतु शेड:—		
	(1) बेचे गये शेड़ों की लागत	1,83,668	1,83,668
	(2) निर्माणाधीन शेड़ों की लागत	86,553	1,86,100
		2,70,221	3,69,768
	(ग) राजस्थान फेल्स्पार प्रोजेक्ट:—		
	लागत	5,60,174	2,00,174
	मशीनरी आदि के लिये एडवांस	13,70,716	13,70,716
		19,30,890	15,70,890
	लागत में से इस वर्ष 3,60,000) रुपये कन्सलटेन्ट्स से वापिस प्राप्त हुआ है।		
	(घ) केन्द्रीय सरकार की योजना पर:—		
	हायर परचेज पद्धति पर बेचे गये शेडों की लागत	1,59,581	1,59,581
	कामर्शियल एस्टेट	1,09,844	3,58,972
	निर्माणाधीन शेड़ों की लागत	12,05,698	25,85,296
	आई. एफ. टी. स्कीम के अन्तर्गत विनियोजन	—	2,59,540
		14,75,123	33,63,389
	कुल योग....	1,19,23,621	17,25,3061

(उद्योग मन्त्री)

(3) निगम की हिस्सा पूंजी 31-3-1972 तथा 30-11-1972 को क्रमशः 1,18,00,000 रुपये तथा 1,43,00,000 रुपये की है। यह समस्त राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। निगम की कार्यशील पूंजी 31-3-1972 को 1,34,29,663 रुपये थी।

(4) निगम को शुरू से नफा हुआ है। वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	ग्रोसलाभ	शुद्ध लाभ डेप्रीशीयेशन, डवलपमेंट रिबेट तथा आय कर हेतु प्रावधान के बाद
1969-70	49,463	14,519
1970-71	11,39,328	5,11,700
1971-72	9,21,898	5,54,366

बीकानेर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्रों की जनता के आर्थिक सुधार हेतु योजनायें

90. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्रों की जनता के आर्थिक सुधार हेतु क्या क्या योजनायें सरकार द्वारा बनाई गई हैं?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में राजस्थान मुख्य नहर के बांये किनारे पर सरकारी एवं गैर सरकारी चरागाहों की स्थापना हेतु वित्तीय तकनीकी सहयोग देकर पशुपालन धन्धे में लगे हुए लोगों की आर्थिक दशा में बढ़ोतरी के साथ साथ भू-संरक्षण, वन विकास एवं दूध की बिक्री का प्रबन्ध करके संतुलित क्षेत्रीय विकास की सम्भावनाओं पर सरकार ने गौर नहीं किया है? अगर नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में योजनायें बनाई जाकर क्रियान्वित करने का विचार है?

उत्तर

(1) राज्य की जनता के आर्थिक विकास के लिये स्वयं राज्य सरकार के कोष, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अन्य केन्द्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। बीकानेर जिले में राज्य योजनान्तर्गत कई आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें मुख्यतया राजस्थान नहर का निर्माण एवं कमाण्ड एरिया का क्षेत्रीय विकास है। इनके अतिरिक्त सघन पशु विकास कार्यक्रम "ओपरेशन फ्लड" के अन्तर्गत मिल्क बैलेन्सिंग प्लान्ट की स्थापना, "ड्राउट-प्रोन-एरिया कार्यक्रम" तथा ग्रामीण रोजगार का "क्रेश कार्यक्रम" चल रहे हैं। इनसे आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने में योग मिल रहा है।

(2) किसी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को उस क्षेत्र की आवश्यकता तथा

(योजना मन्त्री)
सम्भावनाओं को ध्यान में रख कर बनाया जाता है तथा उनका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र तथा उसके पास के क्षेत्र के निवासियों को भी मिलता है। बीकानेर जिले के लिए अकाल के स्थाई हल के लिये परियोजना तथा ड्राउट-प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत अन्य योजनायें बनाई जा रही हैं।

वाणिज्य कर विभाग में निरीक्षकों के चयन का आधार

91. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वाणिज्य कर विभाग में इस वर्ष जिन निरीक्षकों का चयन किया गया उनके नाम, योग्यता, पिता के नाम, निवास स्थानों का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चयन किस आधार पर किया गया।

(3) चयनित निरीक्षकों में अधिकारियों, उद्योगपतियों व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले कितने व्यक्ति थे।

उत्तर

(1) वाणिज्यिक कर विभाग में जिन 32 निरीक्षकों का चयन किया गया उनकी सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर सर्विस कंडीशन रूल्स, 1960 के अन्तर्गत निर्धारित कमेटी के साक्षात्कार करके निरीक्षकों का चयन किया।

(3) जहां तक जानकारी है चयनित निरीक्षकों में 4 अधिकारियों से सम्बन्ध रखने वाले हैं। इनमें से 3 अधिकारी सेवा निवृत्त हैं। जहां तक विभाग को जानकारी है चयनित निरीक्षकों में कोई किसी उद्योगपति या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से सम्बन्ध नहीं रखते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

वनस्पति इन्दौर तथा राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी के मामले

92. श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वनस्पति इन्दौर, बाबूलाल रामलाल राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी के मामले में कोई जांच आरम्भ की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले में प्रथम जांच श्री प्रह्लादराय डिप्टी कमिश्नर, कर द्वारा की गई ? यदि हां, तो कब से आरम्भ होकर कब समाप्त हुई और क्या उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि प्राप्त हुई है तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की दुबारा जांच श्री नगेन्द्रनाथ वर्मा, डिप्टी कमिश्नर (कर) द्वारा की गई ? यदि हां, तो उसके निर्णयों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? कृपया उक्त जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(4) क्या यह सही है कि उक्त मामले में तीसरी बार और जांच श्री कन्हैयालाल कोचर द्वारा की गई ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट के संदर्भ में क्या प्रगति अब तक हुई है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

(5) क्या यह सही है कि उक्त मामले में कुछ अधिकारी निलम्बित किए गए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन और कब कब से ?

(6) क्या यह सही है कि चैक पोस्ट निम्बाहेड़ा, पाटन और रायपुर पर स्थित अधिकारियों को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया ? यदि हां, तो क्या उन्हें भी निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । अंतरिम जांच दिनांक 11-5-72 से 18-5-72 तक की गई । चूंकि रिपोर्ट गोपनीय है, अतः लोकहित में इसे सदन की मेज पर फिलहाल रखा जाना उचित नहीं है ।

(3) जी हां । रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(4) जी नहीं । श्री कन्हैयालाल कोचर द्वारा इस मामले से सम्बन्धित कुछ तथ्यों की जानकारी चाही गई थी ।

(5) इस मामले में श्री हरवंश तलवार एवं श्री एल. एन. अजमेरा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को दिनांक 4-5-72 को निलम्बित किया गया था ।

(6) इस मामले में अभी जांच जारी है ।

अकाल राहत व डी.पी.ए.पी. एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाड़मेर जिले की ग्रामीण जलदाय योजनाएं

93. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे,—

(1) राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में अब तक कुल कितनी ग्रामीण क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनायें, अकाल राहत योजना, डी. पी. ए. पी. एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कब कब स्वीकृत की गई हैं ? प्रत्येक की स्वीकृत राशि का विवरण देते हुये सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त योजनाओं की क्या प्रगति है ? कौनसी सम्पूर्ण हो चुकी हैं कौनसी अधूरी हैं, का प्रगति विवरण अलग से सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(3) कौनसी ग्रामीण क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनायें सर्वे हो चुकी हैं परन्तु जिनकी अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है और कौनसी योजनायें सर्वे की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया, परिशिष्ट 8 देखिए)

राजस्थान में अनुदान से चलने वाली शिक्षण शालायें

94. श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी प्राईवेट माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक शालाएं चलती हैं? कृपया जिलेवार बताने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त शालाओं में से कितनी शालाओं को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है? श्रेणी व जिलेवार बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक संस्था को राज्य सरकार से 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? कृपया जिलेवार सूची 70 प्रतिशत अनुदान की संस्थाएं या इससे कम व अधिक अनुदान वाली संस्थाओं को बताने का कष्ट करें।

(4) यदि हां, तो फिर प्रत्येक संस्था द्वारा अपना कितना हिस्सा खर्च किया जाता है?

(5) प्रत्येक संस्था चाहे वो माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक शाला हो, को उसे किस हिसाब से राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है और अधिक अनुदान देने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं?

(6) राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में एवं निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अधिक व्यय किन संस्थाओं (स्कूलों) पर होता है?

उत्तर

(1) जिलेवार संस्थाओं की संख्या की सूची संलग्न है।

(2) सूची (ब) संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिलेवार सूची अनुदान का प्रतिशत दर्शाते हुये संलग्न है। अनुदान नियम, 1963 की धारा 5 (सी) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त संस्थाओं की 5 श्रेणियां हैं:—

1. (ए) 80 प्रतिशत।

2. (बी) 70 प्रतिशत।

3. (सी) 60 प्रतिशत।

4. (डी) 50 प्रतिशत।

5. (स्पेशल) 90 प्रतिशत।

(4) जिस श्रेणी की संस्था है उसको राज्य सरकार से निर्धारित प्राप्त प्रतिशत अनुदान राशि के अतिरिक्त व्यय का भार स्वयं को वहन करना पड़ता है।

(5) सूची में अंकित है। संस्थाओं की श्रेणी निर्धारित करने के लिए अनुदान नियम, 1963 की धारा 5 नोट 3 में निम्न शर्तें अंकित हैं:—

1. संस्था की उच्चतम कक्षा की विगत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम का औसत।

(शिक्षा मन्त्री)

2. लिखित कार्य का संशोधन।

3. छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान।

4. अध्यापन कुशलता।

5. अनुशासन में प्राप्त स्तर।

6. सह-शैक्षणिक प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक जीवन खेल आदि।

7. सामाजिक जीवन में योगदान।

8. वर्ष भर की कक्षावार उपस्थिति।

9. खेल, पी. टी. स्पोर्ट्स आदि सुविधायें तथा छात्रों का इसमें भाग लेना एवं प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां प्राप्त करना।

10. भवन व साज सामान की सुविधा।

11. छात्रों का अवरोध कक्षाओं में होना।

12. विभागों व विषयों की सुविधा।

(6) विभाग में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर नगर परिषद् द्वारा सामान की खरीद

95. **श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद्, जयपुर द्वारा गत दो वर्षों में किस किस फर्म से किस किस सामान की खरीद की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त सामान की खरीद हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये गये? यदि हां, तो किस माध्यम से?

(3) इन फर्मों के मालिक अथवा भागीदारों के नाम क्या क्या हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उपरोक्त सामान की खरीद के लिये पर्चेज कमेटी की स्वीकृति ली गई थी? यदि हां, तो कब कब? पर्चेज कमेटी की कार्यवाही पंजिका की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(स्थगित)

राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य निगम के माध्यम से बाजरे की खरीद

96. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 70-71 व 71-72 में राजस्थान सरकार ने खाद्य निगम की मार्फत 15,627 मेट्रिक टन बाजरा जोधपुर, जालौर एवं बाड़मेर जिले के किसानों से 48 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदा था?

(2) क्या यह सही है कि इस बाजरे को खाद्य निगम ने स्वत: खरीद के लिये रिजेक्ट कर दिया था?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डल की किस बैठक में कितना बाजरा और किस भाव से खरीदने का निर्णय लिया ?

(4) उपरोक्त बाजरा किस किस तहसील के किस किस गांव से कितना कितना खरीदा गया ? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य सरकारों ने इस बाजरे की मांग की थी ? यदि हां, तो कब कितने बाजरे की और किस भाव से ?

(6) यह बाजरा कब और किस प्रक्रिया के आधार पर बेचा गया ?

(7) इस बाजरे पर प्रति क्विन्टल के हिसाब से इन्सीडेन्टल चार्जेज के रूप में कितना और किस प्रकार खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अनौपचारिक रूप से बाजरे के क्रय करने हेतु अप्रेल, 71 के अन्त में निर्णय ले लिया गया था, किन्तु 15,000 टन बाजरा क्रय करने की पुष्टि मंत्री मण्डल की बैठक 20-5-71 तथा 627 टन जो बाजरा अधिक क्रय कर लिया था, उसको नियमित करने हेतु दिनांक 4-10-71 की बैठक में निर्णय लिया गया था।

(4) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(5) जी नहीं।

(6) 12,364 टन बाजरा पर्याप्त प्रचार के उपरान्त नियमानुसार खुले निविदा आमान्त्रित कर दिनांक 27-11-71 को बेचा गया था, शेष 3,113 टन बाजरा खुली बोली द्वारा दि. 21-2-72 को बेचा गया था।

(7) इस बाजरे पर औसतन इन्सीडेन्टल चार्जेज के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया:—

1. जिसकी डिलीवरी दिसम्बर, 71 में ली — 14-78 प्रति क्वि.
2. जिसकी डिलीवरी जनवरी, 71 में ली — 15-43 प्रति क्वि.
3. जिसकी डिलीवरी फरवरी, 72 में ली — 16-07 प्रति क्वि.

उपरोक्त व्यय की तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

विमुक्त जाति सेवक संघ की ऑडिट रिपोर्ट

97. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विमुक्त जाति सेवक संघ की ऑडिट रिपोर्ट सन् 68-69 में निम्नलिखित उल्लेख है–"As to how assess regarding 150 Bighas of land costing 5,00, 000 (five Lacks) have not been accounted for."

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
यदि हां, तो संघ द्वारा इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया गया है ?

(2) क्या इस स्पष्टीकरण को अंकेक्षा विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो अब क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) संघ द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याणार्थ व्यय की गई राशि

98. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 व 1972-73 में अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याणार्थ कितनी राशि किस किस कार्य हेतु कैसे व्यय की गई ? पूर्ण विवरण देने की कृपा करें।

(2) समाज कल्याण विभाग पर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर वेतन व भत्ता आदि कुल कितना सालाना खर्चा होता है ? यह खर्चा कुल व्यय का कितना प्रतिशत है ?

(3) समाज कल्याण विभाग में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी लगे हुए हैं, इनमें से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने हैं ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जन जाति के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 1971-72 में वास्तविक व्यय तथा वर्ष 1972-73 में अनुमानित (एस्टीमेटेड) व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

क्र. सं.	योजना	मद	1971-72 में वास्तविक व्यय	1972-73 में अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जन जाति	1. शिक्षा	64.87	74.85
		2. आर्थिक विकास	22.96	25.90
				25.90
		3. स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं	4.11	4.43
2.	अनुसूचित जाति	1. शिक्षा	69.34	90.74
		2. आर्थिक विकास	1.62	5.69
		3. स्वास्थ्य आवास एवं अन्य योजनाएं	33.57	29.92

(समाज कल्याण मन्त्री)

(2) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर वेतन व भत्ते आदि का कुल व्यय वर्ष 1971-72 में 37.53 लाख रुपया हुआ है और वर्ष 1971-72 में विभाग का कुल खर्च 267.77 लाख रुपया हुआ है। यह खर्च कुल व्यय का 14 प्रतिशत है।

(3) समाज कल्याण विभाग में कुल अधिकारी व कर्मचारी तथा इनमें से अनुसूचित जाति व जनजाति का श्रेणी वार व्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	श्रेणी	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद	अनुसूचित जाति के व्यक्ति	अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति	अन्य
1.	राजपत्रित	69	2	2	2	63
2.	अधीनस्थ	350	41	83	18	208
3.	मंत्रालयिक	208	6	29	5	168
4.	चतुर्थ श्रेणी	682	87	137	83	375

राजकीय महिला सदन पर खर्च

99. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय महिला सदन में कितनी महिलायें हैं? उनमें से कितनी महिलायें किस किस जाति की हैं और उन्हें कब कब प्रवेश दिया गया? तथा 1971-72 व 1972-73 में कितना खर्चा इस कार्य पर हुआ?

(2) इनमें से कितनी महिलाओं को क्या क्या कार्य सिखाया गया?

(3) इस वर्ष कितनी महिलाओं की शादी की गई?

उत्तर

(1) राजकीय महिला सदन, जयपुर में इस समय 64 महिलायें हैं एवं उनके साथ 7 बच्चे हैं। आवासिनियों की जाति व प्रवेश की तिथियों की सूचना परिशिष्ट (अ) तथा (ब) में अंकित है। वित्तीय वर्ष 1971-72 में 1,22,650 रुपये व वर्ष 1972-73 में जनवरी, 73 तक 1,06,250 रुपये का व्यय इस महिला सदन पर हुआ है।

(2) आवासिनियों को वर्तमान में सामान्य अक्षर ज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व कसीदा आदि कार्य सिखाया जाता है, जिसका व्यौरा परिशिष्ट (स) में अंकित है।

Page No.46

(समाज कल्याण मन्त्री)

(3) इस सदन में वर्ष 1972 में 8 आवासिनियों की शादी की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा प्लॉटों का अलॉटमेंट

100. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर में नगर विकास न्यास द्वारा देवी गृह निर्माण समिति के संचालकों के नाम से कितने और किस किस स्थान पर प्लॉट अलॉट किये हैं ?

(2) नीमच माता के नीचे अलॉट किये गये प्लॉट किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी राशि में दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) इस समिति के नाम कोई प्लॉट अलॉट नहीं किये गये हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांवों में राशन की मक्का से बीमारी का फैलाव

101. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशन की मक्का बांटी जा रही है उसमें 25 प्रतिशत से भी अधिक सड़ी हुई व कन्दी हुई मक्का दी जा रही है तथा इससे गांवों में बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसी मक्का को बन्द करवाने का प्रबन्ध कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि गांवों में जो कोटा वर्तमान में दिया जा रहा है उससे लोगों को पूरा नहीं पड़ता ? यदि हां, तो कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सर्दी में तो मक्का खाई जा सकती है किन्तु गर्मी में गर्म बहुत होने के कारण केवल मक्का नहीं चल सकती ? यदि हां, तो इसके साथ गेहूं भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ जिलों में गली व कंदी मक्का अवश्य प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसका वितरण बन्द कराने हेतु फौरन आदेश दे दिये गये।

(2) जी हां, अधिक खाद्यान्न प्राप्ति हेतु निरन्तर भारत सरकार को निवेदन किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। मक्का स्टेपल फूड होने के कारण गर्मियों में भी खाया जाता है। केवल मक्का का ही उपयोग बतौर Cereal करने से हानिकारक है इसका कोई वैज्ञानिक अथवा ठोस आधार ज्ञात नहीं है।

मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन

102. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न जिलों में मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन शुरू से लेकर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
अब तक कितना कितना दिया गया ? जिलेवार वार्षिक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन के अन्तर्गत शुरू से यानि वर्ष 1959-60 से वर्ष 1971-72 तक के वार्षिक ऋण के आंकड़े सदन की मेज पर प्रस्तुत किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री मोहनलाल छंगाणी : (फलोदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि पोद्दार पार्क की 3½ की जमीन बेची जा रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी सरकार इसे रोके। बहुत जरूरी है यह अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं कव ना दे रहा हूं। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि—

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री केशरीमल सदस्य, विधान सभा ने नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के इन्स्ट्रक्टरों द्वारा गत 26 फरवरी से की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर दिनांक 26-2-73 को प्राप्त एक अन्य स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी चाही गई है। अतः इस स्थगन प्रस्ताव पर भी जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य, विधान सभा ने झोटवाड़ा के एक व्यक्ति के कच्चे मकान को तहसीलदार, जयपुर के आदेशानुसार भेजे गये एक दल के द्वारा आग लगा देने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और माननीय सदस्य बजट की बहस में इस विषय की चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा ने बाड़मेर जिले के गिरांव गांव में अभावग्रस्त ग्रामीणों द्वारा घरणे में की गई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस स्थगन प्रस्ताव में भी निश्चित घटना का उल्लेख नहीं है और यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं, माननीय सदस्य यदि चाहें तो इसे बजट की बहस में उठा सकते हैं।

(4) श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा, ने जोधपुर में एलकोब्रस इन्जीनियरिंग फैक्टरी में श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसमें भी सम्बन्धित घटना की तिथि नहीं दी है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय भी नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल और केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने रींगस

(श्री अध्यक्ष)
के महरोली गांव में एक हरिजन अध्यापक के साथ वहां के निवासियों द्वारा की गई मारपीट के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसमें भी घटना की निश्चित तारीख नहीं दी गई है और न यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का ही है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है उस बारे में निवेदन कर दूं कि वह अध्यापक स्कूल में अपनी ड्यूटी दे रहा था, लड़कों को पढ़ा रहा था कि वहां जाकर गांव के लोगों ने उसे पीटा। ऐसे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। गांव के लोग अभी इन लोगों से ईर्षा करते हैं कि ये हरिजन जाति के आदिम जाति के लोग उनके बराबर कैसे होगये और कैसे उनके बच्चों को ये कोई बात कह देते हैं। तो उनका उनसे बड़े होकर बैठना भी बर्दाश्त नहीं है और उनके साथ यदा कदा मारपीट करते रहते हैं। इन घटनाओं को रोकना अत्यावश्यक है। ये घटनाएं लगातार घटती रही हैं।

अभी अभी ऐसी ही घटनाएं गंगानगर में डॉक्टर के साथ हुई हैं। तो इन पिछड़ी जाति के कहे जाने वाले लोगों के साथ चाहे वे डॉक्टर हों, चाहे अध्यापक ईर्षावश लोग मारपीट करते रहते हैं। राज्य सरकार को ड्यूटी देते समय उनको प्रोटेक्शन देना चाहिये और कुछ ऐसा कड़ा प्रबन्ध करना चाहिये कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नहीं तो इस तरह की हरकतें और बढ़ेंगी। उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस केस में सरकार तुरन्त जांच करके दोषियों को दण्ड दे और तुरन्त दे तो अच्छा होगा।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं 13-14 तारीख को अकालग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के सम्बन्ध में गिराब ग्राम में गया था। वहां के ग्रामवासी सैंकड़ों की तादाद में धरणा देकर बैठे थे कि पटवारी ने उस इलाके को लगातार जो अकाल से ग्रस्त है उसको अकाल ग्रस्त घोषित नहीं करवाया और जो अन्य सुविधाएं अकालग्रस्त क्षेत्र को मिलती हैं, वह नहीं दिलाई।

इस सम्बन्ध में मैं जिलाधीश, बाड़मेर से भी मिला और उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता था कि अकालग्रस्त घोषित कर दिया जायेगा या वे सुविधाएं प्रदान कर दी जायेंगी जो अकालग्रस्त इलाके को दी जाती हैं। अभी दुर्भाग्य से मुझे यह सूचना मिली कि पिछले सप्ताह में अकाल से ग्रसित लोगों को जिलाधीश के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के सींखचों में ठूंस दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता कि अकालग्रस्त लोगों को जो केवल अपना शान्त प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पर बैठे हुए थे उनको अपराधी समझें और उनको अकाल से राहत देने के बजाय जेलों में ठूंस दें, रोटी की जगह लाठी दें, बात सुनने की जगह जेलों में डाल दें। मैं विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा जिसका मैंने वर्णन किया है, ग्राम गिरवा जो बाड़मेर जिले में है वहां एक व्यक्ति की हालत बड़ी चिन्ताजनक है।

(श्री गुमानमल लोढा)

मैं चाहूंगा इस अकाल के गंभीर प्रश्न पर इस पर विचार किया जाय और गिरवा के व्यक्तियों को जो जेल में डाल दिये गये हैं, रिहा किया जाय। वहां पर झोंपड़े बेच कर कुड़कियां की जा रही हैं उनको रोका जाय। हम यह निवेदन करेंगे कि यहां विधेयक पारित करें, यह भी एक हमारा आवश्यक कार्य है लेकिन जन समस्या को नजरन्दाज करते रहें और लोक महत्व को नहीं समझें तो राजस्थान की जनता निश्चित रूप से यह विचार करेगी कि जो गांवों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अभाव की समस्या है और माननीय मंत्री महोदय उस ओर ध्यान नही दें तो वास्तव में जन आक्रोश बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव को आप माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए प्रस्तुत करें और अकालग्रस्त जनता को राहत पहुँचाने के लिए अवश्य कुछ व्यवस्था की जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जालौर के अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न और पानी बिलकुल नहीं मिल रहा है। वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और वहां भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तरफ अभावग्रस्त स्थिति है दूसरी तरफ क्रूड तेल नहीं मिल रहा है। काश्तकारों ने हजारों रुपये लेकर काम किया है। एक नोटिस भेजा है। ऐडजोर्नमैंट मोशन भेज नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित तो आप चेम्बर में ही कर सकते हैं। फिर आपके स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या रह गया है। वह तो मेरे से चेम्बर में ही बात कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर व्यवस्था शीघ्र न हुई तो सारे काश्तकार बरबाद हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन में ऐसे कन्वेन्शन नहीं डालना चाहता हूं कि ध्यान आकर्षण के बारे में आप सदन में कुछ कहें। आप अविलम्ब मेरे चेम्बर में आ जायें। वह प्रश्न यहां उठाने का नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा एक आदमी मर जाय और उसके बाद भी आपकी कोई व्यवस्था तत्काल न हो तो.......

श्री गुमानमल लोढा : अकालग्रस्त लोगों को जेलों में डाला है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अनाज की बहुत कमी है। 200 रु. बैरल नहीं मिल रहा है। पुराने राजाओं में एक बात थी, जब अच्छी बरसात होती थी तो छुट्टी की जाती थी। जब किसान हल चला रहा हो तो उसको पेशी में नहीं बुलाया जाता था। आज करोड़ों रुपये की फसल जल गई है और कुछ लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं। इण्डस्ट्रीज मंत्री महोदय, खाद्य मन्त्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय, मौजूद हैं। कल ही इसकी जानकारी प्राप्त कर सदन को सूचित करें कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या किया।

श्री अध्यक्ष : बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में आते हैं

(श्री अध्यक्ष)
लेकिन नियमानुकूल स्थगन प्रस्ताव से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के लिये एक प्रणाली अपना सकते हैं। अपन बैठकर चेम्बर में इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं, अपन सोच सकते हैं। बहुत से स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल तो आते नहीं हैं। मेरी भी मजबूरी है, महत्वपूर्ण होते हुये भी मैं उन्हें नहीं ले सकता हूँ लेकिन आपके प्रश्नों का निराकरण हो सके, उसके लिये कुछ करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी ओर से फैक्ट्स बता दें, आप सूचित कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन में नहीं बता सकता हूं। आप चेम्बर में आ जायें। आप मेरे पास आये नहीं, मैंने मना कब किया।

श्री गुमानमल लोढा : हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जायेंगे। अकाल राहत मंत्री जी को भी बुला लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने आज वक्तव्य देने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष : क्यों ज्यादा बोलते हो, मैंने कहा उसे ले लिया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पोद्दार पार्क का। पिछले दिनों अरबन सीलिंग का बिल पास हो चुका है और वह कानून बन चुका है। 13 फरवरी, 1973 को राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश जारी करके सम्पत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है और इधर 18 फरवरी, 1973 को श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स के श्री विनयकुमार पोद्दार ने स्टेच्यू सर्किल, जयपुर पर बने हुये संगमरमर के आलीशान पोद्दार पार्क और उसकी 34 हजार वर्ग गज जमीन को पोद्दार मिल के नाम बेच दिया और उसकी रजिस्ट्री इसलिये नहीं हुई कि 50 हजार से ऊपर की खरीद बिक्री पर इन्कम टैक्स सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यह जो साढ़े तीन लाख में जमीन बेची गई है यह पूरा का पूरा मैनुपुलेशन है। मेरा निवेदन है इसकी रजिस्ट्री करवा कर एक्वीजीशन की फौरन कार्यवाही करनी चाहिये।

कई माननीय सदस्य : सरकार इसको खुद खरीद लें।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित मामला नोट कर लेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (जयपुर, गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय 50 लाख की प्रापर्टी है और साढ़े तीन लाख में रजिस्ट्री हो रही है। सरकार आज ही घोषणा करे और उसको एक्वायर करे। सरकार आयकर कानून के तहत रजिस्ट्री की कीमत से 15 प्रतिशत ज्यादा देकर ले सकती है।

श्री राजेन्द्र भारतीया: अध्यक्ष महोदय उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया, जाय जिन्होंने रजिस्ट्री के लिये मना........

(माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर, अश्रव्य)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 लाख की सम्पत्ति साढ़े तीन लाख में मिलने वाली है। इसमें जरूर कोई साजिश है।

(श्री राजेन्द्र भारतीया)
इसमें कार्यवाही की जाय। इन्कम टैक्स का सर्टिफिकेट आ चुका है और केवल उसका बहाना लिया गया है। सर्टिफिकेट की वजह से नहीं रुका है बल्कि साजिश करके रोका गया है। 40 लाख की सम्पत्ति की रजिस्ट्री साढ़े तीन लाख में रजिस्ट्री नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय परसों ही इस सदन ने यह बिल पास किया है और वह केवल ट्रान्सफर के ऊपर है और ट्रान्सफर भी जो है एक लिमिट के अन्दर–तीन लाख की वेल्यूएशन के ऊपर प्रापर्टी का ट्रान्सफर करेंगे तो उस पर हमने रोक लगाई है और एक्वीजीशन के तहत उसकी कार्यवाही की जायगी, इसका बिल 21 जुलाई, 72 को पेश किया था और वह प्रेसीडेन्ट के पास है। केवल तीन लाख से ऊपर की सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध है। अभी जो प्रश्न है फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी, क्योंकि मेरे अखबार पढ़ने की आदत है, वह रात को है। मैं रात को ही अखबार पढ़ता हूं और वह पढ़ा नहीं है⋯⋯

श्री गुमानमल लोढा : मैंने परसों ही पोद्दार पार्क का जिक्र किया था।

श्री परसराम मदेरणा : इस अखबार में यह सूचना मिली है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं राजस्थान पत्रिका में जो खबर छपी है, उसको पढ़ा है और⋯⋯

इसके फैक्टस की जानकारी आज मुझे है लेकिन इस सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही करनी है उस ओर में निश्चित तौर पर आज ही कदम उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के तहत जितने एम्प्लाईज 15 साल से काम कर रहे हैं राजस्थान के अन्दर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल राजस्थान सरकार ले लेगी और इनके साथ के जितने भी इस केटेगरी के लोग दिल्ली में हैं उनको ग्रेड मिल गया है इसलिए उनकी जायज मांग है और कल से राजस्थान गवर्नमेंट उसको टेक-ओवर कर लेगी इसलिए राजस्थान सरकार इस बारे में आज ही स्टेटमेंट दे। वह 26 तारीख से हड़ताल पर हैं इसलिए आज ही सरकार स्टेटमेन्ट दे ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के अन्दर भी यह लोग धरने पर बैठे थे और उस समय के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं की और आज फिर वह लटक रहे हैं। वह 26 तारीख से फिर धरने पर बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि वह सरकार के कर्मचारी हैं और हम कहना चाहेंगे कि उनकी भावनाओं को समझें इसलिए इस पर सरकार विशेष ध्यान दे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह तीन दिन से ··

श्री अध्यक्ष : आपका ऐडजोर्नमेन्ट मोशन तो नहीं है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन वाजिब बात तो है।

श्री अध्यक्ष : सभी वाजिब बातें तो यहां नहीं आती हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज भूख हड़ताल तीन दिन से चल रही है और सारे विधायक वहां से गुजरते हैं, मंत्री जी भी गुजरते हैं और मैं समझता हूं कि उसके बारे में सरकार अपना क्या रुख अपनाने जा रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार को अपना जो शिक्षक वर्ग है और उसके जो लोग हैं उनकी वाजिब मांगों को मानकर उसके बारे में स्टेटमेन्ट दिलाने की आज ही कृपा करें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन।

श्रीमती कमला वेनीवाल (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 1970-71 सदन की मेज पर रखती हूँ।

गैर सरकारी सदस्य कार्य-संकल्प राजस्थान कैनाल लैण्ड अलॉटमेन्ट रूल्स में संशोधन करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री केदारनाथ : मान्यवर सम्बन्धित मंत्री तो हैं नहीं। राजस्थान कैनाल में अलॉटमेंट के बारे में संकल्प है और मंत्री महोदय हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : और बैठे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका पता तो लग जाये ? कोई उभरे यहां तो। अध्यक्ष महोदय आप दर्यापत कर लें कौन उभरने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई भी हों।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:—

"सदन की यह राय है कि राजस्थान कैनाल लैण्ड एलॉटमेन्ट रूल्स भूमिहीनों को भूमि एलॉट कराने में सहायक सिद्ध नहीं हुये हैं, अतः राज्य सरकार को इन पर पुनः विचार कर उपरोक्त रूल्स में आवश्यक संशोधन करने चाहियें।"

इस संकल्प के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि यह जो योजना है यह ऐसी योजना है हमारे देश की कि जिसको अगर समय से पूरा किया जाता तो हमारे देश की खाद्यान्न की कमी को और बेरोजगारी को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती थी। 240 करोड़ रुपये की योजना जो शुरू की गयी उसमें इस लम्बे अरसे से सिर्फ 108 करोड़ रुपया ही अभी तक खर्च किया गया है। इस योजना को पूरा करने के साथ ही साथ जो लोगों को बसाने की योजना इसके साथ में है उसके लिए भी 200 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना

Page No.53

(श्री केसरीमल)

है लेकिन लोगों को बसाने के लिए जो कार्य करना चाहिये वह बिल्कुल नहीं किया गया है और इसका नतीजा बड़ा भयंकर हमारे सामने आया है। अभी तक जो लोगों को बसाने के लिए डेवलपमेन्ट के काम में खर्चा हुआ है वह 13 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है जबकि नहर के कार्य पर 108 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 200 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गयी है उसमें से 13 करोड़ रुपया ही लोगों को बसाने पर खर्च किया गया है। जहां तक पानी पहुंचेगा लोगों को बसाने की योजना नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वह काम नहीं होगा और उससे नुकसान होगा, पानी बेकार जायेगा, काम ठीक नहीं होगा, खेती होगी तो खराब होगी। इस प्रकार से बहुत नुकसान होगा लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस योजना का दूसरा अंग है लोगों को बसाने का वह ठीक तरह से क्यों नहीं अमल में लाया जा रहा है। आज नहर हमारी 88 मील तक बनी हैं लेकिन जिस लम्बाई तक की योजना है अगर वहां तक लोगों को नहीं बसाया जायेगा तो निश्चित तौर पर डवलपमेन्ट के काम नहीं होने के कारण वहां नहर पहुंच जाने के बाद भी काम नहीं होंगे और काम नहीं होने की वजह से पानी बेकार जाये, जमीन बेकार रहे और लोग बेकार रहें तो यह बहुत ध्यान देने की बात है कि योजना इस तरह से पूरी हो कि जहां एक तरफ नहर पहुंचे वहां साथ ही साथ लोगों को बसाने का काम भी किया जाये।

यह योजना जो हमारी सरकार ने शुरू की यह योजना बहुत अच्छी है लेकिन हमारी क्षमता इस योजना को पूरा करने के लिए पैसे के सम्बन्ध में इतनी नहीं है। चाहिए तो यह था कि इस योजना को केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय योजना के मातहत लेकर इसको पूरा कराती और राज्य सरकार इसके लिए निवेदन करती कि वह इस योजना को अपने हाथ में ले। आज बड़ी मन्थर गति से यह योजना चल रही है। अगर इस योजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेकर बहुत जल्दी से इसको पूरा कराये तो आज जो हमारे राजस्थान में भयंकर अकाल की जैसी स्थिति है, लोग अनाज के बिना त्राहि त्राहि कर रहे हैं, गांवों में अनाज नहीं मिल रहा है और जहां से भी लाकर दिया गया है वह भी सड़ा हुआ है और गन्दा है जो मनुष्यों के खाने के लायक नहीं है, वह दिया जा रहा है। अगर यह योजना पूरी होती तो लोगों को बहुत कुछ राहत मिल सकती थी।

मेरा ऐसा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय कि इसमें बहुत सी ऐसी खामियां भी हैं, जो रूल्स बने हुए हैं उससे न तो ठीक तरह से लोगों को स्थाई रूप से अलॉटमेन्ट का काम हो रहा है। इस नहर का पानी 64 में छोड़ा गया वह सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करता है जबकि 36 लाख एकड़ के इलाके में यह नहर पहुंचेगी, ऐसी योजना है तो इतने लम्बे अरसे से योजना इतनी सी पूरी हुई है तो 4 लाख एकड़ सिंचित होने के साथ ही साथ वहां पर लोगों को बसाने और जमीन को अलॉट करने की दोनों व्यवस्थायें हैं वह बिलकुल गलत ढंग से चल रही हैं और नियम काम में लाये जा रहे हैं वह अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह यह है

(श्री केसरीमल)

कि बहुत से लोगों को हर साल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय ने बताया अपने अभिभाषण में कि 1972 तक 15,304 व्यक्तियों को 2,86,247 एकड़ जमीन स्थाई रूप से दी गयी और 3,98,235 एकड़ में अस्थाई रूप से 27,485 भूमिहीन व्यक्तियों को एक वर्षीय रूप से आवंटित की गई है। मेरा यह निवेदन करना है कि जब इतनी बड़ी योजना है उसमें इतने लोगों को अस्थाई रूप से बसाया जाये या उनको अलॉटमेन्ट किया जाये तो हर साल वही दिक्कत देखनी पड़ेगी और खेती में अनिश्चितता होने के कारण पैदावार नहीं होगी। लेकिन यह जो हमारे नियम बने हुए हैं उन नियमों में खामियां हैं जिसकी वजह से हर साल अलॉटमेन्ट हो। नियम ऐसे हों कि लोग परेशान न हों। और खेतों की ओर उनका ध्यान लग सके और हर साल दिक्कत न हो। यही नहीं, अध्यक्ष, महोदय, हर साल अलॉट करने से, जो हर साल अलॉट करने के आपने रूल्स बनाये हैं और जिनके मातहत आप हर साल अलॉटमेन्ट करते हैं उससे न सिर्फ परेशानी होती है, या खेती के काम करने वालों के दिमाग में अस्थिरता बनी रहती है, मेरा निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, कि यह एक बहुत बड़ा जरिया पैसा खाने का कुछ लोगों ने बना रखा है जिसके जरिये बहुत से लोग रोज का धन्धा चलाते हैं जिसमें रिश्वतखोरी बढ़ती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर इनको स्थाई रूप से अलॉट किया जाय तो यह दिक्कत दूर हो सकती है।

यह सब रूल्स की खामियों की वजह से है। यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि अलॉटमेन्ट रूल्स ठीक नहीं होने से, समय पर नहीं बनने से, सरकार के द्वारा ठीक से ध्यान नहीं देने से आज इस इलाके में करीब 18,825 बीघा बेनामी लोगों के कब्जे में है, ऐसे लोगों के पास है जो वहां रहते नहीं हैं, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है। उनके नाम से जमीनें अलॉट कर दी गई। कुछ लोग इन जमीनों पर ऐसे बैठे हुए हैं जो एकदम से अजीब ढंग से, असामाजिक ढंग से वहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं यह जिक्र कर रहा था अध्यक्ष महोदय कि हमारे जो एक पद्मश्री वहां पर रहने वाले हैं मारवाड़ के और उन्होंने वहां पर 6100 बीघा जमीन पर इस प्रकार से कब्जा कर रखा है। वहां पर 244 आदमियों के नाम पर जमीनों का बेनामी कब्जा है जिनका कोई पता ठिकाना नहीं हैं, कहां रहते हैं क्या करते हैं, कुछ जानकारी नहीं लेकिन उनके नाम से कब्जा कर रखा है और जमीन अपने कब्जे में लेकर मशीनें वगैरा लगा कर खूब इसका शोषण कर रहे हैं। एक आदमी का इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा हो और सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद उसकी ठीक व्यवस्था नहीं की जाय, लोगों का पता ठिकाना नहीं हो तो यह सब नियमों की और सरकार की लापरवाही का नतीजा है। मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष महोदय, कि इन श्रीमान जी को जो पद्मश्री का जिनको तमगा

(श्री केसरीमल)

मिला है, पदक मिला है यह पद्म श्री उनको मिलनी ही चाहिए। जो 244 आदमियों के नाम से जमीन अलॉट करा कर अपने खुद के हाथ में उसको रख सके, ऐसे आदमी को पद्मश्री मिलनी चाहिए। इनसे अच्छा पद्मश्री पाने का हकदार कौन हो सकता है। ऐसे ही लोगों को पद्मश्री मिल सकती है जिन्होंने हुकूमत से 244 आदमियों के नाम से जमीन अलॉट करा ली और अपना कब्जा करके बैठ गए। इसके अलावा जिन लोगों को जमीन अलॉट की और जिस अधिकारी ने जमीन अलॉट की उसने इस ढंग से कागजों पर दस्तखत किए हैं कि एक तरह से रेखा खींची है, जैसे कोई किसी की रगड़ से लकीर खिंच गई हो, इसको पढ़ नहीं सकते कि किसने दस्तखत किए हैं, किसने अलॉटमेन्ट किया है इसका पता ही नहीं चल सकता है। इस तरह की बातें मिली भगत की इस सरकार के अधिकारियों और इन लोगों के बीच में चल रही हैं। मेरा ऐसा निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर ऐसे कई लोग हैं जिनमें कोई तो आई. जी. पी. का सुपुत्र है तो कोई तहसीलदार और रिटायर्ड अफसर हैं। तमाम लोगों ने वहां मिल कर हजारों बीघा जमीन पर इस प्रकार से बेनामी कब्जा कर रखा है और उस जमीन पर वह न सिर्फ कब्जा करके ही बैठ गए हैं बल्कि अपना माल ले जाने के साथ साथ जो वहां के रहने वाले हैं, जो गरीब हैं, हरिजन लोग हैं, जो वहां पर काम करते हैं उनका माल भी खेतों से निकाल कर जबरदस्ती अपनी जीपों में भर कर ले जाते हैं। ऐसी घटना की पहले भी सरकार को जानकारी दी गई लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि जो रूल्स सरकार ने बनाए हैं, उन रूल्स में खामियां हैं जिसके कारण एक अच्छी भली योजना को इस भौंडे रूप में लाकर पटक दिया है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि अब भी जो रूल्स हैं उन रूल्स में लोगों को जमीन अलॉट करते हुए पूछते हैं कि 56 में यहां रह रहे थे या नहीं, 56 में रहने का प्रमाण-पत्र लाओ। मेरा निवेदन करना यह है अध्यक्ष महोदय कि कहां उनके पास प्रमाण-पत्र होंगे। आज भी जंगल में बसने वाले लोग कहां से प्रमाण-पत्र दिलायेंगे। आज भी नहरी क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में जो बस्तियां आपने बसाई हैं और लोग वहां जाकर बसे हैं वे कहां से प्रमाण-पत्र लायेंगे, किस से प्रमाण-पत्र दिलायेंगे। फिर भी यह कहा जाता है कि 55-56 से रहने का प्रमाण-पत्र दो तो हम यह चाहते हैं कि प्रमाण-पत्र 62 से लिए जायें। यह भी हमारा कहना है कि इस प्रकार से सबके सब लोगों से प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत नहीं जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन अलॉट करते हैं तो नियमों के अनुसार भी उनसे प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर उस इलाके में बड़ी साम्प्रदायिकता, बड़ी छिद्रता की भावना फैली हुई है। वहां पंजाबी से पंजाबी और दूसरी दूसरी बातें करके अगर

Page No.56

(श्री केसरीमल)
कोई दूसरा आदमी वहां जाकर रहने की कोशिश भी करें तो वहां रहने नहीं दिया जाता है। सरकार अगर अलॉटमेन्ट करके लोगों को वहां भेजे तो भी इस स्थिति में वे लोग वहां आकर बसना भी चाहें तो भी बस नहीं सकते हैं।

इसके अलावा मेरा निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय कि जो जमीन अलॉट की जाती है, उन जमीनों की कीमत इतनी रखी जाती है कि आदमी को थोड़े अर्से के बाद भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वह जमीन की कीमत जुटाता है तो निश्चित रूप से उसको भागना पड़ेगा और आसानी से दो चार छः साल तक भी जमीन की कीमत नहीं दे पाता है तो जो कीमत मुकर्रर की गई है वह बहुत बढ़ी चढ़ी है उन कीमतों को कम करना चाहिए। ऐसे लोग जो पिछड़ी जाति के हैं, हरिजन हैं उनको बिल्कुल नाकाफी कीमत पर जमीन देनी चाहिए और जो कीमत बढ़ी हुई है उनको कम करना आवश्यक है।

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो यह कहा गया है, रूल्स में जो यह प्रोविजन है कि दो साल की किश्तें रुक जायें तो उस व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि किश्तें रुकने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पानी कम पहुंचे खेती ठीक से नहीं पक सके या और कोई कारण हो जाय तो ऐसी हालत में दो साल में ही उसको बेदखल कर दिया जाय यह उचित नहीं है। मेरा निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय कि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसी इलाके के रहने वाले और जिनमें लाखों रुपया सरकार का बाकी है लेकिन वे बेदखल नहीं होते हैं। जो छोटे लोग हैं उनको जल्दी से और आसानी से बेदखल कर दिया जाता है यह ठीक नहीं है। तो यह सब बातें आपके सामने रख कर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से यह भूमि अलॉट करने में जो कैनाल लैंड के अलॉटमेन्ट रूल्स हैं वह रूल्स मेरी समझ में नाकाफी हैं, कमजोर हैं और इनको बदलना आवश्यक है इनको बदलना चाहिए और इन बातों की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों को रहने का और काम करने का ठीक से मौका मिले।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह नहरी योजना दोनों तरफ से पूरी हो ताकि नहरें बनें और जमीनों का अलॉटमेन्ट जल्दी हो। जो लोग आज वहां बिना काम के रह रहे हैं उन लोगों को काम मिले और जो आज हमारे देश में इतने बड़े अकाल की स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था है उसकी बहुत कुछ पूर्ति इस नहरी इलाके से हो सके। इस काम को इस तरह से पूरा किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा। संशोधन प्रस्ताव।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, हमने यहां सदन में इस मसले पर कई बार अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता

(श्री केदारनाथ)

हूं कि राज्य सरकार का को-ऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में इण्टिग्रेटेड अप्रोच नहीं रहा। इण्टीग्रेटेड अप्रोच मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान केनाल में जितनी जमीन राज्य सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास होगी उसका किस ढंग से वितरण होगा। अगर हम चाहते हैं कि आहिस्ता 2 इस देश में को-ऑपरेटिव बेसिस पर फार्मिंग हो, सहकारिता के आधार पर फार्मिंग हो ताकि छोटे 2 फ्रेगमेंटेशन न हों, भूमिहीनों को जमीन अलॉट हो तो सरकार की ओर से ऐसी स्कीम बनती है तो जो लोग पढ़े लिखे बेकार हैं, भूमिहीन हैं वे को-आपरेटिव सोसायटी बना कर जो अपनी काश्त करना चाहते हैं उनको टेम्पटेशन दिया जाता है, सारी फैसीलिटीज दी जाती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा नया कन्सेप्ट पैदा होता मगर राज्य सरकार के दिमाग में ऐसी चीज कोई आई नहीं। जो रूल्स इसके बारे में हैं उनमें एमेंडमेंट किया गया और अब भी, मान्यवर, एक हाई पावर कमेटी के नाम से एक कमेटी आपकी काम कर रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी केवल दो मीटिंग्स हुई और अपनी कोई इन्टेरिम रिपोर्ट भी वह अब तक तैयार नहीं कर पाई। कुछ हमने रिकमन्डेशन्स की हैं। पहली रिकमन्डेशन तो यह है कि जितने भी एलॉटमेंट्स राजस्थान सरकार के कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने आज तक किये हैं भूमिहीनों को उसकी सारी लिस्ट मेम्बरों को मिल जाय। वह अपनी अपनी तहसील और इलाके में एस. डी. एम. या तहसीलदार को लेकर सबकी जांच करें कि वे वाकई में भूमिहीन हैं या नहीं। जो वाकई में भूमिहीन हैं उनको आईडेन्टीफिकेशन कार्ड इश्यू कर दें और उनकी लिस्ट को वेरीफाई कर दें। उनमें जितने भी इल्लीगल एलॉटमेंट हुये हैं उनको कैन्सिल कर दें ताकि मालूम पड़ जाय कि इस गांव में सही कितने भूमिहीन हैं, और जिनको एलॉटमेंट हुए हैं वे कहां तक सही हैं। लेकिन आज 6 महीने तक सूची नहीं मिली है फैसला होने के बाद भी। तो इससे मालूम पड़ता है कि कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट कितना इसके बारे में लापरवाही से काम कर रहा है। तो हम नहीं सोचते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भूमिहीनों के साथ में कोई इन्साफ होगा। मान्यवर, अगर यह लिस्ट सही तरीके से हो जाती तो मालूम पड़ जाता कि राजस्थान कैनाल में जो 20-21 हजार भूमिहीनों को एलॉटमेंट किया गया है उनमें से कितने सही थे। मान्यवर, हम उस इलाके के रहने वाले हैं। एक बहुत बड़ा आन्दोलन गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल के लोगों ने किया। उसके तहत यह फैसला किया गया था कि भूमिहीनों को 15 बीघा न मिलकर 25 बीघा मिलेगी और मान्यवर, यह भी एक फैसला हुआ था कि जिन लोगों को भाखरा, गंग और राजस्थान कैनाल में भूमिहीन होने के नाते जो जो मुरब्बे मिले हुये हैं और उनको वह भूमि परमानेन्ट एलॉट हो गई है और अगर वे अपनी किश्त नहीं भर पाये हों वर्षा की कमी से, पैदावार नहीं होने की वजह से और पैसे की कमी की वजह से और किश्त जमा नहीं कराने की वजह से उनकी जमीनें कैन्सिल की गई हैं तो उनको बहाल किया जाय। अगर पानी आ जाय उस वक्त दो किश्तें एक साल में

(श्री केदारनाथ)

यानी एक एरियर की किश्त और एक चालू किश्त वसूल की जाय। मान्यवर इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ और कागजों में सारी जमीनें कैन्सिल हैं। वे अभी इसके लिए कमिश्नर के पास अपील करके स्टे लेकर आये हैं। जिन लोगों के खेतों पर दूसरों ने कब्जा किया है वह बहुत से हैं। ऐसे करीब 95 प्रतिशत लोग हैं जिनको इस ढंग से अपने खेत से हाथ धोना पड़ा।

मान्यवर, इलेक्ट्रोरल्स के अलावा अगर उसके पास में गिरदावरी है और सरकारी डॉक्यूमेंट हैं अपने आपको साबित करने के लिए कि मैं राजस्थानी हूं तो उनको भी सबूत मानना चाहिये, लेकिन वह नहीं मानते है। हमने यह भी फैसला किया कि अगर 55 के पहले से वह काश्त करता आ रहा है और दो साल बीच में गायब रहा लेकिन उसका पजेशन वहां पर है तो उसको कन्डोन कर दिया जाय। उसके ऊपर कोई अमल नहीं। कोई भी फैसला, कोई भी रिकमन्डेशन कोई भी सिफारिश नहीं मानी गई। वैसे का वैसा महकमा चल रहा है और आपने सन्तोष प्रकट कर दिया कि भूमिहीनों को जमीन एलॉट कर दी गई। मान्यवर आप मौके पर जायें और मन्त्री जी भी कई बार गये हैं। राजस्थान कैनाल में एक लाख एकड़ जमीन रिजर्व की गई है शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और 50 हजार दूसरे नान-हरिजन्स हैं उनके लिए। मान्यवर, वह एरिया ऐसा है कि उसमें बड़े बड़े टीले हैं। अच्छी जमीनों के जो एलॉटीज हैं वे साधन-सम्पन्न लोग हैं वह उनके कब्जे में हैं, अच्छी जमीनें उनके कब्जे में है जो बेनामदारी हैं और जो निकम्मी जमीनें हैं वह शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के पास हैं। माननीय मंत्री जी सब का इन्सपेक्शन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जायगा कि भूमिहीनों के प्रति उनकी क्या हमदर्दी है। वह एरिया कमाण्ड एरिया है लेकिन मौके पर जाकर देखें तो टीले खड़े हैं। 500 रुपये एलॉटमैंट में खर्च करने के बाद और 6 महीने का समय देने के बाद, कर्जा लेने के बाद और 6 महीने का टाइम लग गया पट्टा लेने में और वह मौके पर कब्जा लेने जाता है तो वहां पर टीले खड़े हैं तो वह मायूस होकर वापस आ जाता है। उसके अन्दर एक आकांक्षा, एक एक्स्पेक्टेशन आपने पैदा की थी, एक अवेरनैस पैदा की थी कि वह जमीन का मालिक बन जायगा और 10-15 साल में नहर आ रही है तो राजस्थान कैनाल के अन्दर पानी आयेगा और एलॉटमैंट शुरू होगा, उसको जमीन मिलेगी, तो वह आकांक्षा आपने समाप्त कर दी। वह बेचारा रोता है कि उस पर कर्जा हो गया, उसको मजदूरी से हाथ धोना पड़ा। मान्यवर मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अच्छी जमीनें मिलेंगी,

(12.45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

पानी आयेगा तो वह शैड्यूल्ड कास्ट और दूसरे लोग नॉन-शैड्यूल्ड कास्ट के लैण्डलेस है उनको जमीनें देंगे। आपने कहा था कि जोन बना देंगे ताकि लोग इकट्ठे बसें। वह इसलिए कहा गया था कि अगर एक गांव में अगर एक भूमिहीन होता है तो उसको राजस्थान कैनाल में अलग से एक जगह पर एक एक्स्ट्रीम

(श्री केदारनाथ)

कार्नर पर जमीन देते हैं तो वह काश्त कैसे कर सकता है। वह अपनी बिरादरी के बीच, अपनी कम्युनिटी के बीच, अपने इलाके के बीच में तो काश्त कर सकता है, बहुत सा लेन देन कर सकता है। जहां पर वह लोग उसको जानते नहीं हैं, वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट का भूमिहीन जाता है जिसने 20-25 साल तक सीर में काम किया है तो उससे आप यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह अपने आपको एडजस्ट कर पाये। वह इसके लिए साइकोलोजिकली तैयार नहीं है। न तो सही एलॉटमैंट रूल्स हैं और न उनको अच्छी जमीनें दी तो वह चौथे दिन उसको छोड़कर चला आयेगा। अगर 5 पर्सेंट को अच्छी जमीनें मिल गई हों तो वह दूसरी बात है नहीं, वह जमीन दूसरों को देकर वापिस आ जाता है। 99 पर्सेन्ट लैण्डलैस को जो एलॉटमेंट किया गया है वह गलत किया है। जो जमीनें हैं वह रेतीले टीलों की जमीने हैं।

अगर यही 21 हजार भूमिहीनों को हमने जमीन एलॉट कर दी है और लैण्ड-लैस का प्राब्लम सोल्व कर लेने का यही एप्रोच है तो मैं समझता हूं कि इससे तो नीलाम कर देते जमीनों को तो अच्छा होता। नीलाम बन्द करवाया तो 20-25 हजार आदमियों के लिए करवाया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अगर 1-2 महीने में अपना दिमाग बनाकर फैसला कर ले। जो हाई पावर कमेटी है वह एक बहुत बड़ी कमेटी है, अनवील्डी कमेटी है पर्सनल लेवल पर जैसी भी कमेटी हो उसको पावर दें नहीं और उसके चेयरमैन के पास टाइम न हो तो दूसरों को बना दें। झुझारसिंहजी जो राज्य मंत्री हैं अगर उन्हें समय नहीं मिलता है इसलिए उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तो 2-3 सब कमेटीज उसकी बना दी जायं ताकि वह इलाकों का दौरा करे और मौके पर जायं और देखें और फैसला दें कि जमीनें किन के पास है, जेनुइन उनका मालिक कौन है तो मालूम पड़ जायगा कि कौन भूमिहीन है। 3,4,5 परिवार नहीं बल्कि 600 परिवारों के नाम मेरे पास हैं। उनकी जांच की है हमारे पोलिटिकल वर्कर्स ने। हमारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं और काफी लोगों का उसमें हिस्सा है। कमेटी के मेम्बर्स का भी कुछ हिस्सा है। वे बड़े लोगों से मिले हुए हों तो क्या होगा। अगर आप चाहते हों कि खेत खाली करवाये जायं तो जांच तो मामूली सी बात है। जांच करने की बात है तो जांच तो बड़ी सरल है, मगर उसके ऊपर एक्शन लेना मौजूदा सरकार के बस की बात नहीं है।

तो, मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि राजस्थान कैनाल में वह लोग 55 से पहले से काश्त करते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने 55 के बाद टेम्परेरी कल्टीवेशन की है। कुछ वह लोग हैं जिन्हें भाखरा के भूमिहीन डिक्लेयर करके वहां जमीन पर बैठा दिया। कुछ लोग वे हैं जो जमींदारी, बिस्वेदारी समाप्त हुई राजस्थान में तो यहां राजस्थान कैनाल में लाकर बिठा दिया लेन-देन का ट्रान्जेक्शन करके। आज वहां का भूमिहीन हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है। 55 के पहले से अगर कोई काश्तकार उस इलाके में काश्त करता आ रहा है, बोनाफाइड रेजिडेन्ट है और वह लैण्डलेस है तो उसके लिए आप कितना प्रोटेक्शन वहां पर कर पाये हैं,

(श्री केदारनाथ)

कितनी फेसिलिटीज आप दे पाये हैं, इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। तीन-चार बार जमीनों की तब्दीली करवा दी। उसको जमीन चैन्ज करनी पड़ी, यह भी कोई ध्यान नहीं, और किन लोगों का नाजायज कब्जा है यह भी आपके ध्यान में नहीं। तो, मान्यवर, मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुद उस कमेटी के चेयरमैन बनकर 15-20 दिन तक उस कमेटी की बैठक चलायें और जहां यह इलाका है वहां पर मौके पर कैम्प्स लगायें और कमेटी के सारे मेम्बर्स आपके साथ हों, आफिसर्स आपके साथ हों, वहां के लोग हों, उनको इत्तिला मिल जाय तो बड़ी आसानी से आप टैस्ट कर पायेंगे कि एलॉटमेंट कैसा हुआ है, जमीन किस आदमी के हाथ में आई है और काश्त कौन कर रहा है। अगर यह चीज करना चाहते हैं तो अब समय है। दो मास के बाद फिर एलॉटमेंट शुरू हो जायेंगे। नई फसल की फिर हालत पैदा हो जायगी तो फिर आपके पास वक्त नहीं मिलेगा।

तो, मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि हमने काफी ढिलाई की। कल सीलिंग बिल में बालिग लड़के को अलग परिवार माना है, मगर एक भूमिहीन का बच्चा 18 साल का है तो उससे सबूत मांगा जाता है कि आपकी सेपरेट फेमिली के डाक्यूमेंट पेश करो कि आप अपने फादर से अलग हो। सीलिंग बिल के पास होने के बाद यह इन्स्ट्रक्शन्स भेज दी कि जिस लड़के की उम्र 18 की हो गई है उसको अलग परिवार माना जाय। उसे आपने एक लैण्डलार्ड और ऑनर के बालिग लड़के को अलग परिवार मान लिया उसी तरह से एक लैण्डलेस के लड़के का अलग परिवार मानें लैण्डलार्ड के लड़के का तो अलग परिवार मानें और भूमिहीन के बच्चे का अलग परिवार न मानें तो यह डिस्पेरिटी है। यह डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर यह फैसला हो जाय तो भूमिहीनों को काफी राहत मिल जाय। आप कहते हैं कि पहले से काश्त करता हो, गिरदावरी में नाम हो, माल शुमारी में नाम हो तो जिसने पहले कभी काश्त नहीं की और मजदूरी का काम किया तो कहां से गिरदावरी में नाम आये। उसको वोटर्स लिस्ट का भी ध्यान नहीं है कि वोटर्स लिस्ट बनी या नहीं। इसलिए ऐसी डाकुमेन्टरी चीजों में डाल दें तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। इस कमेटी के ऐसे रूल्स बनाये जायें जिनमें एम. एल. ए., पंच, सरपंच, जैसे स्पॉट पर जाकर जांच करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। गिरदावरी का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वह राजस्थानी हैं अगर हाई कोर्ट का फैसला हो जाता है तो उस में भी आप जांच करो। यह लैण्डलेस में आता है या नहीं ? जागीरदारी समाप्त होने के बाद....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा है।

श्री केदारनाथ : जागीरदारी समाप्त होने के बाद भूमिहीन बहुत हैं। बहुत से राजस्थान कैनाल में करते हैं। भूमिहीनों को अलॉटमेन्ट सही तरीके से हो। टी.वी. परगना के 45 में जो पैटर्न लागू किया वह यहां भाखरा और गंग केनाल में नहीं

(श्री केदारनाथ)

करना चाहते । जितनी जमीन है वह आप रेग्युलराइज नहीं करना चाहते हैं। अगर वह लैण्डलैस है तो उसको कर दो । इस हाउस में एक फैसला हुआ है। यह कि जिसके पास 25 बीघा जमीन है, वह उसके पास कम है । उसको जमीन अलॉट होनी चाहिए। आज से दो-तीन साल पहले यह हुआ था कि जो विलेज सर्वेन्ट हैं, उनको जमीन मिलनी चाहिए । आप आर्डिनेंस देखिए। अगर 25 बीघे से जमीन कम है तो वह 25 बीघा जमीन पाने का हकदार है । आपने किश्तें तय करदी हैं। अगर कीमत ज्यादा है तो किश्तों को लम्बा किया जाय। इसके अलावा मान्यवर, मैं उस बात को रीओपन नहीं करना चाहता। हमारी 3 लाख एकड़ जमीन जो कांगड़े के आउस्टीज को दे दी है, एक मामूली सेक्रेटरी के तहत उसका फैसला करवा दिया है। यह बहुत बड़ा धक्का लगा है । राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को एक बड़ा धक्का लगा है। अब जिनको आपने जमीन अलॉट की है, वह पहले तो 5,000 थे, अब 1 लाख हो गये हैं। उनको मकान बना कर दिये। सड़कें बना कर दी। सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। मगर वह काश्त करने वाले नहीं हैं। वह जमीन बेचते हैं। जो उनको रिहेबिलीटेट करने का मकसद था । वह काश्त नहीं करते हैं तो कन्ट्रेक्ट ऑफ एग्रीमेन्ट को वह तोड़ रहे है। इसलिये वह जमीन पाने के हकदार नही हैं। 2% भी मौके पर नहीं मिलेंगे। आज आप यह एश्योरेन्स दीजिये कि जिस जमीन वाले के पास जमीन है, उसको आप जमीन देंगे। यह जो डेढ़ लाख एकड़ जमीन इकट्ठी होगई है, अलग अलग एरिया में, वह आप करदें। उसके इन्स्टालमेन्ट लम्बे कर दें। रूल्स और कण्डीशन्स हैं, उनको ठीक करदें। इसी विश्वास से मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : केसरीमल जी बोलना चाहेंगे ?

श्री केसरीमल : बस यही, संशोधन को स्वीकार किया जाये । मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केसरीमल जी और प्रो. केदार ने जो भूमि एलॉटमेन्ट किये गये हैं, उनके बारे में कहा है। इसके फैक्ट्स के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के नीचे जो कल्टीवेटेड लैण्ड है वह 13,40,000 एकड़ है। इसमें कमाण्ड एरिया अन्डर-इर्रीगेशन प्लान 8,19,000 एकड़ है। इसमें से नॉन एग्रीकल्चरल लैण्ड ऐसी है जो कि स्कूल और मन्डी, आबादी आदि के लिए है, वह 41,292 एकड़ है । खातेदारों के लिए जो पहले से बसे हुए हैं, 1,03,136 एकड़ है। इसके अलावा जो रिजर्व है, पौंग डेम के आउस्टीज के लिए, अभी पर्सनल, एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स, पोलिटिकल सफरर्स के लिए, 1,25,955 एकड़ है। इस प्रकार से कुल टोटल हुआ 2,70,383 एकड़। इसी तरह से दूसरी तरीके के जो हैं, भाखरा लैण्डलेस पर्सन्स 1,034 को 30,919 एकड़ एलॉट की गई है। इसके अलावा 1967 के जो लोग हैं, 1,192 आदमियों को 6,887 एकड़ जमीन एलॉट की है।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

तीसरे जो एक्स जागीरदार हैं जिनके पास जमीन गुजारे के लिए नहीं रही, ऐसे 845 आदमियों को 26,966 एकड़ जमीन दी गई। गैर दाखिलकर पेंटलिसा एरिया के 1023 ऐसे हैं जिनको 22,592 एकड़ जमीन दी गई। इसी प्रकार से प्री 1955 के टेनेन्ट्स 6673 ऐसे हैं जिन्हें 1,15,320 एकड़ जमीन दी गई। पोस्ट 1955 टेनेन्स 2481 ऐसे हैं जिनको 35,717 एकड़ जमीन दी गई। आर्म्ड पर्सनल (गेलेन्ट्री अवार्ड होल्डर्स, किल्ड या डिसएबल्ड सोल्जर्स या उनके डिपेंडेंट) इनमें 941 ऐसे सैनिक हैं जिन्हें 14,522 एकड़ जमीन दी गई। डिस्प्लेस्ड मुस्लिम फेमिलीज 64 हैं जिन्हें 1,000 एकड़ जमीन एलॉट की गई। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स 98 हैं जिनको 1,532 एकड़ जमीन दी गई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को फेमिन के लिए 552 एकड़ जमीन दी गई। स्पेशल कैटेगरी में दो हैं जिनको 31 एकड़ जमीन दी गई। पंचायत हैं 14 जिनको 130 एकड़ जमीन दी गई। नोमेडिक कैटल ब्रीडर हैं 4, जिन्हें 187 एकड़ जमीन दी गई। पॉलिटिकल सफरर्स हैं 27, जिनको 429 एकड़ जमीन दी गई। एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड फार्म्स, जिनमें एक जेतसर का फार्म है, इन्हें 13,128 एकड़ जमीन दी गई। पद्मश्री होल्डर्स फार एग्रीकल्चर एक है जिसे 62 एकड़ जमीन दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट को 1,004 एकड़ जमीन दी गई। बिस्वेदार दस हैं जिनको 169 एकड़ जमीन दी गई। एनीमल हस्बेण्डरी डिपार्टमेन्ट को 916 एकड़ जमीन दी गई। जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज आउस्टी, जो फील्ड फायरिंग रेंज की जमीन से लोग उठे हैं, वह 290 आदमी हैं जिन्हें 3,815 एकड़ जमीन दी गई। पोंग डेम आउस्टीज हैं 505 जिन्हें 7,821 एकड़ जमीन दी गई। इस तरह से कुल 2,86,247 एकड़ जमीन एलॉट की गई है, और दोनों को मिला कर 5,54,082 एकड़ जमीन एलॉट हो चुकी है। तो इस तरह से एलॉटमेन्ट का ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा। इसमें केसरीमल जी ने दो तीन बातें और कही हैं। एक तो यह कि हर साल टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिए एलाटमेंट होता है, उससे एक तो परेशानी होती है और दूसरे भ्रष्टाचार बढ़ता है। यह दोनों बातें ठीक हैं, यानि टेम्प्रेरी एलॉटमेन्ट में जो सालाना टेम्प्रेरी एलॉटमेन्ट होता है उससे काश्तकारों की जमीन में दिलचस्पी पैदा नहीं होती और भ्रष्टाचार साथ ही साथ होता है। इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे जैसे जमीन हमारे पास आती जाये इस नहर में पेमाइश होकर, सर्वे होकर और नहर तैयार होकर उस तरह हम परमानेन्ट एलॉटमेन्ट करें। लेकिन इसमें एक दिक्कत और आयी है, यह जो धरती, जो केदार जी बतला रहे हैं जहां से यह कैनाल होकर गुजरी है, वहां बहुत बड़े टीबे हैं, सैण्डी इलाका है, कभी कहीं टीला हो जाता है, कभी कहीं टीला हो जाता है—कुछ टीले ऐसे हैं, इस कारण काश्तकारों के वश की लेवल करने की बात नहीं है और यदि भूमिहीनों को वह जमीन देते हैं तो उनके पास साधन नहीं हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोरम का अभाव है।

(गणाभाव सूचक घण्टी)

(गणपूर्ति पश्चात्)

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसलिए मैं कह रहा था कि जो वर्ल्ड बैंक की टीम आयी, उसने इस इलाके को देखा और उसने यह मससूस किया कि उसको हिन्दुस्तान में बारह प्रोजेक्ट देखने थे, और बारह में से तीन पर उन्हें अपनी वर्ल्ड बैंक से पैसा डवलपमेंट करने के लिए देना था। उनमें राजस्थान कैनाल और कोटा के दो प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने हमारे यहां इस काबिल समझे हैं कि इनको वर्ल्ड बैंक की मदद दी जाय। वर्ल्ड बैंक की मदद है उसमें स्कीम, एक पायलट स्कीम बनी है, जो पचास हजार एकड़ ऐसा इलाका है जिसमें कल्टीवेशन नहीं है और डेढ़ लाख ऐसा जो धोरों की जमीन है और जो परमानेन्टली किसी को एलॉट नहीं हुई है उस पर काम चालू किया जाय। उसकी सर्वे चल रही है, रिकार्ड पूरा किया जा रहा है। उसमें स्कीम यह है कि उस जमीन का पूरा डवलपमेंट करके, इसमें वाटर कोर्सेज की लाइन को पक्का बना कर फिर यह भूमिहीन काश्तकारों को एलॉट की जाय जिससे जिस जमीन पर वह जाकर बैठें वह इस हालत में हो कि उस भूमि पर वह काश्त करना शुरू कर सकें, उसे ऐसा पूरा अवसर हो जिससे वह काश्त कर सके और आबाद हो सके। इसलिए जहां लोग बैठे हैं अब उनको अगर परमानेन्ट एलॉटमेंट कर देते हैं तो ज्यादातर लोग समझ जायेंगे कि इसमें हमारा फायदा है—तब ऐसा हो सकता है। यदि वह समझें कि मैं क्यों खर्च करूं, मेरे पास अच्छी कम जमीन है, तमाम धोरा है और वह इन्कार करके इस एरिया में सारा काम ठप्प कर देंगे। इसलिए हम इसके लिए सोच रहे हैं कि जब तक इस एरिया को डवलप न कर लें तब तक टेम्प्रेरी एलॉटमेंट करें और डवलपमेंट होने के बाद परमानेंट अलॉटमेंट करें। परमानेन्ट एलॉटमेंट, जैसा निवेदन किया, एक बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ जायगी कि लोग काम नहीं करने देंगे और तरह तरह के ऐतराज करेंगे। इसलिए हम जमीन का पूरा डवलपमेंट करके देंगे तो भूमिहीन जाकर काम कर सकते हैं, अपनी रोजी कमा सकते हैं। उनको और साधन भी हम देंगे। इस तरह टेम्प्रेरी एलॉटमेंट की बात मैंने कही। अब तक 2,83,699 एकड़ जमीन तो हम परमानेन्ट एलॉटमेंट में दे चुके हैं, उसके अलावा जैसे जैसे जमीन आये उसको पहले टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिए दें, जैसे ही जमीन का डवलपमेंट हो जाय उसे हमें परमानेन्ट एलॉट कर दें। इसके लिए जो नियम बने थे, प्री 1955 के, जो 1955 के पहले के काश्तकारों के हैं, उनके अलग हैं और 1967 में बने हैं उनके लिए अलग हैं। प्री. 1955 के में तीन बार, जैसे जैसे दिक्कत सामने आयी, जैसे अभी सुझाव दिया केदार जी ने, केसरी मल जी ने दिया, जैसे जैसे सुधार की जरूरत आती गई, हम तरमीम करते गये। 1967 के बाद हमने चार बार उसमें अमेंडमेंट किया है। लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जो आप लोग उसमें सुझाव देंगे और जो उचित सुझाव होंगे उन पर कार्यवाही करके रूल्स को उचित कर दिया जायगा। रूल्स के लिए आदमी नहीं हैं, बल्कि आदमी की सहूलियत के लिए रूल्स बनाये जाते हैं। इसलिए मैं इस बात को मानता नहीं हूं कि रूल्स की अड़चन में आकर आदमियों का काम न करें इसलिए जहां भी जरूरत होगी, उचित

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
रूल्स जो भी बनेंगे उनमें आप लोगों के सुझावों के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। एक बात आपने बताई कि एक पद्मश्री ने 244 फर्जी आदमियों के नाम जमीन एलॉट करवा दी। तो इसके लिए जैसे श्री केदार जी को मालूम है, इससे पहले भी एक हाई पावर कमेटी बनी थी जिसने दो साल काम किया था लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए उस पर कोई कार्यवाही हम नहीं कर सके। अब जो कमेटी बनाई है उसकी दो सिटिंग्स हुई। उसमें अनफारचूनेट बात यह हुई कि जुझारसिंह जी को आंख का ऑपरेशन कराना पड़ा जिससे वह काफी दिन अस्पताल में रहे और धूप में जाने के काबिल नहीं रहे। इसलिए देरी हुई है। जैसे ही विधान सभा सत्र से छुट्टी मिलेगी उनसे कहेंगे कि 10-15 दिन बैठकर फाइनल करें और जितने आदमी हैं, जिनको नाजायज तौर से एलॉटमेंट हुआ है, उनको देखें। इस कमेटी में हर इलाके का जिम्मेदार आदमी रखा है ताकि वह अपने इलाके की जानकारी दे कि ये फर्जी एलॉटमेन्ट्स हुए हैं और जितने भी फर्जी एलॉटमेन्ट्स हुए हैं वे कैंसिल करेंगे।

इसके अलावा कीमत के बारे में कहा गया कि वह ज्यादा है। यह केसरीमल जी को पता नहीं, केदारजी को पता है, इन्हीं जमीनों का नीलाम हुआ था....

श्री केदारनाथ : वित्त मंत्री के सामने मत कहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिस समय यह नीलाम हुई उस समय कीमतें 15 हजार से 60 हजार रुपये तक गई। और लोगों को 17 हजार में एलॉट कर दी वह भी 15 किश्तों में रकम देनी है। इसलिए यह कहना कि कीमतें ज्यादा हैं, यह ठीक नहीं है। जो मिनीमम चार्ज कर सकते हैं आज के जमाने में वह चार्ज कर रहे हैं। उस समय यदि वह डिसीजन नहीं लिया होता तो हमें करोड़ों रुपये का फायदा होता और जिस फाइनेन्शियल कन्डीशन में आज हम हैं, वह नहीं होती, क्योंकि उस जमीन को हम भूमिहीनों के लिए 50 प्रतिशत अलग रखकर नीलाम कर सकते थे और करोड़ों रुपये हमें नीलाम में मिल सकते थे, जिसका एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम सब जमीन भूमिहीनों को दे रहे हैं लेकिन उसमें भी ज्यादातर जो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे यहां हैं। उसमें प्रावधान रखा गया है कि जिस गांव का रहने वाला है पहले वह, उसके बाद पहले जिस तहसील में जमीन है उस तहसील में रहने वाले को, उसके बाद जिस जिले में रहता है उस जिले वाले को, उसके बाद दूसरों को। इस तरह के नियम बनाए हैं जिनके नीचे हम अलॉटमैंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों के जो सुझाव आयेंगे, जितने मान्य होंगे, उनके अनुसार हम काम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि यह जो राजस्थान नहर का काम है वह तेजी से आगे बढ़े। आपने कहा कि अभी राजस्थान नहर का काम बहुत धीमा है। तो मैं बताना चाहता हूं यह बात बिल्कुल सही नहीं। सन् 1970, 1971 व 1972 में तो हमें फण्ड्स का अलॉटमैंट कम हो गया, तीन करोड़ के नीचे हुआ। तीन करोड़ में मशीनरी की मेन्टीनेन्स और स्टाफ का खर्चा हो सकता है। तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी जब काम होने की सूरत नहीं थी लेकिन भारत सरकार और राजस्थान

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
सरकार से जितना पैसा प्लान में हो सकता है, अलग दे रहे हैं और भारत के योजना मन्त्री श्री धर ने कहा है कि वह इस प्रोजेक्ट को सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मानते हैं, जिससे राजस्थान की गरीबी बहुत हद तक दूर की जा सकती है। हम आगे 10 साल तक काम चलाने की बात नहीं करते हैं बल्कि अगले पांच साल से पहले खत्म किया जाये। इसके लिए 30-35 करोड़ रुपये की जितनी भी जरूरत होगी उसके लिए योजना मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि जितना भी खर्च हम कर सकेंगे, वह पैसा हमें मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाली पंच वर्षीय योजना में हम इसको पूरा करेंगे। इससे हमारे राज्य की बहुत बड़ी तरक्की और समृद्धि होगी।

आपने कहा है कि पोंग डेम के आउस्टीज को फ़ायदा दिया गया। हमारी मजबूरी थी, हमें पानी दूसरे जिलों से लेना पड़ता है वह भी 150 मील दूर पक्की कैनाल दूसरे इलाके की हैं। जितना पानी आता है, वह हिमाचल प्रदेश से आता है। वहां पर शोर मचाते हैं, जितनी उनकी सारी बातें थीं वह मानी हैं। जिस तरह से केदारनाथ जी ने कहा, काफी लोग चले गये हैं। हमने जो अपने नियम बनाए हैं उनमें एक ब्लेंकेट रूल्स बनाए हैं कि जो कोई जमीन बेचेगा तो जो हमारी रिजर्व प्राइस है उस पर सिर्फ सरकार को ही बेचेगा, तभी जा सकता है। इसलिए कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं रहेगी। तब तक हमने उनको पत्र लिखा है कि जल्दी आउस्टीज को भेजें क्योंकि हमारी जमीन रिजर्व्ड होकर बेकार पड़ी है, उनके लिए कई करोड़ों रुपये के मकान बने हैं, वे गिर रहे हैं। हमने उनको लिखा है कि जल्दी आकर आबाद हो जायें, नहीं आते हों तो हम दूसरे किसानों को वह जमीन दे देंगे। उन्होंने लिखा है कि सात हजार लोगों को भेज रहे हैं। अगर बसना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम नहीं चाहते कि वे यहां आकर मुनाफा उठाकर यहां की जमीन बेचकर वापस चले जायें। अगर बेचेंगे तो रिजर्व प्राइस पर जो रूल्स बनाए हैं जिनको भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी माना है, उन पर हमको बेचेंगे। उसमें कोई ऐतराज नहीं। जमीन वापस देकर कभी भी जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी यह पोंग प्रोजेक्ट आगे बढ़े।

श्री केदारनाथ : मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि अगर भूमिहीन का लड़का 18 साल का है, जो हमने सीलिंग कानून पास किया, उसको भी आप अलग परिवार मानेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सीलिंग कानून यह है कि उच्चतम। इससे बड़ा किसान नहीं होगा। आप भूमिहीन के हर लड़के को मेजर मानेंगे, उसके 4 लड़के हैं तो सारी जमीन उनको देनी पड़ेगी। आप सोचें, सबको उच्चतम मानना तो ठीक नहीं। लेकिन जिनके लड़के अलग रहते हैं जिनको आय का और कोई साधन नहीं, उनको हम चाहेंगे कि जमीन दे दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका खुलासा कीजिए। वरना एक परिवार समझने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के बाद 15 बीघा से उनका गुजर नहीं होगा। बड़े लड़के के भी 4-5 लड़के व लड़कियां हों, इतने बड़े परिवार के लिए कम से कम अलग मानने की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसे किसी के बड़े लड़के हैं। एक आदमी 60 साल का है, उसका कोई लड़का 40 साल का कोई 35 साल का हो, अगर बड़ा परिवार है, अलग है तो उस पर विचार किया जाएगा। मैंने स्कीम बनाई है सारे जिलों की जहां नहर चलती है वहां का सेन्सस लिया जाए हर गांव में जाकर एस.डी.ओ. बी. डी. ओ. या तहसीलदार उनके साथ प्रधान, विधायक, सरपंच, पटवारी या पंच गांवों में जाएं, वे पहले सूचना दे दें कि हम फलां तारीख को आयेंगे और गांव में भूमिहीनों की सूची बना दें जैसे गुरदयालसिंह जी ने सजेस्ट किया था फोटो अपनी दरख्वास्त पर लगायें, फोटोग्राफर साथ हो, फार्म्स पर हर भूमिहीन की फोटो हो, ताकि कोई 4-4 बार भूमिहीन न बने। आज 6-6 गांवों में अलग अलग नामों से भूमि ले ली है। सेन्सस होगी गांव गांव की। जहां सारा गांव इकट्ठा होता है, एक आदमी कहता है कि मैं भूमिहीन हूं, दूसरा कहेगा कि इनके पास 100 बीघा जमीन है, वह गलत कहता है तो न गांव में सूची गलत बनेगी न गरीबों को अदालतों में जाकर चक्कर काटने पड़ेंगे। इस तरह से गांवों में जाकर जो सूचियां बनेंगी वे सही होंगी और उसमें एक पैसा भी किसान को खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सेन्सस करवा रहे हैं जिससे एक रजिस्टर मेन्टेन हो जाए। जैसे जैसे जमीन हमारे नीचे आती जायेगी, एलॉटमेन्ट करते जायेंगे।

श्री केदारनाथ : जिनको भूमिहीन डिक्लेयर करने के बाद ओरिजिनली 2-2 मुरब्बे मिले थे वे रेग्यूलर इन्सटालमेंट भी नहीं दे पाए। आप ऑर्डर कर दें कि सबकी जमीन बहाल होगी अगर एक किश्त ऐरियर की और एक चालू किश्त देते हैं। तो कोर्ट में अपील में जाकर कभी सफल नहीं होते।

तीसरी बात जो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मान्यवर जो टिनेन्ट्स सन् 64 के पहले से ही खेती कर रहे हैं गंग केनाल ऐरिया में उन्हें अभी तक खातेदारी राइट नहीं दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज करीब 30-30 साल पहले के काश्तकार हैं उस भूमि पर काश्त कर रहे हैं उन्हे खातेदारी हक देने में गवर्नमेंन्ट को क्या आपत्ति है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय गंग कैनाल में और भाखरा केनाल में करीबन 58 हजार एकड़ जमीन है जिसमें करीब करीब सभी जमीनों को अलॉट कर दिया गया है लेकिन कुछ जमीन इस भाखरा क्षेत्र में है करीब 10 हजार एकड़ वह ऐसी जमीन है जो अलग अलग गांवों में है कहीं पर दस बीघा है कहीं पर पांच बीघा है तो कहीं पर एक बीघा है। यह जमीन ऐसी है जो कि सीलिंग के नीचे तो आती नहीं है। ताकि उस पर सीलिंग लगादें। इसके अलावा यह वह जमीन है जो कि किसी काश्तकार के खेत के आस पास रह गयी है तो उसके लिये हमने यह आदेश दे दिये हैं कि उस जमीन की कीमत वसूल कर उन्हें दे दिया

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जाय। नहीं तो ऐसा होगा कि इन एक एक, दो दो बीघा जमीन के लिये इसमें भ्रष्टाचार फैलने की गुन्जायश रहती है। इसमें गवर्नमेंन्ट ने कलेक्टर्स को यह आदेश दे दिये हैं कि वे इन्हें नीलाम कर दें।

श्री केदारनाथ : लेकिन यह तो नीलाम करेंगे तो मार्केट रेट से करेंगे। ज्यादा पैसे लेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो अलग अलग जगहों की जमीन पर है। कहीं पर तीन हजार रुपया बीघा भी हो सकती है कहीं पर हजार रुपये बीघा भी। हम यह चाहते हैं कि यह झगड़ा हमेशा के लिये इन जगहों पर समाप्त हो जाये। जहां तक ज्यादा पैसे का सवाल है जिसके पास जमीन पड़ती होगी वह उसका फायदा जानता है और खरीद लेगा। इसके अलावा वह जमीन कैसी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसके अलावा आपने टिनेन्ट के बारे में बात कही है कि उनको खातेदारी राइट दिये जायें उसके लिये राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : केसरीमल।

श्री रुयासिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे एक मिनट बोलने का मौका दिया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भरतपुर जिले की स्थिति ऐसी है कि जमीनों के पट्टे देने के लिये पहले नोटिस निकालते हैं और जब उसमें जितनी मियाद देते हैं जैसे 15 दिन और उस मियाद में अगर कोई उसका ऊजरदार नहीं आता है या किसी की तरफ से कोई ऐतराज पेश नहीं करता है और बाद में ऐतराज नहीं आने पर एलॉट करदी जाती है और उसका पट्टा दे दिया जाता है उपाध्यक्ष महोदय, जब पट्टा काश्तकार को मिल जाता है तो उसके बाद में एक बड़ा जमीदार आता है और जाकर एस. डी. ओ., ए. डी. एम., तहसीलदार से या अपील अधिकारी से जाकर मिलता है और बाद में उसी जमीन के ऊपर अपने नाम से स्टे ले आता है। उपाध्यक्ष महोदय, वह स्टे लाता है रिश्वत देकर तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस जमीन के लिए पहले 15 दिन का नोटिस मिलने पर भी कोई उस जमीन का उजरदार बन कर नहीं आया और बाद में एक महीने बाद उसका उजरदार बन कर आ जाता है। और साथ में उस काश्तकार को बेदखल कराता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार किसानों के ऊपर केस चलते हैं और आज किसान अदालतों में मारा मारा भटकता फिर रहा है। मैं भरतपुर जिले की बात खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह अभी थोड़े समय पहले करीब 50 हजार बीघा जमीन का अलॉटमेन्ट किया गया लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ इस 50 हजार बीघा जमीन में सिर्फ 5-7 हजार बीघा ऐसी जमीन है कि जिसमें कि काश्तकारों को कब्जा मिला है बाकी के सभी केसेज अदालतों में चल रहे हैं। स्थिति आज यह है कि अदालतों के चक्कर में आज वहां का गरीब किसान कर्जदार हो रहा है और अपनी औरतों के जेवर बेच रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जरूर सुधार होना चाहिये। जब आपने पट्टे एक बार दे दिये तो फिर उनको केन्सल क्यों किये जाते हैं। क्यों उन पर स्टे दिया जाता है। मेरे ख्याल में आज भरतपुर जिले के तहसीलदार, एस. डी. ओ.

(श्री नत्थासिंह)
और ए. डी. एम. तथा अलवर में जो अपील अधिकारी हैं वह सभी रिश्वतें लेकर पट्टे केन्सल कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज हजारों बीघा जमीन के सैंकड़ों पट्टों को कैंसिल कर दिया गया है और आज किसान अदालतों में मुकदमे लड़ रहा है। तो, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप गरीब काश्तकारों को इन अदालतों में ठोकरें खाने से बचायें। आप इस प्रकार के आदेश दिलाने की व्यवस्था करें कि जब एक बार 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है और फिर आपने एक बार जमीन अलॉट कर दी है तो फिर अदालतों को चाहिये कि उन पर स्टे नहीं दें। आप ऐसे आदेश दें कि अदालतें स्टे नहीं दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी जो संकल्प आया है वह राजस्थान केनाल एरिया के बारे में आया है वहां पर एलॉटमैंट के बारे में है। आपका मामला इससे संबंधित नहीं है।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून बनना चाहिये कि पट्टे जो दिये जायें वह पक्के दिये जाने चाहियें।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने गंगानगर के एरिया में, गंग कैनाल में एक बार जिनको जमीन दी है उनके खातेदारी राइट कैंन्सिल कर दिये हैं। ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के काश्तकार हैं। उन्होंने एक दो किश्तें नहीं दी हैं जिससे यह कैन्सिल किये गये हैं। क्या राज्य सरकार जिन खातेदारों के खातेदारी राइट्स कैन्सिल किये हैं उन्हें रेग्यूलराइज करने का विचार रखती है।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जबाब नहीं आया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है यह अलग से प्रश्न है और बजट के वक्त बात करें। इसके अलावा आपने कहा कि एक बार परमानेन्ट पट्टा दे दिये गये हैं और बाद में झगड़ा पड़ जाने के कारण किसानों को अदालतों में जाना पड़ गया तो अदालतों में जो कार्यवाही चल रही है उस पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अदालतों में जो काम होता है। वह उनके कानूनी हिसाब से होता है। अदालतें किस जमीन पर स्टे दें यह जूडिशियल पॉइन्ट से विचार करके कानूनी जो भी होता है, करती है। इसके अलावा केदारजी ने यह बात कही कि जो भूमिहीन काश्तकार हैं और जिन्हें खातेदारी अलॉटमैंट हो चुका था और उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें एक दो किश्त नहीं देने पर ही उनका एलॉटमेन्ट कैन्सिल कर दिया है और उनके लिये विचार किया जाना चाहिये।' इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि इनमे ऐसे लोग भी हैं जिनको सन् 57 में अलॉटमेन्ट हुये थे और उन्होंने आज तक दो किश्त भी नहीं दी हे तो ऐसे केसेज में गवर्नमेन्ट के पास कोई चारा नहीं है कि वह उन्हें नोटिसेज नहीं दे। क्योंकि जब तक नोटिसेज नहीं दिये जाते वे लोग पैसे जमा नहीं कराते हैं और अगर पैसे जमा नहीं करायेंगे तो फिर इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। इसलिए सरकार को सख्ती

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

बरतनी पड़ती है । उपाध्यक्ष महोदय, आज 15-15 और 17-17 साल हो गये हैं उन्होंने किश्तें जमा नहीं कराई हैं जबकि उन्हें कैनाल ऐरिया में पानी मिलता है फसल भी होती है फिर क्या कारण है कि उन्होंने किश्तें क्यों नहीं चुकाई ? अगर एक साल किश्त नहीं चुकाता और दो साल नहीं चुकाता और इस प्रकार तीन साल तक जो किश्त नहीं चुकाता तो फिर वह एक साथ किश्तें कैसे चुकायेगा ? तो फिर ऐसे लोगों के लिए सरकार को नोटिसेज देकर बेदखल करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर उन्होंने पहली किश्त और बीच में और किश्त देदी है तो उनका कब्जा नहीं माना जायेगा ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर दी है, लेकिन जिन्होंने 15 किश्तें नहीं दी हैं, एक भी किश्त नहीं दी है उनको क्या सहूलियत दें वो तो 15 साल की एक साथ क्या किश्त देगा वह तो जमीन छोड़कर भाग जायगा। अगर मजबूरी है, कुछ किश्तें दे दी हैं तो अलग बात है लेकिन जहां तक हो सके उन्हे किश्तें देनी चाहिये ।

श्री केदारनाथ : पढ़े लिखे बेकारों को आप को-ऑपरेटिव बेसिस पर फार्मिंग के लिये इन्सेन्टिव देने के बारे में क्या कर रहे हैं ? ताकि बेकारी मिटे, अच्छा फार्मिंग हो और कम्यूनिटी बिल्ड हो ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा पहले मैंने निवेदन किया था। एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिये हमने रिजर्वेशन किया है। इसके अन्तर्गत अभी हमने करीब 98 ग्रेजुएट्स को जमीन दी है एक एक मुरब्बा के हिसाब से। पर इनके अलावा सभी प्रकार के इन्जीनियरों को अगर देने लगें तो यह हमारे लिये सम्भव नहीं होगा और वे तब लैंड-लैस टिनेन्ट या एग्रीकल्चरिस्ट की तालिका में भी नहीं आवेंगे । न इतनी जमीन ही हमारे पास है । बी. एस. सी. एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स को हम दे ही रहे हैं जिन्होंने एक तरह से वहां कृषि पर अनुसन्धान किया है और अपनी योग्यता बढ़ाई है और जिनको इस क्षेत्र में अर्से से रुचि रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीमल । जवाब में कुछ कहना चाहे तो ?

श्री केसरीमल : वैसे मन्त्री महोदय को सुनने के बाद तसल्ली हुई है। इसलिये इतना ही निवेदन करूंगा कि वे कुछ खामियों को दुरुस्त करें। मैं केवल तीन बातों पर जोर डालूंगा कि जिन लोगों के 55 के लोन के प्रमाण-पत्र की बात कही है उसको और ज्यादा किया जावे और जो चुने हुए लोग हैं उनसे वे प्रमाण-पत्र ले सकें इसकी छूट होनी चाहिये ।

कीमतों के बारे में भी कहना है । मन्त्री महोदय ने कहा है कि कीमतें ज्यादा नहीं हैं । फिर भी ऐसा लगता है कि जमीनें छोड़कर जो लोग जा रहे हैं इसका कारण यही है कि वे ये कीमतें भी दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनकी जमीनें उपजाऊ बनें और उनसे ठीक पैदावार वे ले सकें। इसके लिये उस जमीन को समतल बनाने हेतु या उस भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सरकार मदद करे उनकी। मैं इसको अति आवश्यक समझता हूं। खास तौर से जो हरिजन और जनजाति के लोग हैं उनको तो नाकाफी कीमत पर ही जमीनें दी जावें तो अच्छा है।

(श्री केसरीमल)

तीसरी बात जो पहले कह चुका हूं उसी को दोहराता हूं कि दो दो साल तक उनके फंसलें न हों तो उनको बेदखल नहीं किया जावे और जिस तरह से मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया है उस तरह से एक चालू और एक पुरानी किश्त लेकर उनको जमीनों पर बहाल रखा जावे। उनको रेगूलराइज करके उनकी जमीन उनके ही हाथों में रहने दी जावें। मुकद्दमेबाजी में उनको उलझाकर उनको परेशान न किया जावे। इससे भी वे परेशान होकर खेती की तरफ पूरा समय और ध्यान नहीं दे पाते हैं।

जिन लोगों को जैसा आपने बताया स्थायी करने जा रहे हैं साल दो साल वाले हों तो अलग बात है, वरना तो जो वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं उनको अस्थायी अलॉटमैन्ट में रखना उचित नहीं होगा। व्यर्थ में अदालतों के चक्करों से उनको बचाया जाना चाहिये। ऐसा रास्ता निकालना चाहिये कि अमुक सालों के बाद स्वत: ही उनका अलॉटमैन्ट स्थायी समझ लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रोफेसर साहब, आप अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे सारे ही मिलकर ?

श्री केदारनाथ: सारे ही मिलकर हम अपना संकल्प वापिस लेने की स्वीकृति चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय केसरीमल जी, आप भी अपना संकल्प वापिस लेंगे ?

श्री केसरीमल: वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको अपने संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री केदारनाथ: मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री केसरीमल: मैं भी अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: संकल्प वापिस लिया गया। श्री श्रीराम गोटेवाला। संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

संकल्प राजस्थान के मरु क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय समिति के निर्माण सम्बन्धी

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"सदन की राय है कि राजस्थान के मरु क्षेत्र के विकास के लिये एक क्षेत्रीय समिति (Regional council) का निर्माण किया जाना चाहिये तथा मरु क्षेत्र के विकास के लिये निर्धारित धनराशि उपरोक्त समिति की सिफारिश पर व्यय की जानी चाहिये।"

मैंने, राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में, मरुस्थल के विकास के सम्बन्ध में, सैंकड़ों फीट ऊंचे ऊंचे टीलों के विकास के सम्बंध में राजस्थान की कुल धरती साढ़े छः करोड़ एकड़ में से लगभग 4,64,90,000 एकड़ धरती जो डेजर्ट जोन या सेमी डेजर्ट जोन की परिभाषा में आती है और जो

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कुल धरती का करीब 74 प्रतिशत बनता है, उसके विकास के सम्बन्ध में, अपने इस संकल्प द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इसके लिये एक अलग से बोर्ड बनाया जाय। ताकि वह इसके लिये एक योजनाबद्ध तरीके से विकास का रास्ता खोज सके और उस पर अमल करने का रास्ता सरकार को बता सकें।

जहां तक मेरी जानकारी है इसी उद्देश्य को लेकर एक डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड भी बना था और उसने कुछ सिफारिशें भी सरकार को की थीं।

जब से मेरा यह संकल्प स्वीकार होने के नम्बर पर आया, तब से मैंने इन सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पर सरकार से इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई। भीमसेन जी भी इस काम में मेरे साथ थे।

इसके अलावा सेण्ड ड्यून्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट भी एक बना था जिसने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी बताते हैं, पर इस सम्बन्ध में भी कोई जानकारी सरकार के दफ्तरों से हमें नहीं मिल सकी।

थोड़े दिनों पहले मैं अपने एक साथी माननीय सदस्य, जिनका क्षेत्र स्वयं का एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका रहा है, फलौदी के श्री मोहनलालजी छंगाणी, उनके साथ में भारत के प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से इस बारे में मिले थे और निवेदन किया था और मांग भी की थी कि राजस्थान जिसकी धरती का 74 प्रतिशत मरुस्थल की श्रेणी में गिना जाता है उसके डवलपमेन्ट के लिए और आए दिन पड़ने वाले अकाल को समाप्त करने के लिए हमें केन्द्र द्वारा उचित सहायता प्रदान की जावे।

उन्होंने और वहां के माननीय वित्त मंत्री जी ने भी, हमारे इस कथन और हमारी इस मांग के उत्तर में कहा कि आपको जो सहायता केन्द्र से दी जाती है उसका अधिकांश आप लोग बेकार के कामों में खर्च कर देते हैं तो इसके लिए केन्द्र सरकार क्या करे 220 करोड़ रुपया सड़कों के नाम पर और अकाल राहत के नाम पर इधर उधर के अनियोजित और छोटे मोटे कामों पर लगा दिया है। राजस्थान ने केन्द्र को आज दिन तक ऐसी कोई सुनियोजित योजना नहीं दी कि जिसके आधार पर वहां के मरुस्थल का विकास करने के लिए हम आपकी सहायता करते।

उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर हमें वहां से मिला। मैं और निवेदन करूं कि दिल्ली में सन् 51 में एक कान्फ्रेन्स हुई जिसमें भी यह निर्णय लिया गया था उस समय कि राजस्थान के रेगिस्तान को मिटाने के लिए एक सुनियोजित विकास के लिए योजना बने। जयनारायण जी व्यास, भूतपूर्व राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने इसमें रुचि भी दिखलाई थी और कुछ योजना का अंश कार्यरूप में परिणित करने के रूप में पेड़ लगाने की योजना प्रारंभ भी हुई थी। पर बाद में उसका क्या हुआ, कुछ पता नहीं। स्वयं प्रधान मन्त्री ने राजस्थान के इस रेगिस्तान के विकास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी उनकी इसमें दिलचस्पी भी थी। उन्होंने कहा भी कि वहां बड़े बड़े लंबे लंबे क्षेत्र में

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

काफी पेड़ लगाइये, इक्लिप्टिस के पेड़ लगाइए और इस तरह के पेड़ लगाइए कि जिससे कम से कम यह रेगिस्तान आगे बढ़ने से तो रुके। नहीं तो वहां के बड़े बड़े टीले आंधी के रूप में उड़ उड़ कर हर साल राजस्थान की उपजाऊ धरती वाले हिस्से को भी बरबाद करते जा रहे हैं वह और अधिक बरबादी करेंगे। तो कम से कम वह बरबादी तो रुके।

तो उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि यह सही है कि विगत अकालों में राजस्थान की सरकार ने एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। यह भी सही है कि यहां का बहुत बड़ा पशुधन भी बचा लिया गया हालांकि हर बार अधिकांश में वह राजस्थान से बाहर जाता रहा, कुछ हानि भी हुई, पर इसके बावजूद भी उनकी प्राण रक्षा की काफी सीमा तक व्यवस्था की गई। पर मैं योजना मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे काफी मात्रा में इनके योग्य आवश्यक चारे के उगाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते थे यहां पर। क्या विगत 25 वर्षों के शासन काल में राजस्थान की सरकारें इतना भी नहीं कर सकती थीं कि उन इलाकों में मनुष्यों के लिए आवश्यक पीने के पानी की और घास पशुओं के आवश्यक मात्रा में पैदा हो सके उतने सिंचाई के साधन भी नहीं जुटा सकती। जबकि आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया के अन्य देशों ने हमारी तरह की ही रेगिस्तानी भूमि की सारी ही समस्याओं को हल कर लिया है, हल ही नहीं कर लिया, बल्कि उनको लहलहाती भूमि में बदल दिया। और आज वे न जाने कहां से कहां पहुंच गए।

तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि मैं कोई इस तरह का सवाल नहीं करना चाहूंगा पश्चिमी और पूर्वी भाग के बारे में कि जिससे पृथकता की भावना का आभास भी मिले। पर एक बात अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नोत्तर काल में जब माननीय अकाल राहत मन्त्री जी जवाब दे रहे थे आमेर से आने वाली माननीय सदस्या शकुन्तला जी के प्रश्न का जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जयपुर जिले को सबसे ज्यादा गेहूं का कोटा दिया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले को कोटा दिया गया है, आपके आंकड़े दिये गये हैं, 3,300 टन का कोटा जयपुर जिले को दिया गया और जोधपुर जिले को अनाज का कोटा दिया वह 2,300 टन है। जयपुर जिले की आबादी 21 लाख और जोधपुर की 11 लाख। 200 करोड़ की राशि खर्च की गयी और उसका यह उपयोग बता सके हैं। दिल्ली में सब जगह यही सुनना पड़ा चाहे योजना मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो और चाहे प्रधान मंत्री हो कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के लोग मरुस्थल को समाप्त करने के लिये प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। वे तो चाहते यही हैं कि यहां पर सड़कें हो जांय राहत के काम हो जांय, टेम्परेरी काम हो जायं तात्कालिक राहत मिल जाय लेकिन स्थायी काम के लिये कोई बात नहीं करना चाहता।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी

Page No.73

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जवाब दे रहे थे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। इसी प्रकार का असहयोग रहा और वातावरण रहा तो राजस्थान में यह हो सकता है कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का इश्यू खड़ा हो। आज अकाल के नाम पर सारा रुपया उधर खर्च हो जाय और हमारे यहां पर हम बात करें कानोता बांध की, बस्तीपुरा के बांध की कि इनको बना कर लोगों को पीने का पानी और सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करायें तो यहां यह जवाब मिलता है कि क्या करें हमारे पास साधन नहीं हैं। वित्त मंत्रीजी की कठिनाई को मैं जानता हूं और अकेला राजस्थान अपने साधनों से इतना विशाल रेगिस्तान को जिसकी लगभग 4½ करोड़ एकड़ जमीन है, उसका विकास नहीं कर सकते हैं, इसके लिये इस प्रकार की एक रीजनल कौंसिल बनायें, स्वायत्तशासी निगम बनायें, जो योजना बनावें, उनमें विदेशी विशेषज्ञों को चाहे वे इजराइल से आये हों, हमारे देश में भी एक्सपर्ट उपलब्ध हैं रिसर्च इन्स्टीट्यूशन वालों को योजना बनाने के लिये आमन्त्रित करके यह करावें। यह जिम्मेदारी केवल राजस्थान की ही नहीं है किन्तु भारत सरकार की भी है।

राजस्थान केनाल जो एक वरदान के रूप में सामने आ रही है जिस पर 100 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। जितनी भी योजनायें हैं अकाल और सिंचाई की उन सब में मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान केनाल का जो लक्ष्य रखा था वह प्राप्त नहीं कर सके और हम विफल रहे और जितनी जमीन अलॉट करनी चाहिये थी, सिंचाई के क्षेत्र में लायी जानी चाहिये थी उस सारी जमीन को नहीं ला पाये।

साधनों की कमी की बात कही जा सकती है और कहा भी जाता है, सारे साधन यदि एक ही समस्या पर लग जाते हैं और वह भी अस्थायी हल पर तो आप सोच सकते हैं कि साधनों की क्या स्थिति होगी वह भी उस स्थिति में जब यहां पर यह कहा गया कि करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्य बात थी कि मरुस्थल को विकसित करके स्थायी व्यवस्था कर लेते जिससे अकाल की कभी बात ही नहीं रहती, मैं यह मानकर चलता हूं कि इन सब में हम असफल रहे हैं। सारा रुपया चाहे पशुपालन के नाम पर हो, चाहे अकाल के नाम पर हो, चाहे जंगलात के नाम पर, चाहे इर्रीगेशन के नाम पर लगा हो इस प्रकार अतरतीब रूप से लगाया गया जिससे कि राजस्थान को पूर्ण रूप से विकसित कर पाते वह नहीं कर पाये। आज भी योजना मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि रेगिस्तान के विकास के लिये आपने क्या व्यवस्था की है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर है उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है, सर्वे करवा कर विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि इस क्षेत्र में पानी उपलब्ध है उसको ऊपर लाने के लिये क्या योजना है आपको। उस सारी योजना को क्रियान्वित करने के लिये राजस्थान के पास कोई साधन नहीं हैं। राजस्थान अपने बल बूते के ऊपर उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। राजस्थान के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा बोर्डर लगता है और वह सारा का सारा रेगिस्तान के रूप में पड़ा हुआ

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

है। भारत सरकार के सामने योजना बना कर सम्पूर्ण रूप से रखिये, उसमें मरुस्थल के विकास की बात हो, पशुपालन के सम्बन्ध की बात हो, सिंचाई के सम्बन्ध की बात हो और पीने के पानी की उपलब्धि की बात हो। ताज्जुब वाली बात तो यह है कि जिस तरह से पहले राजस्थान केनाल का लक्ष्य रखा गया था कांडला पोर्ट तक पहुँचाने की बात थी, पहले यह तय किया गया था कि इसको हम सन् 70 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन आर्थिक साधनों की बात पहले भी कही गयी थी, यह बात समझ में नहीं बैठी कि भारत सरकार के लोग यह कहते हैं कि उत्पादक योजना दो, इस प्रकार की योजना आये कि जिससे हमेशा के लिये मरुस्थल समाप्त हो। फन्ड्स के लिये यह कहा जा सकता है कि कहां व्यवस्था करें। लेकिन वर्ल्ड बैंक तो देता ही है, इन्टरनेशल डेवलपमेन्ट बोर्ड भी फन्ड्स देने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार एक निगम की स्थापना करके, रीजनल कौंसिल बना कर ये सारे काम किये जायें। चारों तरफ से यह बात आती है तो हर बात में धन की कमी की बात कही जाती है। जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर का प्रश्न होना है तो यह कह दिया जाता है कि हमारे पास साधन नहीं हैं। यह बात सही है कि राजस्थान केनाल पर सारे साधन लगा दिये गये उसके बावजूद भी उस स्थिति में तब आ सकेंगे जबकि भारत सरकार से हमको पूरे साधन मिल सकेंगे। 800 करोड़ के लगभग हमारे पर कर्जा है, वह अकाल और इन्हीं योजनाओं का है। जैसा कल भी कहा गया था कोटपूतली बांध की बात मेरे साथी कर रहे थे। वे कह रहे थे कि साधन नहीं हैं। पीने के पानी की उपलब्धि की बात है। स्वर्गीय मिर्जा इस्माइल जब यहां के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय सवाई माधोपुर का बांध और बांदीकुई के पास में बड़ा बांध बनाने की योजना थी। पिछले 25 वर्ष में जितनी भूमि पहले सिंचित एरिया में थी एक इन्च भी अधिक सिंचित एरिया में नहीं आयी है। वहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है यदि पानी की व्यवस्था की जाय तो उत्पादन काफी हो सकता है रूरल इलेक्ट्रिफिकिशेन के जरिये कुओं को इलेक्ट्रिफाई करके जमीन को उपयोगी बनाया जा सकता है।

मैं बांधों के बारे में निवेदन कर रहा था, सारा पैसा, सारे फन्ड्स आर्थिक साधन राजस्थान के दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, और यहां के विकास की मांग यह कह कर समाप्त कर दी जाती है कि साधन नहीं है, भाई रुपया नहीं है, पहले लोगों को भूख से बचाना है। और यह घोषणा कर दी जाती है कि लोगों को भूख से नहीं मरने देंगे चाहे कुछ भी हो जाय। ठीक है भूख से नहीं मरने देंगे और न ही मरने देना चाहिये लेकिन लोग अब इस व्यवस्था को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रेगिस्तान पड़ा रहे और समाप्त न कर सकें। जो रफ्तार आज तक रही है, मुझे माफ कीजिये, लोग अब माफ करने वाले नहीं हैं। लोगों में होड़ लगी हुई है कि किस प्रकार तेजी से प्रगति करें। आज लाखों लोग राजस्थान में बेरोजगार हैं। उनको रोजगार देने के लिये साधन चाहियें कम से कम खर्च में साधन जुटाये जा सकते हैं। उस इलाके के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बारे में निवेदन करूंगा जहां कोई योजना नहीं है। खर्च करने की बात आती है तो साधनों के अभाव की बात कह कर सारी बात को टाल दिया जाता है। आप एक रीजनल कौंसिल बना कर स्वायत्त निगम बना कर ऐसी व्यवस्था करें जिससे सारे खर्चे की जानकारी हो और राजस्थान का यह मरुस्थल का हिस्सा विकसित होकर देश के विकास में योग दे सके।

आज केन्द्रीय सरकार डॉ. के. एल. राव बैठे हैं। गंगा और कावेरी की बात करते है। हजारों करोड़ का खर्चा है यह कब पूरी होगी यह पता नहीं। सर्वे पर सैंकड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा। यमुना को दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है। मैं योजना मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या हमने इस बात की कोशिश की कि यमुना को गंगा में नहीं मिलने देंगे बल्कि उसको राजस्थान के उन टीलों पर डाला जाय जो उपजाऊ होकर राजस्थान के लिये ही नहीं किन्तु हिन्दुस्तान के लिए अन्न आदि के उत्पादन में पूरा योगदान दे सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं पहले योजनायें थीं। झुंझुनू को लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा पानी देने की योजना थी लेकिन वे सारी योजनायें क्योंकि राजस्थान पर बहुत बड़ा भार है, ऐसी स्थिति है जिससे दूसरे क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में सोच नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो जमवारामगढ़ जिसका पानी आज जयपुर शहर के लोग पीते हैं उसके द्वारा 20 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। लेकिन आज वहां के निवासियों को पानी पिलाना आवश्यक है, अगर पानी नहीं पिलाया गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बस्सी तहसील और जमवारामगढ़ तहसील जिनकी 30 हजार एकड़ भूमि आज पानी के बिना बरबाद हो गई।

आज 25 सालों में सिंचाई के बांध बनाने में कोई पैसा यहां पर खर्च नहीं किया गया। जिस योजना का सर्वे हो चुका है और सर्वे में चार करोड़ का व्यय भी हो चुका है लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं की गई। बीसलपुर योजना बनाकर जयपुर को ही नहीं, अजमेर, नसीराबाद और टौंक और उसके अलावा हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की समस्या हल होने वाली थी लेकिन वह नहीं की गई। माननीय उपाध्यक्ष जी उस योजना को यह कहकर टाला गया कि धनराशि का अभाव है। हम उसको हाथ में नहीं ले सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं आज इन सारी बातों के बारे में आंकड़े किस किस जिले के अन्दर कितना कितना खर्च इस सारे काम को करने में होंगे, नहीं बताया गया। इन 25 सालों में कितना कितना खर्च किया गया, यह भी नहीं बताया गया। आज आप बिजली, सड़कें और पानी तथा मिनरल डवलपमैंट की योजना-बद्ध विकास की बात सोचें। इस प्रकार के आंकड़े रखें कहां पर कितना खर्च हुआ है। उन सबके बारे में जितनी सुविधायें उपलब्ध करनी थीं वह कितनी करा पाये। क्षमा करें, मैं साफ शब्दों में कहूं इन जिलों में पूरी उपेक्षा बरती गई।

हम हमेशा के लिये इस रेगिस्तान के नाम पर, अकाल के नाम पर सैंकड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद यह जिन्दगी भर बर्दाश्त कर नहीं चल सकते हैं। हमको प्रयास करना होगा कि राजस्थान के भू-भाग को विकसित करने के लिये अलग से योजना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बना कर राजस्थान की मरुभूमि के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि हमको यहां के विकास के लिये धन देना होगा। लेकिन क्षमा करेंगे जो माननीय योजना मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं उसमें अगली फाइव ईयर प्लान के एन्ड में 116 करोड़ का प्रावधान पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये रखा है।

जब लोग सुनते हैं दुनिया के दूसरे लोग चांद पर पहुंच गये हैं और आज हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। अण्डर ग्राऊन्ड वाटर बोर्ड की जो स्थिति है और उसका जिस प्रकार का काम चल रहा है जितना विकास और जितने ट्यूब वैल्स का निर्माण करना चाहिये था उसकी भी कोई योजना नहीं है। यह बात मैं नहीं कहता, यह बात कहते हैं भारत सरकार के योजना मंत्री श्री डी. पी. धर। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि राजस्थान के लिये प्रति वर्ष 200 ट्यूब वैल्स की योजना बनाकर दीजिये। जिन जिलों में मरुस्थल है उसके बारे में हम योजना नहीं बना पाये इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सारे अकाल की समस्या, राजस्थान की प्रॉबलम और केवल मात्र यह कह कर चलते रहें कि हम भूख से किसी को नहीं मरने देंगे। यह ठीक है, हम भी इसको मानते हैं लेकिन हमारे यहां स्थिति यह है कि 60 पर्सेन्ट लोग पावर्टी से बिलो हैं और जो हमारी पार्टी का लक्ष्य है और जिसके लिये हम विधान सभा के प्रांगण में बैठे क्या कर रहे हैं। हम उन हजारों-लाखों लोगों के लिये जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं है, क्या कर रहे हैं ? उनके लिये जिनके पास पीने का पानी नहीं है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैंने यह निवेदन किया ....दो मिनिट में बात समाप्त कर रहा हूं....... मैंने अलग से निवेदन किया है कि मरु क्षेत्र के लिये जो निर्धारित समिति है उस समिति की सिफारिशों पर धनराशि व्यय की जानी चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प के लिये समय पर ......

श्री पी. के. चौधरी : कोई समय नहीं है संकल्प पर.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था एक यहां अलग से रीजनल कौन्सिल की स्थापना की जाय। आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था यहां के विकास की, मरुभूमि के विकास की एक समुचित योजना बनाई जाय और उस योजना में इस बात का ध्यान रखा जाय कि सेन्ट्रल ऐरिड इन्स्टीट्यूट ने जो सुझाव दिये थे, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका आज तक पता नहीं है उनको दिये जाय, मैं और भीमसेन जी दोनों इसके लिये परेशान हैं कि ये योजनायें मिल जाय ताकि तथ्यपूर्ण बात करें लेकिन कुछ नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत निवेदन करना चाहता हूं इस बात के लिये

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
प्रयत्न करें कि किस प्रकार से राजस्थान की इस मरुभूमि के विकास के बारे में कदम उठाये जा सकते हैं, किस प्रकार यमुना का पानी राजस्थान में मोड़ा जा सकता है, किस प्रकार सरस्वती, जिसके बारे में जोरों से कहा जाता है हनुमानगढ़ और चूरू जिले में सैकड़ों साल पहले बहा करती थी, वह कहां गई। इन सारी बातों की जांच करवायें।

हरियाणा की बोर्डर में यह जमीन दबती है। उसकी योजना बनाकर प्लान तैयार करें और उस धनराशि से इस मरुभूमि को विकसित करें जहां हजारों और लाखों एकड़ में टीले पड़े हुये हैं। उस क्षेत्र की सम्पूर्ण योजना बनायें और उसके विकास के लिये भारत सरकार से दबाव डालकर चाहे बोर्डर का इश्यू बनाकर और वह है इश्यू कोई नया नहीं बनाना है—करोड़ों एकड़ जमीन को विकसित करने के लिये प्रयास करें।

इसके साथ में अब यह भी निवेदन करना चाहूंगा हमारे सारे जिले भयंकर रूप से अकालग्रस्त हैं और सरकार आर्थिक स्थिति की बात कह कर जो उपेक्षा कर रही है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा आज का पढ़ा लिखा आदमी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सारी चीजें दूसरे क्षेत्रों में होती रहें और यहां विकास न हो। एक बात और ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है—एक हजार प्राईमरी स्कूल खोले गये हैं और एक हजार प्राईमरी स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है। मैं बधाई देता हूं शिक्षा मंत्रीजी को बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसमें एस. टी. सी. ट्रेण्ड टीचर्स को रखे जाने की घोषणा की है। यह एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। सारे एस. टी. सी. ट्रेण्ड व्यक्तियों को रोजगार दे दिया।

अब जहां कहीं भी इस प्रकार की बात आई—आन्ध्र में मुल्की कानून आया और वैसा ही हमारे यहां भी किया और इस नाम से किया कि जिलों के लोग वहां पढ़ाने के लिये नहीं जाते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं करें। मेरा यह निवेदन है कि फलां एस. टी. सी. स्कूल के अन्दर उस जिले के आदमी को प्रवेश नहीं मिलेगा तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। और व्यापक रूप से असन्तोष फैलेगा और उस असन्तोष का सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जायेगा। हम राजस्थान को टुकडों में विभाजित नहीं देखना चाहते हैं। हम समूचे राजस्थान का विकास देखना चाहते हैं। जब हम यहां इण्डस्ट्रियेलाइजेशन की बात करते हैं, जब अन्य साधनों की बात करते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है कि जोधपुर के अन्दर ट्रैक्टर का कारखाना खोला जाये-हम सारी बातों के बारे में बात करते हैं लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हम ऐसी हालत पैदा कर रहे हैं कि यह स्थिति पैदा हो। आज यह कर सकते थे कि जो एस. टी. सी. ट्रेण्ड नहीं जाते हैं उनका एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में नाम काट दिया जावे। लेकिन इस आधार पर यह व्यवस्था करते हैं तो माफ कीजिए आप और हम इस प्रकार का भेद पैदा करने की स्थिति पैदा करते हैं जिससे राजस्थान के अन्दर भयंकर आग

Page No.78

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

भी लग सकती है। इसलिये मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मेरे संकल्प रखने का जो मकसद है और जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने यह कार्य किया है, मेरा एक ही कार्य है कि किस प्रकार से राजस्थान सारा विकसित हो और मरुस्थल के विकास के लिए साधन जुटा पायें, लाखों लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था करके बाकी जो आज जमीन है और बहुत उपजाऊ जमीन है लेकिन पानी के बिना वह धरती बिलकुल बेकार पड़ी है और टीबे बढ़ते बढ़ते हमारे सारे राजस्थान की स्थिति को खराब कर रहे हैं और मैंने इसलिए सुझाव रखा है कि जो हमारे साधन सारे एक तरफ लग जाते हैं और दूसरी तरफ का क्षेत्र बिलकुल ही उपेक्षित पड़ा रहता है और आप कहते हैं कि हमने 50 लाख रुपया जयपुर शहर के लिए दे दिया। बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए तो मैं आपको मुबारक बाद देता हूं लेकिन यह कह कर कि सारे उस जिले की, सारे उस डिवीजन की और सारे लोगों की तुलना में देखिये कि कितना रुपया यहां के टोटल विकास के ऊपर किस किस तरह से खर्च हुआ और कितना रुपया राजस्व के रूप में इन जिलों से प्राप्त हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अगले फाईव ईयर प्लान का एप्रोच पेपर पढ़ा है। उसमें आपकी योजनायें हैं, जो करना चाहते हैं उसको भी मैंने देखा और उसी के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का असन्तुलन कायम रहा तो निश्चित रूप से आप मानकर चलें कि यहां के लोग असन्तुष्ट रहेंगे और आन्दोलन करने के लिए खड़े होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि जहां मरुस्थल के विकास के लिए योजना बनायें वहां सारे इलाके के लिए ट्यूबवेल्स की, अण्डर ग्राउण्ड वाटर की योजनायें भी बनायें।

मैं आपको गुजरात के बारे में कहना चाहता हूं। गुजरात में बहुत अच्छा सिस्टम किया है। जो ट्यूबवेल बनाते हैं उसके लिए 60 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार तुरन्त देती है। यहां की तरह नहीं है कि महीनों चक्कर खायें और जितना अनुदान मिले उसका 30-40 पर्सेन्ट तो रिश्वत में ही चला जाये। वहां की स्थिति इस प्रकार की नहीं है और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से रेगिस्तान को रोकने के लिए योजना बनाई है। मैंने अकाल के इस सिलसिले में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ मंत्रियों से बातें की थीं। गुजरात वाले कह रहे थे कि हमने 46 करोड़ रुपया लिया है और वह इस काम में लगा रहे हैं और इस तरीके से लगा रहे हैं जिससे आइन्दा के लिए गुजरात में अकाल का नाम ही नहीं रहे। इसी तरह से महाराष्ट्र को 90-92 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। वहां भी मैंने बात की। हालांकि वहां की स्थिति अच्छी है लेकिन उन्होंने योजना बनाकर जिससे उन्हें वर्षा के ऊपर निर्भर न रहना पड़े उस काम के लिए उन्होंने रुपया बचाया और वहां सारा काम हो रहा है और यही स्थिति मैसूर की है। हमारे यहां पर अगर केवल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ही हमने डिपेण्ड किया और यह मानकर चले कि यही रेगिस्तान को हरा भरा कर देंगे तो क्षमा कीजिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

Page No.79

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। यहां जो हमारी पार्टी के लोग हैं या और लोग जो हमारे साथ में जीतकर आये हैं और जिनके दिमाग में राजस्थान का नक्शा है, जो राजस्थान को हरा भरा बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं और लोगों की भलाई करना चाहते हैं उनको साथ में लेकर आपको योजनाओं को कार्यान्वित कराना होगा और यदि इस इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेशन को सारे कामों से दूर रखा जावेगा तो उसके परिणाम निश्चित रूप से भयंकर होंगे। यहां आने वाले माननीय सदस्यों ने कई बार जिक्र किया है और यह सही है कि सचिवालय स्तर पर भ्रष्टाचार खतम हुआ है, मंत्रीस्तर पर भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं है लेकिन जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर और नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार पहले का जितना ही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है और यहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो अंग्रेजों के जमाने से थोपे हुए हैं उनमें वह स्वप्न लेने की क्षमता नहीं है, उनमें काम करने की क्षमता नहीं है जिससे कि वह लक्ष्य बनाकर राजस्थान के सारे हिस्से को विकसित करने के लिए अपना काम कर सकें। तो मैं पुनः यही निवेदन करता हुआ कि आप मरुस्थल के विकास के लिए रीजनल कौंसिल बनायें और जितना खर्चा हो, जितने साधन हैं वह सारे साधन कौंसिल के माध्यम से खर्च किये जायें।

दूसरे इन सारे जिलों के ऊपर भी चाहे वह ग्रामों के विद्युतिकरण की बात हो, चाहे अण्डर ग्राउण्ड वाटर की बात हो, चाहे बांध बनाये जाने की बात हो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारे राजस्थान की योजना बनाकर सारे काम को करें। मैं इसी आशा के साथ यह सारा सदन मेरी इस बात का समर्थन करेगा कि मैंने जो मांग की है मरुस्थल के विकास के लिए रीजनल कौंसिल बनाने की--और वह मांग भी केवल मैंने ही नहीं की जहां तक मुझे स्मरण है राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में उसका जिक्र किया है। जब राष्ट्रपति पधारे उस समय भी चर्चा हुई थी कि हमें राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने के प्रयत्न करने होंगे और उसके लिए अलग से आर्गेनाइजेशन बनाना होगा और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जो स्थिति पहले वाले बोर्ड की हुई वह इस डवलपमेंट कौंसिल की नहीं हो जाये। इसको पूरे अधिकार देकर स्वायत्तशासी निगम के रूप में बनाना होगा और मैंने अन्य जिलों के बारे में निवेदन किया उनके बारे में सोचकर और योजनायें बनाकर जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना आने वाली है उसके बारे में आपको प्रयत्न करने होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन!

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार है:--

"संकल्प की अन्तिम पंक्ति में निम्न शब्द और जोड़े जावें"

"तथा मरु विकास हेतु योजना निर्माण एवं क्रियान्विति की देखरेख की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होगी।"

(श्री भीमसेन)

उपाध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान हमारे राजस्थान के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग रेगिस्तान है और यह रेगिस्तान प्रति वर्ष हमारी उपजाऊ भूमि को निगलता जा रहा है। हमारे रेगिस्तान में वहां के इन्सान जो वहां की कठिन स्थितियां हैं उनको वर्दाश्त करने वाले हैं और वहां का जो पशुधन है वह भी वहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन्स को फेस करने वाला है। वहां पर अच्छी गायें, अच्छी भेडें, अच्छे नस्ल के ऊंट होते हैं। तो मैं समझता हूं कि रेगिस्तान का जो विस्तार धीरे धीरे हो रहा है उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। हमारे राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपने राज्य के साधनों से इस विशाल मरुस्थल का विकास कर सकें, उसको स्टेबलाइज कर सकें।

मैं समझता हूं कि हमारा जो राजस्थान का मरुस्थल है जिसमें कम से कम दस जिले राजस्थान राज्य के आते हैं हमारे राज्य का बहुत बड़ा भाग इसमें लिप्त है उसके लिए योजना बनाना निहायत आवश्यक है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखते हुए इस बात का जिक्र किया कि इस राजस्थान के रेगिस्तान के विकास के लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता होगी। हमारा मरुस्थल जिस ढंग से बढ़ रहा है और यह भी कहा जाता है कि मरुस्थल की जो जनसंख्या है, आबादी है और पशुधन की जो संख्या है वह भी तेजी से बढ़ती है। हमारे राज्य के दूसरे इलाकों के मुकाबले यहां की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है, पिछले वर्षों में यहां का रेगिस्तान इस तरह से बढ़ रहा है कि हर साल अकाल पड़ते रहते हैं। अकाल की भयंकरता के कारण जो इसके रिकरेंस हैं वह भी बहुत बढ़ता जा रहा है और यह समस्या हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है और इसके लिए उपाय सोचे जाने चाहिएं। हमारी राज्य सरकार के साधन सीमित हैं और सीमित साधन होने के कारण यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या मानी जा सकती है और उसी तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा जो पशुधन है, जो अच्छे नस्ल की गायें हैं उसके विकास के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे यहां जो बड़े 2 रेगिस्तान में टीले हैं उन टीलों को स्टेबलाइज करना चाहिए और यहां पर संट्रल बेड्स बना कर विंड्स को रोका जा सकता है। जो मरुस्थल हमारे यहां तेजी से आगे बढ़ता है उसको रोका जा सकता है।

इसी तरह से यहां के रेगिस्तानी हिस्से में जो इंसान हैं उन इंसानों में बेरोजगारी अर्ध बेरोजगारी और अकाल की वजह से जो उनके सामने परिस्थितियां पैदा होती हैं उनके स्थायी हल की आवश्यकता है और उसके लिए राज्य सरकार को जो राजस्थान नहर हमारे उस क्षेत्र में आ रही है, उस राजस्थान नहर के आस पास के इलाके में हमें हमारे एनीमल हसबेंड्री के प्रोग्राम को, पाश्चर डवलपमैंट के प्रोग्राम को और फारेस्ट ग्रोथ को बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिससे कि हम मरुस्थल को रोक सकें और पाश्चर डवलपमैंट करके, पशुधन का विकास करके वहां के इंसानों

(श्री भीम सेन)
का, वहां की जनता की आर्थिक हालत में विकास कर सकेंगे।

इसी तरह से जो आए साल अकाल पड़ता है उस अकाल की भयंकरता को रोकने के लिए हमारे राजस्थान नहर के पानी को, चाहे वह नेचरल फ्लो के मैथड से चाहे लिफ्ट इर्रीगेशन, से वहां पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी तरह से जैसा कि माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव मूव करते हुए कहा हमारे यहां जमीन के नीचे जो पानी है उस पानी का भी हमारे मरुस्थल के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से जमुना का पानी है उस पानी का भी हमारे मरुस्थल के लिए फायदा लिया जा सकता है। इसी प्रकार नर्मदा का पानी है उस पानी का भी हमारे बाड़मेर जिले के लिए उपयोग हो सकता है। इस तरह से मरुस्थल के विकास के लिए उस पानी का उपयोग जरूरी है।

इसके साथ ही साथ हमारे राजस्थान में जहां जहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर है उसका सर्वे करवा कर तेजी से नहरें और ट्यूब-वेल लगाने का प्रोग्राम बनाया जाना जरूरी है ताकि जो भी पानी वहां उपलब्ध हो उस पानी का सही ढंग से उपयोग कर सकें और अधिक से अधिक हिस्सों के अन्दर उसका उपयोग कर सकें।

इसी तरह से अभी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया कि वहां पर जो बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी रहती है, उसके लिए योजना बनाकर और ऐसी योजनाएं बनाई जायं जिससे कि लोगों को जो खेती का काम करते हैं, अपने पशुधन के विकास के काम में लगे हुए हैं, उनको और कोई काम मिल सके।

इसके साथ में जो रेगिस्तानी इलाके में रिजर्व बैंक हैं उसका सर्वे कराकर अधिक से अधिक मीन्स का प्रयोग करके औद्योगीकरण की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है और इसके लिए एक नेशनल Desert Reclamation & Development Authority के रूप में एक कमीशन को अपोइन्ट करना चाहिए जिसमें गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के मरुस्थल के विकास के लिए योजना बनाई जा सके और राजस्थान के लिए अलग रीजनल कौंसिल हो। इस कौंसिल को यहां की योजना बनाने का पूरा अख्तियार हो और उसके पास उपलब्ध धनराशि हो और उसकी देख रेख में यहां की योजनाएं क्रियान्वित हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे आ गए हैं साहब, पी. के. चौधरी।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक संशोधन है कि "संकल्प की अन्तिम पंक्ति में प्रयुक्त

(श्री पी. के. चौधरी)

शब्द 'पर' तथा 'व्यय' के बीच में निम्न शब्द और जोड़े जावें 'तथा देख रेख में'" मैं चाहता हूं कि समिति जो हो वह एक सिफारिशी बोडी नहीं हो लेकिन क्रियान्विति का काम भी उस समिति को दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेजूलेशन है, मैं समझता हूं कि बहुत ही उचित और मौज़ूं है। और यह प्रस्ताव जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। राज्य सरकार को इससे अन्दाजा लगा लेना चाहिए कि आया जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार का यह प्रस्ताव यहां रखा है तो क्यों रखा है। वह इसलिए रख रहे हैं कि आज सारे राजस्थान के लोग यह महसूस करने लग गए हैं कि जब तक मरुस्थल का विकास और मरुस्थल की वजह से हमारे यहां जो अकाल पड़ते हैं तो इस काम का जब तक स्थाई हल नहीं कर सकें तो राजस्थान का विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। अब क्यों ऐसी धारणा हुई ? यह धारणा इस वजह से हुई कि हम देख रहे हैं कि पिछले 25 वर्षों से मरुस्थल का विकास नहीं कर पाए। हर साल पिछले दस साल में वहां पर सालों साल अकाल हुआ लेकिन सरकार की तरफ से जो भी योजना की गई, अकाल के ऊपर पैसा खर्च किया गया है उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। हर साल हम अकाल की समस्या का सामना करते हैं। पशु मरते हैं, मवेशी मरते हैं और भुखमरी के कारण, मालन्यूट्रेशन के कारण मृत्यु के कगार पर जाते हैं। इस प्रकार की समस्या की तरफ सारे राजस्थान के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दस सालों में करीब करीब दो सौ करोड़ रुपया अकाल के लिये खर्च हुआ और मौजूदा अकाल को मिलाकर यह धन राशि लगभग 300 करोड़ के आस पास पहुँचेगी जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंच वर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना ये तीनों पंचवर्षीय योजनाओं को मिलाकर 15 साल में सारे राजस्थान के विकास के लिये 378 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि पिछले दस बारह सालों के अन्दर अकाल में, इस साल के अकाल को मिलाकर इतनी धन राशि खर्च की जितनी कि हमने पन्द्रह सालों में पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में सारे राजस्थान के विकास के लिये खर्च की और। उस सारे के बाद भी हम नहीं देख पाते कि इस ओर कोई विकास हुआ हो। प्रश्न अकाल का नहीं है, हमने पिछले 10-12-13 सालों में कुल इतना खर्चा किया कि करीब तीन सौ करोड़ का खर्चा कर दिया उसके बाद भी सालों साल करीब करीब हर साल अकाल पड़ा है। इसलिये हम इस बात को सोचने को मजबूर होते हैं कि जब तक इस अकाल की समस्या को हल करने के लिये और रेगिस्तान की समस्या को हल करने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाते। हालत यह है कि ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के भरोसे सरकार ने जो रवैया अपनाया है और जिस तरीके से इस समस्या को हल करने की कोशिश की है, 25 साल में भी इसमें कोई फर्क नही पड़ा है। इससे ज्यादा सरकार की मरुस्थल की समस्या को हल करने में नाकामयाबी और क्या साबित हो सकती है।

(श्री पी. के. चौधरी)

तीन योजनाओं के बाद भी और पिछले दस बारह सालों में तीन सौ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी हर साल अकाल की समस्या पैदा होती है, चारे की समस्या पैदा होती है, पानी की समस्या पैदा होती है और अन्न की समस्या पैदा होती है। इसलिये यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार की जो यह मशीनरी है वह इस समस्या को हल करने में नाकामयाब हुई है। और इसलिये इस समस्या को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था होनी चाहिये। एक रीजनल कौन्सिल होनी चाहिये जो पापुलर हो। हमने देख लिया कि ब्यूरोक्रेसी के आधार पर जो काल चलते हैं वे काम कामयाब नहीं होते हैं। इसलिये पापुलर लेवल पर पापुलर रिप्रेजेन्टेटिव्ज को लेकर एक रीजनल कौन्सिल बनाई जाय और मरुस्थल का एरिया है उसके डेवलपमेंट का सारा फण्ड अकाल का जो वहां पर प्रिवेलेन्ट है उसका सामना करने के लिये जो भी फण्ड हों वे सारे के सारे फण्ड, वह सारी की सारी धन राशि, वह सारी की सारी योजनाओं की जिम्मेदारी इस रीजनल कौन्सिल की हो सिवाय इसके कि सरकार की उस पर निगरानी रहे।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात है इस बात को समझ लेना चाहिये राजस्थान सरकार को कि राजस्थान के दूसरे इलाके के लोग हैं वे इस बात को महसूस करने लगे हैं कि सरकार मरुस्थल की समस्या को हल करने की स्थिति में नाकामयाब रही है, और यह एक राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा ड्रा-बैक रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि आखिर में 25 साल में उन्होंने क्या किया। इस बात के आंकड़े निकाले हैं। अकाल की समस्या के हल के लिये 1952 में एरिड जोन इन्स्टीट्यूट ने एफोरस्टेशन किया था तो उससे कितना एफोरस्टेशन हुआ और उसका क्या नतीजा निकला। उसके बाद 1959 में एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट का काम किया गया था उसने क्या कोई सिफारिश की कि किस ढंग का वहां पर सरफेस वाटर है और उसको किस ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस ढंग से अण्डर ग्राउण्ड वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने उसके लिए सुझाव दिए हैं कि वहां पर सैण्ड ड्यून्स शिफ्ट होते हैं तो उनके स्टेबिलाइजेशन का क्या तरीका हो सकता है। यह भी सुझाव उन्होंने दिया है कि वहां पर जो ह्यूमेडिटी है तो हमारा जो एरिड़ जोन है वह करीब 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि सारे हिन्दुस्तान का 61 पर्सेन्ट आता है और जो सैमी-एरिड जोन है वह 1,31,000 आता है जो कि सारे हिन्दुस्तान का 13 पर्सेन्ट आता है, इन सब का यहां पर जो रिसर्च हुआ है, जो, 1952 से लगाकर आज तक उन्होंने जो जो रिसर्च यहां का किया है और उसके बारे में जो जो उन्होंने सुझाव दिये हैं उन पर क्या क्या अमल किया गया है? उन्होंने यह भी कहा है कि एरिड जोन जो राजस्थान का है जिसको ग्रेट इण्डियन डेजर्ट कहा है, उसकी जो ह्यूमेडिटी है वह जहां पर कि रेनफाल

(श्री पी. के. चौधरी)
का एरिया है जहां कि ज्यादा रेनफाल होता है उससे·······

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में कोरम नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : इसलिये उन्होंने सुझाव दिया है कि देअर इज पासिबिलिटी कि कुछ काप्स वहां पर डेवलप कर सकते हैं। इन सब बातों को सरकार को बताया गया है, आखिर में यह जो 20 साल और 15 साल से यह रिसर्च चल रही है और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं मरुस्थल का डेवलपमेंट करने के, अण्डरग्राण्ड वाटर को टेप करने के लिए, फोडर उगाने के लिए, इन सब के ऊपर सरकार ने क्या अमल किया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 184 में से 17 होने चाहिए। कोरम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 145 क्या कम हैं ?

(गणपूरक घंटी)

श्री पी. के. चौधरी : 20 साल से यह स्कीमें चल रही हैं तो उनके सुझावों को सरकार ने कहां तक इम्प्लीमेंट किया, और अगर इम्प्लीमेंट किया है तो फिर हर साल यह अकाल क्यों पड़ता है, अगर इम्प्लीमेंट किया है तो फिर यह फोडर की दिक्कत क्यों आती है ? इन सब बातों की सरकार को सदन को जानकारी देना चाहिए, जनता को जानकारी देना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि 20-25 साल से बीमारी का डाइग्नोसिस होने के बाद भी और इलाज बता देने के बावजूद वे कुछ नहीं कर पाये और अकाल पर इतना रुपया खर्च हुआ कि जितना पिछली 3 योजनाओं पर राजस्थान में खर्चा नहीं हुआ। हमने इतना ही रुपया अकाल पर खर्च कर डाला। उसके बावजूद भी अकाल पड़ रहा है तो वह सब रुपया कहां गया ? यह सवाल ऐसा नहीं है कि जिसको नजर अन्दाज किया जा सके। इसकी सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वह इस सदन को बताये कि हमने 20 साल और 25 साल में इतना रुपया खर्च करने के बाद और इतने सुझाव जाने के बाद उस पर इतना अमल किया। मेरा कहना है कि अमल नहीं किया है और अगर किया है तो फिर अकाल क्यों नहीं दूर हुआ ? इन सब बातों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आखिर में यह जो रुपया खर्च होता है और इस प्रकार उसका कोई नतीजा नहीं होता है, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो यह जो रुपया आता है यह कोई दान में नहीं आता है। यह लोन से आता है, कर्जे के रूप में आता है। आखिर कर्जा चुकाना पड़ता है और उसका इन्सीडेन्स समूचे राजस्थान के लोगों पर पड़ता है चाहे वह भरतपुर में रहे, चाहे कोटा में रहे, चाहे जयपुर में रहे। कहीं भी रहे यह जो खर्चा होता है उसके चुकाने का हमारे पर भार आता है। इसलिए इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। अकाल भी हो जाय और चारे और पानी का वहीं पर इन्तजाम कर दें तो 300 करोड़ रुपया खर्च नहीं होगा। 300 करोड़ रुपया जो खर्च किया है उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आयन्दा

(श्री पी. के. चौधरी)

हम चाहते हैं कि चाहे एक पैसा खर्च हो, चाहे 100 करोड़ करें या 50 करोड़ खर्च करें कम से कम उसका नतीजा तो निकले। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो रुपया पिछले 20-25 साल में जिस ढंग से खर्च हुआ है उस ढंग से खर्च नहीं होगा और उसका कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, उससे कुछ न कुछ मरुस्थल के विकास में कामयाबी होगी । उसमें कुछ न कुछ ऐसे साधन तैयार करें जिससे कि हमें अकाल की विभीषिका का सामना नहीं करना पड़े । अकाल पड भी गया तो चारा और पानी का इन्तजाम जहां है वहीं पर करना होगा ।

इसलिए ड्राट प्रोन एरिया के लिए चौथे प्लान में 20 करोड़ रुपया दिया गया है । एक एक जिले में दो, दो करोड़ रुपया खर्च करने के लिए यह 20 करोड़ रुपया दिया गया है । चौथे प्लान का एक साल बाकी है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 15 करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा , 15 करोड़ रुपया खर्च हो गया है तो हमने क्या पैदा किया है ? हमने कौन से ट्यूबवैल्स पैदा किये ? कौन से सैण्ड-ड्यून्स को स्टेबिलाइज किया ? कौन से फोडर बैंक पैदा किये ? पिछले साल के बजट भाषण में यह था कि 400 ट्यूबवैल्स लगायेंगे तो उसमें से कितने लगे हैं, कितना चारा उगाया है ? आज अकाल में यह होता है कि 20-25 मील से पानी लाया जाता है लोगों को पिलाने के लिए 50 मील की दूरी से पानी लाया जाता है। टैन्कर्स में लाया जाता है और साधनों से लाया जाता हैं, ट्रकों से लाया जाता है। तो 400 ट्यूबवैल्स में हमने कहां तक कामयाबी हासिल की है । अगर ट्यूबवैल्स हो जाते तो टैन्कर्स का यूज नहीं होता। अगर ट्यूबवैल्स हो जाते हैं तो पास्चर लैण्ड को डेवलप कर सकते हैं । आखिर में रेगिस्तान में एनीमल हस्बैन्ड्री चलता है, पशु-पालन का धन्धा ही ज्यादा चलता है। तो पशुओं के लिए चारा चाहिए और इन्सान के लिए पानी चाहिए । इन दोनो चीजों का इन्तजाम हो जाता है तो अकाल का असर नहीं पड़ सकता है ।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट प्रस्ताव है। उसको लाइटली सरकार को नहीं लेना चाहिए । इस प्रस्ताव की अहमियत को सरकार को महसूस करना चाहिए, और उनको इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके रीजनल कोन्सिल बना दी जाय और उसके तहत यह सारे काम हों जिससे कि हम यह आश्वास्त हो सकें कि आगे जाकर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जो एरिड जोन के सेन्टर्स हैं उन्होंने यह बताया है कि वहां का एग्रिकल्चरिस्ट जो है उसने बिना किसी गाइडेन्स के भी मरुस्थल स्ट्रिप क्रापिंग डेवलप किया है यानी घास उगाते हैं उसके बाहर क्राप पैदा होती है ताकि गर्म हवा से क्राप खत्म न हो। उसका एक तरीका उन्होंने डेवलप किया है। उस क्रापिंग को कितना प्रोत्साहन दिया है सरकार ने ? वह एग्रीकल्चरिस्ट्स ने शुरू किया है अपने तरीके से। सरकार ने कितना प्रोत्साहन दिया है उसके डेवलपमेंट के लिए ? इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले

Page No.86

(श्री पी. के. चौधरी)

20 साल से 25 साल से ग्रास डेवलप करने के लिए, पास्चर का डेवलपमेंट करने के लिए और एफोरेस्टेशन का डेवलमेंट करने के लिए कितना काम किया है। 20 साल में कितना ग्रास एरिया डेवलप किया है ? 20 साल में सरकार ने कितना एरिया किया है। उन्होंने कितने एरिया में ड्रिंकिंग वाटर और फोडर बैंक कहां कहां स्थापित किये हैं। 10 साल में क्या तरक्की की है, यह सब जानकारी हमको देनी चाहिए सरकार से हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि यह कौंसिल बनाई जाये। सारे माननीय सदस्य सर्व सम्मत्ति से इसको पास करेंगे। ताकि कम से कम यह उम्मीद बन सके कि पिछले 20 साल में जो नहीं कर सके हैं, तो यह मरुस्थल के लिए बनाई हुई कौंसिल, उसके लिए अच्छे कदम उठायेगी। अनाज के बारे में कहते हैं कि जितना अनाज हमें उस अकाल के इलाके में देना चाहिए, वह हम नहीं दे पाते हैं। तो जहां लोगों की तनख्वाह 100–150 रुपया है। वहां अकाल से पीडित हैं। जो मरुस्थल में अकाल है, उसके जो आस्पेक्ट हैं, उसमें राजस्थान के दूसरे हिस्सों में रहने वाला आदमी है, उस पर भी असर पड़ता है। कमजोर वर्ग है, उस पर आकर पड़ता है। हम भी यह चाहते हैं कि परमानेन्ट विकास हो। राजस्थान की सारी इकॉनामी पर जो आज बोझ है, उसमें कमी आये। इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है, सदन के सारे सदस्य इसकी अहमियत को समझते हुये, इसी वजह से जहां अकाल नहीं होता है, उनको ध्यान में रखते हुये, करेंगे। यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। इसमें मेरा यह अमेण्डमेण्ट है कि "संकल्प की अंतिम पंक्ति में निम्न शब्द और जोड़े जावें:—

'तथा उक्त समिति में विधान सभा के सदस्यों में से भी कम से कम दो सदस्यों को नामजद किया जाये"

एक माननीय सदस्य : और वे दोनों महिलाएं हों।

एक अन्य माननीय सदस्य : उनमें एक शकुन्तला श्रीवास्तव हो।

श्री उपाध्यक्ष : शकुन्तला जी का संशोधन स्वीकार हो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अच्छा है, दोनो महिलाएं हों।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : कहीं आप लोगों में इम्बेलेंस पैदा नहीं हो जाये।

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं होगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या पीढ़ियों से चली आ रही है। हिन्दुस्तान की सरकार बनने के बाद हमने यह समझा था कि अब योजनाबद्ध तरीके से जो रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, हमारी सरकार उसके लिए कोई कारगर कदम उठायेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अकाल राहत के नाम पर हमारी सरकार ने और भारत सरकार ने करोड़ों रुपये

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

व्यय किये हैं। लेकिन मैं यह व्यक्तिगत रूप में मानकर चलती हूं कि यह जो कर्जा दिया है, उसका कोई उचित हल नहीं निकला है जिससे कि हम अकाल की समस्या को हल करने में सफल हो सके हों। जहां तक मरुक्षेत्र की बात है मैं यह जानना चाहती हूं कि योजना और गैर योजना की मद से कितना कितना खर्चा हुआ है और उसके क्या क्या परिणाम निकले हैं। यह एक मिसाल है, पश्चिमी क्षेत्र का मरुस्थल धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। मैं रीजनलिस्ट की भावना पैदा नहीं करना चाहती हूं। जैसा कि माननीय सदस्य गोटेवाला ने कहा कि पूर्व और पश्चिम का सवाल पैदा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसी भावना पैदा हो। इसके लिए जरूरी है कि रेगिस्तान को रोकने के लिए हम कोई कदम उठायें। इसके साथ साथ जो इम्बैलेंस पैदा हुआ है। सिंचाई और बिजली के मामले में खर्चा हुआ है, जो इम्बैलेंस क्रियेट हुआ है, उसको रोकना जरूरी है। इसको रोकने के लिए जैसी कि मांग की है, श्री गोटेवाला ने कहा है रीजनल कौंसिल बनाई जाये, उसका मैं समर्थन करती हूं। और साथ ही साथ यह निवेदन करती हूं कि पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ अलवर, टोंक, सवाई-माधोपुर इनकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी सरकार वित्तीय कठिनाइयों मे पड़ी है। लेकिन आप विचार करें कि एक इलाके को विकसित करने के लिए हम पैसा लगाते हैं, अगर वह विकसित हो जाता है तो हमें प्रसन्नता होती लेकिन वह अकाल आज भी हमारे सामने मुंह बाये खड़ा है। उसकी चपेट में पूर्वी राजस्थान भी आ गया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहती हूं कि इस बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए योजना-बद्ध कदम उठाने होंगे। इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है। उसके पास क्या योजना है। चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य जो कि योजना मन्त्री श्री डी. पी. धर साहब से मिले थे। उन्होंने उनसे यह कहा था कि राजस्थान से जो मांग आती है, उनकी मांग योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती है। मैं समझती हूं कि यह हमारे लिए शर्म की बात है। जहां हम पैसा लगाना चाहते हैं, उसके लिए यह जरूरी है कि हम मरुस्थल को रोकने के लिए कमेटी बनायें, कौंसिल बनायें तो उसको पूरे अधिकार दें। जिसकी देख रेख में यह सारा कार्य पूर्ण हो। मैं समझती हूं, रेगिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर पूर्वी राजस्थान की ओर रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे एक कारण है।

हम वनों की कटाई को नहीं रोक पा रहे हैं। वनों की कटाई कर, आप जगह जगह देखिये, हरे हरे पेड़ काट कर ट्रैक्टरों के जरिये, ट्रकों के जरिये ले जाते हुए मिलते हैं। इतनी कटाई पहले कभी नहीं होती थी। मैं समझती हूं, हमारा यह सारा राजस्थान अकाल की चपेट में आया है कुछ क्षेत्र को छोड़ कर, उसका सबसे बड़ा कारण यह है हमारे यहां वनों की पूरी तरह सफाई हो चुकी है। इसके बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसने वनों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया होता या

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
अब भी दे दे तो मैं समझती हूं कि हम राजस्थान के कुछ क्षेत्र को बचा भी सकते हैं।

दूसरे अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का कार्य भी संतोषप्रद नहीं लगता। यदि उसने पूरे राजस्थान का सर्वे कर लिया होता कि कहां कहां पर जल का भण्डार है तो वहां के लिए क्या राज्य सरकार द्वारा योजनायें बनाई जा रही हैं, सिंचाई की क्या योजनायें हैं, पीने के पानी की क्या योजनायें हैं—तो वह सदन के सामने बतलाई जावें जिससे हम लोग आश्वस्त हो सकें कि यह राजस्थान में जो अकाल पड़ता है, इससे अभी ही नहीं, भविष्य में भी बच सकेंगे, इसके भार से बच सकेंगे। अकाल पड़ता है कुछ इलाकों पर लेकिन खर्चे की दृष्टि से इतने टैक्सेज लगते हैं और जिस रूप में खर्च होता है उसका भार पड़ता है जनता पर। आखिर यह असमानता क्यों है। इसके ऊपर समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो मैं समझती हूँ कि जनता में एक भीषण आक्रोश पैदा होगा और ऐसा वातावरण बनेगा कि जनता आन्दोलन करने पर उतारू हो जायेगी और अभी जो भाईचारे की भावना है वह काफी हद तक खत्म हो सकती है और सम्बन्ध खराब हो सकते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मेरा सरकार से निवेदन है कि वह जो कुछ भी करे, उसमें सब लोगों को कॉन्फीडेंस में लेकर करें, यह बता कर करें कि किस किस क्षेत्र में विकास के लिए कितना कितना पैसा सरकार लगाने जा रही है। यह दृष्टिकोण समझायें कि इस क्षेत्र में पैसा कम इसलिए दे रहे हैं, इस क्षेत्र में पैसा इसलिए ज्यादा दे रहे हैं। किसी क्षेत्र में ज्यादा पैसा दिया जाय और हमारे क्षेत्र में कम पैसा दिया जाय उसमें कतई ऐतराज नहीं हो सकता। हमारा कहना यह है कि पैसा अब तक खर्च हुआ है या होने जा रहा है उसका प्लानिंग होना चाहिए। यदि प्लानिंग नहीं हुआ तो जिस तरह से हम 220 करोड़ रुपया अब तक पश्चिमी राजस्थान पर खर्च कर चुके हैं और आगे भी हमें इस बात का भय है कि जो भी पैसा खर्च होगा, उसका कोई उपयोग नहीं निकलेगा, उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। कोई सड़क बना देने से, कोई राहत कार्य खोल देने से, रोटी रोजी की व्यवस्था कर देने से ही हम समझ लें कि हमारे कर्त्तव्य की इतिश्री हो गई है तो यह गलत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को आप कहें कि योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को किया जाय।

मेरा अन्त में फिर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यह निवेदन है कि इस रीजनल कौंसिल की मांग की गम्भीरता को समझते हुए विचार करें और सदन के सारे सदस्य इसकी गम्भीरता को समझें और इसका समर्थन करने के लिए कृत संकल्प हों और इस प्रस्ताव को पास करें। यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी !

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास !

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्री केदारनाथ : एबसेन्टीज पर फाइन होना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन के सम्मुख एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि इस संकल्प के महत्व को माननीय सदस्यों ने शायद इतना अहसास नहीं किया है। राजस्थान का तीन चौथाई हिस्सा मरुस्थल में आता है और हमारे इसी प्रान्त में कुछ ऐसे बदनसीब इन्सान भी जन्म लेते हैं जो केवल हरियाली सावन के महीने में देखते हैं, ऐसे बदनसीब इन्सान भी इस प्रान्त में पैदा होते हैं जो अपने शरीर का मैल शायद या तो इन्द्र भगवान की बारिश के समय उतार पाते हैं या जब जुलाई से लेकर अगस्त तक थोड़ा बहुत तालाबों में पानी इकट्ठा होता है तो उस समय मवेशियों के साथ ही वे अपने शरीर का मैल उतार पाते हैं। इस राजस्थान में ऐसे बदनसीब इन्सान भी पैदा होते हैं जो शायद अपनी सारी जिन्दगी, अपने जीवन का क्रम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊंट के जरिये पानी की टंकियों को इधर से उधर केवल ढोने मे व्यतीत कर देते हैं। आजादी के 25 साल बाद हमारे इस देश में, ही क्यों, प्रान्त में आज ऐसे गांव मौजूद हैं जिनको चार चार और पांच पांच मील से ही नहीं, बल्कि इससे ज्यादा दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। हमारे इस प्रान्त में ऐसे भी गांव मौजूद हैं कि जिनको दस सालों में से आठ साल लगातार अपने घरों को छोड़ कर अपना जीवन दूसरे प्रान्तों में घर और ग्राम से बाहर बिताना होता है जिनको अपने प्रान्त को छोड़ कर दूसरे प्रान्तों में शरण लेनी पड़ती है और तीन चार महीने वहां बिता कर वापिस लौट कर वह आते हैं। हमने अब तक क्या सोचा है, ऐसे गांवों के बारे में ? ऐसे बदनसीब इन्सानों के बारे में क्या सोचा है और क्या किया है ? यदि इस पर दृष्टिपात करें तो मैं समझती हूं कि सबको एक सिहरन पैदा होगी। पच्चीस साल के इस लम्बे समय के अन्दर पीने के पानी की समस्या को हम हल नहीं कर पाये हैं। हमारे प्रान्त का जो बहुत ही अच्छा पशु धन है, ब्रीड के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, उसे हम जीवित नहीं रख पा रहे हैं, उसकी बढ़ोतरी करना (improve) तो और बात है। इसलिए यह हमारा मरुस्थल न केवल हमारे प्रान्त के लिए अभिशाप है बल्कि चुनौती है, डर है पूर्व के इलाकों के लिए और दक्षिण के इलाकों के लिए। अभी आमेर क्षेत्र से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी कि इससे पूर्व को भी खतरा है, यह पश्चिमी रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है, यह बड़े बड़े सैण्ड ड्यून्स, यह मरुस्थल का इलाका कहीं धीरे धीरे पूर्व की ओर न बढ़ जाय ? यह हमारे सबके लिए चुनौती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं, राजस्थान में बारह महीनों में से नौ महीने पश्चिम की हवा चलती है, पछुआ हवा से जहां नौ महीने रेत पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकती है, वहां बाकी के तीन महीने के अन्दर उत्तर से दक्षिण को ओर खिसकती है। इससे दक्षिण को भी खतरा है। लोग यह न सोचें कि पूर्वी राजस्थान ही इससे प्रभावित होगा यदि इन सैण्ड ड्यून्स को, इस मरुस्थल को, इस रेगिस्तान को रोकने की समस्या का हल तुरन्त नहीं निकाला गया तो इससे राजस्थान की अर्थ व्यवस्था

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

तो चरमरा ही जायेगी और हमारी अर्थ व्यवस्था को जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह पहुंचा देगी। इससे न केवल राजस्थान के लिए खतरा है, बल्कि यू. पी. के लिए खतरा है, गुजरात के लिए खतरा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए खतरा है। इसलिए भारत सरकार को सोचना चाहिए इस दिशा में कि इसके प्रसार को किस प्रकार से रोका जाय, इन बदनसीब इन्सानों को आजादी की जिन्दगी जीने का, आजादी का अहसास कराने का, उनके जीवन को सरल बनाने का किस प्रकार प्रयत्न किया जाय ? इनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को किस प्रकार मुहैय्या किया जाय ? इस दिशा में सोचना चाहिए। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने आज यह संकल्प प्रस्तुत किया है, को मैं अपनी ओर से बधाई और मुबारकबाद देना चाहूंगी। एक बहुत अहम् सवाल की ओर, राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या की ओर आज उन्होंने न केवल सदन का ध्यान आकर्षित किया है बल्कि इसके जरिये भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया है। न केवल राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में सचेत और सजग किया है बल्कि भारत सरकार तक भी अपनी दर्द और दुःख की आवाज पहुंचायी है। यह बिल्कुल सही बात है कि हमने पिछले 23 सालों में अरबों रुपया अकाल राहत के लिए खर्च किया है। क्योंकि वह रुपया उन बदनसीब इन्सानों को जिन्दा रखने के लिए खर्च करना आवश्यक था। भारत सरकार के नुमाइन्दे और भारत सरकार यह कह सकती है कि उसका दुरुपयोग भी हुआ है। हुआ भी होगा, दुरुपयोग कहीं, लेकिन जान बूझ कर करने की मन्शा नहीं थी, इतने लम्बे चौड़े, इतने विस्तार से काम जब किये जाते हैं तो कमियां रहना स्वाभाविक है, गड़बड़ी और खराबी होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे बदनसीब इन्सानों को केवल भगवान के भरोसे, केवल प्रकृति के सहारे, इन्द्र भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाय। यह न्याय नहीं होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रांत के ¾ हिस्से के लिये, जिस हिस्से में हमारा सबसे बढ़िया पशुधन है, उसका हमको खयाल रखना पड़ेगा। किसी भी देश की धरोहर, उस देश की जमीन, उस देश के जानवर और वहां के जंगल तथा उस देश के मेहनत करने वाले इन्सानों के हाथ हुआ करते हैं। लेकिन देश की जमीन, उसके जंगल एवं जानवरों और किसी देश के इन्सानों को यदि केवल प्रकृति के ऊपर ही छोड़ दिया जाये, तो वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता इसलिये हमें हमारे प्रांत के ¾ हिस्से के लिये सोचना पड़ेगा कि उनकी कितनी बुनियादी आवश्यकताओं को हम अब तक पूरा कर पाये हैं। इसलिये डेजर्ट इरेडिकेशन रीजनल कौन्सिल का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस रीजनल काऊन्सिल के निर्माण के साथ उन समस्याओं का समाधान ज्यादा ठीक प्रकार से किया जा सकेगा कि जो समस्याएं आज वहां पर रहने वाले लोग अनुभव कर रहे हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल इस मरुस्थल के लोगों के लिये यह है कि वहां पीने के पानी की समस्या का समाधान हो।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने बजट के अन्दर ग्रामीण जल योजना के लिये काफी धन राशि का प्रावधान किया था और रीजनल स्कीम्स के लिये भी काफी पैसा दिया गया था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो रेगिस्तान के दस जिले हैं, जिनको भारत सरकार ने क्रानीकली ड्राट अफेक्टेड मानकर डी. पी. ए. पी. का प्रोगाम चालू करा रखा है और वहां खर्च करने के लिए भारी धन-राशि हमारी सरकार को दी है, उन पैसों का भी हमारी सरकार उपयोग क्यों नहीं कर पा रही है ? यह पैसा भारत सरकार का पैसा है और उन दस रेगिस्तानी जिलों के लिये है जो मरुस्थल के भू-भाग हैं। जब तक हम जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं, पीने का पानी आदि उनको मुहैया नहीं कर पायेंगे, तब हम और समस्याओं का कैसे निराकरण कर पायेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों क ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी और उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में वह बड़े संवेदनशील तरीके से सोचें और उस इलाके की जो पीने के पानी की समस्या है उसका शीघ्र से शीघ्र समाधान करने के लिए प्रयत्न करें। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समाधान तक कैसे लोग इन्तजार करेंगे ? आखिर धैर्य की भी कुछ सीमा है। वे और कुछ नहीं मांगते, केवल पीने का पानी, मीठा और स्वच्छ मांगते हैं, वह भी अगर आप एक मील की दूरी पर भी उपलब्ध नहीं करा सके तो स्वतन्त्रता का क्या फायदा उनको मिला ? इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि यह ऐसा प्रश्न है जिसमें कौन किस तरफ बैठता है, किसकी कौनसी पार्टी है, इन सब बातों को दूर रख कर, इस प्रश्न को शीघ्र से शीघ्र हल करने में अपनी ओर से योगदान करें।

पीने के पानी की समस्या के बाद दूसरा सवाल आता है इन लोगों के लिये, इस रेगिस्तानी इलाके के पशुधन का जो कि सबसे अच्छी नस्ल और ब्रीड का है। हमारे देश की प्रसिद्ध नस्लें, थारपारकर, कान्क्रेज, साहीवाल, गीर ये सब नस्लें उन जिलों में हैं। यह हमारा पशुधन उस प्रकार का है कि जो हर क्लाइमेटिक कन्डीशन्स में भी अपने आप को जीवित रख सकता है। भारत सरकार ने इस रेगिस्तानी इलाके के लिये डेयरी प्रोजेक्ट और मिल्क कलेक्शन को योजना को स्वीकृति दी और कुछ स्कीम्स विचाराधीन चल रही हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं आप माननीय सदस्यों से कि इस ब्रीड को यदि इम्प्रूव करना चाहते हैं क्रास ब्रीडिंग के जरिये, तो वह नया पशु हमारी क्लाइमेट पर अक्लेमेटाइज तो हो जायेगा लेकिन हर दूसरे साल जो पीने के पानी का संकट आता है उसमें वह इतनी दूर चलकर मालवा नहीं जा सकेगा। वह सैंकडों मील दूर नहीं जा सकता है। तो मिल्क कलेक्शन का प्रोग्राम और डेयरी प्रोजेक्ट्स की जब भारत सरकार चलाने की बात करती है, उसके लिये बहुत बड़ा लम्पसम अमाउन्ट, करोड़ों की तादाद के अन्दर खर्च करना चाहती है, तो उसके लिये पहले बहुत बड़ी हरी घास का इन्तजाम चाहिये, उन पशुओं के लिये हरा फॉडर चाहिये, ग्रीन फीडर चाहिये। जब तक ट्यूबवैल्स के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जरिये ग्रीन फोडर की व्यवस्था नहीं करेंगे और उनके लिये बारह मास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे ताकि उनको गांव छोड़कर दूर जाना नहीं पड़े, तब तक वह ब्रीड वहां पर जिंदा नहीं रह सकती। इसलिये डेयरी और मिल्क कलेक्शन के सेन्टर्स की जब आप बात करते हैं, तो उसके साथ जो यह अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है उस पर भी सोच विचार करना पड़ेगा।

भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में यह भी माना है कि ट्यूबवैल्स, जिनको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान चलाती है और ट्यूबवैल्स जिनको प्राइवेट एजेन्सी या प्राईवेट फर्म चलाती हैं, उनके चलाने के खर्चे में भी, अर्थात ऑपरेशन का जो खर्चा है, उसमें भी करीब 25% प्रतिशत प्राईवेट ऐजेन्सीज का Operation का खर्चा कम बैठता है। इसलिये उस खर्चे को कम करने के लिये या ट्यूबवैल्स को तो उनकी सहकारी समितियों को दिया जाना चाहिये या ग्रुप आफ इन्डीवीजुअल्स को दिया जाना चाहिये। जब इन्डीवीजुअल्स को ट्रान्सफर किया जायेगा तब यह ट्यूबवैल्स कम खर्चे में चल सकेंगे और जब ट्यूबवैल्स चल सकेंगे तब हमारी ग्रीन फोडर की समस्या का समाधान होगा और तब ही जाकर हमारे बेस्ट जानवरों को पीने के पानी मुहैय्या हो सकेगा जिनको अब आये साल अकाल के अन्दर एक लम्बा काफला बनाकर दूर दूर जाना पड़ता है। एक दफा मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक 8 साल का बच्चा था जो बाड़मेर में रहता था। उसने जब 8 साल में पहली बार बरसात होती देखी, जब पहली बार उसने देखा कि इन्द्र भगवान कैसे खुश होते हैं, तो वह भागा भागा अपनी मां के पास गया कि इस तरह पानी बेकार जा रहा है, इसको किसी बर्तन में डालो। वह जानता था कि मीलों दूरी से जो पानी टंकियों में से लाया जाता है उसको सम्भाल कर रखना चाहिये और इस तरह बेकार नहीं बहने देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय मीठा पानी मीलों दूर से लाना पड़ता है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगी उपाध्यक्ष महोदय जहां वर्षा के दिनों में थोड़ा पानी इधर उधर भर जाता है वहां पर उसी पानी में तो जानवर बैठे रहते हैं और उसी गन्दे पानी में लोग नहाते, उसी पानी को पीते हैं। कितना बड़ा अभिशाप है प्रकृति का, कितनी बदनसीबी है। लेकिन क्या करें मजबूरी है इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके मारफत राज्य सरकार से निवेदन करूंगी—लीजिये बड़ी खुशी की बात है योजना मन्त्रीजी आ गये हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं इस सम्बन्ध में इस दिशा में गम्भीरता से विचार करें। पिछले दिनों अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो ट्यूबवैल योजना राजस्थान के लिए रिगस दी थी वह महाराष्ट्र वाले ले गये जो काम राजस्थान में होने वाला था वह महाराष्ट्र में होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान के लोग तो वैसे ही पीने के पानी को तरसते हैं, पीने के पानी के लिये परेशान हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं मानती हूं कि योजना मन्त्रीजी बड़े समझदार हैं और उनकी प्रशंसा करूंगी कि पिछले साल जब इन्होंने बजट रखा चूंकि खुश किस्मती से यह जल प्रदाय मन्त्री भी हैं तो मैंने इस बारे में कहा था

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कि बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान का सीकर, चूरू और झुन्झुनूं इलाका जो कि डेर्जट ऐरिया है जहां कि पीने के पानी की बहुत ही बड़ी हमेशा से समस्या है। इस समस्या को मिटाने के लिये आपने कोई योजना नहीं रखी। तो उस वक्त इन्होंने मुझे कहा था कि अगले साल के बजट में मैं इस समस्या के समाधान के लिये जरूर कुछ करूंगा उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था इसके लिये मुझे कुछ भी करना पड़े चाहे कितना ही खर्च करना पड़े, चाहे सरकार के वित्तीय साधनों पर कितना ही वजन पड़े मैं इसका समाधान करके रहूंगा। मैं उनकी हिम्मत की प्रशंसा करती हूं और मैं चाहती हूँ कि उनकी हिम्मत टूटने नहीं पाये बल्कि उनकी हिम्मत बरकरार रहे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में ऐसी कोई नदी नहीं है जो बारह मास बहती हो जिससे कि हम पीने के पानी की समस्या का हल निकाल सकें। आज जो पीने का पानी है वह जमीन के नीचे 400 फोट नीचे है और वहां भी पानी एवेलेबिल है तो मीठा नहीं, कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति होती है कि अगर आप कुआ खोदते हैं तो 100 फीट पर आपको मीठा पानी मिलेगा लेकिन अगर आप उसे बोर करते हैं तो 300 फीट के बाद उसमें ही खारा पानी निकल आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त का 3/4 भाग मरुस्थल है ऐसी स्थिति में पीने के पानी की समस्या को हल करना मैं मानती हूँ बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इसमें पानी की सर्वे करने के लिये करोड़ों रूपये की आवश्यकता है जो भी खर्च करना मुश्किल काम है। ऐसे इलाके में जहां कि मीठे पानी के सर्वे के लिये करोडों रुपये खर्च हो वहां पानी की समस्या को हल करना बड़ा ही गम्भीर और मुश्किल काम है। लेकिन अगर इन्सान चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री के. एल. राव गंगा के फ्लड के पानी को दो हजार किलोमीटर दूर कावेरी नदी में ले जाकर डाल सकते हैं तो यह काम क्या मुश्किल है ? उपाध्यक्ष महोदय, गंगा के फ्लड का पानी बेकार है और वह फ्लड का पानी सैंकडों गांवों की तबाही का कारण बना हुआ है जिस इलाके में वह बहती है। उसका उपयोग करने के लिये के. एल. राव ने उस फ्लड के पानी को 700 फीट ऊपर लिफ्ट करके काबेरी में डाल देना चाहते हैं। मैं राजस्थान सरकार के योजना मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि हालांकि आजादी के 25 वर्षों में हमने वास्तव में काफी महत्वपूर्ण काम किये हैं हमने प्रगति की है, कई प्रोजेक्ट बनाये हैं, हमने चम्बल प्रोजेक्ट बना कर कोटा और बूंदी के इलाके को स्वर्ग बना दिया है। राजस्थान कैनाल, भाखरा कैनाल और गंग कैनाल को निकाल कर इन इलाकों को हरा भरा बना दिया है, उस रेगिस्तान को क्या से क्या बना दिया। लेकिन मुझे माफ करेंगे योजना मन्त्री जी आपने राजस्थान के इन डेर्जट ऐरिया का ये जो चार जिले हैं सीकर, झुन्झुनूं चूरू, नागौर इनके लिये आपने पीने के पानी की समस्या के लिये कुछ भी नहीं किया। कोई भी योजना नहीं बनाई। आज जयपुर जिले के लिये आप माईनर और मेजर प्रोजेक्ट्स

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बना रहे हैं लेकिन सीकर, झुन्झुनू, चुरू और नागौर के मरुस्थल को मिटाने के लिये आपने कोई काम अभी तक नहीं किया। जिस तरह कि आपने राजस्थान कैनाल निकाल कर बाड़मेर और जैसलमेर के मरुस्थल को मिटाने की योजना बनाई हैं। लेकिन सीकर, झुन्झुनू, चूरू और नागौर इन इलाकों में तो कोई नहर की भी योजना नहीं है। आज जोधपुर के लिए जवाई बान्ध से पानी देने की योजना है। पर बदनसीबी तो इन चार सीकर, चूरू, झुन्झुनू और नागौर जिलों की है। वहां के लोग पानी मिलने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने साल हो गये पर हमारे यहां पर कोई योजना सिंचाई के लिये नहीं बनाई।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे मेरी बात खतम करने के लिये 5 मिनट का समय दें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गंगा का फ्लड का पानी जो कि सैंकड़ों गांवों की तबाही का कारण बना हुआ है उस पानी को आप इस इलाके में लाइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इसके लिये सर्वे भी हो चुका है। उस पानी को आप वहां से मोड़ कर रेवाड़ी, नीम का थाना तहसील से झुन्झुनू, सीकर होते हुए नागौर की तरफ से ले जाइये। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसका सर्वे भी हो चुका है। मुझे अधिकारियों ने बतलाया है कि सर्वे हो चुका है। अब तो प्रेशर का सवाल है। इधर वर्ल्ड बैंक के अधिकारी भी आये थे, सारा सर्वे कर लिया गया है। जहां के. एल. राव साहब गंगा के फ्लड के पानी को 700 फीट ऊपर लिफ्ट करके दो हजार किलोमीटर दूर कावेरी नदी में ले जाकर डालना चाहते हैं वहां यह सिर्फ 700 किलोमीटर दूर ही लाना पड़ेगा और सिर्फ 400 फीट ऊपर ही इसे लिफ्ट करना पड़ेगा। खर्चा भी कम आवेगा और जमीन भी अधिक सिंचित होगी, लेकिन सवाल तो यह है कि इसके लिये प्रेशर चाहिये। प्रेशर के लिये भी कितना राजनैतिक प्रेशर हो कितना प्रभाव डाला जाय। तो मैं योजना मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगी कि योजना मन्त्रीजी क्या आप इस मरुस्थल को मिटाना चाहते हैं, क्या आप इस चार जिलों के लोगों को जीवन देना चाहते हैं? और आप इस योजना को क्रियान्वित कर देंगे तो इन चार इलाकों के लोग भी पानी मिलने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं और योजना मन्त्रीजी इसके बन जाने से आगे आने वाली पीढ़ियां आपको भागीरथ के रूप याद करेंगी। क्या आप इन बदनसीब जिलों की पानी की समस्या के लिये इस योजना को क्रियान्वित करेंगे और अगर अब इस बार हमें पानी नहीं मिला तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। जो योजना सस्ती है और उस योजना को क्रियान्विति से इन चारों जिलों को पानी मिल जायेगा। अगर इससे पानी मिल गया तो मिल गया वरना कभी नहीं मिलेगा। आज वहां के लोग पानी को तरसते हैं वे पानी को तरसते ही रहेंगे और मेरे ख्याल से वे लोग पानी का स्वप्न भी नहीं ले सकेंगे वो स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चाहती हूँ कि यह योजना राजस्थान की बहबूदी के लिये महत्वपूर्ण हैं इसलिये ऐसी योजना लाने को राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिये और इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचें आज के दिन यह बात कहना इसीलिये पसन्द किया, जहां मरुस्थल को मिटाने का सवाल है इन चार जिलों की जो समस्या है, पीने का पानी, सिचाई के लिये पानी, पीने का पानी, यह इन चार जिलों के लिये पूरी हो जाती है और ऐसा मौका बार बार नहीं आया करता है। इतिहास लिखने वाले लिखेंगे। बड़ी मुश्किल से मौके आया करते हैं, उन मौकों का कोई फायदा उठाते हैं तो इतिहास की आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती हैं। समय तो यों ही निकलता है। मन्त्री और मुख्य मंत्री यों ही बनते हैं और समय के साथ चले जाते हैं लेकिन याद किये जाते हैं वे लोग जो समाज, देश और क्षेत्र के लिये, उसके विकास के लिये, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए कुछ काम कर जाते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये विकास के चिह्न छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही आगे आने वाली पीढ़ियां याद करती हैं वरना कौन किसे याद करता है? समय तो सबको भूला देता है।

अन्त में अपने इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करते हुए कि गंगा की बाढ़ का पानी है इसके इस्तेमाल का मौका दें। भारत सरकार से यह कह दिया जाय कि रेगिस्तान को इरेडिकेट करना है, मरुस्थल के लोगों को जिन्दा रखना है और उनको बसाये हैं तो यह मौका है। कावेरी तो वैसे ही कल कल करती हुई बह रही है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना दूर उसके पानी को लेजाने में उससे इर्रीगेशन करने में खर्चा होगा उसके मुकाबले में तीन गुना सिंचाई राजस्थान में होगी। हमारा डेजर्ट एरिया है, हम नजदीक हैं, हम प्यासे हैं, हमारे पशु धन को हमको जिन्दा रखना है। मरुस्थल का तो सबको ही डर है। यू. पी. को भी डर है। मथुरा और आगरा में भी प्रोब्लम पैदा हो रही है कि मरुस्थल के विस्तार को कैसे रोका जाय। डेजर्ट को फैलने से कैसे रोका जाय?

अन्तिम बात करते हुए निवेदन करूंगी कि गंगा के पानी के युटिलाइजेशन के बारे में आप सोचें। भारत सरकार से विचार विमर्श करें और सिचाई मन्त्री जी से अनुरोध करें कि हमारी जिन्दगी का सवाल है। हम तो मारे जावेंगे। आपकी हालत तो हमारे से अच्छी है। कहां मैसूर है, कहां राजस्थान है। जमीन आसमान का अन्तर है क्लाइमेटिक कन्डीशन में। फिर यह निवेदन करते हुए कि डेजर्ट इरेडिकेशन के लिए रीजनल कौंसिल के निर्माण के लिये माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है और संकल्प प्रस्तुत किया है यह बहुत आवश्यक है और इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए वास्तव में कौंसिल बनायी जाय जो मरुस्थल के समुचित और सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें। जिन समस्याओं की ओर हमारा ध्यान जितना जाना चाहिये था वह नहीं गया है और इसके विस्तार के डर और आशंका को मद्देनजर रखते हुए इसको गम्भीरता से सोच कर निगम का निर्माण किया जाय और उसके साथ ही समुचित धन राशि और हाई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पावर कौंसिल के रूप में इसका गठन किया जाय। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय श्री गोटावाला के संकल्प के सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन पेश किया है:

"संकल्प में प्रयुक्त शब्द 'मरुक्षेत्र' के स्थान पर 'पश्चिमी राजस्थान' प्रतिस्थापित किये जायं।"

वे एक स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं स्पष्ट रूप में जोग्राफिकल एक्सप्रेशन देना चाहते हैं इसलिये यह शब्द रखना उचित समझा। बहुत सी भावनाओं और भावुकता की बातें हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ रियेलीटीज और पोलिटिकल इम्बैलेन्स और रीजनल इम्बैलेन्स की बात सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन में सरदार पन्निकर ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया था कि यू. पी. बड़ा प्रदेश है उसका विभाजन राजनैतिक संतुलन और विकास के लिये आवश्यक है। शायद उस स्पष्ट बात की उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

आज जब समय आया है स्पष्ट रूप में राजनैतिक चिन्तन और विकास की बात करने का तो हम सबके लिये यह एक अहम विषय बन गया है। रीजनल इम्बैलेन्स की बात सारे देश में चल रही है। आंध्र जैसे प्रदेश में जितना सब कुछ हुआ, आन्दोलन हुए। उसके पीछे रीजनल इम्बैलेन्स की बात बहुत बड़ी बात है। एक्सप्लोईटेशन्स एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के ऊपर बढ़ता है और दूसरा कुर्बानी करता है। आज वह समय नहीं है। एक क्षेत्र को अपनी पोटेन्शियलिटीज और आर्थिक क्षमता से विकास का अधिकार है। और विकास की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान की बात है पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के लिये स्नेह की कमी नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पश्चिमी राजस्थान में स्नेह नहीं मिल सका तो पूर्वी राजस्थान में किशनगढ़ में मिला। वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उनको पूर्वी राजस्थान में स्नेह अधिक मिला आर्थिक समानता में ये चीज नहीं भूलना चाहिये।

जहां तक मेरा निवेदन है भावनाओं को उभाड़ने वाले सवाल हैं, भावुकता की बात करने की बात है वह बात नहीं है। पूरे के पूरे राजस्थान के विकास की बात करते हैं। किसी भी क्षेत्र की कीमत पर दूसरे क्षेत्र का विकास और दूसरे क्षेत्र की गिरावट और दूसरे क्षेत्र का विकास यह हमें स्वीकार नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय गोटावाले जी का संकल्प इन्हीं भावनाओं का द्योतक है और ये भावनाएं सदन में सम्मिलित रूप से पेश की जा चुकी हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, कई बार ऐसा कहा जाता है कि लोग राजस्थान का बंटवारा करना चाहते हैं। हम स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहते हैं कि हम राजस्थान के बंटवारे के पक्षपाती नहीं हैं। जो भी क्षेत्र हैं जिनमें विकास की पोटेन्शियलिटी है उसको स्वतन्त्र रूप से विकसित किया

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)
जाना चाहिये। जिस तरह से सोचा जाता है और माना जाता है.......

(3.12 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

कि राजस्थान के राजनेताओं में कुछ असंतोष देखा जाता है। उसकी हकीकत को समझना पड़ेगा कि यह जो अन्दर ही अन्दर असंतोष है या जो कभी कभी सदन के सम्मुख भी उपस्थित होता है उसकी क्या वजह है? आज पूर्वी राजस्थान के निवासियों के मन में यह भावना है कि उनकी कीमत पर पश्चिमी राजस्थान की नेचुरल केलेमिटीज का, उनकी मुसीबतों का निर्धारण किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य मुझे हस्तक्षेप के लिये क्षमा करें। यदि इस भावना को दुरुस्त समझते हैं तो राजस्थान किस बेसिस पर हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट व्यवहार प्राप्त करके ज्यादा मदद मांग सकता है? आपका मतलब यह है कि क्या पूर्वी राजस्थान के लोग यह कहें कि हमारे साधन हमारे पास रहने दिये जायं?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैं अपनी बात कह नहीं पाया हूं। आप तसल्ली रखिये। आपकी शंकाओं का समाधान न हो तो आप बाद में फरमा सकते हैं। मैं जिस तरह से अर्ज कर रहा था वह रीजनल इम्बैलेन्स की बात है और देश के और राज के नेताओं की दूरदर्शिता की बात कही है। हमारी प्रधान मन्त्री बहुत दूरदर्शी कही जाती हैं। उन्होंने पंजाब के विभाजन की बात स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से मान ली, और आज भी आन्ध्र के मसले को राजनैतिक दूरदर्शिता के साथ सुलझा लेंगी, इसकी हमें पूरी पूरी आशा है। तो वह स्टेज राजस्थान में आने से पहले जब कि हमारी भावनाएं भड़क उठें और हम लोगों की भावनाओं का कोई राजनैतिक दल अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करे, हम लोगों को भी सबकी भावनाओं को समझना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, हम तो सशक्त राजस्थान देखना चाहते हैं। माननीय सदस्य बार बार पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का नाम न लें और इस तरह की भावनाएं यहां न भड़कावें

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सभापति महोदय, हमारी निश्चित नीति के विरुद्ध है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय सदस्य तसल्ली रखें। मुझे पूरी तरह सुन लें पहले। जब आप बोल रहे थे तो सभी ने शान्ति से आपको सुना था। मुझे भी आप शान्तिपूर्वक सुनने की कृपा करें।

श्री सभापति : मैं इतना निवेदन करूंगा कि संकल्प की भावनाओं पर माननीय सदस्य अपने विचार रखें और उसका जो कुछ भी इन्टरप्रिटेशन निकलता है वह अपनी बुद्धिमानी से ध्यान में रक्खें तो अच्छा है। माननीय सदस्य, भाषण जारी रक्खें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था और इसमें भावना उभाड़ने जैसी कोई बात नहीं है। आर्थिक विषमताओं को नजरअन्दाज नहीं करने को बात मैं कह रहा था।

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

पहले भी निवेदन किया था। मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि राजस्थान के विभाजन की बात मैं नहीं कहता, न एक क्षेत्र के प्रति दूसरे क्षेत्र की भावनाओं को भड़काने की बात मैं कहना चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक सुनियोजित विकास सारे क्षेत्रों का हो इसके लिये एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये।

अगर रेगिस्तान की समस्या को उस क्षेत्र की समस्याओं को हम अपने साधनों से हल नहीं कर सकते हैं तो विशेष प्रकार के प्रयास इसके लिये किये जाने चाहिये, और इसके लिये केन्द्र की सहायता के लिये भी हमें विशेष प्रयास करने चाहियें। इसी भावना को लेकर मैंने मरुस्थल प्रदेश का नाम लिया है बजाय पश्चिमी राजस्थान के। मरुस्थल नाम एक जिओग्राफिकल एक्सप्रेशन है। इसलिये निवेदन किया था।

मैं माननीय श्री गोटेवाला के संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, और जो शब्द पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल के नाम पर रखने की बात है स्वीकार की जानी चाहिये। रीजनल कौंसिल महत्वपूर्ण संगठन होगा। पश्चिमी राजस्थान के विकास के हित में भी यह समान रूप से आवश्यक होगा। इसके द्वारा हम अपने राज्य के ही साधन उपलब्ध नहीं करा पावेंगे, बल्कि केन्द्र से और केन्द्र के माध्यम से, विदेशों से भी विशेष सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य के संकल्प में रखा है वह इस तरह है कि:—

"उपरोक्त संकल्प के अन्त में निम्नांकित शब्द और जोड़े जावें:—

"व्यय की जाने वाली राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार कार्यवाही करे।"

सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के विभाजन की बात, मेरे ख्याल से, अभी तक तो किसी ने कही नहीं, और इस भावना के साथ यह संकल्प रखा भी नहीं गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर भी कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हों, तब उसमें बार बार हस्तक्षेप करने की जो प्रवृत्ति है वह मैं समझता हूं, उचित नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता जब पूर्वी राजस्थान की कोई मांग नहीं उठा रहे थे उसके बावजूद हस्तक्षेप किया जा रहा था उन महानुभाव द्वारा जो कई बार समय समय पर पश्चिमी राजस्थान की मांग स्वयं उठाते रहे हैं। हमने उस मांग का विरोध किया है हम राजस्थान के विघटन की बात अपनी कल्पना में भी लेकर नहीं चल रहे हैं। हम इसके विरोधी हैं।

पर, सभापति महोदय, जो महत्वपूर्ण मसले सदन के सामने आये हैं वे प्रतिबिम्बित करते हैं इस बात को कि जो राजस्थान की जनता के मानस में है चाहे वह जनता फिर पूर्वी राजस्थान की हो या पश्चिमी राजस्थान की हो। सभापति

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विकास के नाम पर तीन पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, जिनमें 374 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके अलावा अकाल के निवारण के लिए अलग से 275 करोड़ रुपया आज दिन तक खर्च हो जावेगा जिसका करीब-करीब पूरा भाग राजस्थान के उन इलाकों में खर्च किया गया। यह वाजिब तौर पर खर्च होगा, मैं गैर-वाजिब इनको नहीं कहना चाहता, जहां अकाल हर साल पड़ते हैं और तकलीफें भी जहां बहुत हैं लोगों को। पर, सभापति महोदय, इस खर्चे के कारण दूसरे भागों का विकास अवरुद्ध हो गया इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

तो, सभापति महोदय, जब पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के भागों की कल्पना लेकर हम चलते हैं तो एक नक्शा हमारे सामने आता है। पश्चिमी राजस्थान के लोग इस मांग को उठाते हैं, बड़े बड़े नेताओं ने इसको उठाया है, जोधपुर डिवीजन के एम. पी. हैं उन्होंने उठाया है। एक बार नहीं, तीन-तीन बार इस तरह के स्टेटमेन्ट दिए हैं कि वे पश्चिमी राजस्थान अलग बनाना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : किसने ? राजमाता ने ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : श्री अमृत नाहटा ने।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कोई नहीं, कभी नहीं दिया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने पढ़ा नहीं। उनको भी तकलीफ है कि जितना पैसा रेगिस्तान की समस्या से निपटने के लिए और अकाल का स्थायी समाधान निकालने के लिए पश्चिमी राजस्थान को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान का अलग हिस्सा हो जाता है तो केन्द्र से रुपया अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। उनके इस तर्क में भी वज़न और औचित्य हो सकता है। जब वे अलग होने की बात करते हैं तो शायद केन्द्रीय सरकार से अधिक पैसा लेने की बात उनके दिमाग में है, ऐसा लगता है और हम जब यही बात कहते हैं कि इस कारण से पूर्वी भाग का विकास अवरुद्ध हो रहा है तो यह कोई द्वेष की भावना से हम नहीं कह रहे हैं। हम मानते हैं कि रेगिस्तान और अकाल की समस्या सारे राजस्थान की है, राजस्थान की ही नहीं सारे देश की समस्या है। उसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जोरों से लाना चाहिये और उसी स्तर पर इस समस्या का निपटारा कराये जाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। ऐसी कल्पना करके हम भी चलना चाहते हैं।

आज अकाल का ही सवाल नहीं डी.पी.ए.पी. का भी पैसा उधर खर्च होता है, होना चाहिए। केन्द्रीय योजनाओं का पैसा भी वहां अधिक खर्च हो। लेकिन सभापति महोदय, पूर्वी भाग का भी ध्यान तो रखना ही होगा।

जब हम जयपुर में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिये बान्ध बनाने की बात करते हैं, टौंक जिले में

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बान्ध बनाने की योजना थी, राजमहल के पास भी बनास पर बान्ध बनाने की योजना थी. पर इसके लिए पैसा नहीं मिलता। यह नक्शा जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि इसे नेग्लेक्ट किया जाता है। पर यह विवाद का प्रश्न नहीं है। विवाद का प्रश्न यह है कि सारे स्टेट के रिसोर्सेज सभी भागों के समान विकास की योजनाओं पर खर्च हों और जहां एक्यूट प्राब्लम हो, परमानेन्ट प्राब्लम हो उसके लिए केन्द्रीय सरकार से पैसा प्राप्त किया जाना चाहिये।

इसी भावना के साथ यह संकल्प माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है कि अलग से इसकी एक रीजनल कौंसिल बना दी जावे। रीजनल कौंसिल शब्द से ऐतराज हो सकता है तो इसे डेजर्ट कौंसिल नाम दे सकते हैं। इसी से संशोधन रखा है कि पश्चिमी राजस्थान रख सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान से भी हमें कोई नाराजगी नहीं है। कोई भी नाम रखें, शब्दों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है रीजनल कौन्सिल रखें, पश्चिमी राजस्थान की एक कौन्सिल रखें उसमें ऐतराज नहीं है। ऐतराज केवल इस बात पर है कि जो पैसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर खर्च हो वह केन्द्र सरकार से प्राप्त हो—अनुदान के रूप में और उस एरिया में खर्च कर पायें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही संशोधन मैंने मूव किया है कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त हो सके और इसके लिये राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज जो मसला सामने आया है वह बहुत गंभीर मसला है। राजस्थान के अन्दर आज हालत इस प्रकार की पैदा नहीं हुई है। राजस्थान में आज तक किसी व्यक्ति ने चाहे वह किसी भी रीजन का हो, किसी भी पार्टी का हो अभी तक इस आधार पर सोचने का तरीका नहीं अपनाया है कि राजस्थान का बंटवारा हो और इसको इश्यू नहीं बनाया है। मैं समझता हूं यह मांग सदन में माननीय सदस्यों ने लगातार उठाई है लेकिन उसके बावजूद वेस्टर्न राजस्थान में जो पैसा खर्च होता है उसको जस्टीफाई माना है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प की मूल भावना को समझना चाहिये। जो प्रस्ताव आया है वह इसी भावना से आया है। उसमें कन्ट्रोवर्सी खड़ी न करें। विभाजन की बात नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि विभाजन की मांग आप पैदा कर रहे हैं। यह विभाजन की मांग पूर्वी राजस्थान के लोग नहीं कर रहे हैं। जो पैसा खर्च हो रहा है वह जस्टीफाइड है. उसके लिये कभी इन्कार नहीं किया। उस पैसे को जरूर खर्च कीजिये। उसमें से एक पैसा भी कम नहीं करना चाहते हैं। उस राशि में कोई कटौती नहीं करना चाहते हैं लेकिन वह राशि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को दे ताकि राजस्थान के दूसरे भागों का विकास हो सके। सभापति महोदय, अकाल के माध्यम से दो काम होते हैं—अकाल के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों को रोजगार मिलता है तो विकास होता है। स्टेट के रिसोर्सेज में रीजनल इम्बेलेन्स नहीं रहे। विकास समुचित हो और जो डेजर्ट एरिया की प्रोब्लम हैं उनके लिये केन्द्रीय सरकार से पैसा मिले।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सभापति महोदय अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार के सामने स्पष्टीकरण देते हुये और पूरी तरह एक्सप्लेन करके पूरी पोजीशन रखनी चाहिये। आज जो नेशनल केलेमिटीज हैं—डेजर्ट और फेमिन की इसके कारण स्टेट के रिसोर्सेज इतने नहीं है कि सब भागों में डवलपमेंट हो सके और साथ में डेजर्ट और फेमीन के प्राब्लम भी सोल्व कर सके। इसके लिये केन्द्र सरकार को कनविन्स करें तो स्टेट चल सकेगी अन्यथा इसके दुष्परिणाम निकलेंगे और बिना किसी दुर्भावना के भी एक गलत भावना पैदा होगी और वैमनस्य बढ़ेगा और आगे आने वाले समय में खतरे की घंटी है। आज हालत असन्तोष की सीमा में है। अभी सेम लाइन पर सोचना शुरू नहीं किया लेकिन ...

एक माननीय सदस्य: ग्राउण्ड बना रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्राउन्ड भी नहीं बना रहा हूं, ग्राऊन्ड तो आप (माननीय सदस्य) बना रहे हैं। ग्राउण्ड वे लोग बना रहे हैं जो पैसा नहीं ला पा रहे हैं। सभापति महोदय, हम नम्र निवेदन कर रहे हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा कीजिये लेकिन एट दी मोस्ट राजस्थान के दूसरे भागों के विकास को अवरुद्ध करके नहीं। आज राजस्थान के अन्य कई भागों में रोड्स नहीं हैं, इरिगेशन के कोई साधन नहीं हैं—राजस्थान के इन्टीरियर में जाने के रास्ते नहीं हैं और न कोई उनकी प्लान है, अगर इन योजनाओं पर पैसा खर्च नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

मैं समझता हूं इस मूल भावना के पीछे रीजनेलिज्म नहीं है और ऐसी कोई बात भी पैदा नहीं होगी। कुछ व्यक्ति किसी हद तक रीजनेलिज्म होते हैं। माननीय रामानन्द जी मुझ से सहमत नहीं होंगे लेकिन एक व्यक्ति, जो जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता है तो, वह अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सर्वोपरि ध्यान देता हैं और देना भी पड़ता है, यह जनतन्त्र का तरीका है। इसलिये सभापति महोदय, उस हद तक यह उचित ही है कि इधर के इलाके में विकास का काम हो और इसको कोई क्षेत्रीयता को भावना भी नहीं कहा जा सकता है। माननीय रामानन्द जी कहें कोई ऐतराज नहीं है तो माननीय सभापति महोदय मैं यही कहता हुआ और माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाले का समर्थन करते हुये और अपना संशोधन पेश करते हुये जो पैसा पश्चिमी राजस्थान या रेगिस्तानी अकाल योजना को निपटाने के लिये खर्च हो रहा है उसको केन्द्रीय सरकार से लिया जाय। स्टेट की इकोनोमी पर इसका असर न पड़े और पैसा डवलपमेंट के लिये काम में आय, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति जी, जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा है कि मरुक्षेत्र के विकास के लिए एक रीजनल कौन्सिल की स्थापना की जाय, यह बहुत सुन्दर प्रस्ताव है और इस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सदन के इस ओर बैठने वाले सदस्य और उस ओर बैठने वाले सदस्य, किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है तो सभापति जी, इस संकल्प के बारे में जो माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये और इसमें कहीं कहीं यह भी आभास आया कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान संकल्प में जो भावना व्यक्त की गई है माननीय सदस्य ने इसमें मरुक्षेत्र का मेन्सन किया है। मरुक्षेत्र राजस्थान के किसी कोने में क्यों नहीं हो। सीलिंग में भी मामला आया तो डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट शब्द आया है। राजस्थान के किसी कॉर्नर में मरुक्षेत्र हो वह इस परिभाषा में आ सकता है तो माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने इनडाइरेक्ट वे में जो यह बात की है कि पश्चिमी राजस्थान की उपेक्षा की जा रही है—इस मूल संकल्प की भावना माननीय सदस्य की नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिये। जो मरुक्षेत्र है वह सबको विदित है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा भाग मरुक्षेत्र का है और हिन्दुस्तान के विशेषज्ञों के बार बार ध्यान आकर्षित करने के बाद ऐरियड जोन के बारे में रिसर्च की और इस सदन में भी राज्य सरकार के जरिये और संकल्प के जरिये केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि यहां मरुक्षेत्र है और राज्य के रिसोसेज द्वारा इसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि ड्रिंकिंग वाटर के नाम से केन्द्रीय सरकार से काफी पैसा लिया। यह सुन कर हमें काफी खुशी है और राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इस बारे में केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया कि राजस्थान के ऐसे क्षेत्र में कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार ने माना और कुछ पैसा दिया भी है। तो। माननीय सभापति जी, मैं दुबारा इस संकल्प के जरिये केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मरुक्षेत्र का विकास हो और सालोंसाल जो अकाल की छाया मरुक्षेत्र पर पड़ती है उसके बारे में केन्द्रीय सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इसीलिए इसमें कोई इस तरह की कौंसिल बनानी चाहिए जिसमें एक्सपर्टस, नान-ऑफिशियल्स और ऑफिशियल्स हों और यह कौंसिल बहुत ही पावरफुल कौंसिल हो, जो कि अपना बजट स्वयं बनाये और उस बजट की पूर्ति केन्द्रीय सरकार करे, चाहे किसी जरिये से भी करे और मरुक्षेत्र की जो समस्या है वह राज्य की समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि मरुक्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के बोर्डर से भी लगता है। दूसरी अहम समस्या यह भी है कि एक तरफ तो मरुक्षेत्र और और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बोर्डर है और पिछले समय में पाकिस्तान का हमला हुआ उस समय भी जो समस्या देश के सामने आई और मरुक्षेत्र की जो विकट समस्या थी रोड्स के निर्माण के बारे में और जो रोड्स का निर्माण किया गया उसकी वजह से पाकिस्तान का बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला किया जा सका। तो यह क्षेत्र एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में आना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इसकी मान्यता दी जानी चाहिए और जैसा कि बंगला देश रिफ्यूजीज को नेशनल

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

स्तर पर सँस लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया क्योंकि केवल बंगाल स्टेट की तरफ से उनकी हालत को देखते हुए इतने शरणार्थियों की समस्या का समाधान करना सम्भव नहीं था तो इसीतरह से इस समस्या का भी केन्द्रीय सरकार समाधान करे

सभापति महोदय, मरुक्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और किसी राज्य में इतना बड़ा क्षेत्र नहीं होगा। तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या सोचा है और जो राजस्थान की एक मात्र नहर है उसको भी केन्द्रीय स्तर पर लेकर केन्द्र के रिसोंसेस के द्वारा शीघ्र ही उसका इम्पलीमेन्टेशन किया जाना चाहिए। सदन के दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है और काफी मांग की है कि जो ऐसे प्रोजेक्टस हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम और अकाल की समस्या का परमानेन्ट समाधान करने की योजना है वह केन्द्रीय सरकार को अपने स्तर पर लेना चाहिए।

यहां पर कौन्सिल की बात की गई है कि उसका गठन होना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा ला कर मरुक्षेत्र के विकास के अन्दर लगाया जाना चाहिए और वहां के जो भी रिसोर्सेज हैं, माइनिंग केरिसोर्सेज हैं या और तरह के हैं, वहां का कैटल वैल्थ है, शीपएण्ड वूल है और जो डेजर्ट के अन्दर रहने वाले लोग हैं वह मजबूत लोग हैं, जो कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और मिलिट्री को भी कंधे से कन्धा मिला कर साथ देते हैं। वहां के लोग निडर होते हैं, तगड़े होते हैं। दो-दो और तीन-तीन फसल वाले इलाके के लोग तो कमजोर होते हैं लेकिन रेगिस्तान के अन्दर रहने वाले लोग हैं वे ज्यादा मजबूत होते हैं। वहां की जन-शक्ति मजबूत है, उनको काम में लेने की आवश्यकता है और जो जन-शक्ति है उसको मरुक्षेत्र के डवलपमेन्ट में लेने की आवश्यकता है और उस कौन्सिल में जो एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स हों उनके अलावा वहां के लोकल आदमियों की भी बात मानी जानी चाहिए, उनके भी सुझाव मानने चाहिए और उनकी सलाह ले, जैसे सोइल कन्जर्वेशन के काम हैं या माइनिंग किस तरह से किया जा सकता है, ट्यूबवैल वगैरहा बनायें तो किस रूप में काम में लाये जा सकते हैं, यह सारे काम उनकी सलाह से किए जाने चाहिएँ। यह सब काम रिसोर्सेज से और केन्द्र सरकार, जो बजट ज्यादा अलॉट करेगी उसके हिसाब से होंगे, लेकिन लोकल आदमियों का भी पार्टीसिपेशन होना चाहिए ताकि उनकी बढ़ोतरी के लिए जो यह काम किया जा रहा है उनके काम आ सके।

सभापति जी, जो जैसलमेर का इलाका है, जहाँ, कि राजस्थान नहर के आने की भी बात है वहां के लिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के लोगों की जमीनें ऐसे लोगों द्वारा खरीदी जा रही हैं खातेदारी के आधार पर या गैर खातेदारी के आधार पर ताकि राजस्थान कैनाल का पानी वहां आये तो वह जमीन कीमती हो जाये। सिंचित क्षेत्र के लोग अपनी 10 बीघा जमीन बेचकर यहां पर 200

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बीघा जमीन खरीद रहे हैं और यह जो टेन्डेन्सी चली है इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस इलाके के लोग तो रिफ्यूजीज की तरह रहें और एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करें और साधन सम्पन्न, जो लोग हैं, वह उनकी जमीन ले लें। इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इस बारे में धन्यवाद दूंगा कि यह प्रस्ताव आपकी ओर से आया। हांलाकि मैंने भी एक प्रस्ताव ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम साल्व करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया था और सदन में वह चार पांच साल तक कैरीफारवर्ड हुआ था और वह संकल्प के रूप में ही चला था। सभापति जी, मुझे यह जान कर अफसोस होता है कि ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम को राजस्थान में साल्व करने के बारे में जो मैंने प्रस्ताव पेश किया था और जो चार-पांच साल तक चला था और राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि इस प्रॉब्लम को साल्व करने के लिए एक स्टेचुटरी बोर्ड की स्थापना की जायेगी और राज्य सरकार द्वारा इस आशय की घोषणा भी की गई थी, लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि उस बोर्ड के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया ? वह संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया गया था और राज्य सरकार ने बोर्ड बनाने की बात स्वीकार की थी तो ऐसा नहीं हो कि रीजनल कौंसिल की बात सरकार संकल्प के द्वारा स्वीकार कर ले लेकिन जिस प्रकार से बोर्ड के गठन के बारे में आपने प्रस्ताव स्वीकार किया था और जो उसकी हालत हुई वही इस रीजनल कौंसिल की भी हालत न हो। दी प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक प्राब्लम हैं जिसकी वजह से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार हमेशा चिन्तित रहती है, उनका समाधान किया जाना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम साल्व करने के लिए बोर्ड के गठन का जो प्रस्ताव मन्जूर किया था उसके बारे में क्या हुआ इसके बारे में राज्य सरकार जानकारी प्रस्तुत करे।

दूसरे इस कौंसिल के बारे में किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि इसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए। यह एक विशेष परिस्थिति है और कई सालों से फेमिन एफेक्टेड एरिया होने के नाते क्योंकि वहां मानसून बरसता ही नहीं हैं, भौगोलिक ऐसे कारण हैं तो वहां पानी नहीं है और सब-साइल वाटर नहीं है तो ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम साल्व करने के लिए अण्डर ग्राउण्ड वाटर का यूटीलाइजेशन कर सकते हैं। इस बारे में भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस इलाके का सर्वेक्षण किया गया। यह दुर्भाग्य है कि वहां का नीचे का पानी भी खारा है क्योंकि कुछ इलाका ऐसा है कि जहां दो हजार फुट नीचे भी बोरिंग किया गया और वहां नीचे भी पानी खारा है। तो ऐसी हालत में जहां पानी बरसे नहीं और जो पानी है वह भी खारा है तो एक मात्र यही तरीका है कि रीजनल पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाये। मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्राब्लम की अहमियत को समझ कर रीजनल पाइप स्कीम बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजी और काफी पैसा प्राप्त किया। तो सभापतिजी,

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पैसा प्राप्त किया है मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि इस साल में जो भी पैसा दिया है उसको पूरा यूटीलाइज नहीं कर पायेंगे। हालांकि देश में पाइप बनाने की फैक्ट्रीज हैं उनको भी कैपेसिटी एग्जास्ट हो रही है और वह भी पूरी सप्लाई नहीं दे पा रही हैं उसके बावजूद भी पैसा यूटीलाइज होना चाहिए। माननीय सभापतिजी मेटीरियल की कमी की वजह से पैसा लैप्स हो जाता है तो यह नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां की विशेष परिस्थितियां हैं। अगर परिस्थिति की गम्भीरता को समझ कर पैसा मन्जूर कर दिया और लैप्स हो गया तो दुबारा मन्जूर नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मेटीरियल उपलब्ध नहीं कर सकती तो इस हालत में पैसा लैप्स नहीं होने देना चाहिए और कैरिड-फारवर्ड होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये इस रूप में ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझता हूं कि जैसे क्रैश प्रोग्राम में और डी. पी., ए. पी. प्रोग्राम में कुछ पैसा लैप्स हुआ, केन्द्रीय सरकार ने जो पैसा हमको उपलब्ध कराया है उस बारे में पहली बार स्टडी टीम आई थी तो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था कि हमने प्लान स्कीम में जो पैसा दिया है उसे खर्च करने की क्या स्थिति है। अगर उस जिले में पैसा खर्च नहीं हुआ, पैसा प्राप्त नहीं हुआ तो और एक यह भी सवाल था कि अधिकारियों की लापरवाही कहो या पहले से जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वह तैयारियां पूरी तरह से नहीं की गई या किसी तरह की नेग्लीजेंसी रही हो, यह तो इंक्वायरी का मैटर है परन्तु यह मेरे खयाल से राज्य सरकार ने इस वर्ष बहुत सतर्कता से कार्य करना शुरू किया है और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी इस बारे में प्रयास किया है और मेरे ख्याल से इस वर्ष काफी पैसा, जो जिलों में दिया गया है, जो एलोकेशन किए गए हैं पूरी तौर पर जिलों में खर्च हो जायेंगे, ऐसी मुझे आशा है। अगर इस रूप से पहले राज्य सरकार ने ध्यान दिया होता तो यह सवाल हमारे सामने खड़ा ही नहीं होता। क्योंकि जो स्कीमें हैं, क्रैश प्रोग्राम हैं, फैमिलो के अन्दर एम्पलॉयमेंट देने की बात है इनके अन्दर कई रूल्स हैं, बंदिशें थीं और इन बंदिशों के कारण ही पूरी तरह से पैसा खर्च नहीं हुआ। परन्तु फिर भी जान बूझ कर मैलाफाइडी तौर पर पैसा खर्च नहीं किया गया हो ऐसी तो मंशा किसी अधिकारी की नहीं हो सकती। परन्तु कुछ परिस्थितियां होती हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस बारे में जो रीजनल कौंसिल का गठन किया जाय और उनको जो स्टेचुटरी पावर्स हों उसमें एक्सपर्ट हों और जो स्कीमें जिले वाइज बनाई जायं उनको स्थानीय सोर्सेज, वहां की भौगोलिक कण्डीशन्स को देखते हुए स्कीमें बने तो मेरे खयाल से यह बात भी नहीं आए कि यहां पैसा लैप्स हो जावे। इस बारे में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे एरियाज के विकास के लिए ऐसी कौंसिल्स की स्थापना की जानी चाहिए ताकि इन इलाकों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। यह बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने हमको ही पैसा दिया हो। महाराष्ट्र और गुजरात में भी पैसा दिया है। पब्लिक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के प्रेशर से पैसा दिया गया है। पब्लिक रिप्रजण्टेटिव और वहां के फाईनेन्स मिनिस्टर और डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के प्रेशर से पैसा दिया गया है तो इन सब प्रेशर्स की वजह से वहां इस साल पैसा ज्यादा मिल गया है परन्तु वहां जा कर हम भी देख कर आए हैं कि कैसे क्या हो रहा है? वहां पर भी ऐसा वक्त आ सकता है कि इतने लम्बे रूप में पैसा खर्च करने से और ज्यादा लेबर को काम पर लगाने से वहां पर भी जांच की बात आ सकती है, वहां पर भी कमेटी बैठानी पड़ सकती है। हमारे यहां पर जो भयंकर अकाल आया तो लोगों को काम पर लगाने की दृष्टि से जो ज्यादा रूप में काम शुरू किए गए, मशीनरी बिल्कुल एडाहॉक बेसिस पर, जो वर्क चार्ज पर टैम्प्रेरी स्टाफ लगा कर कार्य एग्जीक्यूट कराने पड़े और उसमें बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए लेबर एंगेज करना पड़ा तो इसमें बोनाफाईडी और मैलाफाईडी भी गल्तियां रह सकती हैं। यही स्थिति उनके सामने भी आ सकती है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

शायद कुछ हो सकती हैं, ह्यूमन बींग हैं, कुछ गल्तियां हो सकती हैं। सभी इन्सान बराबर नहीं होते। क्योंकि अकाल की समस्या थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर लगाना था तो कैसे काम पर लगावें, यूटिलिटि के काम हों, इलाके की यूटिलिटि के काम, सोयल कंजर्वेशन के काम, अफोरस्टेशन के काम, इर्रीगेशन फैसेलिटीज के काम, इन सब कामों के बारे में विचार करने की आवश्यकता थी। महाराष्ट्र में भी आज यही हो रहा है, गुजरात में भी यही हो रहा है और हम जाकर देख कर आए हैं कि हजारों की संख्या में लोग लगे हुए हैं तो वहां पर भी ऐसी बात आ सकती है। आखिर 93 करोड़ रुपया दिया गया है तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं हो। हम इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य यहां जनता की भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे हमें यहां चिंता है, जैसे राज्य सरकार को चिन्ता है, केन्द्रीय सरकार को भी चिन्ता होनी चाहिये मरुस्थल के विकास के लिए। जैसा एरिड जोन की स्थापना की गई इस समस्या के समाधान के लिए, लेकिन पिछले वर्षों में कोई खास समाधान हुआ नहीं है। तो इस इलाके के विकास के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए और ऐसी कौंसिल की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें सेंटर के एक्सपर्ट भी हों, नॉन ऑफिशियल भी हों, लोकल पोपुलर भी हों और ऑफिशियल भी हों और स्टैचुटरी पावर्स हों ताकि यह नहीं कहना पड़े कि पूर्वी राजस्थान का अलग और पश्चिमी राजस्थान का अलग नाम रख देना चाहिये जैसी कि चर्चाएं चल जाती हैं। तो इस बारे में यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जैसे कि इस बारे में संकेत मिल रहे हैं ताकि दिलों में जो डाउट है वह खत्म हो सके। और यह चीज जिस रूप में नेशनल सैस लगा कर, जिस प्रकार बंगाल के रिफ्यूजीज के लिए नेशनल सेस लगाया है, उसी प्रकार से इस कार्य के लिए भी सारे देश के अन्दर सैस लगा कर सारे देश में नेशनल प्राब्लम को हल किया जाय। ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है या मरुस्थल की प्राब्लम है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
तो मेरे खयाल में यह कतई आपत्ति दूसरे राज्यों की जनता को नहीं हो सकती। क्योंकि अकाल का पैसा भी, जब भी अकाल पड़ता है तो केन्द्र से आता है। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो बार बार कहते हैं कि हम लोगों को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है पैसा आएगा और खर्च करना पड़ेगा क्योंकि जनता को बचाना है, मवेशियों को बचाना है।

आपको यह अच्छी तरह से मालूम है कि पश्चिमी मरुक्षेत्र के अन्दर जितने एम्प्लॉयमेंट के साधन हैं उनमें कैटल ब्रीड का बहुत बड़ा महत्व है। कैटल ब्रीड में थारपारकर ब्रीड, कांकरेजी ब्रीड, नागौर ब्रीड, जैसलमेरी सिन्धी ब्रीड, सिंधी टाइप की ब्रीड और दूसरी और तरह की ब्रीड हैं और इसी तरह से गिर ब्रीड है। सारी इम्प्रूव्ड ब्रीड इस मरुक्षेत्र में पनपी हैं और वहां की स्पेशल टाइप की ग्रास इन मवेशियों को मिलती है तो ये दूध भी देती हैं, बछडे भी देती हैं और खेती के काम में भी आती हैं। आज आपको जान कर खुशी होगी कि कांकरेजी नस्ल की ब्रीड पांच पांच हजार में और नागौरी ब्रीड पांच पांच, छ: छ: हजार में बिकी हैं। जो दूध की दृष्टि से और बछड़ों की दृष्टि से आल इण्डिया कैटल शो नागौर में हुआ तो सांचोर ब्रीड उसमें फर्स्ट आई थी। तो हमारे यहां पर इतनी अच्छी ब्रीड और ऐसी अच्छी शीप्स हैं, राजस्थान में इनका प्रोडक्शन है तो यह सारी चीजें कहां से आती हैं? ज्यादातर मरु प्रदेश से आती हैं। हालांकि लोग मारे मारे देश में घूमते फिरते हैं लेकिन अपने मवेशियों को, अपनी शीप्स को बचा कर फौरन एक्सचेंज लाते हैं और अपने विकास की कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं।

इस हालत में, सभापति जी, यह जो रीजनल कौंसिल की बात कही गई है मैं भी पुरजोर शब्दों में, माननीय सदस्य ने जो रिजोल्यूशन रखा है उसका समर्थन करता हूं और राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संकल्प के बारे में जैसी कि आपने ड्रिंकिंग वाटर बोर्ड के संचालन के संकल्प को स्वीकार करके बोर्ड के गठन की घोषणा की तो इसके साथ दोनों प्रॉबलम्स शामिल हैं। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी हैं और ग्रास डवलपमेंट की प्रॉब्लम भी है, वहां के खार एरिया के डवलपमेंट की प्राब्लम भी है, जो सब-सोइल वहां का सलाइन वाटर है उसको किस तरह से प्योरिफाई किया जाय यह प्राब्लम भी है। दूसरे देशों में भी ऐसा किया गया है कि खारे पानी को मीठे पानी में बदला है। तो इस प्रकार का भी कोई प्लान्ट, सांइन्टिफिक प्लान बनाया जा सके तो उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है ताकि चीप रेट पर पानी उपलब्ध करा सकें। सभापतिजी, अगर अण्डर ग्राउण्ड वाटर भी खत्म हो जाय और भगवान की मेहरबानी से अगर कभी वर्षा भी नहीं हो तो क्या हाल होगा। इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। जो खारा पानी है उसको मीठा पानी किस तरह से बनाया जा सकता है और इस प्राब्लम को हल किया जा सकता है, इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है क्योंकि साइंस ने आज इतनी तरक्की की है कि इंसान चांद पर आविष्कार करता हुआ पहुंच गया है तो खारे पानी को मीठा करके मरु एरिया के विकास के लिए, इन्सानों के लिए, मवेशियों के लिए, सब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लोगों को राहत देने के लिए ऐसा कोई प्लान किया जा सके तो कोई असम्भव बात नहीं है। इस बारे में माननीय सभापति जी, सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा इस एरिया के लोगों के लिए, माननीय सभापति जी, विशेष रूप से राज्य सरकार ने या को-ऑपरेटिव बैंक ने मरुक्षेत्र में ऋण की योजना लागू की वह ठप्प हो गई। बैंक फेल हो गए क्योंकि एक बार ऋण देने के बाद दुबारा बरसात हुई नहीं और ऋण का वापिस पेमेन्ट करने का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा गारन्टी की जाय और नेशनलाइज्ड बैंक से, केन्द्रीय सरकार से और रिजर्व बैंक से बात करके इस बारे में कोई स्कीम लागू की जानी चाहिये ताकि रूरल की वजह से, रूरल की स्ट्रेन्जेन्सी की वजह से अगर लोग बर्बाद होते है, किसानों को अपने खेती के साधन गिरवी रखने पड़ते हैं या उनको नीलाम किया जाता है तो परिवार बरबाद हो जावेंगे और इन्सानों को बचाने के लिए, मवेशियोंको बचाने के लिए राज्य सरकार को गारन्टी वगैरहा देने के बारे में सोचना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो सभापति जी, इन बातों को देखते हुए यह जो भी कुछ मुद्दे रखे गए हैं और जो भी इस एरिया के विकास के लिए सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और राज्य सरकार को भी चिन्ता है तो इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। इस बारे में कोई पार्टी का सवाल नहीं है, इस बारे में कोई मतभेद का सवाल नहीं है। राज्य सरकार को भी मतभेद नहीं है, केन्द्रीय सरकार को भी इस बारे में मतभेद होने का सवाल खड़ा नहीं होता, सिर्फ प्रेशर का सवाल है, प्रेशर लगाने का प्रश्न है। तो इस सारे प्रयास के लिए, सारी इण्टीग्रेटेड स्कीम के लिए एक रीजनल कौन्सिल की स्थापना करने की बात आई है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : मो. गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, जो रिजोल्यूशन सदन के समक्ष है, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे उठाये गये हैं जिनके बारे में मेरी मान्यता है कि जो नहीं उठाने चाहिये थे। हम राजस्थान को एक यूनिट मानकर चलें। जो विकसित इलाके नहीं हैं, उनका विकास हो। हम पूरी यूनिट को विकास की तरफ ले जायें। ऐसे उसूलों की बात नहीं करेंगे जिससे कि क्षेत्रीय भावनाएं उठती हों। क्षेत्रीय भावनाओं की बात कहना और ऐसे सवाल उठाना न केवल राजस्थान के लिए नुकसान देह है बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी नुकसान देह है। मैं विधायकों को चेतावनी के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में आज जो गड़बड़ हो रही है, उसके लिए क्षेत्रीय भावनाओं को ही भड़काया गया है। जो इम्बेलेन्स तेलंगाना का है उसके लिए ऐसी स्थिति पैदा की गई है कि जो इस मुलक के लिए भी पुरअसर बन गया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रतिक्रियावादी पार्टियां हैं,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उनका यह सोचना है कि यह मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। कुछ चन्द थोड़े से सूबे हैं, वहां यह मांग भी की जा रही है कि एक नया लिंग्विस्टिक रिफार्म्स कमीशन बनाया जाना चाहिए। यह कहा जाता है कि जो चुनाव जीत कर नहीं आ सके हैं, उनको ऐसे अवसर प्राप्त हो सकें। मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिये जाय ताकि उनको अवसर प्राप्त हो सकें। अब मैं सदन के समक्ष जो चेतावनी रखना चाहता हूं वह यह है कि जो प्रगतिशील नीतियों के विधायक हैं उनको यह मानकर चलना है कि इस खतरे से हमको, इस मुल्क को और इस सूबे को बचाना है। यह सही है कि क्षेत्रीय भावनाओं के ऊपर कुछ लोग, मैं सभी लोगों को नहीं मानता हूं, कुछ लोग यहां पर हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, इसको भी क्षेत्रीय भावनाओं को बात बताते हैं। अभी जो विधेयक आया है, उस पर भी ऐसा ही कहा गया है। मैं कहूंगा कि वह भी क्षेत्रीय भावनायें निकाल दें। आज प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस ताक में बैठी हैं कि किस तरह से इस मुल्क की अखण्डता को बरबाद किया जाये। जो लोग यह कहा करते थे कि जुबान के आधार पर सूबों की बुनियाद नहीं होनी चाहिये, आज वह कानपुर में जमा हो कर कहते हैं कि लिंग्विस्टिक रिफार्म कमीशन होना चाहिए। छोटे छोटे सूबे बनाने को कहते हैं। जो उनके पहले तरीके थे उनसे वह क्यों हट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह उस तरीके से कामयाब नहीं हुये हैं तो अब दूसरे तरीके काम में ले रहे हैं। वह अपनी ताकत नहीं बना सके हैं। वह यह चाहते हैं कि इस मुल्क के टुकड़े हो जायें। वह यह भी मानते हैं कि रेवेन्यू लॉ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उन्होंने नॉन एलाइनमेण्ट पॉलिसी का नारा दिया था। इसी तरह से नारा देकर वह छोटे छोटे टुकड़े मुल्क के करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, राजस्थान को एक यूनिट मानकर चलें तो ठीक है। अगर प्रपोगण्डे के शिकार होंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि इस मुल्क को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और, राजस्थान को भी इन्हीं मुसिबतों का सामना करना पड़े। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आंध्र में जो चल रहा है, तेलंगाना में जो चल रहा है, वह इन्हीं प्रतिक्रियावादी शक्तियों के कारण है। यह जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं इन्होंने यह मांग की है। हमारी प्राइम मिनिस्टर राजस्थान में आकर खुद देख गई हैं कि यहां पर किस तरह से अकाल पड़ रहा है। जैसा कि गवर्नर के एड्रेस से भी पता चलता है कि हमको 5 करोड़ दिया गया है। और, दूसरे सूबों को कई करोड़ दिया जा रहा है। हम इस पूरे मुल्क को एक इकाई मानकर चलते हैं। मैं यह इसीलिए कहता हूँ कि क्षेत्रीय भावना भड़काने की बात कही गई है। मैं ऐसा समझता हूं कि मुल्क और ज्यादा बिखराने के लिए, पारा पारा करने के लिए यह किया जा रहा है। मैं तो चेतावनी देना चाहता हूं कि आप समय से पहले समझ जायें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह क्षेत्रीय भावना का विषय नहीं है। आप विषय पर बोलिये। यह इसकी मंशा नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे खेद है, आपने जो इसका नाम रखा है, उससे क्षेत्रीय भावना जाहिर होती है। इसका तो रीजनल कौंसिल नाम होना चाहिए था। डेजर्ट डेवलपमेण्ट कौंसिल नाम होना चाहिए। डेजर्ट रिमूवल कौंसिल नाम होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि नाम तो यह रखें फिर यह कहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहां सी. आई. ए. के एजेण्ट भी हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे एक 6 पेज का हैण्डबिल दिया है। वह ऐसे आदमी का है, जिसको 6 पैसे नसीब नहीं होते हैं।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो मैं यह इसीलिए कहना चाहता हूं। आप इसको कुछ और नहीं सोचें, कुछ और नहीं समझें। अब जो दूसरा मुद्दा है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी मान्यता यह है और मेरा सुझाव है कि यह डेजर्ट एरिया है उसका डवलपमेन्ट और उसका विकास पूरी तरह से किया जाय। इसमें जितने साधन हम जुटा सकते हैं वह हम जुटाएं। हम हर साल कहतसाली का मुकाबला करते हैं। आज 20-25 वर्ष हमारे मुल्क को आजाद हुए हो गये लेकिन वही पुराने किस्से, वही पुरानी हिस्ट्री, वही पुराना इतिहास दोहराया जाता है और हर साल इस सूबे के अन्दर किसी न किसी हिस्से में कहत पड़ता है। इसका मुस्तकिल हल हो सकता है या नहीं इसके बारे में कभी हमने सोचा भी है या नहीं ? अगर नहीं सोचा है तो बहुत बड़ी गलती है। इससे पहले भी यह रिजोल्यूशन लाया गया था और पांच साल से बराबर यह रिजोल्यूशन आता रहा है और डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं और डेजर्ट का ऐरिया तेजी से होता जा रहा है। वह समाप्त होना चाहिए और इस तरह के साधन जुटाने चाहिये जिससे पानी उपलब्ध हो सके। हम कहतसाली के जमाने में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाने की, कोई ऐसी स्कीम लाने की कोशिश करें कि इससे यह मसला हमेशा के लिए हल हो। हम छोटी सड़क या छोटे रास्ते बनाते हैं जो कि खत्म हो जाती है और जिनके बारे में यह रिपोर्ट आती है कि यह सड़क बनी भी थी या नहीं बनी थी। तो ऐसी मुस्तकिल चीज से डेजर्ट में इरिगेशन का इम्प्रूवमेन्ट हो, हमारे इरिगेशन सिस्टम की तरक्की हो। डेजर्ट के लिए हम सोचें कि क्या गंगा का पानी जो कि फ्लड होता है उस गंगा के पानी को कावेरी में होकर या और किसी तरीके से लाया जा सकता है या नहीं और अगर लाया जा सकता है तो उसका उपयोग हम करें और उसका सही इस्तेमाल करें यह हमारी मान्यता है।

इसके अलावा मुझे यह याद है कि यहां पर एक एक्सपर्ट की टीम आई थी आज से 4 या 3 साल पहले। मैं समझता हूं कि जर्मनी से आई थी और उन्होंने इस डेजर्ट एरिया का पूरे का मुआयना किया था। उस डेजर्ट एरिया का मुआयना करने के बाद उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान में सबसे बड़ा प्राब्लम जो है वह यह है कि पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है वह अगर प्रिजर्व कर लिया जाय तो जितना रेगिस्तान है वह खत्म हो जायगा। और यह रेगिस्तान का हिस्सा खुशहाल जंगल

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

के अन्दर तब्दील हो जायगा। तो मैं नहीं सोचता कि बहुत बड़ा खर्चा किया गया। वह एक्सपर्ट यहां आये और उन्होंने यह बताया कि हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में भी यह प्राब्लम थी। तो हमने यह एवोपरेशन का प्राब्लम समाप्त कर दिया है।

दूसरी प्राब्लम जो हमें फेस करना है वह यह है कि आप देख रहे हैं कि डेजर्ट एरिया राजस्थान तक ही महफूज नहीं है। यह डेजर्ट बढ़ता जा रहा है। उसके बढ़ने की वजह यह है कि हमारे जो जंगल हैं वह नेस्तनाबूद होते चले जा रहे हैं। मुझे यह ध्यान है कि यहां पर एक कमीशन मुकर्रर किया गया था और उस कमीशन ने यह रिपोर्ट दी कि इसमें जो दरख्त काटे गये हैं अफसरों की साजिश से उसमें कम से कम 20 लाख का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को नुकसान हुआ है, और जहां तक मुझे इल्म है वह लोग जो कि जिम्मेदार थे इस नुकसान के उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि मुझे तो यह भी मालूम हुआ है कि उनकी और तरक्की की जा रही है।

तो जो बुनियादी सवालात हमारे सामने हैं वह यह हैं कि इस डेजर्ट के अन्दर मुस्तकिल तौर से पानी का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरस से टयूब वैल्स बना सकते हैं, किस तरह से गंगा के पानी को मुन्तकिल करके यहां पर ला सकते हैं, किस तरह जंगल के कटने को रोक सकते हैं, और किस तरह से यहां पर जो रैनवाटर होता है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इन बेसिक प्राब्लम्स के लिए राजस्थान सरकार को, पहले भी टीम बोल चुकी है ईस्ट जर्मनी वगैरह को। उनकी रिपोर्ट न तो आज तक इस सदन के सामने आई है और न हमें यह मालूम हुआ है कि इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है। अगर रैनवाटर को एवोपरेट होने से रोक दें, अगर वह साधन इस्तेमाल करें कि जिससे वह रैनवाटर भाप बनकर न उड़ जाय तो मेरी यह मान्यता है कि यह डेजर्ट एरिया है उसमें कम से कम पानी जरूर होगा।

मैं गया हूं डेजर्ट एरिया के अन्दर तो मुझे बहुत ज्यादा इत्तफाक तो नहीं हुआ लेकिन मैंने देखा है कि घरों में एनकेचमैंट एरिया बना रखे हैं और जो पानी बरसात में होता है उसको प्रिजर्व करते हैं। बड़े बड़े टैंक हैं। लेकिन यह ज्यादा सम्भव उन लोगों के लिए है जो कि बड़े बड़े लोग हैं, जो लखपति और करोड़पति हैं, क्योंकि एक मुकद्दमे में एक पूंजीपति के साथ मैं वहां पर गया तो उन्होंने मुझ से पूछा कि आप नहाओगे क्या तो मैंने कहा कि चाहता तो हूं। उन्होंने कहा कि पानी हमारे यहां बड़ा दुर्लभ है जरा एहतियात से नहाना। मैं नहाया तो वह पानी इस कदर बदबूदार था तो उन्होंने बताया कि दो-तीन साल का जमा किया हुआ पानी था। उस पानी की क्वालिटी को बदलने से रोक सकते हैं या जो डेजर्ट का बढता हुआ एरिया है उसको रोक सकते हैं तो मेरी यह मान्यता है कि हम इस मसले को आसानी से हल कर सकते हैं।

मेरा खुद का सुझाव है कि वह क्षेत्रीय इम्बेलेन्स खत्म होने चाहिएं और विकास

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
हर तरफ होना चाहिये, चाहे वह ईस्टर्न राजस्थान हो चाहे वेस्टर्न राजस्थान हो। हमारी यह मान्यता नहीं है कि जो क्षेत्र जितनी दौलत पैदा करता है वह दौलत उसी पर खर्च करना चाहिए। यह भावना नेशनल इन्टेग्रिटी और अखण्डता के सिद्धान्त के ही नहीं बल्कि मुल्क की यूनिटी और मुल्क की आजादी के लिए भी बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। तो मेरा कहना यह है कि क्षेत्रीय इम्बेलेन्सेज तो खत्म होने ही चाहिएं और डेजर्ट क्षेत्र के अन्दर ऐसी स्कीम्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें लागू करने चाहिएं कि जिससे हम अपने इस पानी के मसले को हल कर सकें।

अभी सुमित्रा जी ने यह सुझाव रखा है कि श्री के. एल. राव ने इस तरह की रिपोर्ट लिखी है कि गंगा का जो पानी है उस पानी का उपयोग किया जा सकता है और वह स्कीम केन्द्रीय हुकूमत के विचाराधीन है। तो इस किस्म से हम सोचें कि यह जो डेजर्ट का प्राब्लम है, यह जो रेगिस्तान का मसला है यह हल हो, लेकिन बुनियादी चीज यह है और मैं यह समझता हूं कि इस दिशा में गवर्नमेंट ने बाकायदा अच्छे कदम आज तक नहीं उठाये हैं। यह सवाल मुझे पता चला कि लास्ट टाइम तो आया ही था लेकिन जब मैं मेम्बर नहीं था उस वक्त भी इस तरह के सवालात चार मर्तबा आ चुके हैं। रिजोल्यूशन पेश हो चुका है रेगिस्तान को किस तरह से जंगल बनाया जा सकता है। तो यह एक साइन्टिफिक प्राब्लम है। यह सोचें कि समुद्र के खारे पानी को कन्वर्ट करके मीठा पानी बनाया जाय, उसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि यह बड़ा एक्सपेन्सिव जाब है। वह नामुमकिन है। कुवैत में तेल 5 आने गैलन है और पानी 3 रुपये गैलन मिलता है। उन्होंने समुद्र के पानी को मीठा करने की कोशिश की है तो उसकी कास्ट बहुत ही बढ़ गई और कास्ट 4, 5 रुपया गैलन आई तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बन्द कर दिया और करोडों रुपयों की वह मशीनरी डेस्ट्रॉय हो गई। तो यह चीज चलेगी नहीं, मगर मेरी मान्यता यह है कि अगर हम साइन्टिफिक प्रिकाशन इस तरह के लें और इस तरह के कदम उठायें कि कौनसी जगह ट्यूब वैल लगायें जायं कि जहां पर ट्यूब वैल कामयाब हों और हमारा वाटर बोर्ड, जो आज बहुत अर्से से काम कर रहा है उसके लिए मेरी यह मान्यता है कि न तो वह किसानों के लिए उपयोगी है और न वह गवर्नमेंट के लिए उपयोगी है। मुझे खुद को पता है कि बहुत से किसानों ने वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि हमें बतायें कि इस जगह पर पानी है कि नहीं तो उन्होंने जवाब दिया कि ईश्वर की कृपा हुई तो निकल जाय। तो फिर हम सब काम ईश्वर पर छोड़ दें। अभी यह कहा गया कि कहीं इन्द्र भगवान की कृपा हो गई और कहीं पर इन्द्र भगवान का करम नहीं हुआ तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन पर निर्भर होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : काम्युनिस्ट तो भगवान को नहीं मानते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं सब को मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मोहमम्द गफ्फार अली : मेरा अर्ज करना यह है कि जिस क्वार्टर से भी राहत मिले चाहे वह इन्द्र भगवान की तरफ से हो, चाहे साइन्टिस्ट की तरफ से हो वह लेना चाहिए। मेरी खुद की मान्यता यह है कि इसमें साइन्टिस्ट ही ज्यादा मददगार हो सकता है। वह ज्यादा इसमें सहायता देगा कि पानी किस तरह से उपलब्ध किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा और इस सदन की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा कि इसमें हमें क्षेत्रीय भावना से विचार नहीं करना चाहिए और इस कौन्सिल का नाम कुछ और रखकर—रीजनल कौन्सिल के बजाय उसको डेवलपमेंट कौन्सिल कह दें, इस किस्म का नाम रखकर इसको पारित करें, और उसमें यह भावना होनी चाहिए कि राजस्थान एक यूनिट है, और राजस्थान के अन्दर जितनी तरक्की होगी वह कुल की होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं अर्ज कर दूं कि गवर्नमेंट की इसमें जिम्मेदारी है कि वह इम्बैलेन्स को बढ़ने न दें। क्षेत्रीय भावनाएं पैदा नहीं होने दे जिससे कि इस मुल्क के टुकड़े करने वालों को सहायता मिले और इमदाद मिले। जनसंघ की स्पष्ट तौर से और साफ तौर से यह नीति है कि इस मुल्क के टुकड़े किये जायं। स्वतन्त्र पार्टी भी आ गई है। स्वतन्त्र पार्टी का मैं वजूद नहीं मानता। उसमें एक ही आते हैं। मैं मान कर चलता हूं, वह पैसे के बलबूते पर, राजाओं के पैसे के बलबूते पर, राजाओं के बलबूते पर जीत कर आ गये हैं, उनको जिन्दगी जुम्मे जुम्मे आठ दिन की है, आयन्दा चुनाव में इनका बिल्कुल सफाया हो जायगा। जो ज्यादा संगीन, ज्यादा गहरी है, व कौम के लोगों में है, उसने अपने पांव देश के बाहर तक फैलाने शुरू कर दिए हैं, वह पांव फैला रही है, वह कांग्रेस के लोगों में भी पैनीट्रेट कर रही है, ऐसे लोगों में पैनीट्रेट कर रही है जो रीजनल भावना पैदा करके इस मुल्क की अखंडता को खंड खण्ड करना चाहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, मैंने जो सुझाव दिए हैं, जंगलात को किस तरह प्रिजर्व करें, इवेपोरेशन की समस्या को किस तरह रोकें, ट्यूबवैल की समस्या को किस तरह से सोल्व करें, गंगा के जल को किस तरह से यहां लाया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक एरिस्टोक्रेटिक फेमिली का आदमी था, मिर्जा इस्माइल, 1939 से 1942 तक जयपुर का प्राइम मिनिस्टर था, जो उस वक्त दीवान कहलाता था, उसने एक प्लान रखा था कि सवाई माधोपुर में जो पांच छोटे छोटे दर्रे हैं उनको कान्क्रीट से भरवा दिया जाय और पूरे सवाई माधोपुर को पानी से भर दिया जाय। इससे इतना बड़ा रिजर्वायर वह होगा कि राजस्थान की वाटर की प्राब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जायगी। लेकिन कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों ने, हिन्दू महा सभा ने उस स्कीम को मेच्योर नहीं होने दिया। आज जनता ने आपको मेसिव सपोर्ट किया है, आप उस स्कीम को लागू कर सकते हैं और कोई वजह नहीं है कि आप उसको लागू नहीं करें। आपको हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप वह स्कीम निकलवायें, मिर्जा इस्माइल की स्कीम को, सवाई माधोपुर में जो

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
दरियां बहती हैं और जो पानी पहाड़ों से रिसता है उसको पूरे रिजर्वायर की शक्ल में बदला जा सकता है। यह स्थिति वहां मौजूद है। सवाई माधोपुर का वहां से बाहर रख कर डवलपमेन्ट किया जा सकता है। यह छोटा सा हिस्सा है, जो पहाड़ी से घिरा है उसको रिजर्वायर बना सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि इस सवाल को साइंटिफिक तरीके से तय करें (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) यह बात कि फलां कार्य हो गया, फलां कार्य हो गया—इसको छोड़ कर हमें आगे सोचना चाहिए और आगे कदम उठाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन !

श्री **गुमानमल लोढा** : मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य श्री गोटेवाला ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और इस संकल्प पर माननीय सदस्यों ने, जो अपने विचार प्रकट किये हैं, उनसे दो महत्वपूर्ण चीजें उभर कर यहां पर ऊपर आयी है। जहां तक रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास का या रेगिस्तान आगे न बढ़े—इसको रोकथाम का प्रश्न है—इस सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के पच्चीस साल के बाद भी, अगर आज भी उस क्षेत्र में अकाल पड़ता है और रेगिस्तानी क्षेत्र को, क्योंकि अच्छे सम्पन्न क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रश्न पर हम जिस तरह से जिस स्थिति में आज विचार कर रहे हैं—यह बहुत ही दुखद बात है। यहां पर अभी इस मरु प्रदेश के बारे में चिन्तायें तो बहुत व्यक्त की गई ? पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम उस क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें गहराई से यह समझना होगा कि उस क्षेत्र का विकास नहीं होने से वहां के लोगों को स्थिति किस प्रकार की आज भी बनी हुई है जबकि हम यह कहते हैं कि पच्चीस वर्ष के अन्दर देश में काफी विकास हुआ है और देश काफी आगे बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ता है राजस्थान के आठ, नौ, दस जिलों के अन्दर, यह भी कहा जाता है कि वहां पर प्रति वर्ष अकाल पड़ता है। प्रकृति के बारे में यह कहा जाय कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं—तो मैं यह नहीं मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, और मैं यह भी नहीं मानता हूं कि जब यहां पर यह कहा जाता है कि इस अकाल के नाम पर उन जिलों के अन्दर जितना रुपया खर्च किया जाता है उससे कोई रीजनल इम्बैलेन्स पैदा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी और कारण उस क्षेत्र के अन्दर अकाल पड़ना और धन का व्यय करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी उस क्षेत्र की जो अहम समस्यायें हैं उनका समाधान नहीं हुआ है इसकी जिम्मेदारी किस पर है कि और अकाल न पड़े—इसके लिए एक सुनियोजित और योजनाबद्ध ढंग से आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है और इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न वहां पर अकाल के नाम पर रुपया खर्च करने का नहीं है। मैं यह भी कह सकता

(श्री फूलचन्द जैन)
हूं कि उस क्षेत्र की समस्या बढ़ी हैं, घटी नहीं हैं। हमारा जो पशुधन है, वह धीरे धीरे कम हुआ है—उसकी जो कुछ भी रक्षा और जो कुछ भी उसको सुधारने की या उन्नत बनाने को जो कार्यवाही होनी चाहिए वह वहां पर नहीं हुई है। इसी तरह से उस क्षेत्र के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी एक बीघा जमीन के अन्दर किसी वर्ष में एक मन भी अनाज अगर किसान को मिल जाय तो वह अपने को भाग्यशाली समझता है, जब दूसरी तरफ हम एक बीघा जमीन से अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि मीठा पानी हर आदमी को उपलब्ध हो—यह अवश्य है कि कहने की बात और है परन्तु जो मरु प्रदेश का वह क्षेत्र है कि जहां पर खारा पानी है वहां पर कितनी क्या व्यवस्था अब तक हम कर पाये—यह भी सारी स्थिति हमारे सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के नाम पर भी जब यह कहा जाता है कि इतने करोड़ रुपये अकाल के नाम पर इस क्षेत्र में खर्च हो गये तो मैं यह भी कह सकता हूं कि उन क्षेत्रों में वास्तव में अकाल पड़ता है। वहां तो अकाल पड़ता है लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अकाल पटक दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सारा अकाल के नाम का रुपया सिर्फ इन क्षेत्रों, नौ दस जिलों में खर्च नहीं होता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौन से क्षेत्र हैं जहां अकाल पटक दिया जाता है।

श्री फूलचन्द जैन : आप संतोष रखिये आपने अपनी बात रखी है। मैं ठोस बात बताऊंगा जिन पर चिन्तन करना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : 30 पर्सेन्ट अदर प्लेसेज।

श्री फूलचन्द जैन : जब वहां अकाल पड़े...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! यू कन्टीन्यू।

श्री फूलचन्द जैन : अकाल वहां पर पड़े और वहां के लोगों की माली हालत दिन पर दिन गिरे—वहां व्यवस्था नहीं कर पायें, वहां सुनियोजित व्यवस्था नहीं बना पायें और हमेशा यह सोच कर हम चलें कि उस क्षेत्र के अन्दर जो रुपया खर्च हो रहा है वह रुपया क्यों खर्च हुआ—मैं समझता हूं कि अकाल के लिए जिस तरह की स्थिति से जब से उत्पन्न होती है उसके अन्दर जो कुछ किया जाता है, वह एक मानवता का प्रश्न है, और मानवता के नाम पर, मानवता को बनाये रखने के लिए यदि कोई राष्ट्र का कोई हिस्सा यदि वहां पर दुःखी है तो उसके अन्दर वहां पर जो कुछ बन पड़े वह करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि जब यहां पर रीजनल इम्बेलेन्स की बात कही गई, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि कौनसा वह वेस्टर्न राजस्थान का हिस्सा है कि जिसके अन्दर धनराशि खर्च कर दी गई, और किस काम के लिए कर दी गई—यह हमारी भी समझ में तो आना चाहिए, कौनसा ऐसा डवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पर लिया गया जिसके अन्दर धनराशि खर्च हो

Page No.116

(श्री फूलचन्द जैन)

गई। मैं तो यहां पर यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों से रेगिस्तान आगे नहीं बढ़े इसके लिए जो कुछ भी अब तक योजनाओं के माध्यम से भी कर सकते थे वह भी, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर नहीं किया गया है। ट्यूबवैल्स के नाम पर पैसा आता है, हजारों ट्यूबवैल्स लगाने की बात हम सुनते हैं, पर उन जिलों के अंदर जहां पर आज ट्यूबवैल्स की आवश्यकता है, एक अहमियत के द्वारा हम महसूस करते हैं, वहां ट्यूबवैल्स कौन खोदते हैं यह हमको देखने को नहीं मिला है।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं यह रेगिस्तान आगे नहीं बढ़े या वहां की समस्याओं का निराकरण हो, इस दृष्टि से किया जाए, यह भी प्रश्न बाद का है। अभी तक तो हमारी सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इस रेगिस्तान को कम करने के लिए या इसको बदलने के लिए हमने सारे इलाके का पूरी तरह से सर्वे करा लिया है? आज भी 25 साल के अन्दर सर्वे नहीं करा सके.......

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर की दृष्टि से चूरू जिले की डिटेल्ड सर्वे हुई है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं।

श्री फूलचन्द जैन : मैं इस समय, जो हमारे मरु एरिया के विकास के लिए जिस रेगिस्तानी इलाके को हम दूसरी तरह से परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करते हैं तो उस प्रश्न पर मेरा कहना है कि अभी तक जितनी गहराई में जाकर सर्वे हो कर हमारे सामने रिपोर्ट आनी चाहिए थी कि इस योजना के आधार पर हम इस डेजर्ट को रिक्लेम करके एक अच्छी किस्म में बदल सकते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज उस इलाके के अन्दर यह अगर कहा जाए कि वहां पर हमने काफी रुपया व्यय कर दिया है और पहले कभी कभी हम यह भी सुनते थे कि गंगानगर इलाके के अन्दर बहुत बड़ा खर्चा हुआ है और वहां पर इतना बड़ा कैनाल लाया गया है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं, उस समय भी मैंने कहा था कि अगर उन कैनाल्स को और कहीं मोड़ देना संभव होता तो हमें भरोसा नहीं था कि वह कैनाल गंगानगर क्षेत्र के अन्दर आती क्योंकि हम तो इस प्रश्न पर, जिसको हम वाजिब नहीं समझते हैं कि हम मरु प्रदेश के विकास के लिए, डेजर्ट को रिक्लेम करके और उसको एक अच्छी शक्ल में बदलने की भावना से कोई बात करते हैं तो उस समय इस बात की चर्चा करें कि कहां पर कितना खर्चा हुआ और कितना खर्चा होने से किधर इम्बैलेन्स हुआ, यह ठीक नहीं है। वरना मैं यह भी कह सकता हूं कि अकाल में जो धनराशि व्यय हो और उसके अन्दर कहीं पर भी गड़बड़ हो उसके लिए स्वयं हमने मांग की है कि इस बारे में सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए और इस तरह की स्थिति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

परन्तु ऐसे कितने मीडियम और माइनर इरिगेशन वर्क्स राजस्थान में योजनाओं के द्वारा बनाए गए हैं कि जो हमेशा खाली पड़े रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? उससे उत्पादन नहीं बढ़ा, हमारी जमीन की सिंचाई नहीं हो सकी तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है?

(श्री फूलचन्द जैन)

आज जब हम राजस्थान को और विकसित देखना चाहते हैं तो हमें ऐसे प्रश्न पर राष्ट्रीयता के आधार पर विचार करना चाहिए। यहां पर यह जोर दिया जाता कि राजस्थान नहर को नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में क्यों नहीं भारत सरकार लेती है, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, यहां पर अगर यह कहा जाता, जैसे अभी कहा गया कि गंगा के पानी को 700 मील तक ले जाकर उसके लिए योजना बनाई जा सकती है तो इसी तरह से हमारे राजस्थान के जिलों में भी हमारी, जो जमीन पड़ी है, उसको सिंचित कैसे बना सकें, इसके लिए भारत सरकार जो अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रेरणा देती है, उसको धन देने के लिए हम विवश करते।

इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान में अगर कहीं पर भी मानवीय दृष्टिकोण से कठिन समस्यायें हैं तो उसके लिए हमने कभी नहीं कहा कि हम समस्याओं को सुलझाने में कोई ढील बरतना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान का सवाल है, राजस्थान सदियों के बाद एक बना है और समूचे राजस्थान की समस्यायें हमारी अपनी समस्यायें हैं और उन पर पूरे राजस्थान के स्तर पर हम विचार करेंगे और उसी आधार पर हमारी मांग और आवाज उठेगी। इसके अन्दर अगर पूर्वी राजस्थान की जनता को तकलीफ है तो हम सबको तकलीफ है और पश्चिमी राजस्थान की जनता को तकलीफ है तो हम सबको तकलीफ है। अगर कोई अपने मन में यह सोचता हो कि हम अकाल के और उसके नाम पर जो पैसा उस समय के पीड़ित लोगों को देते हैं तो चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है जिसने हमारे सामने डेजर्ट रिक्लेम करने की योजना नहीं रखी वरना हम उस क्षेत्र के निवासी गौरव और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम निजी तौर पर भी इतनी अधिक धन राशि के लिए साधन जुटा कर व्यवस्था कर सकते हैं हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहते, मेहनत करना चाहते हैं और अपने आदमियों को लगाकर विकास करना चाहते हैं। लाखों और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद हम समस्याओं को सीमित करें और पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के नाम पर उसको आंकें, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। चाहे हम मजाक में कहें चाहे और किसी तरह से लेकिन इस आवाज को भगवान के लिए बंद कर दें कि पूर्वी राजस्थान क्या है, पश्चिमी राजस्थान क्या है? राजस्थान में किस जिले में क्या स्थिति है हम उस पर कैसे गंभीरतापूर्वक हमारे कर्त्तव्य के आधार पर विचार करें, इस भावना से हम काम करें वरना इसके परिणाम खतरनाक निकलेंगे। इसलिए मैं यहां पर इस बात को समाप्त करता हूं कि यहां पश्चिमी राजस्थान की बात कही गई कि इस कौंसिल का नाम रीजनल कौंसिल न रख कर पश्चिमी राजस्थान रखा जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो प्रस्ताव यहां पर आया उसके अन्दर डेजर्ट रिक्लेमेशन कौंसिल के नाम अगर इस चीज को प्रस्तुत करते तो सुन्दर होता। मुझे उनकी भावना में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि जयपुर जिले से आने वाले माननीय

(श्री फूलचन्द जैन)

सदस्यों ने रेगिस्तानी इलाके के प्रति जो चिंता व्यक्त की है उससे जाहिर होता है कि मूल के अन्दर हम राजस्थान के हैं, राजस्थान हमारा है यह भावना काम करती है, परन्तु सीमित होकर दूसरे दृष्टिकोण से जब भावुकता आती है तो इस प्रकार के प्रश्न उभर आते हैं। आज जब हम इस संकल्प पर विचार कर रहे हैं तो हमारी पूरी जोरदार आवाज से भारत सरकार से हम मांग करेंगे कि डेज़र्ट रिक्लेमेशन के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाए और इसके साथ ही मैं तो इस संकल्प के संबंध मे यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर काम उठाए, उससे पहले सदन को ऐसी समिति का निर्माण करें जो कि सारे डेजर्ट एरिया की समस्या को रिक्लेम करने को दृष्टि से क्या क्या इम्पेक्ट् हो सकते है और क्या क्या संभावनायें हैं, किस प्रकार से है, इनका प्रारूप बनाकर भारत सरकार के सामने रखें, जो उस संबंध में प्रिलिमिनरी कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा और उसके कहने के बाद में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। वह यह है कि हमारे अकाल मन्त्रीजी ने अभी इस सदन में पहले बताया था कि जिन डिस्ट्रिक्टस में स्थायी रूप से हर साल फेमीन पड़ता है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर वगैरहा उनके लिये गवर्नमेन्ट योजना तैयार कर रही है तो मेरा उनसे निवेदन है कि जिन जिलों के लिये प्रोजेक्ट तैयार हो गये हैं वहां तो काम शुरू हो गये होंगे लेकिन बाकी जिलों में भी जहां पर अकाल की स्थिति है उनके संबंध में भी मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार के भी प्रोजेक्टस बन सकते हैं उन्हें तैयार करके वहां पर भी तुरन्त कार्यवाही करना शुरू कर दे। उन प्रोजेक्टस के लिए हम थोड़ी आउट लाइन जानना चाहते हैं इस सदन में कि इस संबंध में किस प्रकार के प्रोजेक्ट वहां तैयार किये जायेंगे। यहां इस सदन में बताने से हमें उन पर अगर कोई सुझाव देने होंगे तो देने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जितने भी कार्य चलते है, जैसे क्रेश प्रोग्राम, चाहे वे डी. पी. ए. पी के अन्तर्गत चलने वाले प्रोग्राम हो, चाहे फैमीन के अन्तर्गत चलने वाले कार्य हो चाहे और किस प्रकार के राहत कार्य हो जिनका संबंध डेजर्ट एरिया से है ऐसे प्रोग्राम्स के अन्दर प्रोपर कोओर्डीनेशन होना जरूरी है। उपाध्य महोदय, मैं माननोय सदस्यों की इस भावना से सहमत हूं कि फैमिन के नाम पर हमारे प्रान्त में धन का दुरुपयोग हुआ है लेकिन वह अलग प्रश्न है। लेकिन इसके साथ साथ मै यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि अब जो पैसा इन फैमीन एरियाज में लगाया जाय उसमें राज्य सरकार को ऐसे कार्य हाथ में लेने चाहियें जो कि परमानेन्ट यूटिलिटी के हों। लेकिन अफोसोस की बात है कि आज हमारे यहां पर जो कार्य चल रहे हैं इन डेजर्ट एरियाज में उनमें प्रोपर कोओर्डीनेशन नहीं है। आज जो डेजर्ट ऐरियाज को कनवर्ट करने की योजनायें चल रही हैं वह अभी पूरी नहीं हुई हैं। अब तक जितने भी एफर्टस अकाल के अन्दर किये गये हैं वह सभी ऐसे कार्य हैं जो कि परमानेन्ट यूटिलिटी के नहीं हैं।

(श्री फूलचन्द जैन)
हर साल फेमीन में खर्चा राज्य सरकार करती है लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं होता है क्योंकि जो काम प्लान्ड वे में किया जाना चाहिये था वह उस तरह नहीं किया गया है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिये अलग अलग धन राशि, जो व्यय की जानी है वह योजनाबद्ध तरीके से की जाय। जो कुछ धन राशि हमें फैमिन के समय मिलती है उसको लोगों को रोजगार देने व राहत कार्य शुरू करने के साथ साथ डेजर्ट एरिया को भी धीरे धीरे कनवर्ट किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस संकल्प के माध्यम से इस सदन के अन्दर इस क्षेत्र के बारे में जो चिन्तायें और भावनायें माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की जायेंगी और जो सुझाव दिये जायेंगे उन पर राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। मैंने इस सदन में यह संकल्प प्रस्तुत किया है। उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहूंगा। इसलिये रूल्स के हिसाब से या तो मुझे पहले बोलने दिया जाय या सदन का समय बढ़ाया जाय। नहीं तो मैं, जो संशोधन इस संकल्प पर प्रस्तुत कर रहा हूं उसको इस संकल्प में संशोधन करके इस संकल्प को पारित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाय।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है समय बढ़ा करने और जल्दी से संकल्प को पारित करना मैं उचित नहीं मानती हूं। मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को अगले नॉन ऑफिशियल डे के दिन ले लिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया उसके लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कहा है उसके बारे में व्यवस्था देने का कर्त्तव्य आसन का है। आप विराजिये। श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आये माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। यह संकल्प किसी विशिष्ट भावना से ईस्ट और वेस्ट की भावना को लेकर इस सदन में पेश नहीं किया गया है। यह संकल्प राजस्थान के मरुस्थल का, रेगिस्तान का और मरुधरा के धोरों की धरती के लिये है। उसकी प्रगति के लिये है। यह मरुस्थल, जिसे रेगिस्तानी इलाका कहिये, चाहे इसे धोरा धरती कहिये यह इस रूप में हमेशा से ही भौगोलिक कारणों से है। इसलिये इस क्षेत्र में रहने वालों के लिये हमेशा से ही इसकी समस्या बनी हुई है। इसके साथ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ही यहां पर वर्षा का हमेशा से ही अभाव रहा है और वर्षा का अभाव होने के कारण यहां पर अकाल की समस्या हर साल बनी रहती है। इस प्रकार का संकट बना रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के अन्दर इस मरुस्थल के अन्दर विकास करने की बात कही गयी है। यह बात ठीक कही गयी है क्योंकि इस इलाके के अन्दर आपको दलित वर्ग, भूमिहीन और ऐसे तबके के लोग ही बसे हुए हैं जिनका कि विकास आज तक नहीं हो सका है। चाहे कारण कोई रहे हों। इनकी प्रगति नहीं हुई। मैं खुले रूप से इस सदन में कह देना चाहता हूं कि इस एरिया का हमेशा से ही शोषण होता रहा है। इस बात में नहीं जाना चाहता कि प्रगति क्यों नहीं हुई और उस बात को यहीं खतम करता हूं। लेकिन जब हम यह मान कर चलते हैं कि किन्हीं कारणों से इस जगह अकाल हर साल पड़ता है तो इस एरिया के लिये इस मरुस्थल को, इस डेजर्ट को कनवर्ट करने के लिये राज्य सरकार ने कोई स्थायी योजना क्यों नहीं बनायी।

जैसा कि इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इन इलाकों में लोगों को पानी मीलों दूर से लाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और झुन्झुनू के गांवों में लोगों को 10-10 और 15-15 मील से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। अकाल की विभीषिका के कारण इस क्षेत्र में पानी का नितान्त अभाव है। वहां की जनता पानी से व्याकुल रहती है जैसा कि सुमित्रा जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं भी उसको दोहरा रहा हूं और दोहराना चाहता हूं कि वहां का जीवन आज अत्यन्त संकट मय है। जैसा कि हमारे संविधान में और वैसे भी हमारा कर्त्तव्य है कि इन घोरों की धरती में रहने वालों के लिये, इस मरुस्थल में रहने वाले लोगों के लिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि उन्हें राहत मिले। मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि वहां पर राहत कार्य के साथ साथ ऐसे विकास के कार्य-क्रम हाथ में लिये जावें कि जिससे यह मरुस्थल समाप्त हों। इस प्रकार की योजनायें बनायी जानी चाहियें जिससे यहां से अकाल की विभीषिका का हमेशा के लिये अन्त हो। मैं समझता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो रिजोल्यूशन, जो संकल्प रखा है, जो भावनायें इस संकल्प को रखने में है उसका मैं बराबर स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय प्रकृति के प्रकोप से तो ये क्षेत्र योंही पीड़ित है पर उसके साथ साथ यहां का इतिहास देखिये आप उठा कर कि सन् 1965 से लेकर सन् 1971 तक इस भूमि पर दो बार हमले पड़ोसी देश से हुए। इतिहास इसका साक्षी है चूंकि यह सीमान्त प्रदेश भी है यहां के लोगों का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा इस भारत-पाक युद्ध में पीड़ित रहा और खास तौर से मैं आपसे निवेदन करूंगा जोधपुर में एक एक दिन में 40-40 बम गिराये गये। वहां के लोगों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इतिहास साक्षी है कि यहां के लोगों का मनोबल कितना ऊंचा था। यहां के लोगों का हौसला कितना बुलन्द था। उस युद्ध के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय भारत के प्रधान मन्त्री थे, जोधपुर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में आये तो उन्होंने स्टेडियम के मैदान में यहां के लोगों के लिये यह कहा कि इस मरुधरा की धरती में खून सस्ता है पर पानी मंहगा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे इलाके के लिये जो आज संकल्प इस सदन में आया है उसके विकास के लिये आज वहां निश्चित योजना बनाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रयास किये जाने चाहियें उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान नहर का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय और चूंकि इस नहर को बनते बनते काफी साल हो गये हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो सकी है इसलिये इसकी प्रगति को तेज किया जाय।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसके दूसरी तरफ भी कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिये जो कि टेल एण्ड है रामगढ़ जो कि जैसलमेर क्षेत्र में है। मैं समझता हूं कि अगर उस दिशा में भी कार्य शुरू हो जायें तो यह जल्दी पूरी हो जायेगी और जैसलमेर का इलाका, जो कि आज लगातार दस बारह साल से त्रस्त है उन लोगों को राहत मिलेगी। इस विकास के लिए जब यह बात कही जाती है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि दलों से उपर उठ कर हम सब राजस्थान नहर को युद्ध स्तर पर केन्द्रीय प्रोजेक्ट के नाते इसका निर्माण करने के लिए जोर डालें और एक ओर जहाँ यह गंगानगर की ओर से आ रही है, बीकानेर की ओर से आ रही है तो दूसरी ओर जैसलमेर से प्रारम्भ करके, टेल से हैड की ओर बढ़ाया जाय, इसके निर्माण कराने का संकल्प कर वास्तव में इस मरुस्थल को हरियाली में परिणत कराने के बारे में सक्रिय कदम उठा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे से पीछे बने विभिन्न देश, इजराइल जैसा देश जिसका मारवाड़ से अधिक क्षेत्र नहीं है, उसने साइन्टिफिक तरीके से किस प्रकार से रेगिस्तान को, जो कि हमारे राजस्थान के इस रेगिस्तान से कहीं अधिक भयंकर था, उसको आज हरियाली में परिणत कर दिया है, नखलिस्तान में परिणत कर दिया है। वहां की बनी हुई चीजें, फल फूल हैलीकोप्टरों में भर कर दुनिया के अन्य देशों में भेजे जाते हैं और हम वहीं बैठे हुए हैं जहां हम 1947 और 1948 में थे। उसी समस्या को हम बार बार ला रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा हमारा मन्त्रिमण्डल, हमारे मंत्रिगण, मुख्य मन्त्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि किस प्रकार से सदन की भावना है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात कोई जानबूझ कर नहीं कहता है। यदा-कदा यहां पर ऐसी बात आ गयी है तो उसको समाप्त करें। राजस्थान एक है। राजस्थान में 2।। करोड़ निवासी हैं वे राजस्थानी हैं, चाहे वे भरतपुर में रहते हों या वे चाहे जैसलमेर में रहते हों। वे राजस्थान की धरती से प्रेरणा लेते हैं। हम राजस्थान का विकास उसी गति से एक जुट होकर करेंगे यह संकल्प हम यहां लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान की ओर से हमने यह मांग की है कि नेचुरल साइन्स एकेडेमी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में

Page No.122

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कहा है जिसका उद्धरण के रूप में फाइनेन्स कमीशन को जो रिप्रेजेन्टेशन दिया गया था वह पृष्ठ 64 पर दिया हुआ है :-

"If the Central Government appointed a desert development authority with adequte funds to immediately implement the various recommendations on developing the desert, the vast desert could be converted into green pastures and fields with a thriving animal tending population inhibiting them. Unless comprehensive desert development programmes are taken up in this manner, it will indeed be difficult to find a desirable solution to the problem of recurrent drought and the State Government's first plea would, therefore (be that the Centre should set apart adequate funds for the development of the desert regions of the country in a systematic and integrated way through a national desert development authority."

राज्य सरकार की ओर से नेशनल डेजर्ट डेवलपमेन्ट आथोरिटी की बात कही गयी उसका समर्थन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार को कि केन्द्रीय सरकार किस रूप में करे या न करे या उस योजना में लम्बा चौड़ा समय लग सकता है, कई प्रकार से उसमें अलग अलग विभागों में विचार हो सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा मरुस्थल को हरा भरा बनाने की, उसके विकास की बात कही गयी है उसको अमली रूप देने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, इस बार राजस्थान के इलाकों में हा-हा कार मचा हुआ है। हम यह जानते हैं और मुझे अहसास है कि सदन के माननीय सदस्य इस बात के लिए आतुर हैं, कृत संकल्प हैं कि राजस्थान के किसी भी भाग में, चाहे वह बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो या अन्य स्थान हो, किसी भी मानव को, किसी भी पशु को इस कारण कि चारा न मिल सके, पानी न मिल सके या धान नहीं मिल सके उसको समाप्त नहीं होने दिया जावेगा। ऐसी परिस्थितियों में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज मरुस्थल के विकास की बात आयी है वह वास्तव में स्वागत योग्य है। मुझे इस बात का दुःख है कि मरुस्थल के विकास में भी राजनीति को लाया गया। मेरे पास बैठे हुए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गफ्फारअली ने राजनैतिक रंग दिया और यह कहा कि ऐसी शक्ति इस देश में है कि जो इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहती है। मुझे उनकी बात पर बड़ा तरस आया। जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ मिल कर राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की बात को लेकर पाकिस्तान का निर्माण किया, भारत माता को दो टुकड़ों में विभाजित किया, उन्होंने महाराष्ट्र, बम्बई, अहमदाबाद

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एवं रिग्रॉर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का नाम लेकर भाई भाई को लड़ाया, खून की नदियां बहाई पंजाब और दूसरे हिस्सों को विभक्त करने को बात उठायो, वे ही लोग विशुद्ध राष्ट्रवादी संगठन जनसंघ के लिये कहते हैं कि वे इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, इससे अधिक बचकाना बात और नहीं हो सकती।

हम इस देश में जन्मे हैं, हम इस देश के अंग हैं और इसके रक्त हैं। यहां जमीन के साथ, इसकी संस्कृति के साथ हमारे अटूट सम्बन्ध हैं और वे निरन्तर रहेंगे। वे रूस की तरफ देखते हैं, वे चीन और पाकिस्तान को तरफ देखते हैं। ये वे ही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कराया, ये वे ही शख्स हैं जब पाकिस्तान की सेनायें यहां आ रही थीं तो उसके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। चीन के आक्रमण के समय जब चीन नेफा में बढ़ रहा था ये वे ही शख्स हैं जिन्होंने नारा लगाया था कि मुक्ति सेनायें आ रही हैं उनका स्वागत करो। स्वागत का नारा लगाने वाले व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करने वाले ये वे ही व्यक्ति हैं। ये वे ही व्यक्ति है जिन्होंने 1967 में भारतीय जनसंघ के मंत्रिमंडल के समय यू. पी. में घुटने टेक दिये थे। मुझे इस बात की खुशी है ये भारत की अखंडता को स्वीकार करते हैं, भारत की अखंडता का सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टी ने मान लिया है। यह भारतीय जनसंघ की सब से बड़ी सफलता है। कम्युनिस्ट पार्टी भारत की अखंडता की बात करती है। भारतीय जनसंघ हमेशा से इस बात का हामी रहा है। काश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और वह हमसे जुदा नहीं हो सकता, पाकिस्तान के पास रहे टुकड़े को हमको आजाद कराना है और हमारी अखंडता को कायम करना है।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि इस संकल्प के ऊपर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। हाउस की परम्परा रही है कि जिन संकल्पों पर पूर्ण विचार न हुआ हो आगामी गैर सरकारी दिवस पर उसको लिया जा सकता है।

कई माननीय सदस्य : अपने आप लेप्स हो जाता है।

श्री खेतसिंह : ऐसा नहीं होता है। The matter will be talked over.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि इस संकल्प को आगामी नॉन ऑफिशियल डे पर रखा जाय ?

(स्वीकृत)

आगामी नॉन ऑफिशियल डे पर इसको रखा गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तब मैं अपना कथन जारी रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बज चुके हैं।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 1 मार्च, 1973 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 5.00 बजे म. प. दिनांक 1 मार्च, 1973 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 189 की सूची)

दिनांक 31-12-72 को जिला नियोजन कार्यालय, बांसवाड़ा को जीवित पंजिका पर उपलब्ध आशार्थियों का विवरण शैक्षणिक योग्यता के अनुसार।

शैक्षणिक योग्यता	कुल	आदिवासी
1. मैट्रिक	367	93
2. हायर सैकण्ड्री वोकेशनिक	502	65
3. स्नातक	88	5
कुल योग :—	957	163

दिनांक 1-1-72 से 31-12-72 तक जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों द्वारा अध्यापकों के जो पद जिला नियोजन कार्यालय, बांसवाड़ा को विज्ञापित कराये गये उसका विवरण।

पंचायत समिति का नाम	विज्ञापित रिक्त	भरी गई रिक्ति	आदिवासी	शेष
1. घाटोल	60	54	28	6
2. तलवाड़ा	5	1	—	4
3. भूखिया	8	—	—	8
4. बागीडोरा	23	10	—	13
5. पीपल खूंट	31	21	10	10
6. गढ़ी	11	—	—	11
7. सज्जनगढ़	16	10	—	6
8. कुशालगढ़	22	—	—	22
कुल योग :—	176	96	38	80

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 190 की सूची)

क्र. सं.	नाम अभिकरण	नाम तहसील	नाम राहत कार्य	विशेष विवरण
1.	सिंचाई विभाग	राशमी	सोमी तालाब	
2.	,,	,,	सलाडिया तालाब	
3.	,,	कपासन	तुरकिया तालाब	
4.	,,	,,	गुलाबपुरा तालाब	
5.	,,	प्रतापगढ़	सालमगढ़ तालाब	
6.	,,	,,	गोतमेश्वर तालाब	
7.	भू-संरक्षण अधिकारी	राशमी	नाला बंडिंग गन्दरफ	
8.	,,	,,	डिडोली चारागाह विकास	
9.	,,	प्रतापगढ़	चारागाह खाडिंग गोराजी का पठार	चालू नहीं हुआ
10.	,,	,,	चारागाह खाडिंग जोगीखेड़ा	
11.	,,	,,	चारागाह खाडिंग, सुहागपुरा	
12.	मण्डल वन अधिकारी	प्रतापगढ़	पैडोक नकोर	
13.	,,	,,	पैडोक करमदिया	चालू नहीं हुआ
14.	,,	,,	पैडोक मसानिया खोरा	,,
15.	भवन एवं पथ निर्माण	कपासन/राशमी	कपासन राशमी सड़क	
16.	,,	कपासन	भूपालसागर कोकोरकी चौकी सड़क	
17.	,,	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ धरियावद सड़क	
18.	सिंचाई विभाग	राशमी	मालीटो को खेड़ा तालाब	
19.	,,	,,	गनेशपुरा तालाब	
20.	,,	कपासन	दौपनी तालाब	
21.	वन विभाग	प्रतापगढ़	मल्हाड़ा पैडोक	
22.	,,	,,	अचलावदा घाटा सड़क	
23.	,,	,,	मांचईमली बोहेड़ा	
24.	भवन एवं पथ निर्माण	कपासन	काकरवा फलासिया सड़क	
25.	,,	,,	भूपालसागर गिलून्ड सड़क	
26.	,,	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सड़क	
27.	,,	राशमी	भारनी मातृकुण्डिया सड़क	
28.	,,	,,	राशमी रूदू सड़क	

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रावास

193. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या समाज कल्याणमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की सहायता से निजी संस्थाओं के द्वारा कितनी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास चलाये जाते हैं ?

(2) जब समाज कल्याण विभाग द्वारा ही छात्रावास चलाये जा सकते हैं तो फिर इन निजी संस्थाओं के हाथ में छात्रावास चलाने का कार्य क्यों सौंपा गया ?

(3) चित्तौड़गढ़ नगर में अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के कितने छात्रावास हैं ?

(4) चित्तौड़गढ़ में निजी संस्थाओं द्वारा जो छात्रावास चलाये जाते हैं क्या उन छात्रावासों में ऐसे विद्यार्थियों से कोई फीस भी ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या निकट भविष्य में समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों के साथ इन अनुसूचित जाति या जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की सुविधा होगी ? इस पृथक्करण को कब तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की सहायता से स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिये क्रमश: 59 व 66 छात्रावास चलाये जा रहे हैं।

(2) अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त करने की नीति के कारण स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा छात्रावास संचालित कराये जाते हैं।

(3) चित्तौडगढ़ नगर में अनुसूचित जाति तथा घुमन्तु जाति का एक एक छात्रावास चलाया जा रहा है।

(4) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों से कॉशन मनी के अलावा अन्य कोई फीस लेने का नियम नहीं है।

(5) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला झालावाड़ में कृषि कार्य हेतु दिये गये ट्रैक्टर

194. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में सन् 1969-70 व 1971 में कृषि के कार्य हेतु कितने कितने ट्रैक्टर किस किस व्यक्ति को दिये

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
गये ? कृपया सूची नाम ग्राम तहसील दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इन ट्रैक्टरों को दिये जाने की सिफारिश कहां से कब की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिन्हें ट्रैक्टर दिये गये है उनमें से दो चार के सिवाय किसी के पास ट्रैक्टर नहीं हैं और न वे ट्रैक्टर कभी देखे गये ?

(4) क्या प्रश्न के भाग (1) में चाही गई सूची के मुताबिक ट्रैक्टर जिला झालावाड में पहुंचे हैं, की जांच की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) निगम में जिलेवार ट्रैक्टर आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त होते थे और प्रार्थियों द्वारा भी आवेदन किया जाता था । निगम द्वारा 17 सितम्बर, 1971 से पूर्व निगम के नियमानुसार प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदन-पत्र, जो प्रार्थी द्वारा 15 एकड़ जमीन होने का प्रमाण-पत्र तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी, द्वारा प्रमाणित करके भेजा जाता था, प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक जिले को निर्धारित प्रतिशत से जिले वाईज ट्रैक्टर आवंटन निगम द्वारा किये गये थे ।

(3) इस सम्बन्ध में निगम के पास कोई सूचना नहीं है ।

(4) ट्रैक्टर बेचने के बाद निगम ने उनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं की है क्योंकि निगम के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, न ही जांच का कोई अधिकार था ।

झालावाड़ जिले में आवंटित ट्रैक्टरों की सूची
सन् 1969

क. सं.	प्रार्थी एवं पिता का नाम	ग्राम	तहसील
	जीटर 2011		
1.	श्री ललीतसिंह पुत्र श्री जालम सिंह	बोरी खेड़ा	झालरापाटन
2.	श्री हरिसिंह पुत्र श्री अखतराज सिंह	जालापा	खानपुर
3.	डॉ. के. एल. सोरी पुत्र श्री एस. के सोरी	झालरापाटन	झालरापाटन
	डी. टी. 14		
1.	श्री सुदर्शन सिंह पुत्र श्री जालम सिंह	बोरी खेड़ा	झालरापाटन
2.	श्रीमती मन्नीबाई धर्मपत्नी श्री शिवकरणलाल	झालावाड़	झालावाड़
	बोलगार ट्रैक्टर		
1.	श्री ललीत सिंह	बनी खेड़ा	थामेम्बलीड़ी
2.	श्री हरिसिंह	जापा	खानपुर

झालावाड़ जिले में आवंटित ट्रैक्टरों की सूची

सन् 1970

क. सं.	प्रार्थी का नाम एवं पिता का नाम	ग्राम	तहसील
	बेलारूस		
1.	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह	हरिगढ़	खानपुर
2.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री महादेव	भांसला	पिपाला
	उरसस सी–335		
1.	श्री नन्दलाल पुत्र श्री श्रवणमल माली	दुर्गापुरा	झालरापाटन
2.	श्री मांगीलाल, सालीगराम पुत्र श्री कँवरराम	दुर्गापुरा	झालरापाटन
3.	श्री ईनाग अली पुत्र श्री गुलाम अली	मंगलपुरा	खानपुर
	जीटर 2011		
1.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री देवकरण	जोलीया	खानपुर
2.	श्री दौलतराम पुत्र श्री गोगाजी	रोमोड़ी	झालरापाटन
3.	श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री लालसिंह	किशनपुरा मलभारसी	झालरापाटन

झालावाड़ जिले में आवन्टित ट्रैक्टरों की सूची

सन् 1971

क.सं.	प्रार्थी का नाम एवम् पिता का नाम	ग्राम	तहसील
1	2	3	4
	बलारुस		
1.	श्री किसनाराम पुत्र श्री कानाराम	बेनसला	पिपाला
	जीटर 551		
1.	श्री जमनालाल पुत्र श्री घासीराम	जोलपा	खानपुर
2.	श्री नवनीतलाल पुत्र श्री गोपाललाल	पच पहाड़	पच पहाड़

Page No.129

1	2	3	4
		उरसस सी-328	
1.	श्री भूरिया पुत्र श्री घासीलाल	जोलपा	खानपुर
2.	श्री भवानीशंकर पुत्र श्री किसन	जोलपा	खानपुर
3.	श्री रामकिसन पुत्र श्री भौरीलाल	जोलपा	खानपुर
4.	श्री आनन्द पुत्र श्री राम नाथ	जालिया	खानपुर
5.	श्री रतनलाल पुत्र श्री किसनलाल	मेगरा	खानपुर
		मेसी फरग्युसन 135	
1.	श्री सरदारसिंह पुत्र श्री मुरलीसिंह	भगवानपुरा	खानपुर
		जीटर टी 25	
1.	श्री चन्नालाल पुत्र श्री सुन्दरलाल	साडेरोरी	खानपुर
2.	श्री मोसिनहुसेन पुत्र श्री यूसुफअली	गाडारवाला नुरजी	खानपुर
3.	श्री पूर्णसिंह पुत्र श्री बिसनसिंह	कालमारी खुर्द	झालरापाटन
		आई. एम. टी. 555	
1.	श्री रामचरन पुत्र श्री रामनाथ	मेपाड़ा	खानपुर
2.	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री हीरालाल	मेपाड़ा	खानपुर
3.	श्री मोहम्मद हुसेन पुत्र श्री इब्राहीम	10-3-2 डूडार	झालरापाटन
		जीटर 2011	
1.	श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री प्यारेलाल	मंडावरी	झालरापाटन
2.	श्री रामसहाय शर्मा पुत्र श्री रामनाथ	मंडावरी	झालरापाटन
3.	श्री बजरंगसिंह पुत्र श्री प्रभातसिंह	कालमंडा	झालरापाटन

बालोतरा में रंगाई छपाई का काम

195. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा में रंगाई-छपाई का काम काफी बड़े पैमाने पर होता है।

(2) क्या यह सही है कि बालोतरा में की जाने वाली रंगाई और छपाई के लिए पावर लूम का कपड़ा ही श्रेष्ठ है? यदि हां, तो ऐसा कपड़ा प्राप्त करने में स्थानीय उद्योगपतियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है?

(3) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार बालोतरा के उद्योगपतियों को पावर लूम उपलब्ध करायेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बालोतरा में रंगाई-छपाई के कार्य की बढोतरी देखते हुए पावरलूम आवन्टन करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

खानपुर क्षेत्र की नल योजनाएं

196. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खानपुर पंचायत समिति में खानपुर-हरीगढ़-सारोला में नल लगाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग में इस समिति द्वारा धनराशी भी जमा करवाये हुये काफी समय व्यतीत हो गया है परन्तु अभी तक इस योजना के अनुसार कार्य शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस कार्य में देरी क्यों की जा रही है तथा कब तक वहां को जनता को पानी उपलब्ध हो सकेगा?

उत्तर

(1) केवल खानपुर की जल प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है, हरीगढ़ व सरोला को नहीं।

(2) खानपुर की जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, ग्राम, हरीगढ़ की ओर से अभी जन-सहयोग की पूरी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है व ग्राम सारोला से जनसहयोग की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जन-सहयोग की धनराशि प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

हरिजन मोहल्लों में पानी की व्यवस्था

197. श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिग्गा, बास रामसरा, मोमासर, आड़सर, धीरदेसर, पुरोहितान, दूलचासर, शेरूणा सूड़सर, गोपालसर, देराजसर, टेऊ के हरिजन मोहल्लों में पाइप लाईन बिछा कर

(श्री लूणाराम सारण)
पानी देने के प्रस्ताव गत वर्ष से पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़ ने काफी समय से विभाग को भेज रखे है ?

(2) क्या विभाग इन ग्रामों के हरिजन मोहल्लों में जल उपलब्धि के लिये पाइप लाईन बिछाना चाहता है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया ग्रामवार बताने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी नहीं, लेकिन केवल ग्राम बिग्गावास तथा मोमासर के पाइप लाइन के एस्टीमेट जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग, बीकानेर में पूर्व में प्राप्त हुये थे। उस समय श्री डूंगरगढ़ में जल प्रदाय योजना के अभाव में विभाग द्वारा नल लगाने के लिए अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। अब इन दोनों ग्रामों में जल प्रदाय योजना लागू हो जाने से जन स्वास्थ्य (अभियान्त्रिक) एवं जल प्रदाय विभाग ने अपने बजट से क्रमश: 14,000 रु. व 12,000 रु. की राशि के कार्य इस वर्ष 1972-73 में स्वीकृत कर दिये हैं।

(2) शेष ग्रामों में जल प्रदाय योजना चालू होने के पश्चात् नल लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन पर अवश्य ही विचार किया जावेगा।

जयपुर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

198. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले की किन किन तहसीलों से कौन कौन से ग्रामों के अभावग्रस्त होने की सूची जिला प्रशासन को भेजी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त सूची में क्या कोई परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो किस कारण से ?

(3) सरकार द्वारा जयपुर, जिला प्रशासन द्वारा अकालग्रस्त ग्रामों की सूची में से किन किन ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया और क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की निम्न तहसीलों से उनके आगे अंकित ग्रामों के अभावग्रस्त होने की सूची तहसीलदारगण ने जिला प्रशासन को भेजी थी:—

नाम तहसील	गांवों की संख्या
1. फागी	151
2. फुलेरा	189
3. दूदू	124
4. कोटपूतली	73
5. बैराठ	62
6. जयपुर	90
7. सांगानेर	145
8. बस्सी	152
9. चाकसू	186
10. आमेर	77
11. जमवारामगढ़	147
12. दौसा	15

(2) जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया

(श्री अकाल सहायता मन्त्री)

(3) उपरोक्त तहसीलों में से तहसील कोटपूतली एवं तहसील चाकसू को छोड़ कर समस्त तहसीलों के लिये अभाव ग्रस्तता के जो प्रस्ताव आये थे, उन सबको स्वीकार कर उन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया।

जहां तक तहसील कोटपूतली का सवाल है 73 में से 46 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है । तहसील चाकसू के 186 प्रस्तावित ग्रामों में से 172 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया गया है। तहसील कोटपूतली एवं तहसील चाकसू के जिन ग्रामों को जिला प्रशासन ने अभावग्रस्त घोषित करने के लिये प्रस्तावित किया, परन्तु राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित नहीं किया उनकी सूची संग्लान है। इन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित न करने का कारण यह था कि इनमें फसल खरीफ सम्वत 2029 में खराबी 50% से कम था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भारत-पाक युद्ध के समय बाड़मेर जिले के व्यक्तियों को दी गई बन्दूकें

199. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भारत--पाक युद्ध सन् 1971 के दिनों में बाड़मेर जिले में कितने व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से बन्दूकें दी गईं ? उनकी सूची मय नाम एवं पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन बन्दूकों का उन्होंने किस प्रकार उपयोग या दुरुपयोग किया ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने उन बन्दूकों का सही तौर से प्रयोग नहीं किया, कोई कदम उठाया ?

(4) क्या यह सही है कि उन बन्दूकों का उनके द्वारा सही तौर से उपयोग नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार ने उनसे बन्दूकें ले लीं ? अब तक किन किन के पास उक्त बन्दूकें हैं ? उनकी सूची मय नाम एवं पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भारत-पाक युद्ध, सन् 1971 के दौरान सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में 219 व्यक्तियों को बन्दूकें दी गयीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उन बन्दूकों का उपयोग सीमा की सुरक्षा हेतु किया गया व जिन व्यक्तियों के आचरण ठीक नहीं पाये गये व अन्य कारण से उनके पास रखना उचित नहीं समझा गया उनसे शस्त्र वापिस लेकर जमा करा दिये गये।

(3) सही तौर से प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों के नियुक्ति (विशेष पुलिस अधिकारी) के आदेश निरस्त कर बन्दूकें वापिस जमा कर ली गईं।

(4) जी हां, कुछ से बन्दूकें वापिस ली हैं। सूची में अंकित व्यक्तियों में से 197 व्यक्तियों के पास अभी तक बन्दूकें हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फागी तथा चाकसू पंचायत समितियों की पाठशालाएं

200. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) फागी तथा चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालाएं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितनी प्राथमिक शालाओं के लिये भवन उपलब्ध हैं और कितनी शालाओं के लिये भवन उपलब्ध नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन प्राथमिक शालाओं के लिये भवन उपलब्ध नहीं हैं उनके बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है तथा इनके भवन कब तक तैयार हो जावेंगे? भवन बनाने के लिये सरकार का क्या मापदण्ड है?

(4) फागी तथा चाकसू तहसील क्षेत्र की कितनी प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार चाकसू कस्बे की आबादी तथा आस पास के विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए सैकण्ड्री स्कूल को हायर सैकण्ड्री में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त क्षेत्र की कितनी माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) भवन निर्माण के लिये ग्राम पंचायतों को जनसहयोग प्राप्त करके भवन निर्माण करने के लिए निवेदन किया जाता है। यदि ग्राम पंचायत शत प्रतिशत जन-सहयोग एकत्रित करने में सफल नहीं हो पाती तो, राज्य सरकार भवन निर्माण के लिये बजट में प्रावधान होने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है।

(4) किसी भी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है।

(5) व (6) जी नहीं। वर्तमान मे वित्तीय संकट के कारण किसी सैकण्ड्री स्कूल को हायर सैकण्ड्री में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम नया बास (नीम-का-थाना) मे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

201. श्री मालाराम (नीम-का-थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम नया बास, तहसील नीम-का-थाना में पुलिस द्वारा सन् 1971-72

(श्री मालाराम)
में कितने कितने व्यक्तियों को किस किस अपराध में गिरफ्तार किया गया ?

(ख) किस किस प्रकार का कितना कितना माल जब्त किया गया ?

(ग) कौन कौन व्यक्ति किस किस समय से किस किस अपराध में फरार है ?

(घ) गिरफ्तार किये गये एवं फरार व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) इस अवधि में ग्राम नया बास, तहसील नीम-का-थाना में पुलिस द्वारा 100 व्यक्तियों को चोरी करने व चोरों को सहायता करने, चोरी का माल लेने और अनाधिकृत रूप से हथियार आदि रखने के अपराधों एवं एक व्यक्ति को हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया गया।

(ख) विभिन्न प्रकार से जब्त शुदा माल की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) गिरफ्तार शुदा 33 मुलजिमानों के विरुद्ध चोरी करने और नाजायज हथियार रखने आदि अपराधों में न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये हैं। 14 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु उनके छुपने के गुप्त स्थानों पर दबिशें दी गई तथा धारा 87-88 जा. फो. के तहत कार्यवाही भी की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें

202. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर वाटर वर्क्स विभाग के अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ इस विभाग के कर्मचारियों की यूनियन की ओर से शिकायत पत्र छपा हुआ सरकार को पेश किया था और उस पर जांच का आदेश प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले के कई विधायकों ने भी लिखित व जबानी में इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की और तबादले के लिये भी प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में पुनः जांच करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिये गये हैं। उनकी जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(2) जी हां,। सम्बन्धित अधिकारी दिनांक 31-1-73 को अधिशासी अभियन्ता, अलवर के पद से मुक्त हो चुके हैं।

पावरलूम टैक्स मार्का का कोटा

203. श्री भंवर लाल भदादा (भीलवाड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 67 में कितने पावरलूम का कोटा आया, उसमें से कहां कहां कितने कितने पावरलूम अलॉट हुए हैं और कितने कितने कहां चल रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उन लोगों के अलॉटमेंट को कब कैन्सिल करने जा रही है ? जिन्होंने अब तक पावरलूम नहीं लगाये हैं याने ट्रेड-टैक्स मार्का का उपयोग नहीं किया है ?

(3) इन कैन्सिल शुदा पावरलूम टैक्स मार्कों का अलॉटमेन्ट पुनः कब तक हो जायेगा ?

(4) सन् 67 के बाद राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से पावरलूम टैक्स मार्का लेने का कब कब प्रयत्न किया और उसका क्या परिणाम आया—कितने नये पावरलूम टैक्स मार्का का कोटा मिला और उनका वितरण किस प्रकार कहां कहां हुआ तथा इनमें से कितने चालू हो गये हैं ?

(5) यदि सन् 67 के बाद राज्य सरकार द्वारा पावरलूम टैक्स मार्का कोटा लाने का प्रयत्न नहीं किया गया तो क्यों नहीं और अब कब पावरलूम-टैक्स मार्का का नया कोटा ला रहे है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अलॉटेड पावरलूम को निरस्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है ।

(3) निरस्त होने के पश्चात् ।

(4) सन् 1967 के बाद राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से पावरलूम टैक्स मार्का लेने के सम्बन्ध में लिये गये पत्रों की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अब तक राज्य सरकार को कोई कोटा प्राप्त नहीं हुआ है । अतः वितरण का प्रश्न नहीं उठता ।

(5) पावरलूम कोटा के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं । किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब कोटा प्राप्त होगा ।

सूची सन् 1967 में अलॉट शुदा 3,100 लूमो के वितरण एवं कार्यरत लूमों की जिलेवार सूची।

क्रमांक	नाम जिला	अलॉट किये गये करघे	कार्यरत करघे
1.	जयपुर	216	188
2.	अजमेर	2189	2189
3.	जालोर	8	32
4.	बांसवाड़ा	4	—
5.	नागौर	8	8
6.	चूरू	16	—
7.	टौंक	12	12
8.	जोधपुर	76	76
9.	उदयपुर	34	12
10.	झुंझुनू	18	18
11.	सीकर	4	4
12.	सिरोही	4	8
13.	झालावाड़	4	—
14.	भीलवाड़ा	364	232
15.	सवाईमाधोपुर	50	50
16.	पाली	50	100
17.	गंगानगर	2	12
18.	भरतपुर	6	—
19.	कोटा	20	—
20.	चित्तौड़गढ़	12	—
21.	बीकानेर	6	—
		3,100	2,941

सूची (ब)

1. माह जुलाई, 1969 में श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री ने एक पत्र विदेश व्यापार मंत्री, भारत सरकार को लिखा।
2. पत्र क्रमांक 1 (1) जनरल/कोप./टेक्स/पी. एल./1265, दिनांक/11-1-71 को निदेशक, उद्योग ने उप सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक पत्र लिख कर भेजा।
3. पत्र क्रमांक 1 (1) जन./कोप./टेक्स/पी. एल./1265, दिनांक 11-1-71 को उप निदेशक, उद्योग ने उप सचिव, भारत सरकार को एक पत्र लिख कर भेजा।
4. अ. शा. पत्र क्रमांक-प. 19 (4) उद्योग/66, दिनांक 18-7-72 को मुख्यमंत्री श्री बरकतउल्ला खां ने केन्द्रीय विदेश व्यापार मंत्री को एक पत्र लिखकर भेजा।

चतुर्थ योजना के आधार पर व्यक्तियों को रोजगार

204. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा चुका है ?

(2) उक्त अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही पद्धति को भारत सरकार द्वारा नियुक्त दांतवाला समिति ने उपयुक्त नहीं बताया है ?

(4) यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन व्यक्तियों को काम दिलाया गया की संख्या का अनुमान गलत लगाया गया है ?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में रोजगार कितने व्यक्तियों को दिया गया इसके अनुमान नहीं बनाये गये हैं।

(2) चूंकि अनुमान नहीं बनाये गये हैं। अतः कोई पद्धति अपनाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) चूंकि कोई पद्धति नहीं अपनाई गई है अतः इसे उपयुक्त या अनुपयुक्त बताने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन व्यक्तियों को काम दिलाया गया, उनके अनुमान योजना आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार बनाये गये थे, जिन्हें गलत नहीं कहा जा सकता।

गंगानगर जिले में हरिजन स्त्रियों के साथ बलात्कार के मामले

205. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में सन् 1970-71, 1971-72 व 1972-73 में हरिजन स्त्रियों के साथ कितने बलात्कार के केस हुये तथा किस किस तहसील में किस किस गांव में किस किस के द्वारा किये गये ?

(2) उपरोक्त केसेज में कितने मामले अदालत में दर्ज किये गये, कितनों में क्या क्या फैसला हुआ, कितने केसेज में फाईनल रिपोर्ट दे दी गई, कितने केसेज में पुलिस कार्यवाही चल रही है और कब से, कृपया केसवार बतायें ?

(3) गंगानगर जिला अधिकारियों के द्वारा हरिजन स्त्रियों पर सवर्णों के अत्याचार रोकने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में 1970-71, 1971-72, 1972-73, में हरिजन

(गृह मन्त्री)

स्त्रियों के साथ बलात्कार के कुल 30 मुकदमें दर्ज हुये जिनका विस्तृत विवरण तालिका के कॉलम नम्बर 1 से 4 तक में अंकित है। जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त 30 मुकदमों से 23 मुकदमों का चालान अदालत में पेश किया गया जिनमें से एक मुकदमें में मुलजिमान को सजा हुई, 4 में बरी हुये और 18 मुकदमें जेर तजबीज अदालत हैं। 6 मुकदमात में फाईनल रिपोर्ट दी गई है और एक मुकदमा जेर तफतीश है। पूर्ण विवरण तालिका में अंकित कॉलम नं. 5 से नं. 10 तक में अंकित है।

(3) समय समय पर इस प्रकार के जुर्मों की सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर मुलजिमान को सजा दिलवाने की तत्काल कार्यवाही की है।

जिला गंगानगर में सन् 1970 से सन् 1973 तक हरिजन स्त्रियों के साथ किये गये बलात्कार केसेज का विवरण

क्र.	मु. नं., दिनांक व धारा व थाना	घटना स्थल मय तहसील	नाम मुलजिमान	नतीजा तफतीश		जेर तफ्तीश	नतीजा अदालत		
				चालान	फाईनल		सजा	बरी	जेर तजवीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	100/23-9-70/376/ रायसिंह नगर	रायसिंहनगर	भागीरथ मेघवाल	चालान	—	—	—	बरी	—
2.	59/23-3-70/अनूपगढ़	अनूपगढ़	काबूलसिंह जाट सिख	,,	—	—	—	—	जेर तजवीज
3.	157/1-9-70/ ,,	,,	तेजीया करणा नायक	—	फाइनल	—	—	—	—
4.	39/17-6-70/हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	साहबराम रमाराम विश्नोई	चालान	—	—	—	बरी	—
5.	75/10-10-70/ ,,	,,	काबू, देसराज, लछमण राजपूत	,,	—	—	—	—	जेर तजवीज
6.	115/4-10-70/टीबी	टीबी	उदीमीराम जाट	,,	—	—	—	—	—
7.	26/6-5-70/चुनावढ़	गंगानगर	गुरनामसिंह गुरदेवसिंह जाट सिख	,,	फाइनल	—	—	बरी	—
8.	36/22-3-70/पदमपुर	पदमपुर	हरदयालसिंह जाट	,,	—	—	—	,,	—
9.	2/71/रावतसर	नोहर	गोपाल-डूंगर-दुला नायकान	—	फाइनल	—	—	—	जेर तजवीज
10.	3/71 रावतसर	नोहर	,,	—	,,	—	—	—	—
11.	47/6-8-71/मुकलाना	रायसिंहनगर	निरंकसिंह जट सिख	चालान	—	—	—	—	जेर तजवीज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	132/11-3-71/हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	काशीराम बावरी	चालान	—	—	—	—	जेर तजवीज
13.	112/22-12-71/सूरतगढ़	सूरतगढ़	मलकीयत मेहरा	,,	—	—	—	—	,,
14.	56/24-8-71/चुनावढ़	गंगानगर	रणबीर जाट	,,	—	—	—	—	,,
15.	4/6-3-71/इन्द्रमल कोट	,,	हरनेकसिंह	—	फाइनल	—	—	—	,,
16.	64/12-10-71/पदमपुर	पदमपुर	बलदेवसिंह जट सिख	चालान	—	—	—	—	,,
17.	15/7-5-71/घुमड़वाली	पदमपुर	भादरराम हरिजन	,,	—	—	—	बरी	,,
18.	1/72 भादरा	भादरा	जगदीश चाचान	,,	—	—	—	—	,,
19.	96/21-8-72/सूरतगढ़	सूरतगढ़	पूर्ण गुरमेल बावरी	,,	—	—	—	—	,,
20.	100/6-11-72/सादुलपुर	सादुलपुर	पेमाराम-चेतराम-मेघवाल	,,	—	—	—	—	,,
21.	16/14-3-72/रायसिंह नगर	रायसिंहनगर	हरीराम बावरी	,,	—	—	—	—	,,
22.	19/24-3-72/ ,,	,,	हनुमान विश्नोई	,,	—	—	—	—	,,
23.	54/25-8-72/अनूपगढ़	अनूपगढ़	मनफूल विश्नोई	,,	—	—	—	—	,,
24.	4/22-1-72/विजयनगर	,,	मोटाराम जाट	—	फाइनल	—	—	—	—
25.	11/4-2-72/विजय नगर	,,	कृपाल जाट सिख	चालान	—	—	—	—	जेर तजवीज
26.	5/5-10-72/ ,,	,,	लालिया बावरी	,,	—	—	—	—	,,
27.	15/13-2-73/रायसिंह नगर	रायसिंहनगर	जोगेन्द्रसिंह जाट	,,	—	—	—	—	,,
28.	1/1-1-73/लखूवाली	सूरतगढ़	इन्द्र-जगदीश जाटान	—		जेर तफसीस		—	—
29.	4/29-1-73/केसरीसिंहपुर	करणपुर	मनशासिंह जट सिख	चालान	—	—	सजा	—	—
30.	5/31-1-73/करमपुर	,,	रेवतसिंह जट सिख	,,	—	—	—	—	जेर तजवीज

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण

206. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विभिन्न सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है अथवा कुछ विचार किया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में फिलहाल कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम उलाना तहसील नावां में नमक बनाने के लिये आवंटित भूमि

207. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम उलाना तहसील नावां में श्री अरुण कुमार पुत्र श्री राधावल्लभ, निवासी जयपुर व अन्य पांच व्यक्तियों के नाम पर 47 एकड़ भूमि नमक बनाने हेतु आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कब और किन किन के नाम पर ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस आवंटन की कार्यवाही के लिये कब कब आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये और किन किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जिन्हें उक्त भूमि का आवंटन किया गया है उनसे इस भूमि का कितना लीज मनी वसूल किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) आवंटन विज्ञप्ति सं. डी. आई. एस./70/848, दिनांक 20 अप्रेल, 1970 के अनुसार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 15 रु. प्रति एकड़ प्रति वर्ष।

ग्लाहुना एवं खारड़िया में आवंटित नमक प्लॉटों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का ब्यौरा

क्रमांक	पार्टी का नाम	दिनांक एवं समय पत्र प्राप्त	
1.	मै. राजेन्द्र गोविन्द एण्ड कं. बंसीशक्त, टिक्कीवालों-का-रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर	24-4-70,	10.30 ए. एम.
2.	श्री जगदीश नारायण झालानी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	29-4-70,	10.40 ए. एम.
3.	मै. झालानी ट्रेडिंग कं., त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	29-4-70,	10.50 ए. एम.
4.	श्री अरुन कुमार, विद्या विहार, पिलानी	29-4-70,	11.00 ए. एम.
5.	श्री भगवान सहाय कूलवाल, जोहरी बाजार, जयपुर	29-4-70,	11.00 ए. एम.
6.	मै. जोर्ड इन्डस्ट्रीज, अन्धेरी दरवाजा, जयपुर	29-4-70,	11.00 ए. एम.
7.	श्री जी. डी. बांगड़, बम्बई	29-4-70,	11.00 ए. एम.
8.	श्री नन्दलाल अग्रवाल, नीमकाथाना, सीकर	29-4-70,	4.30 पी. एम.
9.	श्रीमती वीना शर्मा, ध. प. ओमप्रकाश शर्मा, जयपुर	30-4-70,	3.00 पी. एम.
10.	श्री रतनलाल टांक	2-5-70,	2.35 पी. एम.
11.	श्री ई. ए. थोमस, सी स्कीम, जयपुर	2-5-70,	2.36 पी. एम.
12.	श्री श्यामलाल गुप्ता, रायपुर, मारवाड़	5-5-70,	11.00 ए. एम.
13.	श्री रामजीवन अग्रवाल, रायपुर, (पाली मारवाड़)	5-5-70,	11.00 पी. एम.
14.	मै. वी. पाराशर एण्ड कं. बापू बाजार, जयपुर	5-5-70,	11.00 ए. एम.
15.	मै. वी. पाराशर एन्ड कं., बापू बाजार, जयपुर।	5-5-70,	11.00 ए. एम.
16.	मै. सुखदेव नारायन प्रहलाद नारायन, पो. चोलाजी (झुन्झुनू)	5-5-70,	11.00 ए. एम.
17.	श्री रामगोपाल टांक, सांभर लेक	6-5-70,	1.45 पी. एम.
18.	श्री रामगोपाल टांक, ,,	6-5-70,	1.45 पी. एम.
19.	श्री बी. एन. शर्मा, चौड़ा रास्ता जयपुर	6-5-70,	2.50 पी. एम.
20.	श्रीमती कृष्णा देवी सोनी, रामगंज बाजार, जयपुर	7-5-70,	10.30 ए. एम.
21.	श्री बंसीधर खन्डेलवाल, थामानी मार्केट, जयपुर	7-5-70,	10.30 ए. एम.

राजस्थान में सैनिक स्कूल

208. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल हैं ?

(2) इन स्कूलों की अलग अलग छात्र संख्या कितनी है ?

(3) राजस्थान में चित्तौड़ सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई ?

(4) स्कूल की स्थापना के समय छात्रों पर किये जाने वाला व्यय प्रति दिन के हिसाब से कितना तय था ?

(5) तब से लेकर आज तक कितनी बार प्रति बालक व्यय बढ़ाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार प्रति बालक व्यय बढ़ाने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में बच्चों के लिये दूध की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

(7) दूध के अभाव में राज्य सरकार कैसे सैनिकों का निर्माण करना चाहती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में केवल एक सैनिक स्कूल चित्तौड़ में है।

(2) इस स्कूल में वर्तमान में छात्र संख्या 484 है।

(3) सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना जून, 1961 में हुई थी।

(4) स्थापना के समय प्रति छात्र 2,200) रु. प्रति वर्ष व्यय आता था।

(5) 1 जनवरी, 68 से 2,300) रु. प्रति छात्र प्रति वर्ष तथा 1 अप्रैल, 71 से 2,350) रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र व्यय निर्धारित किया गया।

(6) व (7) यह स्कूल राजस्थान सरकार का स्कूल नहीं है। इसका प्रबन्ध अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार केवल राजस्थानी बच्चों को छात्र वृत्तियां देती है।

ग्राम पंचायत केन्द्र सूराचन्द में पोस्ट ऑफिस

209. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष सरकार ने ग्राम पंचायत केन्द्र, सूराचन्द में शीघ्र पोस्ट ऑफिस खुलवाने का सदन में आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो वहां अब तक पोस्ट ऑफिस नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सूराचन्द में पोस्ट ऑफिस खोलने के लिये मकान का प्रबन्ध करने को तैयार है ? अगर हां, तो उक्त ग्राम में अब पोस्ट ऑफिस कब तक खुलवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। डाक तार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सूरावन्द में पूर्ण पोस्ट ऑफिस खोलना आर्थिक दृष्टि से पूरा नहीं उतरता अतः वहां ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोले जाने पर विचार किया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है।

पाली जिले के रजत जंयती ग्रामों में विकास कार्य

210. श्री मोहन राज (बाली) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष रजत जयन्ती महोत्सव के सिलसिले में हर पंजायत समिति से दो गांव–जयंती गांव के नाम से चुने गये हैं ? कृपया पाली जिले से चुने गये ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन चुने हुये जयंती ग्रामों में क्या क्या विकास कार्य किस विभाग द्वारा कब तक किये जाने की योजना है ?

(3) क्या अलग अलग ग्रामों की जरूरतों की योजनाएं बन चुकी हैं? यह योजना बनाने का कार्य स्थानीय स्तर पर किसके जिम्मे है? और राज्य स्तर पर समय समय पर इन योजनाओं की क्रियान्विति व प्रगति की जांच की जिम्मेवारी किस अधिकारी पर है ?

उत्तर

(स्थगित)

औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को सुविधाएं

211. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने जोधपुर जिले को कब से औद्योगिक पिछड़ा जिला घोषित कर दिया है तथा उसके अन्तर्गत क्या क्या अनुदान एवं सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) कितने उद्योग स्थापकों ने पूंजी में सरकार से दस प्रतिशत अनुदान के सम्बन्ध में अब तक आवेदन-पत्र दिए हैं ? कृपया उनकी सूची मय आवेदन के, दिनांक के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त आवेदकों में से कितनों को अनुदान का भुगतान कर दिया गया है और जिनको नहीं किया गया है उसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) 1970 से घोषित किया गया है सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची (ब) में अंकित कर दिया गया है।

सूची (अ)

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में दी जाने वाली सुविधाएं व अनुदान

(1) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में राज्य वित्त निगम व केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सस्ती दरों पर ऋण दिया जाता है।

(2) पिछड़े जिलों में से चुने हुए जिलों में (जिनमें जोधपुर भी एक है) नये उद्योग लगाने पर व वर्तमान उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु जमीन, भवन व मशीनों की खरीद पर किये गये पूंजी व्यय का 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(3) पिछड़े जिलों में लगने वाले उद्योगों को कुछ शर्तों पर 1 लाख रु. तक का आयातित माल मंगवाने की सुविधा दी जाती है।

सूची (ब)

प्रश्न के भाग (2) में वर्णित 17 केसेज की वर्तमान स्थिति

क्रमांक	उद्योग का नाम	प्रार्थना पत्र की तिथि	स्थिति
1.	खुराना इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	16-9-72	भुगतान किया जा चुका है।
2.	शोभा इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, जोधपुर	16-9-72	
3.	दवे इन्जिनियरिंग वर्क्स, जोधपुर	15-9-72	
4.	राजस्थान इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	20-9-72	भुगतान किया जा रहा है।
5.	राजस्थान ईगंन प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	8-9-72	भुगतान वित्त निगम द्वारा किया जावेगा।
6.	ऑटो स्पेयर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जोधपुर	9-9-72	
7.	एलको वेल्स मेटल, जोधपुर	27-9-72	अनुदान कमेटी की अगली बैठक में पेश किया जाना है।
8.	स्टेण्डर्ड मेटल कारपोरेशन, जोधपुर	13-9-72	
9.	स्टेण्डर्ड ऑटो पार्ट (पी) लि., जोधपुर	19-9-72	
10.	हिन्दुस्तान रेडियो टूल कम्पनी, जोधपुर	30-9-72	
11.	लक्ष्मी उद्योग, जोधपुर	5-10-72	वित्त निगम द्वारा आवेदन पर कार्यवाही की जा रही है।
12.	राजहंस इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	26-9-72	
13.	सी. डी. उद्योग, जोधपुर	19-9-72	
14.	वर्ल्ड ग्राम ऑटो इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	26-9-72	कमेटी की अगली मीटिंग में पेश किया जाना है।
15.	राजेन्द्र री-रोलिंग मिल, जोधपुर	16-9-72	सहायक निदेशक उद्योग, जोधपुर से कुछ सूचना मांगी गई है।
16.	मूलचन्द सुजानमल एण्ड कम्पनी, जोधपुर	27-9-72	केस तैयार किये जा रहे हैं।
17.	मदन टेक्सटाईल इण्ड. जोधपुर	18-12-72	

मॉडल स्कूलों की स्थापना

212. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने का निश्चय किया है? यदि हां, तो अब तक ऐसे स्कूल कहां कहां स्थापित किये गये है?

(2) क्या यह सही है मॉडल स्कूल केवल जिला मुख्यालयों पर ही स्थापित किये जाते हैं जबकि जिला मुख्यालयों पर पहले से ही उच्च कोटि के पब्लिक स्कूल और मिशनरी स्कूल मौजूद हैं? यदि हां, तो ऐसे स्कूल खोले जाने का क्या औचित्य है?

(3) क्या राज्य सरकार सिद्धान्ततः इस आधार पर पुनर्विचार करेगी जिससे कि आदर्श स्कूल खोले जाने का मूल प्रयोजन सार्थक हो सके।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) व (3) वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना नहीं हैं।

गुजरात को उदयपुर जिले के ग्रामों से जाने वाला चावल

213. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर पहाड़ा, रानी की सरहद से राजस्थान का चावल बाहर गुजरात में जाता है? यदि हां, तो राज्य सरकार इसको रोकने का क्या प्रबन्ध कर रही है?

(2) क्या यह सही है, कि राज्य सरकार इस नाके से जो चावल बाहर गुजरात को जाता है उसको रोकने में असफल रही है?

(3) क्या इस वर्ष इन नाकों से जाते हुए कोई चावल का ट्रक पकड़ा गया है? यदि हां, तो वह ट्रक किसके द्वारा पकड़ा गया तथा उसमें कितनी बोरी चावल थे? और क्या उसका चालान पेश किया गया अथवा नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। दिनांक 27/28-12-72 की रात को एक ट्रक नं. आर. जे. वाई. 1068 मय 104 बोरी चावलों के इस सरहद से गुजरात जाते हुये उलट गया अतः रानी से दूसरा ट्रक नं. आर. आर. एल. 1871 आया और उल्टे हुये ट्रक में से चावलों की बोरियां लेकर गुजरात को रवाना हुआ। रास्ते में तहसीलदार, खेरवाड़ा व थानेदार, पहाड़ी ने नाकाबन्दी कर इस ट्रक को जब्त कर लिया तथा ड्राइवर समेत 9 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का मुकदमा नं. 58/1972 धारा 3/7 ई. सी. एक्ट दर्ज किया जाकर तफतीश की गयी और दिनांक 17-1-73 को अदालत ए.डी.एम., उदयपुर में चालान पेश किया। तमाम मुलजिमानों

(गृह मंत्री)

की जमानतें हो चुकी है और अगली पेशी दिनांक 5-3-73 को मुकर्रर हो चुकी है।

राजस्थान महिला परिषद् के कार्यकर्ताओं का निलम्बन

214. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, उदयपुर ने राजस्थान महिला परिषद् के 13 कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण और नियम के विरुद्ध सेवाओं से पृथक् कर दिया और 3 कार्यकर्त्ताओं को निलम्बित कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या इनको वापस लेने का विचार रखतो है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान महिला परिषद् के कर्मचारियों के सेवा मुक्ति के आदेश देने के बाद कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान महिला परिषद् के स्थाई कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति को निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के अन्तर्गत किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त संस्था में सेवा निवृत प्रधानाध्यापक को 300/- रुपये मासिक मानदेय पर व्यवस्था सचिव के पद पर शिक्षा विभाग के नियमों के प्रतिकूल नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रशासक, राजस्थान महिला परिषद्, उदयपुर ने परिषद् के 13 कार्यकर्त्ताओं को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने पर पृथक् किया। अतः यह सही नहीं है कि उन्हें नियम के विरुद्ध सेवाओं से पृथक किया। इसके अतिरिक्त तीन कर्मचारियों को उनके खिलाफ अनुशासनहीनता एवं मर्यादाओं के विरुद्ध कार्य करने के साथ ही कागज एवं महत्वपूर्ण रेकार्ड गायब करने, बिना स्वीकृति अवकाश पर रहने व नियमों का पालन न करने के आरोप होने से निलम्बित किया। इनमें से एक कर्मचारी श्री चांदमल जैन की सेवा अवधि समाप्त हो जाने से आगे नहीं बढ़ाई गई और शेष दो कर्मचारियों को बाद जांच सेवा से पृथक् किया गया। इन तीन सेवा मुक्त कर्मचारियों में से दो ने अपील कर रखी है, अतः सेवा में वापस लेने का बिन्दु अपील में तय होगा।

(2) यह सही है कि जिन 13 कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि समाप्त होने पर अवधि नहीं बढ़ाई थी, उनमें से 12 कर्मचारियों की सेवा अवधि बाद में बढ़ाई गयी, क्योंकि इनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं था। इनकी नियुक्ति केवल एक निश्चित समय के लिए थी।

(3) यह पूर्णरूप में सही नहीं है। कुछ कर्मचारियों को समय से पूर्व और नियमों के विरुद्ध स्थायी कर दिया था और अधिकांश कर्मचारियों को जिन्हें एक लम्बा अर्सा हो गया था, अस्थाई रख छोड़ा था, जबकि विभागीय आदेश हैं कि एक वर्ष बाद संतोषप्रद कार्य को देखते हुए

(शिक्षा मंत्री)

स्थायी कर दिया जाये। ऐसी स्थिति में एक निश्चित दिनांक से स्थायी किये गये कर्मचारियों को अस्थाई किया जाकर सभी कर्मचारियों को कार्य के संबंध में टिप्पणी मंगाई जाने बाद, जिनका कार्य संतोषप्रद पाया गया उन सबको उनका सेवा काल का एक वर्ष समाप्त होने की तिथि से स्थाई किये गये।

(4) यह सही है। क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था सचिव निलंबित थीं।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 179 की सूची)

श्री हरिश्चन्द्र पाण्डे, जिलाधीश, सवाई माधोपुर के नाइट हॉल्ट का विस्तृत विवरण:—

दिनांक	नाइट हॉल्ट का स्थान	वजह (उद्देश्य)
1	2	3
6-7-72	जयपुर	पहुँच।
7-7-72	जयपुर	मुख्य सचिव महोदय से जयपुर में विचार विमर्श करने हेतु।
12-7-72	हिण्डोन	उप-खण्ड अधिकारी से नगर विकास न्यास के कार्य के लिये विचार विमर्श हेतु।
13-7-72	करौली	वन सलाहकार समिति की मीटिंग में भाग लेने हेतु।
14-7-72	करौली	राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की मीटिंग जो प्राथमिक स्कूलों को पदोन्नत करने के बारे में थी, का सभापतित्व करने हेतु।
20-7-72	गंगापुर	नगर विकास न्यास के कार्य का अवलोकन किया एवं पटवारियों को राजस्व मामलों पर सभा को सम्बोधित किया।
21-7-72	गंगापुर	पटवारियों एवं इन्सपेक्टर लेण्ड रिकार्डस की मीटिंग, जो गंगापुर और नाडोती में हुई, को सम्बोधित करने हेतु।
22-7-72	गंगापुर	ड्राईवर को नियुक्ति हेतु नगर विकास न्यास, हिण्डोन गये। लेण्ड रेवन्यु एवं अन्य बकाया की वसूली हेतु उप खण्ड अधिकारी तहसीलदारों और पटवारियों से विचार विमर्श हेतु।
27-7-72	महुआ	राजकोय बकाया की वसूली पर तहसीलदारों से विचार विमर्श तथा नगर विकास न्यास, हिन्डौन के कार्य को निबटाने हेतु।
18-8-72	जयपुर	महुआ जाते हुए।
19-8-72 20-8-72	महुआ	बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण और केन्द्रीय मन्त्री लोक सभा मामले तथा उप मन्त्री कम्यूनीकेशन के आगमन पर।
21-8-72	जयपुर	महुआ से जाते हुए, बाढ़ के बारे में सहायता आयुक्त से विचार विमर्श हेतु।
31-8-72 1-9-72	महुआ	बाढ पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण करने एवं सहायता आयुक्त के आगमन पर।

1	2	3
2-9-72	गंगापुर	सहायता मन्त्री महोदय के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण करने हेतु।
5-9-72	गंगापुर	रात्रि में 11-30 पर पहुंचने के कारण।
6-9-72 7-9-72	महुआ गंगापुर	सेन्ट्रल स्टेडी टीम के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का अवलोकन करने हेतु।
10-9-72	जयपुर	सेन्शस कोर्ट में 11-9-72 को गवाही हेतु।
14-9-72	गंगापुर	नगर विकास न्यास के कार्यवश हिण्डोन गये एवं लोटे।
26-9-72 27-9-72	जयपुर	सचिवालय में विचार विमर्श करने हेतु।
19-10-72	गंगापुर	नगर विकास न्यास, गंगापुर की मीटिंग एवं नगर विकास न्यास के अन्य कार्य के अवलोकन हेतु।
20-10-72	गंगापुर	बाढ़ सहायता पर विचार विमर्श हेतु।
22-10-72	जयपुर	पहुंच।
23-10-72 24-10-72 25-10-72	जयपुर	खरीफ की फसल का प्रोक्योरमेन्ट एवं कमी की स्थिति पर जिलाधीशों की मीटिंग में भाग लेने हेतु।
1-11-72	गंगापुर	दिनांक 2-11-72 को बाढ़ सहायता पर उप-खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों की मीटिंग में भाग लेने हेतु और नगर विकास न्यास के कार्य हेतु।
26-11-72 27-11-72	महुआ गंगापुर	सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर के साथ गये।
30-11-72 1-12-72	जयपुर	सचिवालय में रिवाइन्स लेण्ड की मीटिंग में भाग लेने एवं अन्य विचार विमर्श हेतु।
10-12-72	जयपुर	पहुंच।
11-12-72 12-12-72 13-12-72	जयपुर	जयपुर में सीनियर ऑफिसर्स कान्फ्रेंस में भाग लेने हेतु एवं सचिवालय में विचार विमर्श हेतु।
14-12-72	जयपुर	आकस्मिक अवकाश।
23-12-72	करौली	राज्यपाल के आगमन पर।
9-1-73 10-1-72	जयपुर	खाद्य आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से सचिवालय में विचार विमर्श हेतु।
29-1-73	गंगापुर	दिनांक 30-1-73 को सपोटरा जाते हुए।

श्री हरिश्चन्द्र पाण्डे, जिलाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा उठाई गई राशि का विवरण

अवधि समाप्ति	राशि	विशेष विवरण
31-7-72	रु. 621-00	रु. 316-40 पैसे की स्थानान्तर यात्रा भत्ता राशि भी सम्मिलित है।
30-9-72	रु. 530-15	
2-11-72	रु. 187-25	
28-12-72	रु. 225-00	

नोटः—दिनांक 28-12-72 के बाद कोई राशि अभी तक नहीं उठाई है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची)

सूची भाग "1"

नाम माह	तादाद आवंटन (क्विन्टल में)
अगस्त, 1972	3450
सितम्बर, 1972	3450
अक्टूबर, 1972	3910
नवम्बर, 1972	3450
दिसम्बर, 1972	3450
जनवरी, 1973	3610

जिले की तहसीलों को उक्त प्राप्त मात्रा में से निम्न प्रकार उप-आवंटन किया गया है:—

नाम माह	सीकर	नीम का थाना	श्री माधोपुर	फतेहपुर	लछमनगढ़	दांता-रामगढ़
अगस्त, 1972	848	554	795	443	497	572
सितम्बर, 1972	848	554	795	443	497	572
अक्टूबर, 1972	848	554	795	443	497	572
नवम्बर, 1972	930	554	795	443	497	572
दिसम्बर, 1972	1092	634	909	518	568	654
जनवरी, 1973	971	515	739	356	462	531

नोट:—माह नवम्बर, 1972 में सीकर शहर व कस्बा फतेहपुर में चीनी का कोटा 350 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से आवंटित किया गया तथा दिसम्बर, 1972 व जनवरी, 1973 में चीनी का स्टॉक अधिक उपलब्ध होने की सूरत में सीकर कस्बे को 500 ग्राम प्रति व्यक्ति व कस्बा फतेहपुर व जिले के अन्य शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को 400 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से वितरण किया गया।

———

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची)

तालिका 'अ'

राजस्थान बनने पर पुलिस विभाग के विभिन्न पदों की संख्या

1.	पुलिस महानिरीक्षक	1
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	—
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक	6
4.	सहायक पुलिस महानिरोक्षक	2
5.	पुलिस अधीक्षक	43
6.	अपर पुलिस अधीक्षक	—
7.	पुलिस उप अधीक्षक	99
8.	निरीक्षक	200
9.	उप निरीक्षक	1,212
10.	सहायक उप निरीक्षक	259
11.	हैड कॉन्सटेबिल	4,087
12.	कॉन्सटेबिल	25,913
	योग :	3,1822

तालिका 'ब'

वर्तमान में राजस्थान पुलिस के विभिन्न पदों की संख्या

1.	पुलिस महानिरीक्षक	1
2.	अपर पुलिस महानिरीक्षक	1
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक	10
4.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक	2
5.	पुलिस अधीक्षक	47
6.	अपर पुलिस अधीक्षक	49
7.	पुलिस उप-अधीक्षक	145
8.	निरीक्षक	257
9.	उप-निरीक्षक	1,707
10.	सहायक उप निरीक्षक	779
11.	हैड कॉन्सटेबिल	5,001
12.	कान्सटेबिल	29,488
	योग :	37,487

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची)

क्र.सं.	नाम	योग्यता	पिता का नाम	निवास स्थान	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रद्युम्न कुमार राना	एम. एससी., एलएल.बी.	श्री रतनलाल राना	जयपुर	उपस्थित नहीं हुए अतः नियुक्ति निरस्त कर दी गई।
2.	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा	एम. ए.	श्री ईश्वरलाल शर्मा	सुथारवाडा, डूंगरपुर	
3.	श्री सुभाषचन्द्र पुरी	एम. ए.	श्री गोविन्दसिंह	मण्डासी, झुन्झुनू	
4.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़	एम. ए.	श्री रामसिंह राठौड़	ठेलासर, चूरू	
5.	श्री पूरनमल गुप्ता	एम. ए.	श्री बिरदीचन्द गुप्ता	बवाई, झुन्झुनू	
6.	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	एम. ए., बी. ए. (ऑनर्स)	श्री आनन्दीलाल जैन	जयपुर	उपस्थिति नहीं दी अतः नियुक्ति निरस्त कर दी गई।
7.	श्री नारायण सिंह रानावत	एम. ए.	श्री मोतीसिंह रानावत	भीलवाड़ा	
8.	श्री मुकुटलाल थानवी	एम.कॉम., एलएल.बी.	श्री जेठमल थानवी	फलौदी, जोधपुर	
9.	श्री मुन्शीलाल शर्मा	एम. कॉम.	श्री बद्रीप्रसाद शर्मा	जयपुर	
10.	श्री हरिमोहन गुप्ता	एम. ए.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	वैर, भरतपुर	
11.	श्री अवधेशकुमार सोनी	बी. एससी.	श्री वंशीधर सोनी	जयपुर	
12.	श्री हरिकिशोर शर्मा	बी.एससी., एम.एससी. (प्रिवियस)	श्री जानकीप्रसाद शर्मा	वैर, भरतपुर	
13.	श्री जगदीश प्रसाद वशिष्ठ	एम. कॉम.	श्री महावीर प्रसाद	मलिकपुर, सीकर	आवश्यक स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहने के कारण नियुक्ति निरस्त कर दी गई।

14.	श्री किशन गोपाल जोशी	एम. ए.	श्री दाऊदयाल जोशी	जोधपुर	
15.	श्री गोपालसिंह राजावत	एम. ए.	श्री दिलीपसिंह राजावत	मोहब्बतपुरा, जयपुर	
16.	श्री अब्दुल हफीज खां	बी. एससी.	श्री मुन्नावर खां	बालाहेडी, सवाई माधोपुर	
17.	श्री करनीसिंह राजपुरोहित	बी. ए.	श्री गंगासिंह राजपुरोहित	जोधपुर	
18.	श्री के. एल. गोस्वामी	एम. ए.	श्री दाऊदयाल गोस्वामी	बीकानेर	
19.	श्री रमेशचन्द्र जैन	बी. ए.	श्री भंवरलाल जैन	जयपुर	
20.	श्री हरिराम चौधरी	एम. ए.	श्री भाऊराम चौधरी	जोधपुर	
21.	श्री मोतीलाल कोटवानी	बी.एससी., एलएल.बी.	श्री अर्जुनलाल कोटवानी	अजमेर	
22.	श्री तेजकरण राठौड़	बी. ए., एलएल. बी.	श्री श्यामकरण सिंह	जयपुर	
23.	श्री निरंजन शर्मा	बी. ए., एलएल. बी.	श्री रामसिंह शर्मा	जयपुर	
24.	श्री गोरधनलाल टांक	बी. ए., एलएल. बी.	श्री मोतीलाल टांक	अजमेर	
25.	श्री फूलचन्द खटोक	एम. कॉम.	श्री रामसहाय खटीक	चौमू, जयपुर	अनुसूचित जाति
26.	श्री ईश्वरसिंह खींची	एम. ए.	श्री आनन्दीलाल खींची	जयपुर	,, ,,
27.	श्री खेमचन्द मीणा	एम. ए.	श्री मन्नीलाल	अलवर	अनुसूचित जन जाति
28.	श्री श्रीचन्द जाटव	एम. ए.	श्री परमालीराम	सिरसाई, भरतपुर	अनुसूचित जाति-त्याग-पत्र दे दिया है।
29.	श्री खेताराम कंवरिया	एम. ए., एलएल. बी.	श्री दयालराम कंवरिया	रामगढ़	अनुसूचित जाति
30.	श्री जगदीशप्रसाद मीणा	बी. ए.	श्री सूरजमल मीणा	जयपुर	अनुसूचित जन जाति
31.	श्री लालचन्द बोरा	बी. ए.	श्री तेजाराम लोरा	श्री गंगानगर	अनुसूचित जाति
32.	श्री सत्यनारायण मीणा	बी. कॉम.	श्री भौंरीलाल मीणा	दुर्गापुरा, जयपुर	अनुसूचित जन जाति

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 93 की सूची)

प्रश्न 1 व 2 की सूची

ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें जो प्लान वर्क्स तहत स्वीकृत की

योजना का नाम	अनुमानित लागत	स्वीकृति वर्ष	प्रगति विवरण
1	2	3	4
(1) श्योकर-कुरली	4.36	1971-72	पांच में से चार गांवों में जल वितरण शुरू किया जा चुका है।
(2) गोपरी मांडियावास	2.28	1971-72	मांड़ियावास में जल वितरण शुरू किया जा चुका है व शेष गांवों में मार्च, 1973 में कर दिया जावेगा।
समदरी-कल्यानपुरा	6.40	1971-72	मार्च 73 में जल वितरण शुरू किये जाने की संभावना है।
डण्डू-पनावड़ड़ा	22.00	1971-72	कार्य प्रगति पर है।
बामसीन-मण्डप	8.09	1971-72	कार्य प्रगति पर है।
घुम्बली-गिराब	1.20	1971-72	जल वितरण शुरू किया जा चुका है।
लोहवाड़-भोमतल	8.70	1971-72	कार्य प्रगति पर है।
चुली-भादरेश	3.50	1972-73	कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएँ जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं:—

भीठडा-बायतु	49.10	1970-71	कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
	36.60	1970-71	कार्य पूर्ण हो चुका है।

1	2	3	4
ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जो डी. पी., ए. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं—			
पारलू-उमरलाई	2.57	1972-73	कार्य प्रगति पर है
कानासर-कश्मीर	1.60	1972-73	,,
डोली-अरीबा	2.00	1972-73	,,
मियाड-बलाई	4.20	1972-73	,,
भटाला-हाड़	19.50	1972-73	,,
पादरू-सिनेर आसाडा-टापरा	31.00	1972-73	,,
गूगा-हारवा-हार-बेवा	1.10	1972-73	,,

ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं जो ऐक्सलरेटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं।

योजना का नाम	अनुमानित लागत	वर्ष	प्रगति विवरण
तुरबी-बाडिन	44.30	1972-73	कार्य प्रगति पर है

प्रश्न 3 की सूची

योजना का नाम	अनुमानित लागत रु. लाखों में	
नीमला-जहू	24.69	सर्वे की जा चुकी है, किन्तु अभी स्वीकृति नहीं हुई है ?

अन्य कोई भी योजना के लिये सर्वे नहीं की जा रही है।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

क्र. सं.	मंडी का नाम	मात्रा जो क्रय की गई (क्विन्टल में)
1.	जोधपुर	25,876-80-000
2.	बिलाड़ा	4,152-45-000
3.	ओसियां	8,957-00-000
4.	पिपाड़ सिटी	18,444-00-000
5.	फलौदी	1,683-00-000
6.	बाड़मेर	972-80-000
7.	चोहटन	2,163-15-000
8.	धोरीमन्ना	2,728-000-00
9.	बायतु	1,193-00-000
10.	बालोतरा	18,417-85-000
11.	सेंदवा	6,352-65-000
12.	जालोर	16,954-65-000
13.	भीनमाल	22,433-25-000
14.	सांचोर	25,872-00-000
	योग :	1,56,250-60-000

शुद्धि-पत्र

स्कम्भ सं.	पंक्ति स.		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
2	नीचे से	12	(17	1971
13	,,	3	30-271	30-9-71
14	,,	10	मोजू	मौजूद
19	शीर्ष		श्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
22	ऊपर से	3	स्कल	स्कूल
22	,,	12	की	उनकी
26	,,	2	ससझा	समझा
27	,,	2	महेहरण	मदेरणा
27	नीचे से	12	कभी	कब
29	ऊपर से	10	राज्य मत्री	राज्य मंत्री उद्योग
33	ऊपर से	4	र्ग	वर्ग
52	नीचे से	9	आ	आज
105	शीर्ष		सदन की मेज पर-28 फरवरी, 1973-रखे जाने वाले पत्र	गैर सरकारी संकल्प राजस्थान कैनाल लैण्ड अलॉटमेंट रूल्स संशोधन
128	नीचे से	2	हने	होने
133	,,	11	त्थासिंह भरतपुर	नत्था सिंह (नदबई)
139	शीर्ष		सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र	राजस्थान के मरुक्षेत्र विकास के लिए क्षेत्रीय समिति का निर्माण
153	नीचे से	17	वहहै	वह
155	,,	1	की	को
196	,,	3	जनत	जनता
210	,,	2	अवश्यकताएं	आवश्यकताएं
226	ऊपर से	13	टयू वेल	ट्यूब वेल
228	,,	15	वां	वहां
229	,,	1	श्री फूलचन	श्री फूलचन्द
237	,,	9	तर के	तरीके

1	2	3	4
237	नीचे से 11	ाुझे	मुझे
252	परिशिष्ट ऊपर से 10	चन्नालाल	चुन्नालाल
255	परिशिष्ट नीचे से 10	संग्लान	संलग्न
258	परिशिष्ट ऊपर से 9	क्या राज्य	राज्य
259	परिशिष्ट ,, 1	लूपों	लूमों
262	,, 2	तफसी	तफतीस